

1

प्रथम रिपोर्ट



द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

सूचना का अधिकार
उत्तम शासन के लिए मास्टर कुंजी

जून 2006

भारत सरकार

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

प्रथम रिपोर्ट

सूचना का अधिकार
उत्तम शासन के लिए मास्टर कुंजी

जून 2006

प्राक्कथन

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन लोक प्रशासन पद्धति की पुनर्संरचना करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है। आयोग को व्यापक विचारार्थ विषय सौंपे गए हैं जिनके अंतर्गत लोक प्रशासन के सभी पहलू सम्मिलित हैं। आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में सूचना की आजादी के संबंध में विश्लेषण करने और सिफारिशें करने का निर्णय लिया क्योंकि "सूचना का अधिकार अधिनियम" हाल ही में अधिनियमित किया गया है और यह प्रशासन में एक प्रतिमान बदलाव है।

"सूचना का अधिकार अधिनियम" एक पथ प्रदर्शक विधान है जो गोपनीयता के अंधकार से पारदर्शिता के युग में जाने का संकेत देता है। यह लोक प्राधिकारियों के मस्तिष्क को चेतना प्रदान करता है जो संदेह और गोपनीयता से धिरा हुआ है। सरकारी शक्ति - कार्यपालिका, विधायी और न्यायपालिका - के इस्तेमाल में खुलापन एक परम्परा है जिसे पोषित किए जाने की जरूरत है जहां गुप्तता और गोपनीयता एक अपवाद है। भ्रष्टाचार से संघर्ष करने के लिए भी सूचना का अधिकार एक सशक्त साधन है। सूचना का अधिकार अधिनियम पर कारगर ढंग से अमल किए जाने से सतर्कता का एक ऐसा परिवेश कायम होगा जिससे और अधिक भागीदारीपूर्ण प्रजातन्त्र के कामकाज को बढ़ावा मिलेगा।

जेम्स मेडिसन ने एक बार कहा था, "जो व्यक्ति अपना शासक खुद बनना चाहते हैं उन्हें अपने आप को ऐसी शक्ति के साथ समर्थ बनना होगा जो जानकारी उन्हें प्रदान करती है"। भारत में, अधिकारिक गुप्तता अधिनियम, 1923, जन सदस्यों को सूचना की सुलभता से इंकार करने का एक सहज धूमपट है। सरकारी कामकाज परम्परागत रूप से गुप्तता से धिरा हुआ है। किन्तु प्रजातन्त्र में, जहां लोग अपना शासन खुद चलाते हैं, और अधिक खुलेपन का होना जरूरी है। हमारे प्रजातन्त्र को पोषित करने में, सूचना का अधिकार एक बड़ा भावी कदम है; यह नागरिकों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भाग लेने में समर्थ बनाता है जो उनके जीवन को अत्यंत प्रभावित करती है।

इसी संदर्भ में लोक सभा में प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया भाषण महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था, "मैं केवल यह देखना चाहूंगा कि हर व्यक्ति, विशेष रूप से सिविल सेवक, विधेयक को सकारात्मक दृष्टि से देखें; न कि सरकार को अस्थिर बनाने के लिए एक निष्ठुर कानून के रूप में, बल्कि सरकार-नागरिक अन्योन्यक्रिया सुधारने के एक साधन के रूप में, जिसका परिणाम हमारे लोगों की भलाई के लिए एक मैत्रीपूर्ण, पोषक और प्रभावी सरकारी कामकाज के रूप में निकले"। उन्होंने यह भी कहा कि "यह एक नवोन्मेषी विधेयक है, जिसमें जैसे-जैसे अनुभव प्राप्त होगा, इसके कार्यकरण की समीक्षा करने की गुंजाईश है। इसलिए, यह एक ऐसा विधान है जिसके कार्यान्वयन की सतत रूप से समीक्षा की जाएगी।"

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में, "सूचना का अधिकार" का - कार्यपालिका, विधायी और न्यायपालिका में - प्रयोग किए जाने पर विचार किया है। कानून को सही ढंग और भावना से लागू करने में न्यायपालिका एक अग्रणी भूमिका निभा सकती है क्योंकि न्यायपालिका द्वारा किया जाने वाला अधिकांश कार्य सार्वजनिक संवीक्षा हेतु खुला रहता है। भारत सरकार ने न्यायपालिका के लिए लगभग 700 करोड़ रूपए की लागत से एक ई-शासन परियोजना मंजूर की है जिससे अभिलेखों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण, मानकीकरण और श्रेणीकरण किया जाएगा। इससे न्यायपालिका को अधिनियम के तहत सौंपे गए अपने अधिदेश को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार, सभी अन्य सरकारी प्राधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण की जरूरत होगी। अपारदर्शिता से पारदर्शिता में बदलाव लाना तथा सार्वजनिक जवाबदेही शासन में इन्हीं तीनों अंगों की जिम्मेदारी है।

आयोग को, राष्ट्रीय न्यायपालिका अकादमी द्वारा आयोजित चर्चाओं और विभिन्न पणधारियों से प्राप्त इनपुटों से लाभ पहुँचा। आयोग ने इस विषय पर विभिन्न कानूनों का अन्य देशों के कानूनों सहित, अध्ययन किया; इसने विभिन्न आयोगों और समितियों की संगत रिपोर्टों का अध्ययन किया तथा राज्य सरकारों के साथ अनेक बार चर्चाएं की। यह रिपोर्ट, जिसमें सूचना की आजादी के क्षेत्र में व्यावहारिक सिफारिशें सुझाई गई हैं, उपरोक्त प्रयासों का परिणाम है। मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट पर अमल करने से जवाबदेह तथा पारदर्शी प्रशासन का एक नया युग जन्म लेगा।

M. Venugopal Rao

दिनांक: 1 जून, 2006

स्थान: नई दिल्ली

(एम. वीरप्पा मोइली)

अध्यक्ष

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

संकल्प

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2005

सं. के-11022/9/2004-आर सी, राष्ट्रपति, लोक प्रशासन पद्धति की पुनर्संरचना के संबंध में एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए एक जाँच आयोग, जिसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ए आर सी) कहा जाएगा, सहर्ष गठित करते हैं ।

2. आयोग में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

- | | | |
|-------|---------------------|--------------|
| (i) | श्री वीरप्पा मोइली | - अध्यक्ष |
| (ii) | श्री वी. रामचन्द्रन | - सदस्य |
| (iii) | डा. ए.पी. मुखर्जी | - सदस्य |
| (iv) | डा. ए.एच. कालरो | - सदस्य |
| (v) | डा. जयप्रकाश नारायण | - सदस्य |
| (vi) | श्रीमती विनीता राय | - सदस्य-सचिव |

3. आयोग, सरकार के सभी स्तरों पर, देश के लिए एक सक्रिय, प्रतिक्रियाशील, जवाबदेह, संधारणीय और कुल प्रशासन प्राप्त करने के लिए उपायों का सुझाव देगा । अन्य बातों के साथ-साथ आयोग निम्नलिखित पर विचार करेगा :

- (i) भारत सरकार का संगठनात्मक ढाँचा
- (ii) शासन में नैतिकता
- (iii) कार्मिक प्रशासन की पुनर्संरचना
- (iv) वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों का सुदृढीकरण
- (v) राज्य स्तर पर प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए उपाय
- (vi) प्रभावी जिला प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए उपाय
- (vii) स्थानीय स्वःशासन/पंचायती राज संस्थान
- (viii) सामाजिक पूंजी, विश्वास और भागीदारीपूर्ण सरकारी सेवा सुपुर्दगी
- (ix) नागरिक-केंद्रित प्रशासन
- (x) ई-अधिशासन प्रोत्साहित करना
- (xi) संघीय राजतन्त्र के मुद्दे
- (xii) संकट प्रबंधन
- (xiii) सार्वजनिक व्यवस्था

प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत जिन मुद्दों की जांच की जाएगी उनमें से कुछेक का उल्लेख विचारार्थ विषयों में किया गया है जो इस संकल्प की अनुसूची के रूप में संलग्न हैं ।

4. आयोग, रक्षा, रेलवे, विदेश कार्य, सुरक्षा और आसूचना के प्रशासन की और साथ ही केन्द्र-राज्य संबंधों, न्यायिक सुधारों आदि जैसे विषयों को भी, अपनी विस्तृत जाँच से अलग रख सकता है, जिनकी पहले ही अन्य निकायों द्वारा जाँच की जा रही है। तथापि, सरकार अथवा इसकी किसी सेवा एजेंसी के तंत्र के पुनर्गठन की सिफारिशें करते समय, इन क्षेत्रों की समस्याओं को ध्यान में रखने में स्वतंत्र होगा।

प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत जिन मुद्दों की जाँच की जाएगी उनमें से कुछेक का उल्लेख विचारार्थ विषयों में किया गया है जो इस संकल्प की अनुसूची के रूप में संलग्न हैं।

5. आयोग, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने की जरूरत पर समुचित रूप से ध्यान देगा।

6. आयोग, अपनी स्वयं की प्रक्रियाएं तय करेगा (राज्य सरकारों के साथ परामर्श सहित, जो आयोग द्वारा उपयुक्त समझी जाएं) तथा अपनी सहायतार्थ समितियाँ, परामर्शदाता/सलाहकार नियुक्त कर सकता है। आयोग, इस विषय पर उपलब्ध विद्यमान सामग्री और रिपोर्टों को ध्यान में रख सकता है और सभी मुद्दों पर प्रारंभ से विचार करने के प्रयास करने की बजाए, उन्हीं पर अपनी राय आधारित कर सकता है।

7. भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आयोग को ऐसी जानकारी और दस्तावेज तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे जो आयोग द्वारा अपेक्षित हो। भारत सरकार को भरोसा है कि राज्य सरकारें व सभी अन्य संबंधित आयोग को अपना पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे।

8. आयोग, अपनी रिपोर्ट/रिपोर्टें अपने गठन के एक वर्ष के अंदर, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(पी.आई. सुवराथन)
अपर सचिव, भारत सरकार

विषयवस्तु

अध्याय 1	प्रस्तावना	1
<hr/>		
भाग - I	अधिकारिक गुप्तता	
<hr/>		
अध्याय 2	अधिकारिक गुप्तता अधिनियम व अन्य कानून	4
	2.1 पृष्ठभूमि	4
	2.2 अधिकारिक गुप्तता अधिनियम	5
	2.3 साक्ष्य में सरकारी विशेषाधिकार	12
	2.4 गुप्तता की शपथ	17
	2.5 छूट-प्राप्त संगठन	18
अध्याय 3	नियम और विनियम	20
	3.1 केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम	20
	3.2 कार्यालय पद्धति संहिता	21
अध्याय 4	गोपनीयता वर्गीकरण	23
<hr/>		
भाग - II	सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन	
<hr/>		
अध्याय 5	अधिकार और दायित्व	27
	5.1 अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार और दायित्व	27
	5.2 संस्थानों का निर्माण	27
	5.3 सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों का मनोनयन	29
	5.4 सूचना का आयोजन और अभिलेख पालन	30
	5.5 क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन	33
	5.6 मानीटरन पद्धति	35
अध्याय 6	कार्यान्वयन में मुद्दे	38
	6.1 अधिनियम का कार्यान्वयन	38
	6.2 सुलभता सुविधाजनक बनाना	38
	6.3 सार्वजनिक प्राधिकारियों की तालिका	41
	6.4 जिला स्तर पर एकल खिड़की एजेन्सी	41
	6.5 अधीनस्थ क्षेत्र कार्यालय तथा सार्वजनिक प्राधिकरण	42
	6.6 गैर-सरकारी निकायों पर लागू किया जाना	43
	6.7 20 वर्ष से अधिक की सूचना के लिए समय सीमा	44
	6.8 लोक शिकायतें दूर करने की पद्धति	46
	6.9 तुच्छ तथा कष्टप्रद अनुरोध	47

अध्याय 7	विधायिका और न्यायपालिका पर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करना	50
अध्याय 8	कठिनाइयां दूर करना	54
	8.1 कठिनाइयां दूर करने की शक्ति	54
अध्याय 9	निष्कर्ष	56
अध्याय 10	सिफारिशों का सारांश	57

संलग्नक की सूची

संलग्नक-1(1)	राष्ट्रीय चर्चा में भाग लेने वालों की सूची	70
संलग्नक-1(2)	चर्चा में भारत के मुख्य न्यायाधीश का भाषण	74
संलग्नक-1(3)	चर्चा में प्र.सु.आ. के अध्यक्ष का भाषण	86
संलग्नक-1(4)	चर्चा में की गई सिफारिशें	94
संलग्नक-1(5)	प्रश्नावली	103
संलग्नक-1(6)	मामला अध्ययन	116
संलग्नक-1(7)	विभिन्न राज्यों के सूचना के अधिकार अधिनियम का एक तुलनात्मक विश्लेषण	119
संलग्नक-1(8)	सूचना की आजादी के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का एक तुलनात्मक विश्लेषण	130
संलग्नक-V(1)	उन राज्यों की सूची जहाँ सूचना आयोग गठित किए गए हैं	137
संलग्नक-V(2)	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियुक्त सी.पी.आई.ओ./पी.आई.ओ. की संख्या	138
संलग्नक-V(3)	अभिलेख-पालन की स्थिति के बारे में कुछ मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रियाएं	139
संलग्नक-VI(1)	सार्वजनिक अधिकारियों की तालिका रखने के लिए प्रतिलोमित वृक्ष अवधारणा	140

प्रयुक्त संकेताक्षरों की सूची

एपीआईओ	सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी
बीएसएफ	सीमा सुरक्षा बल
सीएजी	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
सीआईसी	केन्द्रीय सूचना आयोग
सीपीआईओ	केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी
सीआरपीएफ	केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल
जीओआई	भारत सरकार
एनसीआरडब्ल्यूसी	राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनएसए	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम
ओएसए	अधिकारिक गुप्तता अधिनियम
पीजीसी	लोक शिकायत आयोग
पीआईओ	सार्वजनिक सूचना अधिकारी
पीआरओ	सार्वजनिक अभिलेख कार्यालय
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एसआईसी	राज्य सूचना आयोग

प्रस्तावना

"यदि आजादी और समानता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, मुख्यतः प्रजातन्त्र में पाई जानी है, तो वह तभी प्राप्त की जा सकती है यदि सभी लोग समान रूप से सरकार में अधिकतम हिस्सा लें" ।

अरिस्टोटल

1.1 भूमिका

1.1.1 सूचना के अधिकार को भागीदारीपूर्ण प्रजातन्त्र को सुदृढ़ करने और लोक केन्द्रित अधिशासन की शुरूआत करने की एक कुंजी के रूप में देखा जाता है। सूचना की सुलभता गरीब और समाज के कमजोर वर्गों को सरकारी नीतियों और कार्रवाई के विषय में सूचना की मांग करने और उसे प्राप्त करने के लिए साक्त बना सकती है और इस प्रकार उनका कल्याण हो सकता है। उत्तम शासन के बिना, विकास स्कीमों की संख्या चाहे कितनी भी हो, नागरिकों के जीवन की कोटि में सुधार नहीं हो सकता। उत्तम शासन के चार घटक हैं - पारदर्शिता, जवाबदेही, पूर्वानुमान और भागीदारी, पारदर्शिता का अर्थ आम जनता के लिए सूचना की उपलब्धता और सरकारी संस्थानों के कामकाज के बारे में स्पष्टता से है। सूचना का अधिकार का अर्थ सरकार के अभिलेखों को सार्वजनिक संवीक्षा के लिए खोलना है जिससे कि नागरिकों को सरकार क्या करती है तथा कितने प्रभावी ढंग से करती है, इस बारे में जानने का एक साक्त साधन प्राप्त हो सके और इस प्रकार सरकार को अधिक जवाबदेह बनाया जा सके। सरकारी संगठनों में पारदर्शिता उन्हें और अधिक उद्देश्यपरक ढंग से काम करने के लिए बाध्य करती है जिससे कि पूर्वानुमान में बढ़ोतरी हो सके। सरकार के कामकाज के बारे में सूचना नागरिकों को प्रभावी ढंग से शासन प्रक्रिया में भाग लेने में भी समर्थ बनाती है। यह एक मूलभूत भावना है, सूचना का अधिकार उत्तम शासन की एक बुनियादी जरूरत है।

1.1.2 सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता की जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2005 में "सूचना का अधिकार अधिनियम" (जिसे इससे बाद में आर टी आई अधिनियम अथवा अधिनियम कहा जाएगा) अधिनियमित किया। यह एक महत्वपूर्ण विधान है जो लोगों को साक्त बनाता है और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। यद्यपि सूचना के अधिनियम की संविधान में अप्रत्यक्ष रूप से गारंटी दी गई है। तथापि अधिनियम, शासन के सभी मामलों के बारे में जानकारी की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के वास्ते व्यावहारिक व्यवस्था उपलब्ध कराता है। प्रधानमंत्री के शब्दों में¹

"कुशल और प्रभावी संस्थान, तीव्र और आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए कुंजी हैं, ऐसे संस्थान जो कम से कम सम्भव लागत के साथ और सम्भव अधिकतम कार्यकुशलता के साथ, वायदों को नीतियों और कार्रवाई - योग्य कार्यक्रमों में बदल सकें ; ऐसे संस्थान जो किए गए वायदों को पूरा

¹ स्रोत: सूचना का अधिकार विधेयक बहस के दौरान 11 मई, 2005 को लोकसभा में प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप

कर सकें और..... परीक्षकों को परिणामों में बदल सकें । प्रभावी बनने के लिए संस्थानों को पारदर्शी, जिम्मेदार और जवाबदेह ढंग से कार्य करना चाहिए सूचना का अधिकार विधेयक से एक और अधिकार प्राप्त होगा जो नागरिकों को इस संबंध में साक्त बनाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे संस्थान और कार्यकर्ता अपने कर्तव्य का वांछित ढंग से पालन करें । यह, अन्य अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिकार को अमल में लाएगा और नागरिकों के अधिकारों की रूपरेखा में महत्वपूर्ण अन्तर को पाटेगा ।"

1.1.3 यह कानून अत्यंत विस्तृत है और शासन के लगभग सभी मामलों को कवर करता है और सभी स्तरों पर - केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय तथा साथ ही सरकार से अनुदान प्राप्तकर्ता भी, सभी स्तरों पर सरकार पर लागू होने के नाते इसकी व्यापक सम्भव सुलभता है । इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना की सुलभता न्यूनतम अपवादों के साथ, व्यापक है । ये अपवाद भी कठोर सुरक्षोपायों के तहत हैं ।

1.1.4 इस प्रकार के नए विधान में, जो सरकार की सभी एजेन्सियों को स्थायी रूप से प्रभावित करता है, उम्मीद की जा सकती है कि कुछ कार्यान्वयन मुद्दे और समस्या वाले क्षेत्र हो सकते हैं, जिन्हें दूर किए जाने की जरूरत है । इसलिए आयोग ने इस नए कानून के कार्यान्वयन पर गौर करने और अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करने का निर्णय लिया है । यद्यपि यह अधिनियम सरकार की शाखाओं - कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका - पर लागू होता है, तथापि आयोग का अध्ययन और सिफारिशें मुख्यतः सभी स्तरों पर कार्यपालिका शाखा से संबंधित हैं । फिर भी, आयोग ने कुछ प्रमुख मुद्दों की भी सावधानीपूर्वक जाँच की है जिन्हें अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विधायी और न्यायिक शाखाओं में समाधान किए जाने की जरूरत है । इन सिफारिशों की जाँच करना तथा इन्हें अपनी आवश्यकतानुसार संशोधनों के साथ अपना विधायिका और न्यायपालिका के सक्षम प्राधिकारियों पर निर्भर करता है ।

1.1.5 प्रशासनिक सुधार आयोग को सौंपे गए विचारार्थ विषयों में से एक, विशेष रूप से निम्नलिखित पहलुओं के संदर्भ में सूचना की आजादी से संबंधित है: -

- क. सरकारी दस्तावेजों की, विशेष रूप से अधिकारिक गुप्तता अधिनियम के संदर्भ में, गोपनीयता वर्गीकरण की समीक्षा करना ;
- ख. अ-वर्गीकृत डाटा की पारदर्शिता और सुलभता प्रोत्साहित करना ; और
- ग. नागरिकों के सूचना के अधिकार के पूरक के रूप में, सूचना का प्रकटन और पारदर्शिता।

1.1.6 आयोग ने संगत कानूनों, नियमों और संहिताओं की जांच की है जिनका सूचना की आजादी पर प्रभाव पड़ता है । इसने, आधिकारिक गुप्तता अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, विभागीय सुरक्षा अनुदेशों तथा कार्यालय प्रक्रियाओं और आचरण नियमों से संबंधित संहिताओं की विशिष्ट रूप से जांच की है तथा इनके संबंध में सिफारिशें की हैं ।

1.1.7 सूचना की आजादी के संबंध में विभिन्न पदधारियों के विचार प्राप्त करने के उद्देश्य से आयोग ने, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल में दिसम्बर, 2005 में एक राष्ट्रीय चर्चा आयोजित की। इस विषय पर आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चर्चा में भाग लेने वालों की सूची संलग्नक-1(1) में दी गई है। चर्चा में की गई सिफारिशें संलग्नक-1(4) में दी गई हैं। विभिन्न पणधारियों के बीच परिचालित प्रश्नावली संलग्नक-1(5) में दी गई है। आयोग द्वारा किए गए मामला अध्ययन अथवा जिन पर आयोग की राय निर्भर है, संलग्नक-1(6) में दिए गए हैं। विभिन्न राज्यों व अन्य देशों में पारदर्शिता कानूनों का एक तुलनात्मक अध्ययन क्रमशः संलग्नक-1(7) और 1(8) में दिया गया है।

1.1.8 यह रिपोर्ट दो भागों में है : भाग-I में अधिकारिक गुप्तताओं और गोपनीयता मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा यह तीन अध्यायों में विभाजित है : अधिकारिक गुप्तता ; नियम और प्रक्रियाएं ; और गोपनीयता वर्गीकरण। भाग-II के अन्तर्गत अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपायों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और यह चार अध्यायों में विभाजित है : अधिकार और दायित्व ; कार्यान्वयन में मुद्दे, विधायिका और न्यायपालिका पर कानून को लागू करना तथा कठिनाइयों को दूर करना।

2

भाग- I - अधिकारिक गुप्तता

अधिकारिक गुप्तता अधिनियम व अन्य कानून

2.1 पृष्ठभूमि :

2.1.1 सूचना का अधिकार अधिनियम में सर्वाधिक विवादास्पद मुद्दा अधिकारिक गुप्तताओं से संबंधित है। प्रजातन्त्र में लोग प्रभुसत्ता सम्पन्न होते हैं और चुनी गई सरकार व उसके कार्यकर्ता लोक सेवक होते हैं। इसलिए, बातों की प्रकृति से ही, शासन के सभी मामलों में पारदर्शिता मानदण्ड होना चाहिए। तथापि, यह सर्वमान्य है कि जनहित की तभी सर्वाधिक सुरक्षा हो सकती है यदि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कतिपय संवेदनशील मामलों की सामूहिक जिम्मेदारी यह मांग करती है कि मंत्रिमण्डल परिषद में सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा, सभी प्रकार के जोड़-तोड़ और दिन-प्रतिदिन के राजनीतिक दबावों से मुक्त, बगैर किसी रूकावट के हो। लोगों को मंत्रिमंडल के निर्णयों और उनके कारणों को जानने का अबाध अधिकार होना चाहिए, किन्तु यह नहीं कि "मंत्रिमंडल कक्ष" की सीमाओं के अन्दर वास्तव में क्या बातचीत हुई। अधिनियम में शासन के मामलों में गोपनीयता संबंधी इन आवश्यकताओं को स्वीकारा गया है तथा अधिनियम की धारा 8 ऐसे सभी मामलों के प्रकटन से छूट प्रदान करती है।

2.1.2 अधिकारिक गुप्तता अधिनियम, 1923 (जिसे बाद में ओ एस ए के रूप में कहा जाएगा), जिसे उपनिवेशी युग के दौरान अधिनियमित किया गया था, शासन में गुप्तता और गोपनीयता के सभी मामलों को अधिशासित करता है। कानून मुख्य रूप से सुरक्षा के मामलों से संबंधित है और इसमें जासूसी, राजद्रोह व राष्ट्र की एकता व अखण्डता पर अन्य प्रहारों से संबंधित मामलों को डील करने के लिए एक रूपरेखा दी गई है। किन्तु, लोगों के अविश्वास के उपनिवेशी माहौल और नागरिकों के साथ डील करने में सरकारी अधिकारियों की प्रभुता को देखते हुए, ओ एस ए से गुप्तता का एक माहौल पैदा हुआ। गोपनीयता एक मापदण्ड बन गया और प्रकटन एक अपवाद। यद्यपि ओ एस ए की धारा 5 का स्पष्ट उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्भावित उल्लंघनों के साथ डील करना था, किन्तु कानून की शब्दावली और इस उपनिवेशी शासन ने, जिसमें इसे कार्यान्वित किया गया, सभी कानूनी प्रावधानों को इसके अंतर्गत लाने और वस्तुतः अधिशासन के प्रत्येक मुद्दे को एक गोपनीय मामले में बदलने वाला बना दिया। इस प्रवृत्ति को सिविल सेवा आचरण नियम, 1964 से और बढ़ावा मिला जिसमें किसी सरकारी दस्तावेज़ को बिना किसी अधिकार-पत्र के किसी को सम्प्रेषित करने की मनाही है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123, जिसे 1872 में अधिनियमित किया गया था, अप्रकाशित अधिकारिक रिकार्डों से साक्ष्य देने की, विभागाध्यक्ष की अनुमति के बिना, जिसे इस संबंध में प्रचुर विवेकाधिकार प्राप्त है, मनाही की गई है। कहने की जरूरत नहीं है कि सुरक्षा प्रयोजनार्थ दस्तावेज़ों के वर्गीकरण के संबंध में जारी अनुदेश और अधिकारिक प्रक्रियाओं में भी जानकारी को न देने की प्रवृत्ति दर्शाई गई है।

2.2 अधिकारिक गुप्तता अधिनियम :

2.2.1 सूचना का अधिकार अधिनियम में एक बाधा-भिन्न खण्ड है :-

"धारा 8 (2) : अधिकारिक गुप्तता अधिनियम, 1923 में किसी बात, न ही उप धारा (1) के अनुसार किसी छूट के बावजूद, एक सरकारी अधिकारी सूचना की सुलभता की अनुमति प्रदान कर सकता है यदि प्रकटन में जनहित का महत्त्व संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक हो।"

2.2.2 अधिनियम के प्रावधानों को, जिनके अंतर्गत धारा 8 (1) के प्रावधान में छूट के साथ विरोधाभास हो, सूचना के प्रकटन की अनुमति है, अधिनियम की धारा 22 के नाते अन्य अधिनियमों और दस्तावेजों से आम सुरक्षा प्राप्त है :

"धारा 22 : इस अधिनियम के प्रावधान अधिकारिक गुप्तता अधिनियम 1923 और उस समय लागू किसी अन्य कानून अथवा इस कानून के अलावा किसी अन्य कानून के नाते प्रभाव डालने वाले दस्तावेज में दी गई किसी अननुरूप के बावजूद लागू होंगे।"

2.2.3 इस प्रकार, ओ एस ए सूचना के प्रकटन में आड़े नहीं आता है यदि वह अन्यथा आर आई टी अधिनियम के अंतर्गत अनुमत्य है। किन्तु ओ एस ए, अन्य नियमों और अनुदेशों के साथ-साथ सूचना की आजादी की व्यवस्था में बाधक हो सकता है क्योंकि वे ऐतिहासिक रूप से गुप्तता और अप्रकटन की परम्परा के पोषक हैं, जो सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना के विरुद्ध है।

2.2.4 ओ एस ए की धारा 5, जैसाकि पहले बताया गया है, "सभी को पकड़ो" प्रावधान है। इस धारा के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के पास किसी निषिद्ध स्थान के बारे में कोई जानकारी है, अथवा ऐसी जानकारी है जिससे शत्रु राज्य को मदद मिल सकती है अथवा जो उसे विश्वास में सौंपी गई है अथवा जिसे उसने अपनी अधिकारिक हैसियत से प्राप्त किया है, अपराध करेगा यदि वह उसे किसी अनाधिकृत व्यक्ति को सम्प्रेषित करता है, इस ढंग से इस्तेमाल करता है जो राज्य के हित के विरुद्ध है, उसे अपने पास रखता है जबकि उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है अथवा ऐसी जानकारी के बारे में समुचित देखभाल करने में असमर्थ रहता है। किसी भी प्रकार की सूचना इस धारा के अंतर्गत कवर होती है यदि उसे "गुप्त" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शब्द "गुप्त" अथवा वाक्यांश "अधिकारिक गुप्त" की अधिनियम में परिभाषा नहीं की गई है। इसलिए, सरकारी सेवकों को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वे किसी भी चीज को "गुप्त" वर्गीकृत कर सकते हैं।

2.2.5 सामा अलाना अब्दुल्ला बनाम गुजरात राज्य ((1996) 1 एस सी सी 427) में उच्चतम न्यायालय में मत व्यक्त किया था : (क) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में शब्द "गुप्त" पात्र अधिकारिक संहिता अथवा पासवर्ड है और न कि कोई रेखाचित्र, योजना, माडल, लेख अथवा नोट अथवा अन्य दस्तावेज अथवा सूचना, और (ख) जब अभियुक्त के पास चेतनावस्था में कोई सामग्री (उस मामले में नक्शा) पाई जाए, और सामग्री के कब्जे के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिया जाए, तो यह माना जाना चाहिए, जैसा कि अधिनियम की धारा 3 (2) में अपेक्षित है, कि उसे अपीलकर्ता द्वारा राज्य की सुरक्षा अथवा हित के विरुद्ध प्रयोजनार्थ प्राप्त अथवा एकत्रित किया गया था। इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि अधिनियम में कवर किए जाने के वास्ते कोई रेखाचित्र, योजना, माडल, लेख, नोट अथवा दस्तावेज गुप्त हो, बशर्ते कि उसे

"अधिकारिक गुप्त" के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। इसी प्रकार, ऐसी सूचना भी जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती, प्रकट नहीं की जा सकती यदि सरकारी सेवक ने उसे पद धारण के नाते प्राप्त किया हो अथवा उस तक उसकी पहुँच हो। ऐसे अननुदार अथवा निष्ठुर प्रावधान स्पष्ट रूप से गुप्तता की परम्परा को जन्म देते हैं। यद्यपि, आर टी आई अधिनियम के अंतर्गत इन प्रावधानों को, अधिनियम द्वारा प्रकटन से छूट प्रदान न किए जाने के मामले की दृष्टि से अनदेखा कर दिया गया है, तथापि तथ्य यही रहता है कि ओ एस ए संविधि - पुस्तकों में अपने वर्तमान स्वरूप में एक कालदोष है।

2.2.6 विधि आयोग ने अपनी 43वीं रिपोर्ट (1971) में, "अधिकारिक गुप्त" की किसी स्पष्ट और सही परिभाषा के अभाव में, ओ एस ए की धारा 5 की सभी समावेशी प्रकृति की दृष्टि से पेश आई कठिनाईयों का संक्षेप में निम्न प्रकार उल्लेख किया :

"7.6.1 धारा 5 (1) की विस्तृत भाषा की वजह से कुछ विवाद हो सकता है। इसके अंतर्गत न केवल शत्रु के लिए उपयोगी सूचना के बल्कि ऐसी किसी सूचना के लिए भी दण्डित किया जा सकता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की गुप्त सूचना को किसी अनाधिकृत ढंग से सम्प्रेषित करने का कार्य भी शामिल है जिसे किसी सरकारी कर्मचारी (सेवक) ने अपने पद की हैसियत से प्राप्त किया हो। इस प्रकार, सचिवालय फाइल में कोई भी टिप्पणी, जिस तक सचिवालय के अधिकारी की पहुँच है, गुप्त रखे जाने का आशय है। किन्तु यह कुख्यात है कि ऐसी जानकारी न केवल अन्य सरकारी सेवकों को बल्कि कुछ गैर-सरकारी लोगों को भी अनाधिकृत ढंग से सम्प्रेषित की जाती है। आवश्यक नहीं है कि ऐसी प्रत्येक जानकारी शत्रु के लिए उपयोगी हो अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हो। एक प्रश्न उठता है कि क्या धारा 5 (1) के विस्तृत सेवा को उस श्रेणी की जानकारी के अनाधिकृत सम्प्रेषण तक संकीर्ण बना दिया जाए जो या तो शत्रु के लिए उपयोगी हो अथवा जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर हानिकारक प्रभाव हो तथा अन्य श्रेणी की गुप्त जानकारी के सम्प्रेषण को मात्र विभागीय नियमों को उल्लंघन समझा जाए जिसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई न्यायोचित है। तथापि, यह आग्रह किया जाता है कि किसी सरकारी सेवक के लिए सुलभ सभी गुप्त जानकारी का राष्ट्रीय सुरक्षा से कुछ न कुछ संबंध हो सकता है क्योंकि सरकारी कार्यों में गोपनीयता बनाए रखना राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। इस बात को देखते हुए, इस धारा की विस्तृत भाषा को बनाए रखना उपयोगी हो सकता है, और यह सरकार पर छोड़ दिया जाए कि ऐसे मामले में अभियोजन की मंजूरी न दे जहाँ ऐसी जानकारी का छीजन तुलनात्मक रूप से तुच्छ प्रकृति का हो, जिसका राज्य के हितों पर कोई खास असर न पड़ता हो।

7.6.3 धारा 5 की उप-धारा (1) की भाषा कुछ बोझिल है और इसमें स्पष्टता का अभाव है। इसलिए सार में किसी परिवर्तन के बिना हम अलग से ड्राफ्ट करने की पद्धति अपनाने की सिफारिश करते हैं जिसमें "अधिकारिक गुप्त" की परिभाषा में दस्तावेजों और जानकारी की वर्णित श्रेणियों को शामिल किया जाए।"

2.2.7 विधि आयोग ने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सभी कानूनों के समेकन की भी सिफारिश की और एक "राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक" का सुझाव दिया। विधि आयोग द्वारा की गई टिप्पणियाँ, जो नीचे उद्धृत हैं, महत्वपूर्ण हैं :-

"1.6 राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों के साथ डील करने वाले भारत में लागू विभिन्न अधिनियम हैं:

- (i) भारतीय दण्ड संहिता का अध्याय 6 और 7 ;
- (ii) विदेशी भर्ती अधिनियम, 1874 ;
- (iii) अधिकारिक गुप्तता अधिनियम, 1923 ;
- (iv) आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1938 ;
- (v) आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1961 ; और
- (vi) अवैध कार्यकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1967 ।

इनमें से, हमने भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 6 और 7 पर, उस संहिता के संबंध में अपनी रिपोर्ट में पूर्ण रूप से विचार किया है । उसमें हमने सिफारिश की है कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1938 को संहिता के अध्याय 7 में शामिल किया जाए । इस विषय पर अन्य संविधियों का एक संक्षिप्त सार उपयोगी होगा ।

1.7 विदेशी भर्ती अधिनियम, 1874, मुख्य रूप से किसी विदेशी राज्य में सेवा के लिए भारत में भर्ती से संबंधित है । "विदेशी राज्य" की परिभाषा काफी व्यापक है और इसमें भारत की सीमाओं से बाहर सभी देश सम्मिलित हैं, जिसमें न केवल विधितः सरकारें शामिल हैं बल्कि वास्तविक सरकारें भी शामिल हैं । ऐसे विदेशी राज्यों में सेवा के लिए भर्ती का राष्ट्रीय सुरक्षा से अप्रत्यक्ष किन्तु धनिष्ठ संबंध है और इसलिए इसे प्रस्तावित कानून में स्थान दिया जाना चाहिए ।

1.8 विदेशी सूचीबद्धन अधिनियम, 1870 का भी हवाला दिया जा सकता है, जो ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम है, जिसे यद्यपि औपचारिक रूप से निरस्त नहीं किया गया है, फिर भी संविधान लागू होने से भारत में इसका लागू किया जाना संदेहास्पद है । यह अधिनियम, जिन विदेशी राज्यों के साथ ब्रिटिश शासन के शांतिपूर्ण संबंध हैं, उनके बीच शत्रुता की स्थिति के दौरान महामहिम के शासन वाले राज्यों में ब्रिटिश प्रजा के आचरण को नियंत्रित करता है । स्पष्ट है कि हमारी संविधि पुस्तक में भी ऐसा ही कोई कानून होना चाहिए। किसी विदेशी राज्य के लिए भर्ती की तरह ही विदेशी राज्य में सेवा के लिए भर्ती का भी अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है किन्तु इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरा प्रभाव है ।

1.9 जासूसी कार्यकलापों से निपटने के लिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को पर्याप्त रूप से प्रभावित करते हैं, अधिकारिक गुप्तता अधिनियम, 1923 मुख्य संविधि है । इस अधिनियम द्वारा उत्पन्न मुख्य अपराध निम्न प्रकार हैं :

- (i) "जासूसी" अथवा किसी निषिद्ध स्थान पर प्रविष्टि आदि, गुप्त सूचना का पारेषण अथवा संग्रह अथवा ऐसे ही कार्यकलाप ;
- (ii) विनिर्दिष्ट किस्म की गुप्त सूचना का गलत सम्प्रेषण, अथवा प्राप्ति ;
- (iii) जासूसों को पनाह देना ;
- (iv) वर्दियों का अनाधिकृत उपयोग, रिपोर्टों की जालसाज़ी, ताकि किसी निषिद्ध स्थान पर प्रवेश किया जा सके अथवा राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक कोई प्रयोजन ;
- (v) निषिद्ध स्थान के निकट, पुलिस अथवा सेना के साथ दखल ।

1.10 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1961 का प्रमुख उद्देश्य उन व्यक्तियों को दण्डित करना है जो भारत की क्षेत्रीय खण्डता अथवा सीमाओं के बारे में देश की सुरक्षा और बचाव के लिए हानिकारक ढंग से, प्रश्न करें। यद्यपि, अवैध कार्यकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के पारित हो जाने को ध्यान में रखते हुए, इनमें से कुछेक प्रावधानों को बनाए रखने की, जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा और अखण्डता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, निःसंदेह जरूरत है, फिर भी, पिछले अधिनियम के कुछेक प्रावधान जरूरी नहीं हैं। इस प्रश्न पर उचित स्थान पर चर्चा की जाएगी।

1.11 अवैध कार्यकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1967 विध्वंसक कार्यकलापों की प्रभावी रोकथाम के लिए पारित किया गया था, चाहे वे भारत के क्षेत्र के किसी भाग की अलहदगी के समर्थन में हो अथवा संघ से भारत के क्षेत्र के किसी भाग की अलहदगी के समर्थन में हो अथवा अन्यथा भारत की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखण्डता को अस्वीकारें, संदेह प्रकट करें अथवा बाधा पहुँचाएं। यह व्यक्तियों के और साथ ही एसोसिएशनों के संबंध में भी इसके प्रावधान व्यापक और विस्तृत हैं।

1.12 इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण अधिनियमों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। "देश के क्षेत्र के किसी भाग को अलग करने" के उद्देश्य से कार्यकलाप, (जैसाकि कुछेक विदेशी दंड संहिताओं में वर्णित हैं) सबसे प्रखर राजद्रोह कार्यकलाप है। वे समानान्तर सरकार के निर्माण अथवा सरकार को उखाड़ फेंकने से भी कहीं अधिक है जो भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 6 के कुछेक प्रावधानों का विषय है। ऐसे कार्यकलापों के सफल होने से, अपनी खुद की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखण्डता के साथ एक समानान्तर राष्ट्र अस्तित्व में आ जाएगा, जो देश का प्रतिद्वन्द्वी होगा जिससे क्षेत्र "अलग हुआ है"।

इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत कवर होने वाले अपराधों को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विधानों के अंतर्गत लाना औचित्यपूर्ण है।

1.13 उपरोक्त संविधियों के अलावा, अन्य अधिनियमों के प्रावधान, मुख्यतः प्रक्रियात्मक प्रकृति के हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता को प्रभावित करते हैं किन्तु क्योंकि वे विशेष संविधियों का भाग हैं, अन्य विषयों से भी संबंधित हैं, इसलिए हम उन्हें नए कानून में शामिल करने की सिफारिश नहीं करेंगे।

1.14 पहला प्रश्न जिस पर हमें विचार करना है, यह है कि क्या इस विषय पर किसी पृथक समेकित कानून की वास्तव में जरूरत है, अथवा यह कि क्या उपरोक्त संविधियों को पहले की तरह रहने दिया जाए। संविधियों के समेकन के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं :

- (1) समेकन से संविधि - पुस्तक का बोझ कम होता है और कानून को प्रशासित करने वालों के लिए (न्यायाधीशों, प्रशासकों, बार और मुकदमा लड़ने वाली जनता सहित), कानून सहज बनता है क्योंकि उन्हें दो अथवा अधिक की बजाय केवल एक दस्तावेज़ का परामर्श करना होगा।

(2) समेकित अधिनियम एक ही और एक ही समय में बात करता है और इस प्रकार विभिन्न अधिनियमों की धाराओं की व्याख्या से सुविधा उत्पन्न होती है, भिन्न-भिन्न समय पर बोलने से बचा जा सकता है। विगत शताब्दी के दौरान विधान ड्राफ्ट करने की कला में बड़ा बदलाव आया है और प्रयुक्त भाषा, वाक्यों की लंबाई, धाराओं और खण्डों की व्यवस्था को ड्राफ्टिंग की आधुनिक शैली के अनुरूप आमूल रूप से बदलना होगा। यह विदेश भर्ती अधिनियम और अधिकारिक गुप्तता अधिनियम पर विशेष रूप से लागू होता है, जिसकी हर हालत में, समीक्षा करने की जरूरत है।

(3) पिछले अधिनियमों के कुछ प्रावधानों को अनावश्यक के रूप में हटाना होगा।

इन लाभों के अलावा, नए अधिनियम में, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विदेशी संहिताओं के कुछ प्रावधानों को सम्मिलित करने का अवसर है, जो भारतीय स्थितियों के लिए भी उपयुक्त हो सकते हैं। इन्हीं कारणों से हमारा मत है कि "राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम" नामक एक समेकित संविधि होनी चाहिए।

1.16 एक और प्रश्न यह है कि क्या नया कानून एक पृथक अधिनियम होना चाहिए अथवा कि क्या इसे संशोधित भारतीय दण्ड संहिता में एक पृथक अध्याय के रूप में शामिल किया जा सकता है। यह सच है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराध, देश के आपराधिक कानून का एक अभिन्न भाग हैं और हमने पाया कि अनेक विदेशी संहिताओं में इन अपराधों को दण्ड संहिता में एक पृथक अध्याय के रूप में शामिल किया गया है। किन्तु हमारा विचार है कि इस विषय में एक अलग विधान पारित करना निम्नलिखित कारणों से वांछनीय है :-

- (1) राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ अपराधों के लिए सीमा के एक विशेष नियम की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (2) नए कानून के अंतर्गत अपराधों के लिए अभियोजन शुरू करने से पहले सरकार से मंजूरी प्राप्त करने की जरूरत एक विशेष बात है, जो दण्ड संहिता के अंतर्गत अधिकांश अपराधों के बारे में नहीं पाई जाती है।
- (3) कुछ अन्य मामलों में भी दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों में, नए कानून के तहत अपराधों के लिए लागू करने के मामले में, संशोधन करना होगा।
- (4) आपराधिक मामलों में विचारण के लिए सामान्य रूप से लागू साक्ष्य के नियमों में, नए कानून के अंतर्गत कुछेक अपराधों के विचारण के संबंध में उन्हें लागू करने के वास्ते, काफी अधिक संशोधन करना होगा।

इन कारणों की वजह से नया कानून भारतीय दण्ड संहिता के अधिकांश प्रावधानों से भिन्न होगा और इसलिए यह कुछ असंगत होगा यदि नए कानून को भारतीय दण्ड संहिता में एक पृथक अध्याय के रूप में लागू किया जाना है। इसलिए हम इस विषय पर एक अलग कानून की सिफारिश करते हैं।

2.2.8 आयोग विधि आयोग की इस सिफारिश से सहमत है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सभी कानूनों को समेकित किया जाना चाहिए। विधि आयोग की सिफारिश 1971 में की गई थी। बाद में 1980 में

अधिनियमित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एन एस ए) ने पिछले आंतरिक सुरक्षा अनुसंधान अधिनियम को प्रतिस्थापित किया और यह केवल निवारक नजरबंदी से संबंधित है। इसलिए ओ एस ए के संगत प्रावधानों व राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अन्य कानूनों को शामिल करते हुए एन एस ए में एक नया अध्याय जोड़े जाने की जरूरत है।

2.2.9 आयोग ने "सूचना का अधिकार और पारदर्शिता, 1977" के संबंध में एच.डी. शौरी की अध्यक्षता में गठित कार्यदल (जिसे बाद में शौरी समिति की रिपोर्ट कहा गया है) की रिपोर्ट का अध्ययन किया, जिससे इस मुद्दे पर सिफारिशें तैयार करने में बहुमूल्य निविष्टियां प्राप्त हुईं। ओ एस ए के बारे में शौरी समिति का मत था:

" यह अधिकारिक गुप्तता अधिनियम है जिसे मुख्य रूप से बहुत से क्षेत्रों में सरकार में अत्यधिक गुप्तता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इसकी "सभी को पकड़ो" प्रकृति की वजह से इसकी लगातार आलोचना हुई है और इसमें संशोधन की मांग उठी है। इस अधिनियम की धारा 5 में अधिकारिक गुप्तता के अनाधिकृत प्रकटन के लिए दण्ड की व्यवस्था है किन्तु गुप्तता को परिभाषित नहीं किया गया है।"

2.2.10 शौरी समिति ने धारा 5 (1) में व्यापक संशोधन की सिफारिश की थी ताकि ओ एस ए के दण्ड प्रावधानों को केवल उन उल्लंघनों तक सीमित रखा जाए जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। किन्तु गृह मंत्रालय ने परामर्श करने के बाद यह मत व्यक्त किया कि ओ एस ए में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आर टी आई अधिनियम का अभिभावी प्रभाव है। मंत्रालय, काफी समझदारीपूर्वक, राज्य के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए एक सख्त कानूनी संरचना की जरूरत के बारे में चिन्तित है। कतिपय सूचना को राष्ट्र हित में गुप्त रखने के महत्त्व को समझते हुए, आयोग का विचार है कि सूचना का प्रकटन मापदण्ड होना चाहिए और इसे गुप्त रखना एक अपवाद होना चाहिए। वर्तमान स्वरूप में ओ एस ए सूचना की आजादी की व्यवस्था कायम करने में एक बाधा है और उस सीमा तक ओ एस ए के प्रावधानों को संशोधित किए जाने की जरूरत है। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद आयोग शौरी समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन से सहमत है क्योंकि यह पारदर्शिता की जरूरत है और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत के संबंध में सुरक्षा के साथ किसी प्रकार के समझौते के बिना, तालमेल कायम करता है। इन्हें अधिकारिक गुप्तता से संबंधित एन एस ए में प्रस्तावित नए अध्याय में शामिल किया जा सकता है।

2.2.11 यदि एक ही विषय पर एक से अधिक कानून हों - एक पुराना और एक नया - तो सदा कुछ अस्पष्टता बनी रहती है, परिणामस्वरूप कार्यान्वयन में भ्रम रहता है। अनेक कानूनों में, कुछ संवैधानिक संशोधनों सहित, ऐसा अनुभव किया गया है। ऐसे दोहरापन और अस्पष्टता से भी अनावश्यक मुकदमेबाजी होती है। "अन्तर्निहित निरसन" और "किसी अन्य कानून में दी गई किसी बात के बावजूद" जैसे प्रावधानों के बावजूद, पुराने अधीनस्थ विधान, अधिसूचनाएं और कार्यकारी अनुदेश बगैर बदले जा रहे हैं और वास्तविक कार्यान्वयन को अधिशासित करते हैं। परिवर्तन के बारे में कठोर संदेश देने और प्रभावी कार्यान्वयन की दृष्टि से पुराने कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए अथवा आवश्यक सीमा तक संशोधित किया जाना चाहिए। बुनियादी परिवर्तन और निष्क्रिय विधान साथ-साथ नहीं चल सकते।

2.2.12 सिफारिशें :

- क. अधिकारिक गुप्तता अधिनियम, 1923 को निरस्त किया जाना चाहिए और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के एक अध्याय के रूप में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जिसमें अधिकारिक गुप्तता से संबंधित प्रावधान शामिल किए जाएं ।
- ख. नए कानून में विद्यमान धारा 5 के समकक्ष, शौरी समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार हो सकती है, जैसाकि नीचे उद्धृत किया गया है:

" 5 (1) यदि किसी व्यक्ति के कब्जे अथवा नियंत्रण में कोई अधिकारिक गुप्तता हो, जो उसके कब्जे अथवा नियंत्रण में निम्नलिखित की वजह से प्राप्त हुई हो :

ख 1 -सरकार के साथ अथवा उसके अधीन कोई पद धारित करने के फलस्वरूप, अथवा

ख 2 -सरकार के साथ कोई संविदा, अथवा

ख 3 -उसे यह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विश्वास में सौंपी गई है, जो सरकार के साथ अथवा उसके अधीन किसी पद के धारण करने अथवा किसी अन्य ढंग से प्राप्त हुई हो,

(i) ऐसी अधिकारिक गुप्तता को किसी अन्य व्यक्ति को सम्प्रेषित करता है अथवा उसका प्रयोग किसी इतर प्रयोजन के लिए करता है जिसकी प्रयोग करने की उस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत उसे अनुमति है ; अथवा

(ii) समुचित देखभाल करने में असफल रहता है अथवा इस प्रकार से आचरण करता है जिससे अधिकारिक गुप्तता की सुरक्षा खतरे में पड़ती है ; अथवा

(iii) जानबूझकर अधिकारिक गुप्तता को वापस करने में असफल रहता है जबकि उसे वापस करना उसकी ड्यूटी थी,

इस धारा के अन्तर्गत अपराध का कसूरवार होगा ।

5 (2) यदि कोई व्यक्ति जो कोई अधिकारिक गुप्तता जानते हुए अथवा उसे प्राप्त करने के समय उसके पास यह विश्वास करने का समुचित आधार है कि अधिकारिक गुप्तता इस अधिनियम के उल्लंघन में सम्प्रेषित की गई है, इस धारा के तहत अपराध के लिए कसूरवार होगा ।

5(3) इस धारा के तहत अपराध के लिए कसूरवार व्यक्ति 3 वर्ष तक की सजा अथवा जुर्माने अथवा दोनों के लिए दण्डनीय होगा ।

व्याख्या: इस धारा के प्रयोजनार्थ, " अधिकारिक गुप्तता" का अर्थ ऐसी जानकारी से है जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुसत्ता अथवा अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी

राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय मामलों को हानि पहुंचने की सम्भावना हो और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं : कोई गुप्त संहिता, पासवर्ड, रेखा चित्र नक्शा, माडल, लेख, नोट अथवा निषिद्ध स्थान की दृष्टि से दस्तावेज़ ।

2.3 साक्ष्य में राजकीय विशेषाधिकार :

2.3.1 सार्वजनिक कानून इसके प्रक्रियात्मक पहलू की दृष्टि से उतना ही रुचिकर है जितना कि वास्तविक कानून । यद्यपि एक नागरिक सार्वजनिक निकायों और सरकार पर दावा पेश कर सकता है किन्तु इसका अनिवार्यतः यह अर्थ नहीं है कि ऐसे मुकदमों में न्यायालय द्वारा अपनाया जाने वाला कानून और प्रक्रिया वहीं होगी जिसका प्रयोग निजी नागरिकों के बीच मुकदमे में किया गया है । राज्य को विशेष प्रक्रियात्मक लाभ और संरक्षण प्राप्त है । एक ऐसा संरक्षण साक्ष्य के क्षेत्र में उपलब्ध है और कतिपय दस्तावेज़ों की प्रस्तुति और कतिपय पत्राचार के प्रकटन से संबंधित विशेषाधिकार की प्रकृति का है ।^१

2.3.2 शब्द "विशेषाधिकार" का अर्थ, साक्ष्य कानून में प्रयुक्त के अनुसार, साक्ष्य प्रस्तुत करने, सामग्री की खोज करने, अथवा मुकदमे के दौरान अथवा उसके संबंध में अन्य स्रोतों से जानकारी को रोकने अथवा निषेध करने का अधिकार है । किंतु मुकदमेबाजी के लक्ष्यों के बाह्य आधारों पर ।^१

2.3.3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123, राज्यों के मामलों से संबंधित अप्रकाशित सरकारी अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने को निषिद्ध करती है, सिवाय, विभागाध्यक्ष की अनुमति से । यह धारा निम्न प्रकार है :

"किसी भी व्यक्ति को, राज्य के किसी मामले से संबंधित अप्रकाशित सरकारी अभिलेखों से प्राप्त किसी साक्ष्य को देने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुमति से, जो ऐसी अनुमति दे सकता है अथवा रोक सकता है, जैसा वह उपयुक्त समझे ।"

2.3.4 इसके अलावा धारा 124 में निर्धारित है कि :

"किसी भी सरकारी अधिकारी को उसे सरकारी विश्वास में किए गए पत्राचार को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि वह यह समझे कि प्रकटन से सरकारी हितों को हानि पहुँचेगी ।"

2.3.5 विधि आयोग ने, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में अपनी 69वीं रिपोर्ट (1977) में सुझाव दिया था कि धारा 123 को निम्नानुसार संशोधित किया जाना चाहिए :

"(1) किसी भी व्यक्ति को राज्य के किसी मामले से संबंधित अप्रकाशित सरकारी अभिलेखों से प्राप्त कोई साक्ष्य देने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि संबंधित विभागाध्यक्ष के स्तर का अधिकारी ऐसा साक्ष्य देने के लिए अनुमति नहीं देता (इस कथन का उद्देश्य, प्रारंभ में, स्थिति पर पुनः बल देना है। यह मुख्य रूप से गवाह और उसके वरिष्ठ अधिकारी के बीच के रूप में प्रचालित होगा । वास्तविकता में कोई परिवर्तन नहीं है) ।"

^१ भारत के विधि आयोग की 88वीं रिपोर्ट

^३ पॉल एफ. रोथरस्टीन, "एवीडेन्स: स्टेट एण्ड फेडरल रूल्स (1981)", पृ. 407

(2) ऐसा अधिकारी ऐसी अनुमति को नहीं रोकेगा जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो कि ऐसा साक्ष्य देना सरकारी हित के लिए हानिकर होगा। उसे इस संबंध में एक शपथ-पत्र भी देना चाहिए। न्यायालय, यदि उचित समझे, विभागाध्यक्ष से और शपथ-पत्र की मांग कर सकता है। (इस कथन का उद्देश्य, "सरकारी हित के लिए हानिकर" परीक्षण पर प्रकाशन डालकर स्पष्ट करना है - विषय पर मामला कानून से ज्ञेय एक परीक्षण - और प्रक्रिया को संहिताबद्ध करके जिसका न्यायिक रूप से पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

(3) यदि ऐसे अधिकारी ने ऐसा साक्ष्य देने के लिए अनुमति रोक ली है, और संबंधित अप्रकाशित सरकारी अभिलेख का निरीक्षण करने और शपथपत्र पर विचार करने के बाद, न्यायालय का यह मत हो कि ऐसा साक्ष्य देना सरकारी हित के लिए हानिकर नहीं होगा, न्यायालय अपना ऐसा निर्णय रिकार्ड करेगा और उसके बाद धारा ऐसे साक्ष्य पर लागू नहीं होगी। (इस कथन का उद्देश्य विद्यमान धारा को, जहाँ तक पाठ्य कानून का संबंध है, संशोधित करना है। यह परिवर्तन महत्त्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी हित के लिए हानिकर के संबंध में निर्णय करना न्यायालय पर निर्भर करेगा, न कि विभागाध्यक्ष के अधिकारी पर।"

इसी प्रकार यह सिफारिश की गई कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 निम्न प्रकार संशोधित की जानी चाहिए :

"(1) किसी सरकारी अधिकारी को उसे सरकारी विश्वास में प्राप्त पत्राचार को, राज्य के किसी मामले से संबंधित अप्रकाशित सरकारी अभिलेखों में दिए गए पत्राचार के अलावा, प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा यदि न्यायालय का मत हो कि ऐसे प्रकटन से सरकारी हितों को हानि पहुँचेगी।

(2) यदि किसी सरकारी अधिकारी से, जो एक गवाह है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसके लिए ऐसी किसी सूचना का प्रकटन जरूरी हो, और वह इस आधार पर उत्तर देने में आपत्ति करता है कि ऐसे प्रकटन से सरकारी हितों को हानि पहुँचेगी। न्यायालय उसकी आपत्ति को नामंजूर करने से पहले, उससे चेम्बर्स में उसकी आपत्ति की प्रकृति और उसके कारणों का पता लगाएगा।"

2.3.6 विधि आयोग ने एक बार फिर धारा 123 और 124 की जाँच की और 88वीं रिपोर्ट (1983) में अपनी सिफारिशें दी। इसने सिफारिश की कि धारा 123 और 124 को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाना चाहिए:

"123 (1) इस धारा के प्रावधानों की शर्त पर किसी को भी, राज्य के किसी मामले से संबंधित अप्रकाशित सरकारी अभिलेखों से प्राप्त किसी साक्ष्य को देने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि संबंधित विभागाध्यक्ष अधिकारी ने ऐसा साक्ष्य देने के लिए अनुमति न दी हो।

123 (2) ऐसा अधिकारी ऐसी अनुमति को नहीं रोकेगा जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो कि ऐसा साक्ष्य देना सरकारी हित के लिए हानिकर होगा; और जिस मामले में वह ऐसी अनुमति को रोकता है तो वह एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें इस बाबत एक विवरण दिया जाएगा जिसमें उसके संबंध में कारणों का उल्लेख होगा :

बशर्ते कि यदि न्यायालय का मत हो कि इस प्रकार दिए गए शपथ पत्र में तथ्यों अथवा कारणों का पूर्ण रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, तो न्यायालय ऐसे अधिकारी से, अथवा उपयुक्त मामलों में, विषय से संबंधित मंत्री से, विषय के संबंध में एक और शपथ-पत्र देने के लिए, कह सकता है।

123 (3) यदि ऐसे अधिकारी ने ऐसा साक्ष्य देने के संबंध में अनुमति रोक ली है, तो न्यायालय शपथ-पत्र पर अथवा एक और दिए गए शपथ-पत्र पर विचार करने के बाद, और यदि वह उपयुक्त समझें, ऐसे अधिकारी से अथवा, उपयुक्त मामलों में, मंत्री से मौखिक रूप से जाँच-पड़ताल करने के बाद:-

- (क) संबंधित अप्रकाशित सरकारी अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए समन जारी कर सकता है, यदि ऐसा समन पहले नहीं जारी किया गया है ;
- (ख) अभिलेखों की चेम्बर्स में जाँच करेगा ; और
- (ग) ऐसे प्रश्न पर निर्णय लेगा कि क्या ऐसा साक्ष्य देना, उसके संबंध में कारणों को रिकार्ड करके, सरकारी हित के लिए हानिकर होगा अथवा नहीं ;

123 (4) जिस मामले में, उप धारा (3) के अंतर्गत, न्यायालय निर्णय लेता है कि ऐसा साक्ष्य देना सार्वजनिक हित के लिए हानिकर नहीं होगा, उप-धारा (1) के प्रावधान ऐसे साक्ष्य पर लागू नहीं होंगे।

"124 (1) किसी सरकारी अधिकारी को उसे अधिकारिक विश्वास में किए गए पत्राचार को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि न्यायालय यह समझें कि प्रकटन से सार्वजनिक हितों की हानि होगी।"

124 (2) जिस मामले में सरकारी अधिकारी से, जो गवाह है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसके लिए ऐसी किसी सूचना के प्रकटन की जरूरत हो, और वह इस आधार पर प्रश्न का उत्तर देने में आपत्ति करता है कि उसके प्रकटन से सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुँचेगा, न्यायालय, उसकी आपत्ति को नामंजूर करने से पहले, उससे चेम्बर्स में उसकी आपत्ति की प्रकृति और उसके कारणों का पता लगाएगा।

124 (3) इस धारा में कोई बात, राज्य के किसी मामले से संबंधित अप्रकाशित सरकारी अभिलेखों में दी गई सूचना पर लागू नहीं होगी, जिसपर धारा 123 के तहत डील किया जाएगा।"

2.3.7 शौरी समिति ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इन धाराओं की भी जाँच की और निम्नलिखित संशोधनों का सुझाव दिया :

(1) प्रस्तावित धारा 123 और 124, भारतीय साक्ष्य अधिनियम।

"123 (1) इस धारा के प्रावधानों की शर्त पर, किसी को भी राज्य के किसी मामले से संबंधित अप्रकाशित सरकारी अभिलेखों से प्राप्त या कोई साक्ष्य देने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि संबंधित विभागाध्यक्ष अधिकारी ने ऐसा साक्ष्य देने की अनुमति न दी हो।

(2) ऐसा अधिकारी ऐसी अनुमति को नहीं रोकेंगा जब तक कि वह समुचित रूप से संतुष्ट न हो कि ऐसा साक्ष्य देना सरकारी हित के लिए हानिकर होगा ; और जिस मामले में वह ऐसी

अनुमति को रोकता है, तो वह एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें इस बाबत एक विवरण दिया जाएगा जिसमें वह उसके संबंध में कारणों का उल्लेख करेगा :

"बशर्ते कि यदि न्यायालय का मत हो कि इस प्रकार दिए गए शपथ-पत्र में तथ्यों अथवा कारणों का पूर्ण रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, तो न्यायालय ऐसे अधिकारी से, अथवा उपयुक्त मामलों में, विषय से संबंधित मंत्री से, विषय के संबंध में और शपथ-पत्र देने के लिए, कह सकता है ।

(3) यदि ऐसे अधिकारी ने ऐसा साक्ष्य देने के संबंध में अनुमति रोक ली है तो न्यायालय शपथ-पत्र पर अथवा और दिए गए एक और शपथ-पत्र पर विचार करने के बाद, और यदि वह उपयुक्त समझें, ऐसे अधिकारी से अथवा, उपयुक्त मामलों में, मंत्री से मौखिक रूप से जांच-पड़ताल करने के बाद: -

(क) संबंधित अप्रकाशित सरकारी अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए समन जारी कर सकता है, यदि ऐसा समन पहले नहीं जारी किया गया है ;

(ख) अभिलेखों की चेम्बर्स में जाँच करेगा ; और

(ग) ऐसे प्रश्न पर निर्णय लेगा कि क्या ऐसा साक्ष्य देना, उसके संबंध में कारणों को रिकार्ड करके, सरकारी हित के लिए हानिकर होगा अथवा नहीं ;

(4) जिस मामले में उप-धारा (3) के अन्तर्गत, न्यायालय निर्णय लेता है कि ऐसा साक्ष्य देना सार्वजनिक हित के लिए हानिकर नहीं होगा, उप-धारा (1) के प्रावधान ऐसे साक्ष्य पर लागू नहीं होंगे ।

"124 (1) किसी सरकारी अधिकारी को अधिकारिक विश्वास में किए गए पत्राचार को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा यदि न्यायालय यह समझें कि प्रकटन से सार्वजनिक हितों की हानि होगी ।

(2) जिस मामले में सरकारी अधिकारी से, जो गवाह है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसके लिए ऐसी किसी सूचना के प्रकटन की जरूरत हो, और वह इस आधार पर प्रश्न का उत्तर देने में आपत्ति करता है कि उसके प्रकटन से सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुँचेगा, न्यायालय, उसकी आपत्ति पर निर्णय देने से पहले, उससे, चेम्बर्स में उसकी आपत्ति की प्रकृति और उसके कारणों का पता लगाएगा ।

(3) इस धारा में कोई बात, राज्य में किसी मामले से संबंधित अप्रकाशित सरकारी अभिलेखों में दी गई सूचना पर लागू नहीं होगी जिस पर धारा 123 के तहत डील किया जाएगा ।"

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में उपयुक्त स्थान पर शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रावधान का मसौदा

" किसी न्यायालय द्वारा, जो उच्च न्यायालय के अधीन हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 अथवा धारा 124 के तहत किए गए विशेषाधिकार के संबंध में दावे के अस्वीकार किए जाने

के निर्णय से दुःखी व्यक्ति को ऐसे निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा और ऐसी अपील इस तथ्य के बावजूद फाइल की जा सकेगी कि न्यायालय द्वारा जिस मामले में निर्णय अधिधोषित किया गया था, उसमें कार्यवाही अभी लंबित है।"

आयोग ने इन सभी सिफारिशों का अध्ययन किया तथा उसका यह मत है कि विद्यमान प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन किए जाने की जरूरत है :

2.3.8 सिफारिशें :

क. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 में संशोधन किया जाए जिसे निम्न प्रकार पढ़ा जाए :

“123 (1) इस धारा के प्रावधानों के अधधीन किसी को भी सरकारी अभिलेखों से प्राप्त किए गए किसी साक्ष्य को देने की अनुमति नहीं होगी, जिसे आर टी आई अधिनियम 2005 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रकटन से छूट प्राप्त है।

(2) जिस मामले में वह ऐसी अनुमति रोकता है, उस स्थिति में वह एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें इस बाबत एक विवरण लिया जाएगा जिसमें वह उसके संबंध में कारणों का उल्लेख करेगा।

(3) यदि ऐसे अधिकारी ने ऐसा साक्ष्य देने के संबंध में अनुमति रोक ली है, तो न्यायालय शपथ-पत्र पर अथवा और दिए गए एक और शपथ-पत्र पर विचार करने के बाद, और यदि वह उपयुक्त समझें, ऐसे अधिकारी से अथवा, उपयुक्त मामलों में, मंत्री से मौखिक रूप से जांच-पड़ताल करने के बाद --

(क) संबंधित अप्रकाशित सरकारी अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए समन जारी कर सकता है, यदि ऐसा समन पहले नहीं जारी किया गया है ;

(ख) अभिलेखों की चैम्बर्स में जाँच करेगा ; और

(ग) ऐसे प्रश्न पर निर्णय लेगा कि क्या ऐसा साक्ष्य देना, उसके संबंध में कारणों को रिकार्ड करके, सरकारी हित के लिए हानिकर होगा अथवा नहीं :

(4) जिस मामले में उप-धारा (3) के अंतर्गत न्यायालय निर्णय लेता है कि ऐसा साक्ष्य देना सार्वजनिक हित के लिए हानिकर नहीं होगा, उप-धारा (1) के प्रावधान ऐसे साक्ष्य पर लागू नहीं होंगे।

बशर्ते कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणवश "परम गुप्त" के रूप में वर्गीकृत सूचना के संबंध में, केवल उच्च न्यायालय को अभिलेखों को प्रस्तुत करने का आदेश देने का अधिकार होगा।"

उपरोक्त की वजह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 अनावश्यक हो जाएगी और निरस्त करनी होगी।

तदनुसार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में उपयुक्त स्थान पर निम्नलिखित शामिल करना होगा :

" किसी न्यायालय द्वारा, जो उच्च न्यायालय के अधीन हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 के तहत किए गए विशेषाधिकार के संबंध में दावे के अस्वीकार किए जाने के निर्णय से दुःखी व्यक्ति को ऐसे निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा और ऐसी अपील इस तथ्य के बावजूद फाइल की जा सकेगी कि न्यायालय द्वारा जिस मामले में निर्णय अधिधोषित किया गया था, उसमें कार्यवाही अभी लंबित है ।"

2.4 गुप्तता की शपथ :

2.4.1 पद का कार्यभार सम्भालते समय एक केंद्रीय मंत्री को निम्न प्रकार गुप्तता की शपथ दिलायी जाती है :

"मैं किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई मामला सम्प्रेषित नहीं करूंगा जो मेरे विचारार्थ लाया जाएगा अथवा केंद्रीय मंत्री के रूप में मुझे ज्ञात होगा सिवाय उसके जो ऐसे मंत्री के रूप में मेरे कर्तव्यों के समुचित निपटान में आवश्यक होगा ।"

राज्य सरकार में मंत्री भी ऐसी ही शपथ लेता है ।

2.4.2 संविधान के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग (एन सी आर डब्ल्यू सी) का, सूचना का अधिकार की जांच करते समय, निम्नलिखित कथन है :

" सरकारी प्रक्रियाएं और विनियम, जो गुप्तता के पर्दे में घिरे हैं, उपभोक्ताओं को यह जानने की अनुमति नहीं देते कि उनके मामलों को किस प्रकार डील किया जा रहा है । वे अपने मामलों को डील करने वाले अधिकारियों से शर्म महसूस करते हैं इस संबंध में प्रमुख जिम्मेदारी सम्भालनी चाहिए और नागरिकों को सूचना का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए दक्षताएं जुटानी चाहिए। गुप्तता पर पारम्परिक आग्रह को त्यागा जाना चाहिए । वस्तुतः हमें गुप्तता की शपथ की बजाए पारदर्शिता की शपथ लेनी चाहिए ।"

2.4.3 एक मंत्री जनता और सरकार के बीच एक सेतु होता है और उसकी प्राथमिक निष्ठा उन लोगों के प्रति होती है जो उसे चुनते हैं । गुप्तता की शपथ के इस प्रावधान की विद्यमानता तथा पदभार सम्भालने की शपथ के साथ इसका दिलाया जाना उपनिवेशी युग की एक परम्परा प्रतीत होती है जबकि जनता सरकार के अधीन होती थी । तथापि, राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की एकता तथा प्रभुसत्ता के बड़े सार्वजनिक हित के विचारों की वजह से किसी मंत्री अथवा सरकारी सेवक के लिए सूचना का प्रकटन न करने का पर्याप्त औचित्य हो सकता है । किन्तु, पद सम्भालने के समय गुप्तता की सरकारी शपथ, प्रजातान्त्रिक जवाबदेही, प्रतिनिधिक सरकार और लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांतों की दृष्टि से अनावश्यक और असंगत दोनों ही हैं । इसलिए, अधिकारिक गुप्तता प्रकट न करने के दायित्व को अधिकारिक गुप्तता के साथ डील करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में एक खण्ड उपयुक्त रूप से जोड़कर शामिल किया जा सकता है । यदि आवश्यक हो, ऐसा वचन लिखित में लिया जा सकता है । इस प्रकार गुप्तता के प्रति प्रवृत्ति के सार्वजनिक प्रदर्शन

से बचा जा सकता है। इसलिए आयोग का मत है कि गुप्तता की शपथ का परित्याग किया जाना चाहिए तथा इस तक सार्वविधिक व्यवस्था और एक लिखित वचन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा, पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने की अधिनियम की भावना को देखते हुए तथा जैसा कि एन. सी. आर. डब्ल्यू. सी. द्वारा सिफारिश की गई है। यह उपयुक्त होगा यदि पदभार ग्रहण करने के समय मंत्रियों को पदभार की शपथ लेने के साथ पारदर्शिता की शपथ दिलाई जाए।

2.4.4 सिफारिशें :

- क. सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता के महत्व की पुष्टि के रूप में, मंत्रिगण, पदभार संभालने के समय पद की शपथ लेने के साथ पारदर्शिता की शपथ लें तथा गुप्तता की शपथ लेने की आवश्यकता की परित्याग किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 75 (4) और 164 (3) तथा तृतीय अनुसूची में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाना चाहिए।
- ख. राष्ट्रीय हित के विरुद्ध जानकारी के प्रकटन के विरुद्ध सुरक्षोपाय की व्यवस्था, अधिकारिक गुप्तता के साथ डील करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में एक धारा जोड़कर लिखित वचन के माध्यम से की जा सकती है।

2.5 छूट प्राप्त संगठन :

2.5.1 कुछ प्रकार के संगठनों को अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है :

"24 (1) इस अधिनियम में दी गई कोई बात, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित संगठन होने के नाते अथवा ऐसे संगठनों द्वारा सरकार को प्रस्तुत कोई सूचना द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट आसूचना और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगी।"

2.5.2 संगठनों की सूची में सम्मिलित हैं : सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.), असम राइफल्स आदि, किन्तु सशस्त्र सेनाओं को अधिनियम के क्षेत्राधिकार से अलग रखा गया है। जब बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., असम राइफल्स जैसे संगठनों को छूट प्रदान की गई है, सशस्त्र सेनाओं को भी छूट न देने का कोई तर्क नहीं है। द्वितीय अनुसूची को समय-समय पर संशोधित करने की जरूरत है ताकि बदलती जरूरतों को देखते हुए संगठनों को शामिल अथवा अलग किया जा सके।

2.5.3 आयोग का मत है कि सशस्त्र सेनाओं को छूट प्राप्त संगठनों की सूची (अधिनियम की द्वितीय अनुसूची) में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि सशस्त्र सेनाओं की लगभग सभी गतिविधियों को छूट 8 (क) के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि किसी नागरिक को ऐसी सूचना देने का कोई दायित्व नहीं होगा जो भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता, राज्य के सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी " आयोग इस तथ्य से अवगत है कि अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची (धारा 24 (1)) में सम्मिलित संगठनों के संबंध में भी भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के दुरुपयोगों

का आरोप लगाए जाने पर प्रकटन की व्यवस्था है। इसके साथ ही, छूट प्राप्त श्रेणियों के संबंध भी धारा 8 (2) प्रकटन को अनिवार्य बनाती है, यदि प्रकटन में सार्वजनिक हित संरक्षित हितों के लिए हानिकर होने से सर्वोपरि हों। इसलिए, द्वितीय अनुसूची में सशस्त्र सेनाओं को शामिल करके, यद्यपि राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षित है, फिर भी सार्वजनिक हित की मांग की दृष्टि से, प्रकटन अनिवार्य है।

2.5.4 अधिनियम की धारा 24 में निर्धारित है :

24 (1) इस अधिनियम में दी गई कोई बात केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित संगठन होने के नाते अथवा ऐसे संगठनों द्वारा सरकार को प्रस्तुत कोई सूचना द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट आसूचना और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगी: बशर्ते कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना को उप-धारा के तहत अलग नहीं किया जाएगा :

2.5.5 द्वितीय अनुसूची में शामिल संगठनों की पी आई ओ नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न उठता है कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघनों के आरोपों से संबंधित जानकारी के लिए अनुरोध के मामले में, किस प्रकार अनुरोध किया जाना चाहिए? आयोग का मत है कि द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध संगठनों के मामलों में भी पी आई ओ नियुक्त किए जाने चाहिए ताकि आवेदन-पत्रों के संबंध में अनुरोध उनके पास फाइल किए जा सकें। पी आई ओ के आदेश से दुःखी व्यक्ति सी आई सी/एस आई सी से संपर्क कर सकता है।

2.5.6 सिफारिशें :

- क. सशस्त्र सेनाओं को अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए ;
- ख. अधिनियम की द्वितीय सूची की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए ;
- ग. द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध सभी संगठनों को पी आई ओ नियुक्त करने हैं। पी आई ओ के आदेशों के विरुद्ध अपील सी आई सी/एस आई सी के पास फाइल की जानी चाहिए (धारा 30 के अंतर्गत कठिनाईयों को दूर करके यह व्यवस्था की जा सकती है)।

3.1 केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम :

3.1.1 केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम सूचना के अनाधिकृत सम्प्रेषण को निषिद्ध करते हैं (राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए उनके अपने-अपने नियमों के अंतर्गत ऐसे ही प्रावधान मौजूद हैं)

"11. सूचना का अनाधिकृत सम्प्रेषण

कोई भी सरकारी कर्मचारी, सिवाए सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश के अनुसार अथवा उसे सौंपे गए कर्तव्यों के सद्भावना में निष्पादन के दौरान, किसी सरकारी सेवक को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे वह ऐसा दस्तावेज अथवा सूचना सम्प्रेषित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, कोई अधिकारिक दस्तावेज अथवा उसका कोई भाग, प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्प्रेषित नहीं करेगा ।

व्याख्या: किसी सरकारी सेवक द्वारा (कार्यालय अध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति को अपने अभ्यावेदन में), किसी पत्र, परिपत्र अथवा कार्यालय ज्ञापन अथवा किसी फाइल में टिप्पणियों का अथवा उससे, जिसकी सुलभता उसे प्राधिकृत नहीं है, अथवा जिसे वह अपनी वैयक्तिक सुरक्षा में अथवा वैयक्तिक प्रयोजनार्थ रखने के लिए प्राधिकृत नहीं है, दिए गए उद्धरण इस नियम के अर्थों की दृष्टि से सूचना का अनाधिकृत सम्प्रेषण समझा जाएगा ।"

3.1.2 शौरी समिति ने इस मामले की जाँच की और निम्न प्रकार उल्लेख किया :

"यह एक आम धारणा है कि केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, और रेलवे, विदेशी मामले तथा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए लागू तदनुसूची नियम, सरकारी सेवकों को जनता के साथ जानकारी बाँटने की मनाही करते हैं । इन नियमों में झुकाव जनता को सूचना की मनाही के प्रति है । यदि सूचना अधिनियम की आजादी को अपना प्रयोजन सिद्ध करना है और यदि पद्धति में पारदर्शिता लाई जानी है, तो स्पष्टतः स्थिति में बदलाव लाना होगा ।"

3.1.3 आयोग शौरी समिति के विचारों से सहमत है । केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों का निर्माण तब हुआ था जबकि आर टी आई अधिनियम विद्यमान नहीं था । इन नियमों की भावना सूचना को रोककर रखने की है । सूचना की आजादी के युग के उद्भव के साथ, इन नियमों की पुनर्संरचना करनी होगी जिससे कि सूचना का प्रसार एक नियम हो और सूचना को रोककर रखना एक अपवाद । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

ने इन्हीं के अनुसार अक्टूबर, 2005 में सिविल सेवा (आचरण) नियमों में संशोधन किया था। किन्तु सभी राज्यों को, आर टी आई अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए, इसी प्रकार से नियमों को संशोधित करने की जरूरत है।

3.1.4 सिफारिशें :

क. सभी राज्यों के सिविल सेवा नियमों की निम्नानुसार पुनर्संरचना की जानी चाहिए:

"अधिकारिक सूचना का सम्प्रेषण :

प्रत्येक सरकारी सेवक, सद्भावना के साथ अपने कर्तव्यों के निष्पादन में, जनता के किसी सदस्य अथवा किसी संगठन को पूर्ण और सही सूचना सम्प्रेषित करेगा जिसका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रकटन किया जा सकता है।

व्याख्या - इस नियम में दी गई किसी बात को, किसी सरकारी सेवक अथवा अन्य को अनाधिकृत ढंग से अथवा अनुचित लाभ के लिए, वर्गीकृत सूचना के सम्प्रेषण की अनुमति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।"

3.2 कार्यालय पद्धति मैनुअल :

3.2.1 आर टी आई अधिनियम के विरोधाभास में मैनुअल के संगत अंश नीचे उद्धृत हैं :

" 116 अधिकारिक सूचना का अनाधिकृत सम्प्रेषण - सामान्य अथवा विशिष्ट आदेशों के प्राधिकार के बिना, कोई भी अधिकारी किसी अन्य अधिकारी और गैर-अधिकारी को, अपने अधिकारिक कर्तव्यों के दौरान उसके कब्जे के अधीन किसी सूचना अथवा दस्तावेज को (इलेक्ट्रानिकी प्रलेख सहित) सम्प्रेषित नहीं करेगा।

118. टिप्पणियों/फाइलों की गोपनीय प्रकृति -

(1) एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को भेजी गई फाइल के टिप्पणी अंश को गोपनीय समझा जाएगा और उसे जिस विभाग की वह फाइल है, उसकी सामान्य अथवा विशिष्ट सम्मति के बिना सचिवालय और संलग्न कार्यालय से बाहर किसी प्राधिकारी को रेफर नहीं किया जाएगा। यदि सूचना इलेक्ट्रानिक फार्म में है तो उसे केवल प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही हेण्डल किया जाएगा।

3.2.2 कार्यालय पद्धति मैनुअल का निर्माण तब किया गया था जबकि आर टी आई अधिनियम अस्तित्व में नहीं था। ये प्रावधान अधिनियम का पूर्णतः उल्लंघन करते हैं और इसलिए इन्हें अधिनियम के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। अधिनियम में "सूचना" की परिभाषा भी की गई है जिसका अर्थ किसी भी रूप में कोई भी सामग्री, अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बहियों, संविदाओं, रिपोर्टों, पत्रों, नमूनों, माडलों से है जिसमें इलेक्ट्रानिक रूप में धारित सामग्री तथा किसी निजी निकाय से संबंधित सूचना शामिल है, जिसे उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी सरकारी

प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार टिप्पणी और फाइलें अपने आप ही गोपनीय और अगम्य नहीं बन जाती जब तक कि उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत और अधिनियम की धारा 8 (1) के छूट प्रावधानों के अन्तर्गत कवर नहीं किया जाता। इसे अधिनियम के अनुरूप बनाने के लिए, अधिकारिक सूचना और टिप्पणियों/फाइलों की गोपनीय प्रकृति के अनाधिकृत सम्प्रेषण से संबंधित प्रावधानों को संशोधित करना होगा।

3.2.3 सिफारिशें :

क. कार्यालय पद्धति मैनुअल के पैराग्राफ 116 को निम्न प्रकार पुनर्संरचित किया जाना चाहिए:

"अधिकारिक सूचना का सम्प्रेषण : प्रत्येक सरकारी सेवक, सद्भावना के साथ अपने कर्तव्यों के निष्पादन में, जनता के किसी सदस्य अथवा संगठन को पूर्ण और सही जानकारी सम्प्रेषित करेगा जिसका सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रकटन किया जा सकता है (ऊपर बताई गई किसी बात को, किसी सरकारी सेवक अथवा अन्यो को अनाधिकृत ढंग से अथवा अनुचित लाभ के लिए, वर्गीकृत सूचना के सम्प्रेषण की अनुमति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए)।"

ख. पैराग्राफ 118 (1) को हटा दिया जाना चाहिए।

ग. राज्य सरकारों को, अपने मैनुअलों में ऐसे ही संशोधन करने के लिए, यदि ऐसे प्रावधान वहां विद्यमान हैं, सलाह दी जा सकती है।

गोपनीयता वर्गीकरण

4.1 सूचना का वर्गीकरण :

4.1.1 सूचना के संबंध में ओ एस ए के कुछ अविवेकी अनुप्रयोग के अलावा, जिनका आशय गुप्त होना नहीं था, सरकार में गुप्तता की परम्परा का एक बड़ा कारक सूचना को वर्गीकृत करने की प्रवृत्ति का होना है चाहे ऐसा वर्गीकरण स्पष्ट रूप से अनावश्यक हो। भारत सरकार ने अपने कब्जे के अधीन सूचना को सुरक्षित रखने से संबंधित विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं, जिसके अनाधिकृत प्रकटन से राष्ट्रीय सुरक्षा को क्षति पहुँच सकती है अथवा सरकार को अपने कामकाज में परेशानी हो सकती है अथवा जो राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक हो। इन अनुदेशों में, जो विभागीय सुरक्षा अनुदेशों के मैनुअल और कार्यालय पद्धति की संहिता में दिए गए हैं, अपेक्षित गोपनीयता की मात्रा के आधार पर किसी अभिलेख को सुरक्षा वर्गीकरण प्रदान करने के लिए मार्गनिर्देश दिए गए हैं। उनमें उस ढंग का भी उल्लेख है जिसके अनुसार ऐसी प्रत्येक वर्गीकृत सूचना को हेन्डल किया जाना चाहिए तथा वे व्यक्ति जिन्हें ऐसी सूचना सुलभ हो सकती है।

4.1.2 शौरी समिति ने सूचना के वर्गीकरण के मुद्दे पर विचार किया तथा निम्न प्रकार नोट किया :

" पारदर्शिता के अभाव का एक बड़ा योगदानकर्ता सूचना को वर्गीकृत करने की प्रवृत्ति का होना है चाहे ऐसा वर्गीकरण स्पष्ट रूप से अनुचित हो। अपेक्षा से अधिक वर्गीकरण प्रदान करने की भी प्रवृत्ति है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी विभागीय सुरक्षा अनुदेश मैनुअल और कार्यालय पद्धति मैनुअल, जिसमें इसमें से कुछेक अनुदेश सम्मिलित हैं, वर्गीकरण के संबंध में मापदण्ड और मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं तथा वर्गीकरण ग्रेडिंग, अर्थात् परम गुप्त, गुप्त और गोपनीय, प्राधिकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट किए गए हैं।"

यद्यपि वर्गीकरण के लिए मापदण्ड सम्भवतः अनिवार्य रूप से विस्तृत होना चाहिए, तथापि वर्गीकरण के संबंध में समुचित दृष्टिकोण के हित में यह वांछनीय है कि इन्हें अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु एक उपयुक्त सौदाहरण सूची द्वारा समर्थित किया जाए। ऐसी सूची तैयार करते समय, पालन किया जाने वाला सिद्धांत यह है कि सामान्यतः केवल ऐसी सूचना को, जो प्रस्तावित सूचना की आजादी अधिनियम के अंतर्गत छूट के लिए पात्र हो, वर्गीकृत किया जाना चाहिए।"

4.1.3 विभागीय सुरक्षा अनुदेश मैनुअल, राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील मामलों वाले दस्तावेजों और अभिलेखों के वर्गीकरण से डील करता है। एक बार सुरक्षा वर्गीकरण हो जाने पर ये सार्वजनिक क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाते हैं। आर टी आई अधिनियम में भी कतिपय सूचना को सार्वजनिक क्षेत्र से बाहर रखने की जरूरत महसूस की गई है। अधिनियम की धारा 8 में उन छूटों की सूची दी गई है जिनके तहत

पी आई ओ को जानकारी देने की जरूरत नहीं है। तथापि, अधिनियम के प्रावधानों के साथ सुरक्षा वर्गीकरण का तालमेल बिठाना आवश्यक है।

4.1.4 किसी दस्तावेज को वर्गीकृत करने का कार्य व्यापक राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण है और उसे बड़ी सावधानी के साथ डील किया जाना चाहिए क्योंकि किसी भी वर्गीकरण से जनता को जानकारी की उपलब्धता की मनाही हो सकती है। इसलिए, केवल पर्याप्त रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को दस्तावेजों को वर्गीकृत करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा, विद्यमान अनुदेशों के तहत एक बार वर्गीकृत सूचना बिना किसी समय सीमा के वैसी ही बनी रहती है। दूसरे देशों में, युद्ध गुप्तताएं भी, एक विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद, आमतौर पर 30 वर्ष, सार्वजनिक बना दी जाती है। इसलिए, एक समुचित अवधि के बाद, उदाहरणार्थ 30 वर्ष (कुछ दस्तावेजों के मामले में अवधि कम भी हो सकती है), ऐसे वर्गीकृत दस्तावेजों की समीक्षा किए जाने की जरूरत है। उसके बाद वर्गीकरण के योग्य न रहने वाले दस्तावेजों को अवर्गीकृत कर दिया जाना चाहिए और जनता के लिए खोल दिया जाना चाहिए।

4.1.5 इसके अलावा, सुरक्षा वर्गीकरण की परम्परा को युक्तिसंगत बनाए जाने की जरूरत है, जिसमें अधिनियम के तहत छूट की स्कीम और उभरती चुनौतियों को परिलक्षित किया जाना चाहिए। अधिनियम के अंतर्गत छूट की 11 श्रेणियों (धारा 8 और 9) की सूची दी गई है जिनमें सूचना नहीं दी जा सकती। ये, "सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हित, विदेशी राज्य के साथ संबंध विपरीत रूप से प्रभावित होंगे अथवा किसी अपराध को बढ़ावा मिलेगा, से लेकर "किसी व्यक्ति में मौजूद कापीराइट के उल्लंघन" तक से संबंधित हैं। आयोग का मत है कि वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत मुख्य रूप से सूचना की इन प्रत्येक श्रेणियों को कवर किया जाना चाहिए। सम्भव है कि कोई सूचना छूट की दो अथवा अधिक श्रेणियों के अंतर्गत आए। उस स्थिति में सूचना में छूटों के बीच उच्च क्रम के वर्गीकरण के बारे में दी जानी चाहिए।

4.1.6 यद्यपि सूचना की 11 श्रेणियां काफी विस्तृत हैं और सूचना को गुप्त रखने के लिए लगभग सभी सम्भावित स्थितियों को कवर करती हैं, तथापि, कुछ स्थितियां, जिनके अंतर्गत गुप्तता जरूरी है, प्रतीत होता है कि इन छूटों से बाहर हैं, जैसे कि अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्टें और परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र। आयोग का मत है कि इन मामलों में भी सूचना को छूटों के अंतर्गत कवर किया जाना चाहिए।

4.1.7 आयोग ने शौरी समिति की सिफारिशों का अध्ययन किया और यह उसके द्वारा की गई सिफारिशों से मौटे तौर पर सहमत है।

4.1.8 सिफारिशें :

क - भारत सरकार को विभागीय सुरक्षा अनुदेशों के मैनुअल में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाना चाहिए :

i. वर्गीकरण की पात्र सूचना (पैरा 3) :

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को उस सूचना का पता लगाने की सलाह दी जानी चाहिए

जो सुरक्षा वर्गीकरण प्रदान किए जाने की पात्र है । सामान्यतः केवल ऐसी सूचना को सुरक्षा वर्गीकरण प्रदान किया जाना चाहिए जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रकटन से छूट के लिए पात्र हो । दस्तावेज़ों का वर्गीकरण निम्नलिखित मार्ग निर्देशानुसार किया जाना चाहिए:

क्रम सं.	आर टी आई की धारा जिससे सूचना संबंधित हैं	वर्गीकरण
1.	8(1)(क)	परम गुप्त
2.	8(1)(ख)	गोपनीय
3.	8(1)(ग)	गोपनीय
4.	8(1)(घ)	गुप्त
5.	8(1)(ङ.)	गोपनीय
6.	8(1)(च)	गुप्त
7.	8(1)(छ)	परम गुप्त/गुप्त
8.	8(1)(ज)	गुप्त/गोपनीय
9.	8(1)(झ)	गोपनीय
10.	8(1)(ण)	गोपनीय/प्रतिबंधित
11.	9	गोपनीय/प्रतिबंधित

स्पष्टीकरण : उल्लिखित वर्गीकरण का सामान्यतः पालन किया जाना चाहिए । सम्भव है कि सूचना एक से अधिक छूट के अंतर्गत कवर हो ; उस स्थिति में सूचना को उच्च श्रेणी का वर्गीकरण प्रदान किया जाना चाहिए । इसके साथ ही, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह महसूस किया जाए कि मामले की परिस्थितियां, ऊपर वर्णित से ऊपर के वर्गीकरण की मांग करती है तो ऐसा किसी प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है जो ऐसा वर्गीकरण प्रदान करने के लिए अधिकार प्राप्त हो ।

आर टी आई अधिनियम के अन्तर्गत छूटों में अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों और परीक्षा प्रश्नपत्रों व सम्बद्ध मामलों को शामिल करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए । ऐसा धारा 30 के अन्तर्गत कठिनाइयों को दूर करके किया जा सकता है।

ii अपग्रेडिंग और डाउनग्रेडिंग (पैरा 2.3):

एक बार "परम गुप्त" अथवा "गुप्त" के रूप में वर्गीकृत दस्तावेज ऐसे ही वर्गीकृत बने रहने चाहिए जब तक कि अपेक्षित हो किन्तु 30 वर्ष से अधिक नहीं। गोपनीय और प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत दस्तावेज अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए, ऐसे ही बने रहने चाहिए। तथापि, सक्षम वर्गीकरण अधिकारी, किन्हीं कारणवश, जिन्हें लिखित में रिकार्ड किया जाना चाहिए, उन पर निर्धारित अवधि से अधिक के लिए सतत वर्गीकरण की अनुमति दे सकता है यदि सूचना से जिसका प्रकटन किया जाना है, राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय हित को क्षति पहुंचेगी। मंत्रालय/विभाग में उचित रैंक का प्राप्तकर्ता अधिकारी, बाहर से प्राप्त किसी प्रलेख के सुरक्षा वर्गीकरण को अपग्रेड कर सकता है किन्तु यह अपग्रेडिंग वर्गीकरण केवल मंत्रालय अथवा विभाग तक सीमित रहेगा। तथापि, उसे, प्राप्त दस्तावेज के सुरक्षा वर्गीकरण को, आरम्भक की सहमति के बिना, डाउनग्रेड करने का अधिकार नहीं होगा। एक ही विभाग के अन्दर, आरम्भक से वरिष्ठ अधिकारी को वर्गीकरण को डाउनग्रेड अथवा अपग्रेड करने का प्राधिकार होगा।

iii ग्रेडिंग प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी :

परम गुप्त	संयुक्त सचिव से कम स्तर का नहीं
गुप्त	उप सचिव से कम स्तर का नहीं
गोपनीय	अवर सचिव से कम स्तर का नहीं

राज्य सरकारें समकक्ष रैंक के अधिकारियों को ग्रेडिंग प्रदान करने के लिए प्राधिकृत कर सकती हैं।

भाग- II - सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

अधिकार और दायित्व

5.1 अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार और दायित्व :

5.1.1 अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों के प्रवर्तन और दायित्वों की पूर्ति के उद्देश्य से संस्थानों का निर्माण, सूचना का आयोजन और एक समर्थनकारी परिवेश कायम करना महत्वपूर्ण है। इसलिए आयोग ने पहले कदम के रूप में अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में अभी तक किए गए उपायों की समीक्षा की है, जो निम्न प्रकार है :

I. संस्थानों का निर्माण

- क. सूचना आयोग
- ख. सूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकरण

II. सूचना और अभिलेख पालन

- क. धारा 4 के अन्तर्गत स्वमेव घोषणा
- ख. सार्वजनिक हित प्रकटन
- ग. अभिलेख पालन को आधुनिक बनाना

III. क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन

IV. मानीटरन पद्धतियों का सृजन

5.2 संस्थानों का निर्माण :

5.2.1 सूचना आयोग : भारत सरकार (जी आर आई) ने केन्द्रीय सूचना आयोग (सी आई सी) का गठन किया है जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और चार सूचना आयुक्त हैं (धारा 12)। सी आई सी, अधिनियम के तहत अपीलों की सुनवाई करता है। सी आई सी के सभी निर्णयों को वेबसाइट (एच टी टी पी : सी आई सी.गव.इन) पर पोस्ट किया जाता है। अभी तक (3.5.06 तक) 21 राज्यों ने धारा 1(3) के तहत राज्य सूचना आयोगों (एस आई सी) का गठन किया है। धारा 15 के प्रावधान तुरंत लागू हो गए हैं, जिसका अर्थ है कि सभी राज्य सरकारों को, आर टी आई अधिनियम के अधिनियमन के तुरंत बाद अपने अपने आयोगों का गठन करना अपेक्षित है। अधिकांश राज्यों ने इसकी पूर्ति कर ली है जैसा कि संलग्नक v (1) में तालिका से स्पष्ट है। आयोग ने, राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों की पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है ताकि यह पता चल जाए कि क्या समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह जानकारी भी संलग्नक v (1) में संक्षेप में दी गई है। अधिनियम के अन्तर्गत, द्विदलीय ढंग से सी आई सी और

एस आई सी के चयन के संबंध में व्यवस्था है तथा इस प्रक्रिया में विपक्ष का नेता सम्मिलित होता है। चूंकि अधिनियम राज्यों के सभी तीन अंगों पर लागू होता है इसलिए चयन समिति में उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करना जैसा भी मामला हो, उपयुक्त होगा। इससे जनता के विश्वास को बढ़ावा मिलेगा और चयन की कोटि में संवर्धन होगा।

5.2.2 सूचना आयोग गठित करने के कानूनी दायित्व के बावजूद, छः राज्य इसके अधिनियमन के 10 मास के बाद भी ऐसा करने में असफल रहे हैं। अभी तक (3 5 06 तक) जिन राज्यों ने सूचना आयोगों का गठन नहीं किया है, वे हैं, बिहार, झारखंड, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इसमें तत्काल सुधार किए जाने की जरूरत है।

5.2.3 अधिनियम के अन्तर्गत सूचना आयोगों के फैलाव की अनुमति है ताकि नागरिकों को सहज सुलभता प्राप्त हो सके। (धारा 12(7), 15 (7))। तथापि, न तो सी आई सी सी ने और न ही एस आई सी ने राजधानियों से इतर स्थानों पर कार्यालय स्थापित किए हैं। एक सर्वोपरि नागरिक अनुकूल कानून को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए हमारे जैसे विशाल देश में सहज सुलभता महत्वपूर्ण है। इसलिए आयोग का मत है कि सी आई सी का फैलाव कम से कम 4 क्षेत्रों में होना चाहिए। इसी प्रकार बड़े राज्यों में एस आई सी का फैलाव किया जाना चाहिए जो जनसंख्या के घनत्व और भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर करता है।

5.2.4 अधिनियम के अंतर्गत ऐसे आयोग की परिकल्पना की गई है जिसके अन्तर्गत सदस्य समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करें। राज्य सरकारें अभी भी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में लगी हैं, किन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों की पृष्ठभूमि के विश्लेषण से पता चलता है कि सिविल सेवा पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों का प्रभुत्व है। इस में कोई संदेह नहीं है कि सिविल सेवा पृष्ठ भूमि वाले सदस्यों को व्यापक अनुभव और सरकारी कामकाज की बारीकी का ज्ञान होता है, किन्तु जनता में विश्वास पैदा करने और अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह वांछनीय है कि आयोगों में गैर-सिविल सेवाओं की पृष्ठभूमि वाले सदस्यों का अनुपात काफी अधिक हो।

5.2.5 सिफारिशें :

- क. सी आई सी की चयन समिति, प्रधानमंत्री, विपक्ष नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ, गठित करने के लिए अधिनियम की धारा 12 को संशोधित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, राज्य स्तर पर मुख्य मंत्री, विपक्ष नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ चयन समिति गठित करने के लिए धारा 15 को संशोधित किया जाना चाहिए।
- ख. भारत सरकार को सभी राज्यों में 3 मास के अन्दर एस आई सी का गठन सुनिश्चित करना चाहिए।
- ग. सी आई सी को सी आई सी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने चाहिए जिन प्रत्येक का अध्यक्ष एक आयुक्त होना चाहिए। इसी प्रकार बड़े राज्यों में एस आई सी के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाने चाहिए।

घ. सूचना आयोगों के कम से कम आधे सदस्य, गैर-सिविल सेवा पृष्ठभूमि वाले होने चाहिए । केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत नियमों में ऐसा प्रावधान किया जा सकता है जो सी आई सी और एस आई सी दोनों पर लागू हो ।

5.3 सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों का मनोनयन :

5.3.1 सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों ने पी आई ओ पदनामित किए हैं और इस प्रकार पी आई ओ मनोनीत करने की शर्त का अनुपालन किया है । तथापि, नियुक्त किए गए पी आई ओ और नियुक्त किए गए अधिकारी स्तर पर संख्या में काफी भिन्नता है संलग्नक v (2) । जहां एक कार्यालय के लिए एक से अधिक पी आई ओ की नियुक्ति की गई है, ऐसे मामलों में आवेदक को उपयुक्त पी आई ओ तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना किए जाने की सम्भावना है । इस प्रकार, ऐसे मामलों में एक नोडल पी आई ओ/ए पी आई ओ पदनामित करना वांछनीय है ।

5.3.2 आयोग ने यह भी नोट किया कि भारत सरकार में पी आई ओ का स्तर संयुक्त सचिव से लेकर अवर सचिव तक भिन्न भिन्न था (संलग्नक v (2) आदर्शतः पी आई ओ एक पर्याप्त रूप से वरिष्ठ रैंक का व्यक्ति होना चाहिए जिससे कि वह सूचना की सुलभता में समर्थ हो सके और उसे स्पष्ट व उपयोगी ढंग से प्रस्तुत कर सके । इसके साथ ही पी आई ओ जनता के लिए पर्याप्त रूप से सुलभ होना चाहिए । इसलिए आयोग का मत है कि भारत सरकार से पी आई ओ के रूप में उप सचिव/निदेशक के रैंक का एक अधिकारी नियुक्त करने की एकसमान पद्धति होनी चाहिए । भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों तथा राज्य सरकारों के संबंध में इस प्रकार का एकसमान निर्धारण संभव नहीं है क्योंकि कार्यों के आकार और कार्यों में काफी भिन्नता है । तथापि, ऊपर प्रतिपादित सिद्धांत कार्य क्षेत्र को पी आई ओ मनोनीत करते समय अपनाया जा सकता है ।

5.3.3 यद्यपि धारा 7(3) (ख) के साथ पठित धारा 19(1) का अर्थ प्रत्येक पी आई ओ के लिए एक अपीलीय प्राधिकारी पदनामित करना है, तथापि कानून में अपीलीय प्राधिकारियों के मनोनयन के लिए विशिष्ट रूप से कोई व्यवस्था नहीं है, जैसाकि पी आई ओ के मामले में हैं । परिणामस्वरूप अपीलीय प्राधिकारियों के विनिर्धारण के बारे में परिहार्य भ्रम है । केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट की जांच करने से भी यह पता चलता है कि यद्यपि पी आई ओ को अनिवार्य रूप से अधिसूचित किया जाता है किन्तु अपीलीय प्राधिकारियों के मामले में ऐसा नहीं है । इस त्रुटि को सुधारे जाने की जरूरत है ।

5.3.4 सिफारिशें :

- (i) एक से अधिक पी आई ओ वाले सभी मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों/ कार्यालयों को एक नोडल सहायक लोक सूचना अधिकारी पदनामित करना चाहिए जिसे सभी पी आई ओ की ओर से सूचना के लिए अनुरोध प्राप्त करने का अधिकार हो । समुचित सरकारों द्वारा नियमों में ऐसा प्रावधान शामिल किया जा सकता है ।
- (ii) केन्द्रीय सचिवालयों में पी आई ओ कम से कम उप सचिव/निदेशक स्तर का होना चाहिए। राज्य सचिवालयों में, ऐसे ही रैंक के अधिकारियों को पी आई ओ के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है । सभी अधीनस्थ एजेंसियों और विभागों में, रैंक में पर्याप्त रूप से वरिष्ठ

अधिकारियों को, किन्तु जो जनता के लिए सुलभ हों, पी आई ओ के रूप में पदनामित किया जा सकता है ।

- (iii) सभी सरकारी प्राधिकारियों को भारत सरकार द्वारा सलाह दी जा सकती है कि लोक सूचना अधिकारियों के साथ साथ अपीलीय प्राधिकारी पदनामित और एक साथ प्रकाशित किए जा सकते हैं ।
- (iv) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी के लिए अपीलीय प्राधिकारियों का मनोनयन और अधिसूचना या तो नियमों के तहत अथवा अधिनियम की धारा 30 का इस्तेमाल करके की जा सकती है ।

5.4 सूचना का आयोजन और अभिलेख पालन :

5.4.1 सरकारी एजेन्सियों द्वारा महत्वपूर्ण सूचना का सक्रियतापूर्वक प्रकटन अधिशासन में पारदर्शिता का एक अनिवार्य तत्व है । इस दर्शन को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के अन्तर्गत स्वमेव प्रकटन पर (धारा 4 (1)) पर बल दिया गया है, तथा सभी सरकारी एजेन्सियों द्वारा निर्धारित सूचना प्रकाशन की बात कही गई है । आदर्शतः बड़ी संख्या में मामलों में मांगी गई सूचना इन प्रकाशनों में धारा 6 के अन्तर्गत अनुप्रयोग का सहारा लिए बिना उपलब्ध होनी चाहिए । प्रकटन के एक नमूने के अध्ययन से पता चलता है कि प्रायः उदासीनता और वास्तविकता का अभाव होता है इससे प्रोटोकॉल तय करने और स्वमेव प्रकटनों के प्रभावी मानीटरन की जरूरत को कम महत्व प्राप्त होता है ।

5.4.2 यदि स्वमेव प्रकटन स्वीकार्य कोटि का हो तो भी उसकी सुलभता का प्रश्न बना रहता है । यद्यपि नियमित अद्यतन बनाए रखकर वेब प्रकाशन की प्रथा जारी रहनी चाहिए किन्तु इलैक्ट्रॉनिक सम्प्रेषण में सीमाएं अन्तर्निहित हैं । बड़ी संख्या में लोगों को निकट भविष्य में कम्प्यूटर की सुलभता नहीं होगी । इसके साथ ही बड़ी संख्या में छोटे सरकारी कार्यालयों और ग्राम पंचायतों द्वारा संचार की इस विधि का उपयोग किए जाने की सम्भावना नहीं है । इसलिए स्थानीय भाषा में एक मुद्रित समूल्य प्रकाशन, जिसे समय समय पर संशोधित किया जाए (कम से कम वर्ष में एक बार), प्रत्येक सरकारी कार्यालय में उपलब्ध होना चाहिए तथा मांग किए जाने पर सप्लाई किया जाना चाहिए । ऐसा प्रकाशन, निःशुल्क, संदर्भ के लिए उपलब्ध होना चाहिए । इलैक्ट्रॉनिक प्रकटनों के संदर्भ में, एक एकल पोर्टल की व्यवस्था करना आवश्यक है जिसके जरिए समुचित शासनों के अन्तर्गत सभी सरकारी अधिकारियों के प्रकटन प्राप्त किए जा सकें ताकि सूचना की सहज उपलब्धता सुलभ हो सके ।

5.4.3 प्रकटनों की एक महत्वपूर्ण श्रेणी जिसे अधिनियम के अन्तर्गत कवर नहीं किया गया है, वह सार्वजनिक हित प्रकटन है । रूचिकर बात है कि इसे अनेक प्रजातन्त्रों में स्वीकारा गया है कि एक ईमानदार और सजग सरकारी सेवक, जो सकल भ्रष्टाचार, प्राधिकार के दुरुपयोग, अथवा गम्भीर अन्याय से संबंधित सूचना के लिए महत्वपूर्ण है, उसे प्रतिशोध के किसी भय के बिना, सार्वजनिक हित में प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । इसलिए ऐसे मामलों में भेद खुलने की गोपनीयता, यदि वह वरिष्ठ

अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न से संरक्षण की मांग करे, पारदर्शिता व्यवस्था का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। विधि आयोग ने अपनी 179 वीं रिपोर्ट (2001) में सार्वजनिक हित प्रकटन (संरक्षण) कानून के अधिनियमन की सिफारिश की थी। यह आयोग इस मत का पूर्णतः समर्थन करता है और भेद खोलने वालों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त विधान की सिफारिश करता है। आयोग, इस विषय में एक विस्तृत अध्ययन करेगा और सिविल सेवा सुधारों तथा अधिशासन में नैतिकता के संबंध में अपनी अगली रिपोर्टों में विस्तृत सिफारिश करेगा।

5.4.4 हमारी सूचना पद्धति के सम्भवतः सबसे कमजोरी सही अभिलेख पालन की बिल्कुल उपेक्षा का होना है। दसवें वित्त आयोग ने इसे ध्यान में रखा और अभिलेख पालन को सुधारने के लिए राज्यों को विशेष अनुदानों की सिफारिश की थी। किसी भी अधिशासन पद्धति में भू अभिलेख सम्भवतः सार्वजनिक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज हैं। बड़ी संख्या में लोगों को अपने शीर्षक के सबूत के रूप में, उनकी जरूरत होती है, विवाद निपटान अधिकांशतः अभिलेखों पर निर्भर करता है; ऋण की सुलभता आमतौर पर भू स्वामित्व पर निर्भर करती है तथा पूरा प्रशासन भू अभिलेखों की शुद्धता और विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। स्वभावतः भू अभिलेखों की सुलभता के लिए आधारभूत स्तर पर, अधिनियम के अन्तर्गत सूचना के संबंध में अधिकांश अनुरोध प्राप्त होंगे। दुर्भाग्यवश, आजादी के बाद से भू अभिलेखों को अद्यतन बनाने तथा उनके अनुरक्षण की अत्यंत उपेक्षा हुई है। बहुत से राज्यों में बड़ी संख्या में भू अभिलेख विद्यमान नहीं हैं, जहां कहीं वे विद्यमान हैं, असंतोषजनक स्थिति में हैं, और पिछले 70 वर्षों के दौरान भारत में कहीं भी विस्तृत भू सर्वेक्षण आयोजित नहीं किए गए हैं। प्रशासन का यह महत्वपूर्ण क्षेत्र भी यद्यपि भू प्रबंधन का एक भाग है, यह अधिशासन में पारदर्शिता का एक अभिन्न अंग भी है। सभी भू अभिलेखों को अद्यतन बनाने और समुचित भण्डारण व पुनः प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एक बार का प्रयास करना आवश्यक है।

बाक्स सं.1 बी बी सी समाचार वृत्त

"जब छत्तीसगढ़ के केन्द्रीय राज्य से एक गरीब किसान राकेश शुक्ला ने स्थानीय अधिकारियों से अपने क्षेत्र में धान के खेत खरीदने के संबंध में जानकारी की मांग की तो उसे 1,82,000 रूपए का बिल थमा दिया गया। अधिकारियों ने उसे बताया कि 1,08,000 रूपए का अधिकांश खर्च, खरीद से संबंधित अधिकारिक पत्रों की 90,000 से अधिक प्रतियों की फोटोकापी करने पर किया गया। दस्तावेज पूरे एक कमरे में भरे थे।"

5.4.5 आयोग ने नोट किया कि केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में भी अभिलेख पालन की स्थिति एक समस्या वाला क्षेत्र है {संलग्नक-v (3)} बहुत से अधीनस्थ कार्यालयों/भारत सरकार की एजेन्सियों और राज्य सरकारों में, अभिलेख पालन प्रक्रियाएं प्रायः विद्यमान नहीं हैं और जहां कहीं वे विद्यमान हैं, उनका शायद ही पालन किया जाता है। अधिकांश मामलों में अभिलेख पालन प्रक्रियाओं की दशकों से समीक्षा नहीं की गई है। सूची-पत्र तैयार करने, इन्डेक्स तैयार करने और व्यवस्थित रूप से भण्डारण की प्रथा, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से अनुपस्थित है। जहां अभिलेख भण्डारित किए जाते हैं, वहां सुस्पष्ट सूचना की पुनः प्राप्ति वस्तुतः असम्भव है। संभवतः इसी स्थिति की वजह से, संगत तथा सुस्पष्ट सारांश की बजाए, बड़ी मात्रा में असंसाधित सूचना प्रदान करने की प्रवृत्ति है। इसके एक उदाहरण की बी बी सी समाचारों⁴ में रिपोर्ट की गई थी, जिसमें ऐसी कार्यवाही की असंगतता के बारे में संक्षेप में बताया गया था (बाक्स सं. 1)

⁴ ii एच टी टी पी /न्यूज बी बी सी, सी ओ. यू के/गो/पी आर /एफ आर /2/1 हि/साउथ-एशिया/4739306.एस टी एम, 13.3.2006 को प्रकाशित।

5.4.6 यद्यपि कुछेक सरकारी प्राधिकारियों द्वारा अपने अभिलेखों को डिजीकृत बनाने तथा उन्हें सहजतापूर्वक पुनः प्राप्ति योग्य ढंग से रखने के लिए किए गए प्रयास सराहनीय हैं, तथापि ये प्रायोगिक परियोजनाएं हैं जो उत्कृष्टता के कुछेक क्षेत्रों तक सीमित हैं ।

5.4.7 सूचना के अधिकार का तभी कार्यान्वयन किया जा सकता है यदि सूचना विद्यमान हो और जहां यह विद्यमान है, यह सहज रूप में पुनः प्राप्ति योग्य और स्पष्ट हो । इसे प्राप्त करने के लिए मिले जुले प्रयासों की जरूरत है : अभिलेख पालन प्रक्रियाओं का विकास, समीक्षा और संशोधित किए जाने की जरूरत है; सूची पत्र तैयार करना, इन्डेक्सिंग और व्यवस्थित भण्डारण अनिवार्य बनाया जाना चाहिए । सभी दस्तावेजों को तर्कसंगत, स्पष्ट, पुनः प्राप्ति योग्य सूचना माड्यूलों में बदलने की जरूरत है । अभिलेखों को डिजीकृत करने के लिए एक योजना तैयार किए जाने की जरूरत है ।

5.4.8 सावधानीपूर्वक प्रक्रियाएं निर्धारित करना तथा अपने आप ही अपेक्षित अवस्थापना कायम करना पर्याप्त नहीं होगा । पर्याप्त प्राधिकार, विशेषज्ञता और जिम्मेदारी के साथ एक स्थायी पद्धति प्रत्येक सरकार में कायम करने की जरूरत है ताकि समुचित अभिलेख पालन का समन्वयन और पर्यवेक्षण किया जा सके । इसलिए भारत सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार में स्वतंत्र सरकारी अभिलेख कार्यालय (पी आर ओ) स्थायी किया जाना चाहिए । भारत सरकार में पहले ही अनेक अभिलेख पालन एजेन्सियां तथा अधिकतर राज्यों ने अभिलेख पालन एजेन्सियां विद्यमान हैं तथा अधिकतर राज्यों में अभिलेख पालन का काम राज्य अभिलेखागारों और राज्य अभिलेख कक्षों को सौंपा हुआ है । इनकी पुनर्संरचना की जा सकती है तथा इन्हें एकीकृत किया जा सकता है ताकि सरकारी अभिलेख कार्यालय गठित किया जा सके ।

5.4.9 सरकारी अभिलेख कार्यालय की सभी सरकारी कार्यालयों में समुचित अभिलेख पालन पर नजर रखने की जिम्मेदारी होगी, जिसमें मैनुअलों का निर्माण और उन्हें अद्यतन बनाना, आधुनिकीकरण तथा डिजिटिकरण, मानीटरन, निरीक्षण व अन्य प्रासंगिक कार्य शामिल हैं । सरकारी अभिलेख कार्यालय को सी आई सी अथवा एस आई सी, जैसी भी स्थिति हो, के सर्वोपरि मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कार्य करना चाहिए ।

5.4.10 सरकारी अभिलेख कार्यालय, सरकारी अभिलेखों के प्रबंधन में तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता का एक संग्रह स्थल होगा । इन एजेन्सियों के लिए पर्याप्त निधियां सुनिश्चित करने की जरूरत है । एक बार के उपाय के रूप में, भारत सरकार, अवस्थापना में सुधार करने, मैनुअलों के सृजन, तकनीकी सहायता प्रदान करने और सरकारी अभिलेख कार्यालय स्थापित करने के लिए, पांच वर्ष तक की अवधि के लिए, " अग्रणी कार्यक्रमों"⁵ की निधियों का एक प्रतिशत आवंटित कर सकती है । भारत सरकार को भू-अभिलेखों के सर्वेक्षण और अद्यतन बनाने के लिए एक विशेष कोष कायम करने पर अलग से विचार करना होगा ।

5.4.11 सिफारिशें :

- क. राजभाषा में मुद्रित और समूल्य प्रकाशन के रूप में भी स्वमेव प्रकटन उपलब्ध होने चाहिए जिन्हें समय समय पर संशोधित किया जाए (वर्ष में कम से कम एक बार) । ऐसे प्रकाशन संदर्भ हेतु निःशुल्क उपलब्ध होने चाहिए । जहां तक इलेक्ट्रानिक प्रकटनों का संबंध है, एन आई सी को एकल पोर्टल की व्यवस्था करनी चाहिए जिसके माध्यम से समुचित सरकारों

⁵ अग्रणी कार्यक्रम हैं सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन स्कीम, राजीव गांधी पेयजल मिशन, समग्र स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल सेवाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन ।

के अधीन सभी सरकारी प्राधिकरणों के प्रकटन सुलभ हो सकें, ताकि सूचना की सहज उपलब्धता सुलभ हो सके ।

- ख. सरकारी अभिलेख कार्यालयों की स्थापना, इस समय अभिलेख पालन में लगी अनेक एजेन्सियों का एकीकरण और पुनर्गठन करके छः महीनों के अन्दर भारत सरकार तथा सभी राज्यों के अन्दर एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में की जानी चाहिए । यह कार्यालय, सरकारी अभिलेखों के प्रबंधन में तकनीकी तथा व्यावसायिक विशेषज्ञता का एक संग्रहस्थल होगा । यह सभी सरकारी कार्यालयों में अभिलेख पालन के पर्यवेक्षण, मानीटरन, नियंत्रण और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार होगा ।
- ग. सरकारी अभिलेख कार्यालय, सी आई सी/एस आई सी के सर्वोपरि पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में काम करेंगे ।
- घ. एक बार के उपाय के रूप में भारत सरकार को, अभिलेखों को अद्यतन बनाने, अवस्थापना सुधारने, मैनुअलों का सृजन करने तथा सरकारी अभिलेख कार्यालय स्थापित करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए, सभी अग्रणी कार्यक्रमों की निधियों का 1% विनिश्चित करना चाहिए । (इसकी अधिकतम 25% राशि का उपयोग जागरूकता सृजन के लिए किया जाना चाहिए ।)
- ड. एक बार के उपाय के रूप में, भारत सरकार सभी भू अभिलेखों के सर्वेक्षण और उन्नयन हेतु एक भू अभिलेख आधुनिकीकरण कोष की स्थापना कर सकती है । प्रत्येक राज्य के लिए सहायता की मात्रा क्षेत्र की स्थिति का आकलन करने पर आधारित होगी ।
- च. सभी संगठनों को जिनका क्षेत्र एक जिले के बराबर अथवा उससे अधिक हो, निधियां प्रदान की जानी चाहिए और उनसे अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे 2009 के अन्त तक डिजीटीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लें । उपजिला स्तर के सभी संगठनों को यह कार्य 2011 के अन्त तक पूरा कर लेना चाहिए । केन्द्रीय और राज्य स्तर पर नियंत्रक मंत्रालयों/विभागों को इस प्रयोजनार्थ, 6 महीने के अन्दर सुनिश्चित लक्ष्यों के साथ, एक विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए ताकि इसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एक प्राथमिकतापूर्ण मद के रूप में कार्यान्वित किया जा सके ।

5.5 क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन :

5.5.1 प्रशिक्षण कार्यक्रम: सूचना का अधिकार अधिनियमन, अधिशासन में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में पहला कदम है । वास्तविक चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि मांगी गई सूचना जल्द से जल्द प्रदान की जाए और वह स्पष्ट रूप में हो । सरकारी कार्यकर्ताओं की मानसिकता में, जहां गुप्तता एक मानदण्ड है और प्रकटन एक अपवाद, आमूल रूप से परिवर्तन करने की जरूरत है । नागरिकों की मानसिकता

में भी ऐसे परिवर्तन की जरूरत है जो पारम्परिक रूप से सूचना प्राप्त करने में हिचकिचाते हैं। यह आमूल परिवर्तन लाने के लिए लगातार प्रशिक्षण और जागरूकता सृजन कार्यक्रमों की जरूरत होगी। चुनिन्दा सरकारी प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने में आयोग के अपने अनुभव से पता चलता है कि कुछ पी आई ओ बी अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों से अनभिज्ञ हैं। यू.के. में सूचना आयुक्त के कार्यालय ने, सरकारी प्राधिकारियों की, विशेष रूप से उस स्टाफ की सहायता, जिन्हें कुछ मुद्दों के बारे में, विशेष रूप से छूट प्रावधानों के संबंध में विशेषज्ञ सलाह सुलभ न हो एक अवेयरनेस गाइडेंस श्रृंखला प्रकाशित की है, भारत में भी इस प्रथा को अपनाया जा सकता है।

5.5.2 जागरूकता सृजन: सूचना का अधिकार अधिनियम के अधिनियमन के फलस्वरूप सूचना की आजादी के विभिन्न पहलुओं के संबंध में मीडिया में एक गम्भीर बहस उत्पन्न हो गई है। इसके बावजूद पूछताछ से पता चला है कि जागरूकता का स्तर, विशेष रूप से आधारीय स्तर पर, आश्चर्यजनक ढंग से न्यून है। अधिनियम के उद्देश्य से यह आवश्यक होगा कि नागरिकों को अपनी हकदारियों के संबंध में अधिशासन की कोटि सुधारने के लिए इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं की जानकारी हो। अभी तक जागरूकता सृजन मुख्य रूप से मुद्रित मिडिया में सरकारी विज्ञापनों में सीमित है। एक प्रभावी जागरूकता सृजन अभियान में बहु-मीडिया प्रयासों को शामिल किए जाने की जरूरत है जिसमें सड़क नाटक, टेलीविजन स्पॉट, रेडियो पहेलियां व अन्य जन संचार तकनीकें शामिल हैं। इन अभियानों को कम लागत पर प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है। यदि प्रतिबद्ध स्वैच्छिक संगठनों और कम्पनियों को सृजनात्मकता, जोश और व्यवसाय के साथ शामिल किया जाए।

5.5.3 अधिनियम की धारा 26 में कहा गया है कि उपयुक्त सरकार जनता की समझ-बूझ को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से सुविधाहीन समुदायों की समझ-बूझ को इस बाबत बढ़ाने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम विकसित और आयोजित कर सकती है कि किस प्रकार अधिनियम के अन्तर्गत परिकल्पित अधिकारों का इस्तेमाल किया जाए। यह भी कहा गया है कि उपयुक्त सरकारें अधिनियम के लागू होने की तारीख से 18 महीने के अन्दर एक मार्गनिर्देश (गाइड) संकलित करेंगी जिसमें एक सरल और समझने योग्य ढंग से ऐसी जानकारी दी गई है। आयोग का मत है कि यह जल्द से जल्द किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी गाइड की अनुलब्धता अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करने में एक बाधा बनी हुई है।

5.5.4 आयोग ने नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों/व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को एक प्रश्नावली भेजी थी। मंत्रालयों से प्राप्त प्रक्रियाएं "सूचना से वेबसाइट पर पोस्ट कर दी गई है," से लेकर "मुद्दों की जांच की जाएगी और आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए जाएंगे", तक थी। कुछ विभागों ने यह स्वीकार किया कि अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आयोग द्वारा आयोजित क्षेत्रों के दौरों के दौरान यह नोट किया गया कि आम जनता और सरकारी प्राधिकारियों दोनों ही के बीच इस अधिनियम के बारे में जानकारी का स्तर, विशेष रूप से उप जिला और पंचायत स्तरों पर, बहुत ही कम है।

5.5.5 सिफारिशें :

- क. प्रशिक्षण कार्यक्रम मात्र पी आई ओ और ए पी आई ओ तक ही सीमित न रखे जाएं। सभी सरकारी कार्यकर्ताओं को एक वर्ष में "सूचना का अधिकार" के संबंध में कम से कम एक दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रत्येक ब्लाक में एक विकेन्द्रीकृत ढंग से आयोजित किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में मास्टर प्रशिक्षकों के एक बैच के साथ एक प्रपाती मॉडल अपनाया जा सकता है।
- ख. सभी सामान्य और विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, जो तीन दिन अथवा उससे अधिक के हों, "सूचना का अधिकार" पर आधे दिन का माड्यूल अनिवार्य होना चाहिए।
- ग. राज्य स्तर पर जागरूकता अधिनियमों को विश्वसनीय और गैर-लाभकारी संगठनों को सौंपा जा सकता है। उन्हें एक बहु-मीडिया अभियान तैयार करना चाहिए जो जरूरतों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हों तथा स्थानीय भाषा में हों। इस प्रयोजनार्थ विनिश्चित निधियों का उपयोग किया जा सकता है। (जैसा कि पैराग्राफ 5.4.11 घ में कहा गया है)।
- घ. समुचित सरकारों को निर्धारित समयावधि के दौरान गाइड और व्यापक सूचना सामग्री प्रकाशित करनी चाहिए।
- ड. सी आई सी और एस आई सी को सरकारी प्राधिकारियों के लाभार्थ और विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों के लिए तथा सामान्य रूप से जनता के लिए, अधिनियम की मुख्य अवधारणाओं और जानकारी अनुरोधों की प्रतिक्रिया में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के संबंध में ऊपर वर्णित "जागरूकता मार्गदर्शन श्रृंखला" की तरह ही, मार्गनिर्देश जारी करने चाहिए (पैराग्राफ 5.5.1)।

5.6 मानीटरन पद्धति :

5.6.1 अधिनियम का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक बुनियादी जरूरत एक दृढ़ मानीटरन पद्धति की है। एक पर्यवेसी भूमिका निभाने के अलावा, मानीटरन पद्धति से कार्यान्वयन की प्रक्रिया में समस्याओं का पता लगाया जा सकता है और उपचारात्मक उपायों को शुरू किया जा सकता है। यह मानीटरन अनेक स्तरों पर किया जाना चाहिए। सरकारी प्राधिकरण में अन्दर, एक क्षेत्र में प्राधिकारियों के एक समूह के लिए, पूरे एक राज्य और देश के लिए। सामान्यतः मानीटरन एक इन हाउस कार्य है जहां कार्यान्वयन प्राधिकरण कामकाज का स्वयं मानीटरन करता है। प्रत्येक विभाग/एजेंसी के लिए, संगठन का प्रधान मानीटरन के लिए जिम्मेदार होगा। एक प्रश्न उठता है कि कौन सी एजेन्सी मानीटरन प्रक्रिया के शीर्ष पर होनी चाहिए। एक राय यह हो सकती है कि राज्यों के मामलों में इस कार्य को नोडल विभाग को तथा भारत सरकार के मामले में नोडल मंत्रालय को सौंपा जा सकता है। तथापि, उनके विद्यमान कार्यों को देखते हुए, कोई भी मंत्रालय/विभाग इस जटिल और विशाल कार्य के लिए अपना पूरा ध्यान देने में समर्थ नहीं हो सकता।

5.6.2 इस अधिनियम ने सी आई सी और एस आई सी के स्वतंत्र संस्थान सृजित किए हैं, जो उच्च स्तर के हैं। तथापि, कानून के तहत उनके कार्य मुख्यतः शिकायतों और अपीलों को सुनने तथा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक सीमित हैं। अधिनियम के तहत एक स्वतन्त्र तथा पूर्णकालिक प्राधिकरण स्थापित हो जाने पर यह सर्वाधिक उपयुक्त होगा कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन और मानीटरन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन निकायों को प्राप्त प्राधिकार और विश्वास, उन्हें प्राप्त विशेषज्ञता तथा दूरदृष्टि तथा बेहतर अधिशासन हेतु नागरिकों के अधिकारों का विस्तार करने के लिए इनकी प्रवृत्ति इन्हें अपना दायित्व निभाने के लिए उपयुक्त संस्थान बनाती है।

5.6.3 एक समन्वयन तंत्र की आवश्यकता : यद्यपि यह अधिनियम केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों पर लागू होता है, क्षेत्र की स्थिति प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है। इसके अलावा, "राज्य सूचना आयोग", केन्द्रीय सूचना आयोग से स्वतंत्र है। सम्भव है कि विभिन्न "सूचना आयोगों" के समकक्ष ऐसे ही अनेक मुद्दे पैदा हो सकते हैं। जन हित में यह सलाह देने योग्य है कि सभी "सूचना आयोग परिदृश्यों और अनुभवों में भागीदारी करें। इससे प्रयासों में दोहरेपन से बचा जा सकेगा, मुकदमेबाजी कम से कम होगी और पूरे देश में अधिनियम का एकसमान कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। इसी प्रकार, अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकरण अपनी स्वयं की क्रियाविधि विकसित कर रहे हैं। किसी राज्य अथवा सरकारी प्राधिकरण की कुछेक उत्तम प्रथाओं को अन्य सरकारी प्राधिकरणों/राज्यों में भी उपयोगार्थ अनुकूल बनाया जा सकता है। इसके साथ ही तक राष्ट्रव्यापी वेब आधारित सूचना प्रसार पद्धति को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए एक मजबूत समन्वय पद्धति का होना जरूरी है। ऊपर बताए गए कारणों की वजह से, सी आई सी ऐसी समन्वयन एजेन्सी का प्रमुख बनने के लिए उपयुक्त होगा।

5.6.4 सिफारिशें :

- क. सी आई सी और एस आई सी को सभी सरकारी प्राधिकरणों में "सूचना का अधिकार" के प्रभावी कार्यान्वयन के मानीटरन का कार्य सौंपा जा सकता है।
(कठिनाइयों को दूर करने के उपाय के रूप में धारा 30 के अन्तर्गत समुचित प्रावधान किया जा सकता है)।
- ख. क्योंकि क्षेत्रीय, राज्य, जिला और उप जिला स्तर पर बड़ी संख्या में सरकारी प्राधिकरण मौजूद हैं इसलिए जहां कहीं आवश्यक हो, अधिनियम के कार्यान्वयन का मानीटरन करने के लिए समुचित मानीटरन प्राधिकरण (सी आई सी/एस आई सी) द्वारा एक नोडल अधिकारी विनिर्धारित किया जाना चाहिए।
- ग. प्रत्येक सरकारी प्राधिकरण, अधिनियम के प्रावधानों का उसके अपने कार्यालय में तथा अधीनस्थ सरकारी प्राधिकरणों में भी अनुपालन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।

घ. मुख्य सूचना आयुक्त" की अध्यक्षता में, नोडल केन्द्रीय मंत्रालय, एस आई सी तथा राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ, सदस्यों के रूप में, तक" राष्ट्रीय समन्वय समिति (एन सी सी)" गठित की जा सकती है। कठिनाइयों को दूर करने के उपाय के रूप में धारा 30 के अन्तर्गत इस बाबत एक प्रावधान किया जा सकता है। राष्ट्रीय समन्वय समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :-

- i) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करना,
- ii) भारत में व अन्यत्र उत्तम प्रथाओं को प्रलेखबद्ध व प्रसारित करना।
- iii) "सूचना के अधिकार" के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल के सृजन और कार्यकरण का मानीटरन करना,
- iv) अधिनियम के अन्तर्गत समुचित सरकारों द्वारा जारी नियमों और कार्यकारी आदेशों की समीक्षा करना,
- v) अधिनियम के कार्यान्वयन का प्रभाव मूल्यांकन आयोजित करना, और
- vi) ऐसे अन्य संगत कार्य निष्पादित करना जो आवश्यक समझे जाएं।

6.1 अधिनियम का कार्यान्वयन :

6.1.1 आर टी आई अधिनियम का कार्यान्वयन एक प्रशासनिक चुनौती है जिसने अनेक संरचनात्मक, क्रियाविधिक और सम्भारतन्त्रीय मुद्दे तथा समस्याएं पैदा की हैं जिनका प्रारंभ में ही समाधान किए जाने की जरूरत है। आयोग ने कार्यान्वयन में कुछ समस्या वाले क्षेत्रों का विनिर्धारण किया है और इन पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा तथा सिफारिशों की गई हैं।

6.2 सुलभता सुविधाजनक बनाना :

6.2.1 सूचना प्राप्त करने के लिए, अधिनियम के अन्तर्गत यथा निर्धारित कार्यवाही की जानी है। पहल अनुरोध प्रस्तुत करने की है। अनुरोध किए जाने पर प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी सरकारी एजेंसी पर आ जाती है। जानकारी के लिए अनुरोध पर कार्यवाही करने में शामिल उपाय चित्र-1 में चार्ट में दिए हैं।

6.2.2 आयोग द्वारा आयोजित मामला अध्ययनों, प्रश्नावली के उत्तर में विभिन्न मंत्रालयों की प्रतिक्रियाओं और पणधारियों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर, अनेक बाधाएं/अवरोध नोट किए गए :

- अनुरोध स्वीकार किए जाने की जटिल पद्धति
- डिमाण्ड-ड्राफ्टों पर जोर दिया जाना
- डाक द्वारा आवेदन-पत्र भेजने में कठिनाइयां

बॉक्स सं. 2 : आवेदन प्रस्तुत करने में कठिनाई


तीन भागों में सूचना के लिए, आवेदन-पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जल संसाधन मंत्रालय को 20.1.2006 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में प्रस्तुत किया गया था। आवेदन-पत्र के साथ 10/- रुपए (नकद) की फीस दी गई थी। सीपीआईओ के कार्यालय ने आवेदक को सूचित किया कि उनके कार्यालय में नकदी प्राप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने आवेदक को मंत्रालय के शास्त्री भवन, नई दिल्ली स्थित वेतन तथा लेखा कार्यालय जाने की सलाह दी जहाँ अन्ततः फीस जमा हो गई। श्रम शक्ति भवन में सी पी आई ओ कार्यालय ने फीस की अदायगी के आधार पर आवेदन-पत्र स्वीकार कर लिया। आवेदक के पास अधिकारिक पास था इसलिए उसे भवन में प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं हुई।

बॉक्स सं. 3 : बैंक ड्राफ्ट की लागत

औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग से सूचना मांगी गई थी। 23.1.2006 को एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदन-पत्र उद्योग भवन भेजा गया था जिसमें यह विभाग स्थित है। स्वागत कक्ष में एक बोर्ड लगा था जिस पर सी पी आई ओ का नाम प्रदर्शित किया गया था। उनके कार्यालय ने बताया कि फीस नकद रूप में स्वीकार्य नहीं है और वेतन तथा लेखा कार्यालय, औद्योगिक नीति तथा प्रोन्नयन विभाग के पक्ष में एक डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। 10/- रुपए का डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने के लिए 35/- रुपए का बैंक सेवा प्रभार अदा करना पड़ा। इस प्रकार, 10/- रुपए की फीस के लिए आवेदक को 45/- रुपए खर्च करने पड़े। डिमाण्ड ड्राफ्ट के आधार पर संबंधित सी पी आई ओ के कार्यालय ने आवेदन-पत्र स्वीकार किया।

- आवेदन फीस की भिन्न-भिन्न और प्रायः उँची दर
- पी आई ओ की अधिक संख्या

6.2.3 अनुरोध स्वीकार किए जाने की जटिल पद्धति : आवेदन-पत्र स्वीकार करते समय विभाग लेखा कार्यालय में नकदी की अदायगी करने का आग्रह करते हैं। मंत्रालयों में, लेखा कार्यालय और पी आई ओ कार्यालय भिन्न स्थानों पर और कभी-कभी अलग स्थानों पर होते हैं। नियमों में भी निर्धारित है कि प्रत्येक पृष्ठ की अतिरिक्त सूचना के लिए 2/-रुपए अदा करने हैं जिसके लिए आवेदक को उसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। क्षेत्र कार्यालयों में यह कठिनाई और तीव्र होगी क्योंकि उनमें से अनेक में नकदी एकत्र करने की



चित्र 1 आर टी आई अधिनियम के तहत सूचना देने में अन्तर्निहित क्रियाविधियों का प्रवाह चार्ट

व्यवस्था नहीं होती। इसके अलावा, सरकारी इमारतों में प्रवेश करने के लिए भ्रमणकर्ता का पास प्राप्त करने में अनावश्यक प्रतीक्षा समय लग जाता है (विशेष रूप से जबकि जिम्मेदार पी आई ओ, उसके द्वारा हेण्डल की जाने वाली अनेक अन्य जिम्मेदारियों की वजह से उपलब्ध न हो)। इसलिए सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की जरूरत है।

6.2.4 डिमाण्ड ड्राफ्ट पर बल देना : यद्यपि बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से फीस अदा करने की व्यवस्था है तथापि इससे एक अन्य कठिनाई पैदा होती है क्योंकि 10/- रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंक 35/- रुपए वसूलता है। इसलिए, कुछ विभागों द्वारा नकद के बजाय डिमाण्ड ड्राफ्टों के जरिए फीस पर बल दिए जाने को समाप्त किया जाना चाहिए।

6.2.5 डाक द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने में कठिनाई : विद्यमान प्रक्रिया के तहत, डाक द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने में आवेदन फीस की डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक के जरिए अदायगी करना शामिल है। इसलिए, एक ऐसी पद्धति विकसित करनी होगी जिसके जरिए सूचना के लिए अनुरोध डाक द्वारा प्रस्तुत करना सम्भव हो सके।

6.2.6 आवेदन फीस की भिन्न-भिन्न और प्रायः ऊंची दर : भिन्न-भिन्न राज्यों ने इस संबंध में भिन्न-भिन्न फीस निर्धारित की है। तमिलनाडु सूचना का अधिकार (फीस) नियमों में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक अनुरोध के लिए 50/- रुपए की आवेदन फीस की अदायगी की जानी है। चेन्नै में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान आयोग को सूचित किया गया कि फीस की यह ऊंची दर अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत करने को हतोत्साहित करती है। इसलिए फीस संरचना को सामन्जस्यपूर्ण बनाने की जरूरत है।

6.2.7 सिफारिशें :

- क. अदायगी की विद्यमान विधियों के अतिरिक्त, समुचित सरकारों को नियमों में संशोधन करना चाहिए ताकि पोस्टल आर्डरों के माध्यम से अदायगी को शामिल किया जा सके।
- ख. राज्यों से आवेदन फीस के संबंध में ऐसे नियम तैयार करने के लिए कहा जाए जो केंद्रीय नियमों के साथ सामन्जस्यपूर्ण हो। यह सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि फीस एक हतोत्साहन न बन जाए।
- ग. समुचित सरकारें फीस की संरचना (अतिरिक्त फीस सहित) 5/- रुपए के गुणकों में निर्धारित कर सकती हैं (उदाहरणार्थ, 2/- रुपए प्रति अतिरिक्त फीस निर्धारित करने की बजाए प्रत्येक 3 पृष्ठों अथवा उसके भाग के लिए 5/- रुपए की फीस निर्धारित करना वांछनीय हो सकता है)।
- घ. फीस की अदायगी की एक विधि के रूप में राज्य सरकारें उपयुक्त मूल्यवर्ग के उचित स्टाम्प जारी कर सकती हैं। ऐसे स्टाम्पों का उपयोग, राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्दर सरकारी प्राधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के लिए, किया जा सकता है।
- ड. चूंकि देश में डाकघरों को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की ओर से ए पी आई ओ के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है इसलिए उन्हें भी फीस नकद रूप में स्वीकार करने और आवेदन-पत्र के साथ रसीद भेजने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

6.3 सार्वजनिक प्राधिकारियों की तालिका :

6.3.1 अधिनियम में सार्वजनिक प्राधिकारियों की परिभाषा की गई है जिनमें बड़ी संख्या में संस्थान और एजेंसियां सम्मिलित हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए लोगों के लिए सभी सार्वजनिक प्राधिकारियों की एक सूचीबद्ध और अनुक्रमणित सूची आवश्यक है। संघीय पद्धति वाले विशाल तथा विविधतापूर्ण देश में, सभी सार्वजनिक प्राधिकारियों की सूची तैयार करना एक महान कार्य है। इसलिए, सभी सार्वजनिक प्राधिकारियों की एक तालिका तैयार करने के लिए एक प्रतिलोमित वृक्ष अवधारणा का पालन किया जा सकता है। भारत सरकार के मंत्रालयों से शुरू करके, प्रत्येक मंत्रालय में उसके नियंत्रणाधीन सभी सार्वजनिक प्राधिकारियों का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध होना चाहिए। इसी प्रकार, प्रत्येक सरकारी प्राधिकरण के पास उसके तत्काल नियंत्रणाधीन कार्यालयों और एजेंसियों की एक विस्तृत सूची होनी चाहिए। इसे तब तक जारी रखा जाए जब तक कि परम्परा में निचले स्तर तक सार्वजनिक प्राधिकरण को कवर न किया जाए। इस अवधारणा की व्याख्या संलग्नक VI (1) में की गई है।

6.3.2 सिफारिशें :

- क. भारत सरकार के स्तर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को आर टी आई अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग के रूप में विनिश्चित किया गया है। इस नोडल विभाग में उन सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की एक पूर्ण सूची होनी चाहिए जो सार्वजनिक प्राधिकरणों के रूप में कार्य करते हैं।
- ख. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों की एक विस्तृत सूची होनी चाहिए जो उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के अधीन आने वाले सार्वजनिक प्राधिकरणों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाना चाहिए : (i) संवैधानिक निकाय, (ii) एक समान एजेंसियां, (iii) सांविधिक निकाय ; (iv) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, (v) कार्यकारी आदेशों के तहत कायम निकाय, (vi) स्वामित्व, नियंत्रित अथवा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय, और (vii) सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित एन जी ओ। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत, सभी सार्वजनिक प्राधिकारियों की अद्यतन सूची रखी जानी चाहिए।
- ग. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण में तत्काल अगले स्तर पर इसके अधीन सभी सरकारी प्राधिकरणों का विवरण होना चाहिए। इन सभी विवरणों को क्रमानुसार रूप में संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- घ. राज्यों द्वारा भी ऐसी ही पद्धति अपनाई जानी चाहिए।

6.4 जिला स्तर पर एकल खिड़की एजेन्सी :

6.4.1 पर्याप्त जागरूकता सृजन के बाद, उम्मीद है कि क्षेत्र स्तर सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त होंगे। इस समय जिला स्तर पर राज्य सरकार के लगभग सभी विभागों और एजेंसियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ये सभी कार्यालय प्रायः इधर-उधर फैले हैं और अधिकांश नागरिकों को उनके स्थान की जानकारी नहीं होगी। ऐसी परिस्थितियों में किसी आवेदक के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण का विनिश्चयन करना और पता लगाना कठिन हो सकता है। इसलिए एक **एकल खिड़की एजेंसी** निर्धारित करना जरूरी

है, जो सार्वजनिक प्राधिकरणों/पी आई ओ की ओर से सूचना के लिए अनुरोध प्राप्त कर सकती है, जिसका जिले पर क्षेत्राधिकार हो तथा उसके बाद उन्हें संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण/पी आई ओ के पास भेजा जाए। इससे, लोगों की सहायता करने के अलावा, आवेदन-पत्रों पर नजर रखने में भी मदद मिलेगी। जिला स्तर पर एकल खिड़की एजेन्सियों के निष्पादन का आकलन करने के बाद, राज्य सरकारें उप-जिला स्तर पर एकल खिड़की एजेन्सियाँ स्थापित करने पर विचार कर सकती हैं।

6.4.2 सिफारिशें :

क. प्रत्येक जिले में एक एकल खिड़की एजेन्सी स्थापित की जानी चाहिए। इसे जिला स्तर कार्यालय में एक प्रकोष्ठ कायम करके और एकल खिड़की एजेन्सी द्वारा सेवित सभी सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए एक अधिकारी को सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित करके प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए जिला कलेक्टर/उपायुक्त अथवा जिला परिषद का कार्यालय सर्वाधिकृत उपयुक्त हो सकता है। इसे छः महीने के अन्दर सभी राज्यों में पूरा किया जाना चाहिए।

6.5 अधीनस्थ क्षेत्र कार्यालय और सार्वजनिक प्राधिकरण :

6.5.1 "सार्वजनिक प्राधिकरण" की परिभाषा संविधान के तहत अथवा उसके द्वारा अथवा संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानून और उपयुक्त सरकार द्वारा, उपयुक्त सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित संस्थानों, सहित, किसी अधिसूचना के जरिए स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण अथवा निकाय के रूप में की गई है। इससे सार्वजनिक प्राधिकरणों का विस्तार देश भर में पंचायतों और ग्राम पटवारियों तक होगा।

6.5.2 अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत, सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सार्वजनिक सूचना अधिकारियों/सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (पी आई ओ/ए पी आई ओ) की नियुक्ति की जाती है। इन जिम्मेदारियों के निपटान के लिए भिन्न-भिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए, केंद्रीय रेशम बोर्ड ने पूरे संगठन के लिए एक पी आई ओ की नियुक्ति की है तथा अपने मुख्यालय के लिए और साथ ही विभिन्न क्षेत्र इकाइयों के लिए भी अनेक ए पी आई ओ नियुक्त किए हैं। आयकर विभाग ने, मुख्य रूप से क्षेत्र स्तर पर आयुक्त के स्तर पर बड़ी संख्या में सी पी आई ओ नियुक्त किए हैं तथा इलाकाई कार्यालयों की सामान्य रूप से अनदेखी कर दी गई है। इसी प्रकार, राज्यों में ब्लॉक और तालुका स्तरों पर पी आई ओ की अनुपस्थिति प्रायः स्पष्ट है। दूसरे शब्दों में, अभी तक के अनुभव से पता चलता है कि सरकार की निचली पद्धतियों को न तो सार्वजनिक प्राधिकरणों के रूप में समझा गया है और न ही पी आई ओ नामजद किए गए हैं।

6.5.3 कानून की शाब्दिक व्याख्या से भी पी आई ओ/ए पी आई ओ और सार्वजनिक प्राधिकरणों के बीच काफी दोहरेपन के संकेत मिलते हैं। अधिनियम की परिभाषा के अनुसार, क्षेत्र स्तर की निचली पद्धतियों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के रूप में समझा जाना चाहिए। यद्यपि संबंधित संगठनों के उच्च प्राधिकरणों द्वारा प्रशासन की इन प्रणालियों को ए पी आई ओ के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तथापि ये प्रणालियाँ परस्पर रूप से उनके अपने आंतरिक कामकाज के लिए सार्वजनिक प्राधिकारियों के रूप में भी पात्र होंगे। इसके फलस्वरूप उनपर अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सूचना का स्वमेव प्रकटन करने का

दायित्व आ जाएगा। किन्तु, इस अधिनियम का आशय एक ऐसा स्तर प्राप्त करना है जिसके तहत संस्थानों द्वारा सूचना के स्वमेव प्रकटन द्वारा सूचना संबंधी नागरिकों की जरूरत पूरी हो सके। इसलिए प्रशासनिक और/अथवा कार्यात्मक परम्परा के निचले छोर पर सार्वजनिक प्राधिकरणों का अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जिम्मेदारियों के निपटान हेतु विनिर्धारण किए जाने की जरूरत है क्योंकि वे भौतिक रूप से और कार्यात्मक रूप से लोगों के काफी करीब हैं।

6.5.4 सिफारिशें :

क. किसी भी संगठन में सबसे निचले कार्यालय को, जिसके पास निर्णय निर्माण की शक्ति हो अथवा जो अभिलेखों का अभिरक्षक हो, एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में पदनामित किया जाना चाहिए।

6.6 गैर-सरकारी निकायों पर लागू किया जाना :

6.6.1 अधिनियम के अंतर्गत, एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में श्रेणीकृत किए जाने के लिए किसी गैर-सरकारी निकाय को सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाना जरूरी है। किन्तु, "पर्याप्त रूप से वित्त पोषित" की कोई परिभाषा नहीं है।

6.6.2 अन्य देशों के कानूनों के साथ तुलना करने पर रुचिकर तथ्यों का पता चलता है। एफ ओ आई अधिनियम (यू.के.) की धारा 5 के तहत राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) को निजी संगठनों को सार्वजनिक प्राधिकारियों के रूप में पदनामित करने की शक्ति प्राप्त है यदि उन्हें यह प्रतीत हो कि वे सार्वजनिक प्रकृति का काम कर रहे हैं अथवा वे किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ संविदे के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं जिन्हें करना अन्यथा प्राधिकरण का कार्य हो। दान के मामले में, यू.के. अधिनियम केवल तभी लागू होता है यदि उनकी स्थापना राजा (क्राउन), संविधि अथवा किसी सरकारी विभाग द्वारा की गई हो और उसमें क्राउन अथवा सरकारी विभाग का एक मनीनीत व्यक्ति हो। थोड़ी-सी संख्या में "पूर्णतः सार्वजनिक स्वामित्व" वाली कम्पनियां यू.के. में सूचना की आजादी अधिनियम के अधीन हैं किन्तु बड़ी संख्या में निजी कम्पनियां नहीं हैं।

6.6.3 सूचना की सुलभता प्रोन्नयन अधिनियम, दक्षिण अफ्रीका और भी आगे बढ़ गया है -

"सार्वजनिक निकाय" का अर्थ है —

- (क) राष्ट्रीय अथवा सरकार के प्रान्तीय क्षेत्र में राज्य का कोई विभाग अथवा प्रशासन अथवा सरकार के स्थानीय क्षेत्र में कोई म्युनिसिपलिटि ; अथवा
- (ख) कोई अन्य कार्यकर्ता अथवा संस्थान, जबकि -
 - (i) संविधान अथवा प्रान्तीय संविधान की दृष्टि से शक्ति का इस्तेमाल किया जाए या कर्तव्य का निष्पादन किया जाए ; अथवा
 - (ii) किसी विधान की दृष्टि से सार्वजनिक शक्ति का इस्तेमाल किया जाए अथवा किसी सार्वजनिक कार्य का निष्पादन किया जाए ।

6.6.4 इसके अलावा, दक्षिण अफ्रीकी अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत व्यवस्था है कि :

"50 (1) आवेदक को एक निजी निकाय का कोई भी अभिलेख सुलभ कराया जाए, यदि

(क) इस अभिलेख की किसी अधिकार का इस्तेमाल करने अथवा संरक्षण के लिए आवश्यकता हो।"

6.6.5 कार्यों के आउटसोर्सिंग को देखते हुए, जिन्हें सरकारी एजेन्सियों द्वारा निष्पादित किया जाता है, यह वांछनीय है कि जिन संस्थानों को स्वभावतः एकाधिकार प्राप्त है, अथवा जिनके कार्य नागरिकों के जीवन का पर्याप्त रूप से अतिक्रमण करते हैं, आर टी आई अधिनियम के प्रावधानों के तहत आने चाहिए। इसके साथ ही यह परिभाषित करना वांछनीय है कि "पर्याप्त रूप से वित्त पोषित" का क्या अर्थ है, अन्यथा भिन्न-भिन्न प्राधिकारी इसकी व्याख्या भिन्न रूप में कर सकते हैं।

6.6.6 सिफारिशें :

- क. ऐसे संगठनों को, जो सार्वजनिक प्रकृति के कार्य निष्पादित करते हैं जिन्हें सामान्य रूप से सरकार द्वारा अथवा उसकी एजेन्सियों द्वारा निष्पादित किया जाता है और जिन्हें स्वभावतः एकाधिकार प्राप्त है, इस अधिनियम के अंतर्गत लाया जा सकता है।
- ख. जिस किसी संस्थान अथवा निकाय को अपने वार्षिक कामकाज लागत का 50% अथवा पिछले तीन वर्षों में पिछले किसी एक वर्ष में एक करोड़ रूपए के बराबर अथवा उससे अधिक राशि प्राप्त हुई हो तो उसे उस अवधि के लिए और ऐसे वित्त पोषण के प्रयोजनार्थ "पर्याप्त निधियन" प्राप्त होना समझा जाएगा।
- ग. कोई जानकारी, जिसे यदि सरकार द्वारा धारित किया जाए, कानून के तहत ऐसे प्रकटन के अध्यक्षीन होगी, ऐसे प्रकटन के अध्यक्षीन रहने चाहिए चाहे उसे किसी गैर-सरकारी निकाय अथवा संस्थान को हस्तांतरित किया जाए।
- घ. इसे अधिनियम की धारा 30 के तहत कठिनाइयों को दूर करने के जरिए प्राप्त किया जा सकता है।

6.7 20 वर्ष से अधिक की सूचना के लिए समय सीमा :

6.7.1 आर टी आई अधिनियम में निर्धारित है कि :

"(3) उपधारा (1) के खण्ड (क) (ग) और (झ) के प्रावधानों के अध्यक्षीन घटित हुई कोई घटना या मामला की सूचना, जो धारा 6 के अंतर्गत अनुरोध किए जाने की तारीख से बीस वर्ष पहले घटित हुई हो, उस धारा के अंतर्गत अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रदान की जाएगी।"

6.7.2 बीस वर्ष की एकसमान सीमा कुछ अवसरों पर सार्वजनिक अधिकारियों के लिए और साथ ही आवेदकों के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। पर्याप्त प्रतिशतता में ऐसे अभिलेख होते हैं जो प्रकृति से स्थायी होते हैं। इनमें, राज्य भू राजस्व विभाग, भू-रजिस्टर और उप-रजिस्टर महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय,

विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के नीतिगत निर्णयों से संबंधित महत्वपूर्ण फाइलें, जन्म और मृत्यु पंजीकरण आदि शामिल हैं। ऐसे मामलों में, ऐसी घटनाओं के संबंध में अनुरोध प्राप्त होते हैं जो 20 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी हो सकती हैं।

6.7.3 दूसरी ओर, अधिकांश सार्वजनिक अभिलेख 20 वर्ष के लिए नहीं रखे जाते। यह भारत सरकार की कार्यालय पद्धति संहिता में निर्धारित है। राज्य सरकारों की भी ऐसी ही संहिताएं हैं।

6.7.4 केंद्रीय सचिवालय की कार्यालय पद्धति संहिता में निर्धारित है कि :

"111 अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची -

- (1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि फाइलें न तो स्थायी रूप से नष्ट की जाएं और न ही आवश्यकता से अधिक अवधि के लिए रखी जाए, प्रत्येक विभाग निम्नलिखित का पालन करेगा :
 - (क) खातों से संबंधित अभिलेखों के संबंध में, सामान्य वित्तीय नियमों के परिशिष्ट 13 में दिए गए अनुदेशों का पालन किया जाए ;
 - (ख) संस्थापना, कार्मिकों और गृह देखभाल संबंधी मामलों से संबंधित अभिलेखों के संबंध में, जो सभी विभागों के लिए एकसमान हों, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी "सभी विभागों के लिए एकसमान अभिलेखों के प्रतिधारण की अवधियों की अनुसूची" का पालन किया जाए।
 - (ग) इस संहिता में निर्धारित अभिलेख के संबंध में, परिशिष्ट 28 में विनिर्दिष्ट प्रतिधारण अवधियों का पालन किया जाए ; और
 - (घ) इसके मूल कार्यों से संबंधित अभिलेखों के संबंध में, एक विभागीय प्रतिधारण अनुसूची जारी की जाए जिसके लिए विनिर्दिष्ट विषयों से डील करने वाली फाइलों को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के साथ परामर्श करके संरक्षित रखा जाना चाहिए।
- (2) उपरोक्त अनुसूचियों की 5 वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा की जाएगी।"

परिशिष्ट 28 के अंतर्गत प्रतिधारण अवधि निर्धारित की गई है जो भिन्न-भिन्न श्रेणी के दस्तावेजों के लिए, एक वर्ष से लेकर स्थायी प्रतिधारण तक है।

6.7.5 अभिलेख पालन प्रक्रियाओं और अधिनियम के अंतर्गत निर्धारणों के बीच तालमेल किए जाने की स्पष्टतः जरूरत है।

6.7.6 सिफारिशें :

- क. अनुरोध पर 20 वर्ष पुराने अभिलेख उपलब्ध कराए जाने का निर्धारण केवल उन सार्वजनिक अभिलेखों पर लागू किया जाना चाहिए जिन्हें ऐसी अवधि के लिए रखा जाना जरूरी हो।

अन्य सभी अभिलेखों के संबंध में उपलब्धता की अवधि सीमित होगी, जिस अवधि के लिए अभिलेख पालन प्रक्रियाओं के तहत उन्हें संरक्षित रखा जाना चाहिए ।

- ख. यदि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण का इरादा उस अवधि को कम करने का हो जिस तक किसी श्रेणी के अभिलेख को रखा जाना है तो वह ऐसा सार्वजनिक अभिलेख कार्यालय की सहमति प्राप्त करके कर सकता है जैसाकि पैरा 5.4.11 में सुझाया गया है ।
- ग. इन सिफारिशों को, अधिनियम की धारा 30 के तहत कठिनाइयों को दूर करके, कार्यान्वित किया जा सकता है ।

6.8 लोक शिकायतें दूर करने की पद्धति :

6.8.1 मामलों की बड़ी संख्या में, प्राप्त की जाने वाली सूचना, किसी विभाग/एजेन्सी के विरुद्ध शिकायत के रूप में होती है । न्याय की किसी नागरिक की खोज में सूचना प्रारम्भिक मुद्दा है न कि अपने आप में कोई अंतिम बात । इस प्रकार सूचना भ्रष्टाचार और कुशासन से निपटने अथवा बेहतर सेवाएं प्राप्त करने का एक साधन है ।

6.8.2 अनुभव से पता चला है कि कार्यकर्ता/विभाग, किसी शिकायत का, विशेष रूप से जब वह उनके आचरण (दुराचरण) से सीधे ही संबंधित हो, समाधान करने में (सूचना प्रकट करने में भी) सक्रिय होने की बजाए रक्षात्मक बन जाते हैं । यह प्रवृत्ति, त्रुटि अथवा उत्पीड़न, भ्रष्टाचार आदि का कोई कार्य करने के बारे में शिकायतें सुनने के लिए एक स्वतंत्र मंच की जरूरत की अनदेखी करती है जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अथवा अन्यथा एकत्रित सूचना के जरिए उभरी हो । ऐसे एक स्वतंत्र निकाय को नागरिक और सार्वजनिक प्राधिकरण की सुनवाई करनी चाहिए, शीघ्र इस निर्णय पर पहुँचना चाहिए कि किस प्रकार शिकायत को सर्वोत्तम ढंग से दूर किया जा सकता है, और कर्तव्य की विमुखता स्थापित हो जाने पर, अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश करनी चाहिए और आवश्यक होने पर पद्धति में सुधारों की सिफारिश करनी चाहिए ।

6.8.3 इस पद्धति का एक सफल उदाहरण दिल्ली सरकार द्वारा 1997 में लोक शिकायत आयोग (पी जी सी) से मिलता है । 2001 में दिल्ली सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने पर, पी जी सी को अधिनियम के तहत अपीलों पर निर्णय लेने के लिए, अपीलीय प्राधिकरण बना दिया गया । इस व्यवस्था के कारण पी जी सी एक कारगर " एकल खिड़की " प्राधिकरण बन गया है जो सूचना की सुलभता को सुकर बनाता है और आवश्यक होने पर नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक मंच की भी व्यवस्था करता है । पी जी सी ने व्यवस्थित सुधारों को बढ़ावा देने के लिए अपनी गैर-सांविधिक शिकायत निपटान शक्तियों के साथ, मिलाकर दिल्ली आर टी आई अधिनियम के अंतर्गत अपनी सांविधिक स्थिति और प्राधिकार का भी प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है ।⁶

बॉक्स सं. 4 लोक शिकायत आयोग

सूचना के लिए यह अनुरोध किए जाने पर कि पंजीकरण विभाग ने भू-लेन-देन पंजीकृत करने के लिए क्यों पुराने नियमों का पालन करना जारी रखा, लोक शिकायत आयोग ने पंजीकरण विभाग के कामकाज के बारे में, इसके सुधार के लिए सिफारिश सहित, एक स्वतंत्र रिपोर्ट का प्रायोजन किया ।

⁶ रिफॉर्मिंग पब्लिक सर्विसिज इन इण्डिया - एक विश्व बैंक रिपोर्ट पर आधारित ।

6.8.4 इस सफल प्रशासनिक व्यवस्था को नोट करते हुए आयोग का मत है कि अन्य राज्यों द्वारा (उपयुक्त संशोधनों के साथ) ऐसी ही व्यवस्था का अनुकरण किया जा सकता है। शुरुआत बड़े नगरों के साथ की जा सकती है। यह पी जी सी की तरह एक पृथक स्वतंत्र लोक शिकायत समाधान प्राधिकरण की तरह या तो एकल प्राधिकरण के रूप में हो सकती है, जो एस आई सी अथवा जिला एकल खिड़की एजेन्सी के साथ निकट समन्वय से कार्य करे।

6.8.3 सिफारिशें :

- (i) **देरी, उत्पीड़न अथवा भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने के लिए राज्यों को एक स्वतंत्र लोक शिकायत समाधान प्राधिकरण स्थापित करने की सलाह दी जा सकती है। इन प्राधिकरणों को एस आई सी/जिला एकल खिड़की एजेन्सियों के साथ निकट समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए और भ्रष्टाचार और कुशासन के विरुद्ध संघर्ष करने अथवा बेहतर सेवाओं के लिए नागरिकों को एक साधन के रूप में सूचना का उपयोग करने में मदद देनी चाहिए।**

6.9 तुच्छ और कष्टप्रद अनुरोध :

6.9.1 इस अधिनियम की एक विशेषता यह है कि सूचना मांगकर्ता को "सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण..... अथवा कोई अन्य वैयक्तिक ब्यौरा नहीं देना होगा"। यह हितकर प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि अनुरोध का कोई व्यक्तिपरक आकलन न हो अथवा निरर्थक आधारों पर मनाही न हो। तथापि, आयोग के समक्ष कुछ मिसाल पेश की गई हैं कि जिनमें अनुरोध स्पष्टतः तुच्छ अथवा कष्टप्रद (अथवा दुर्भावपूर्ण) थे। ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें संदेह के घेरे में और गम्भीर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने वाले सरकारी सेवकों ने अधिनियम का उपयोग बार-बार धमकाने, उत्पीड़ित करने के लिए और कभी-कभी अपने वरिष्ठों को कष्टप्रद अनुरोधों के साथ, जलील करने के लिए किया। यदि ऐसी स्थितियों में सुरक्षोपायों की व्यवस्था नहीं की गई तो इसके तीन खतरे हो सकते हैं। पहला, ऐसे तुच्छ अथवा कष्टप्रद अनुरोध पद्धति पर छ जाएंगे और अधिनियम का मूल प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा। दूसरे, प्रशासन की गति भी ठहर जाएगी, जिससे सेवाएं प्रदान करना गम्भीर रूप से प्रभावित होगा। तीसरे, यदि गम्भीर आरोपों का सामना करने वाले सरकारी सेवक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी युक्तियों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करेंगे तो इससे अनुशासन भंग हो सकता है, अनुशासनहीनता आ सकती है और सार्वजनिक संस्थानों में तालमेल समाप्त हो जाएगा। इसलिए आयोग का मत है कि कष्टप्रद और दुर्भावपूर्ण अनुरोधों के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षोपाय किए जाने चाहिए। चाहे धारा 6 (2) की भावना के अनुरूप सूचना चाहने वाले नागरिकों पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए।

आयोग ने अन्य देशों में विद्यमान संगत कानूनी प्रावधानों और प्रथाओं की जाँच की। सूचना की आजादी अधिनियम (यू.के.) की धारा 14 निम्न प्रकार है :

" 14, (1) धारा 1 (1) किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना के लिए अनुरोध को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं करती यदि अनुरोध कष्टप्रद है। "

(2) यदि सार्वजनिक प्राधिकरण ने, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सूचना के लिए अनुरोध को पहले पूरा कर दिया है तो वह उस व्यक्ति से ऐसे ही अथवा पर्याप्त रूप से ऐसे ही अनुरोध को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि पिछले अनुरोध को पूरा करने तथा वर्तमान अनुरोध करने के अनुपालन के बीच समुचित अंतराल न हो गया हो" ।

दक्षिण अफ्रीकी अधिनियम में भी ऐसा ही प्रावधान है । अधिनियम की धारा 45 निम्न प्रकार है : -

" 45, एक सरकारी निकाय का सूचना अधिकारी निकाय के अभिलेख की सुलभता के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है यदि -

(क) अनुरोध स्पष्टतः तुच्छ अथवा कष्टप्रद है ; अथवा

(ख) अनुरोध की छानबीन करने में होने वाला कार्य पर्याप्त रूप से और अनुचित रूप से सरकारी निकाय के संसाधनों का विचलन करेगा । "

इन प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद आयोग का विचार है कि दक्षिण अफ्रीका के कानून में समस्या का कारगर ढंग से समाधान किया गया है यद्यपि सूचना का नागरिक का अधिकार पूर्णतः सुरक्षित है ।

6.9.4 आयोग के नोटिस में यह भी लाया गया है कि ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहाँ सूचना संकलित करने में किया जाने वाला प्रयास प्राप्त परिणामों के अनुरूप न हो । संसद के लिए सूचना प्रस्तुत करने के मामले में भी यह निर्धारण है कि एक प्रश्न जो दिन-प्रतिदिन के प्रशासन से स्पष्टतः संबंधित हो और जो अत्यधिक परिश्रम और समय खपाने वाला हो जो प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा, सामान्य रूप से नामंजूर किया जा सकता है ।⁷ आयोग का मत है कि सूचना के ऐसे अनुरोधों को, जिनके संग्रहण और संकलन के लिए ऐसे प्रस्ताव की जरूरत होगी जो प्राप्त परिणाम के अनुरूप नहीं होंगे, अस्वीकार किया जा सकता है ।

तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानियाँ बरती जानी चाहिए कि सूचना के लिए वास्तविक अनुरोधों को " तुच्छ" अथवा "कष्टप्रद" न कहा जाए । न ही सूचना की अकस्मात रूप से इस आधार पर मनाही नहीं की जाए कि "अनुरोध पर कार्यवाही करने में पर्याप्त और अनुचित रूप से सरकारी निकाय के संसाधनों का विचलन होगा ।" इसलिए, अस्वीकृति के ऐसे सभी मामलों में सुरक्षोपाय शामिल किए जाने की जरूरत है जिससे कि उच्च प्राधिकारी द्वारा अधिक छानबीन की जाए और सी आई सी/एस आई सी को, जैसा भी मामला हो, अनिवार्य रूप से मामला भेजा जाए ।

6.9.5 सिफारिशें :

क. धारा 7 को निम्न प्रकार उप-धारा (10) जोड़ने के लिए संशोधन किया जाए :

" पी आई ओ सूचना के लिए किसी अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है यदि अनुरोध स्पष्टतः तुच्छ अथवा कष्टप्रद हो । "

बशर्ते कि ऐसी अस्वीकृति, अपीलीय प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से, आवेदन-पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सम्प्रेषित कर दी जाए ।

यह भी व्यवस्था है कि ऐसी सभी अस्वीकृतियां सी आई सी/एस आई सी को, जैसा भी मामला हो, हस्तांतरित हो जाएंगी और सी आई सी/एस आई सी द्वारा मामले का निपटान आर टी आई अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत अपील समझकर किया जाएगा " ।

ख. यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि सूचना को अस्वीकार किया जा सकता है यदि अनुरोध की छानबीन करने में किए जाने वाले कार्य से सार्वजनिक निकाय के संसाधनों का पर्याप्त रूप में और अनुचित रूप से विचलन हो जाएगा ।

यह भी व्यवस्था है कि ऐसी अस्वीकृति, अपीलीय प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से, आवेदन-पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर सम्प्रेषित कर दी जाएगी ।

यह भी व्यवस्था है कि ऐसी सभी अस्वीकृतियां सी आई सी/एस आई सी को, जैसा भी मामला हो, हस्तांतरित हो जाएंगी और सी आई सी/एस आई सी द्वारा मामले का निपटान आर टी आई अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत अपील समझकर किया जाएगा ।

इसे, कठिनाइयों को दूर करके अथवा उपयुक्त नियम बनाकर, प्राप्त किया जा सकता है ।

7.1 इस रिपोर्ट में अधिकांश टिप्पणियाँ और सिफारिशें मुख्यतः सरकार की कार्यपालिका शाखा पर लागू होती हैं। विधायिका और न्यायपालिका को भी अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा {धारा 2 (ख)} के अंतर्गत कोई भी प्राधिकरण, अथवा निकाय अथवा स्वशासन के संस्थान सम्मिलित हैं जिन्हें संविधान के तहत अथवा संसद अथवा राज्य विधान मंडल अथवा समुचित सरकार की किसी अधिसूचना अथवा आदेश के अंतर्गत स्थापित अथवा गठित किया गया है। इसलिए धारा 2 (ड.) के अंतर्गत, केन्द्र और राज्य स्तरों पर विधायिका के पीठासीन अधिकारी और साथ ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालों के मुख्य न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं। संसद का आशय सभी सार्वजनिक संस्थानों पर कानून को लागू करने से है जिनमें विधायिका और न्यायपालिका शामिल है, जो स्पष्ट है।

7.2. कार्यपालिका शाखा में, पारम्परिक रूप से, पूरे विश्व में, जिसमें भारत शामिल है, एक मानदण्ड रहा है। भारत में विधायिका और न्यायपालिका पहले से ही कार्यपालिका की तुलना में कहीं अधिक खुले रूप में सार्वजनिक रूप से कार्य करती है। विधायिका की कार्यवाही जनता और मीडिया के लिए खुली है तथा हाल ही के वर्षों में सजीव रूप से प्रसारण भी किया जाता है। तथापि, विधायी समितियों की बैठकें आमतौर पर जनता और मीडिया के लिए खुली नहीं होती हैं। फिर भी, विधायिका के अधिकांश कामकाज पर जनता की नजर रहती है। इसी प्रकार, सभी न्यायिक प्रक्रियाएँ सार्वजनिक क्षेत्र में होती हैं और इस प्रकार पूर्णतः पारदर्शी होती हैं। किन्तु, न्यायालयों के अन्दर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को इस कानून के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाना होगा। इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा प्रशासन के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि मामलों की पोस्टिंग और लम्बन, बजटीय आवंटन और व्यय आदि को न्यायालयों की आजादी और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाए बिना, शामिल किया जाना चाहिए। सूचना रिकार्डिंग पद्धतियों में एकरूपता लाने, मानक स्वरूप लागू करने और मामलों के श्रेणीकरण की एक बेहतर प्रणाली लागू करने की जरूरत है। अधिनियम का उपयोग सूचना प्रसार की कुशल पद्धतियाँ विकसित करने के लिए क्षमता निर्माण के एक साधन के रूप में किया जाना चाहिए।

7.3 आयोग ने अधिनियम को विधायिका और न्यायपालिका पर लागू करने के बारे में सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। आयोग ने विशेषज्ञों और न्यायशास्त्रविदों के साथ भी विचार-विमर्श किया। अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित अधिकांश सिफारिशें विधायिका और न्यायपालिका दोनों पर लागू होती हैं। संबंधित सक्षम प्राधिकारी उन्हें संस्थागत आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित संशोधनों के साथ अपना सकते हैं। तथापि, कुछेक मुद्दों पर प्रकाश डालने की जरूरत है जो राज्य के इन दोनों अंगों पर विशेष रूप से लागू होते हैं।

7.4 विधानमंडल, सार्वजनिक नीतियों और कार्यपालिका कार्रवाई के संबंध में अपार मात्रा को जानकारी के भण्डारगृह हैं। इस प्रकार, इसी विषय पर अनेक पृथक दस्तावेज हैं, जो क्षेत्रकीय संयोजनों के बिना, प्रायः क्रमानुसार व्यवस्थित हैं। दूसरे, यद्यपि विधायकों के लिए सूचना उपलब्ध होती है किन्तु नागरिकों के लिए इसे प्राप्त करना कठिन होता है। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए, विधानमंडलों के पास उपलब्ध सभी जानकारी की अनुक्रमणिका, सूचीपत्र तैयार करने और कम्प्यूटरीकृत किए जाने की जरूरत है, जो सभी नागरिकों के लिए सुलभ हो और जिसे मांग पर सप्लाई की जा सके। यह सुलभता अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सक्रियतापूर्वक प्रकटन आवश्यकता के एक भाग के रूप में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

7.5 कानून बनाने के अलावा, विधायिका कार्यपालिका शाखा पर नजर रखने का काम करती है। संसदीय (विधायी) प्रश्न, विभिन्न समितियों की कार्यवाहियाँ, सी ए जी की रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई, सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्टें ऐसी विधायी निगरानी के कुछ महत्वपूर्ण साधन हैं। तथापि, मीडिया रिपोर्टों को छोड़कर नागरिकों को शायद ही ऐसी जानकारी तक सीधी सुलभता है। ऐसी सभी जानकारी को जनता के लिए आनलाइन (इलैक्ट्रॉनिक) और मांग पर (मुद्रित) उपलब्ध कराकर इस कमी को दूर किए जाने की जरूरत है।

7.6 कम्प्यूटरीकृत अनुकरण पद्धति भी समान रूप से महत्वपूर्ण है जिससे कि विधायक और साथ ही आम जनता भी, याचिकाओं, सी.ए.जी. रिपोर्टों और जाँच आयोगों अथवा सदन की समितियों की रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई जैसे मामलों पर कार्यपालिका एजेन्सियों द्वारा घटनाओं के क्रम और अनुपालन का पता लगा सके।

7.7 अधिकांश प्रजातन्त्रों में, विधायी कार्य का एक बहुत बड़ा भाग समितियों में किया जाता है। जैसाकि वूडरोव विल्सन ने एक बार कहा था, " सत्र के दौरान कांग्रेस प्रदर्शनी के तहत कांग्रेस है ; समितियों में कांग्रेस का अर्थ कार्य पर कांग्रेस है।" भारत में भी अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य, दलगत प्रभावों और क्षणिक भावनाओं से दूर, समितियों में किया जाता है। किन्तु, भारत में विधायी समितियों का कार्य आमतौर पर जनता और मीडिया की नजर से दूर होता है। पारदर्शिता की व्यवस्था के संस्थागत बन जाने से, विधायी समितियों की ऐसी एकान्तता असधारणीय है। प्रजातन्त्र की भावना और साथ ही कानून की भावना की भी मांग है कि विधायी समितियों का सभी कार्य, राज्य अथवा गोपनीयता के कारणों की वजह से अधिनियम के अंतर्गत जनता की निगाह से छूट प्राप्त मामलों को छोड़कर, जनता और मीडिया के लिए खोल दिया जाना चाहिए। किन्तु, विधायी समितियों के व्यवसाय के आम कामकाज से संबंधित कुछ वास्तविक कठिनाइयाँ हैं। कभी-कभी विधानमंडल के पूरे सदन में, सदस्यगण मीडिया को आकर्षित करने के लिए दीर्घाओं में शोर मचाने का प्रयास करते हैं अथवा पक्षपातपूर्ण या कठोर रूख अपनाते हैं। इस प्रकार विधानमंडलों में बहस प्रायः पूर्वानुमान के अनुसार चलती है तथा गाम्भीर्य और संयम पैदा करने की बजाए प्रायः समाज का धुव्रीकरण होता है। ऐसा संयम और विवादास्पद हितों पर तालमेल की योग्यता प्रजातान्त्रिक राजनीति के लिए अनिवार्य कार्य हैं। समितियों में, विधायक जोश की गर्मी से हटकर आमतौर पर अत्यंत संयम के साथ कार्य करते हैं और सार्वजनिक नीति पर गहराई और ठोसपूर्वक चर्चा करते हैं। द्विपक्षीय मतैक्य और मुद्दों पर संतुलित विचार समिति के कार्य की विशेषता है। समिति के कार्य को जनता और मीडिया के लिए खुला छोड़ देने से यह लाभ जोखिम में पड़ सकता है।

7.8 आयोग ने इन प्रतिस्पर्द्धात्मक विचारों की सावधानीपूर्वक जाँच की है। इसका यह दृढ़ मत है कि प्रजातंत्र और पारदर्शिता के सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। विधायी दलों को सर्वसम्मति कायम करनी चाहिए ताकि समिति प्रणाली की विशेषताओं को बनाए रखा जाए चाहे समितियों के काम को जनता की नजर के लिए खोल दिया जाए।

7.9 जैसा कि पहले कहा गया है, न्यायिक प्रक्रियाएं पारदर्शी हैं, प्रशासनिक मोर्चे पर भी, विगत दशक के दौरान न्यायालय द्वारा बेहतर न्यायालय प्रबंधन और मुकदमेबाजों को सूचना प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की दिशा में बड़े प्रयास किए गए। भारत के उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में भी नए मामले कम्प्यूटरीकृत फाइलिंग काउन्टरों पर फाइल किए जाते हैं, वाद सूचियाँ कम्प्यूटर द्वारा स्वतः सृजित हो जाती हैं और हाथ से काम करने को समाप्त कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप वाद सूची बिना किसी अवरोध के तैयार हो जाती है; एक सॉफ्टवेयर (कोर्टनिक)⁸ से वादकर्ताओं/अधिवक्ताओं को "निकनेट" के किसी भी नोड पर उच्चतम न्यायालय लम्बित मामला स्थिति की जानकारी उपलब्ध होती है; भारत का उच्चतम न्यायालय तथा सभी 18 उच्च न्यायालय और उनकी शाखाएं पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हैं तथा ये सभी न्यायालय दैनिक और साप्ताहिक वाद सूचियाँ एन आई सी द्वारा स्थापित कम्प्यूटर सर्वरों से सृजित करते हैं। भारत सरकार ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत करने का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया है।

7.10 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूर्णतः पारदर्शी बनाने के लिए उनका कम्प्यूटरीकरण करना एक पूर्वापेक्षा है। हेण्डल किए जाने वाले अभिलेखों की संख्या को देखते हुए यह आवश्यक है। इसके अलावा, इन न्यायालयों के अभिलेखों के लिए वैज्ञानिक भण्डारण, अनुक्रमणिका और सूचीपत्र तैयार करना जरूरी है ताकि सुलभता सहज हो सके।

7.11 सिफारिशें :

- क. विधानमंडलों के अभिलेखों की अनुक्रमणिका और सूची पत्र तैयार करने एक ऐसी पद्धति कायम की जानी चाहिए जिससे सहज सुलभता सुकर हो। यह सभी अभिलेखों को डिजिटल करके तथा स्पष्ट खोजों पर आधारित अभिलेखों की पुनः प्राप्ति की सुविधाओं के साथ नागरिकों को सुलभता प्रदान करके सर्वोत्तम ढंग से प्राप्त किया जा सकता है।
- ख. नजर रखने की एक पद्धति विकसित किए जाने की जरूरत है ताकि कार्यपालिका शाखा द्वारा सी ए जी, जाँच आयोगों और सदन की समितियों जैसी विभिन्न रिपोर्टों के संबंध में की गई कार्रवाई विधायकों और जनता को आन लाइन उपलब्ध हो सके।
- ग. विधायी समितियों के कामकाज को जनता के लिए खोल दिया जाना चाहिए। समिति का पीठासीन अधिकारी, राज्य अथवा गुप्तता के हित में आवश्यक होने पर, कार्यवाही गुप्त रूप से (कैमरा) आयोजित कर सकता है।

- घ. जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में अभिलेखों को, अनुक्रमणिका और सूचीपत्र तैयार करने के संबंध में एकसमान मानदण्ड अपनाकर, वैज्ञानिक ढंग से भण्डारित किया जाना चाहिए ।
- ड. जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को एक समयबद्ध ढंग से कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए । ये प्रक्रियाएं पूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में होनी चाहिए।

8.1 कठिनाइयां दूर करने की शक्ति :

8.1.1 अधिनियम की धारा 30 में निम्नलिखित निर्धारित है :-

" 30 (1), यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्य रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश के जरिए, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे प्रावधानों को कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक अथवा उचित बना सकती है :

बशर्ते कि इस अधिनियम की शुरुआत की तारीख से दो वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा ।"

8.1.2 अधिनियम के कार्यान्वयन में अभी स्थिरता आनी शेष है और पेश आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताना अभी शायद जल्दबाजी होगी । फिर भी, आयोग ने कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयों का पता लगाया है जो अधिनियम के सुचारु कार्यान्वयन में बाधक हो सकती हैं । इन पर इस रिपोर्ट के पूर्ववर्ती अध्यायों में प्रकाश डाला गया है । इनमें से कुछेक के संबंध में अधिनियम की धारा 30 का सहारा लेना होगा । तत्काल संदर्भ के लिए इन्हें यहाँ पुनः उद्धृत किया गया है :

- (i) दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध सभी संगठनों को पी आई ओ की नियुक्ति करनी होगी । पी आई ओ के आदेशों के विरुद्ध सी आई सी/एस आई सी के पास अपील की जा सकती है (पैरा 2.5.6 ग)
- (ii) आर टी आई अधिनियम के तहत छूटों के अंतर्गत वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों, परीक्षा प्रश्न पत्रों और सम्बद्ध मामलों को सम्मिलित करने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए । (पैरा 4.1.8 क i)
- (iii) प्रत्येक सरकारी प्राधिकरण के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी के पदनाम और अधिसूचना के लिए व्यवस्था करनी होगी (पैरा 5.3.4.iv) ।
- (iv) सी आई सी और एस आई सी को सभी सरकारी प्राधिकरणों में सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन का प्रभावी ढंग से मानीटरन का काम सौंपा जाना चाहिए (पैरा 5.6.4 क) ।
- (v) नोडल केंद्रीय मंत्रालय, एस आई सी और राज्यों के प्रतिनिधियों के सदस्य के रूप में मुख्य सूचना अधिकारी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समन्वय समिति (एन सी सी) गठित की जा

सकती है। कठिनाइयों को दूर करके इस बाबत अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत प्रावधान किया जाना चाहिए (पैरा 5.6.4 घ)।

(vi) गैर-सरकारी संगठनों पर अधिनियम के लागू होने के संबंध में तय करने के लिए निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया जा सकता है :

(क) वे संगठन जो सामान्यतः सरकार द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को करते हैं तथा जिन्हें स्वभावतः एकाधिकार प्राप्त हैं, उन्हें अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

(ख) इस बाबत मानदण्ड निर्धारित किए जाने चाहिए कि कोई भी संस्थान अथवा निकाय जिसे अपनी वार्षिक प्रचालन लागत का कम से कम 50% अथवा पिछले तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में एक करोड़ रूपए के बराबर अथवा उससे अधिक राशि प्राप्त हुई है, उसे उस निधियन की अवधि और प्रयोजन के लिए सरकार से "पर्याप्त निधियन" प्राप्त हुआ समझा जाना चाहिए।

(ग) ऐसी कोई सूचना, जो यदि वह सरकार द्वारा धारित की गई हो, कानून के अंतर्गत प्रकटन के अध्वधीन होगी, ऐसे प्रकटन के अध्वधीन रहनी चाहिए चाहे उसे किसी गैर-सरकारी निकाय अथवा संस्थान को हस्तान्तरित कर दिया जाए (पैरा 6.6.6.क, ख और ग)।

(vii) अनुरोध पर 20 वर्ष पुराने रिकार्ड उपलब्ध कराने की शर्त केवल उन सरकारी रिकार्डों पर लागू होगी जिन्हें ऐसी अवधि के लिए परिरक्षित रखे जाने की जरूरत हो। उपलब्धि की अवधि उस अवधि तक सीमित होगी जिस अवधि के लिए उसे अभिलेख पालन प्रक्रियाओं के तहत परिरक्षित किया जाना चाहिए।

यदि किसी सरकारी प्राधिकरण का इरादा उस अवधि को उस अवधि तक कम करने का हो जिसके लिए रिकार्ड को रखा जाना है, तो वह ऐसा सी आई सी/एस आई सी की सहमति प्राप्त करने के बाद, जैसा भी मामला हो, करेगा (पैरा 6.7.6 क और ख)

(viii) ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि सूचना की मनाही की जा सकती है यदि अनुरोध पर कार्यवाही करने में अन्तर्निहित कार्य के फलस्वरूप पर्याप्त और अनावश्यक रूप से सरकारी प्राधिकरण के संसाधनों का विचलन होगा।

शर्त यह है कि ऐसी मनाही आवेदन-पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर, अपीलीय प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ, सम्प्रेषित की जाएगी।

यह भी शर्त है कि ऐसी सभी मनाही सी आई सी/एस आई सी को हस्तांतरित हो जाएगी, जैसा भी मामला हो, और सी आई सी/एस आई सी मामलों का निपटान इस प्रकार करेगा जैसे कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत कोई अपील हो (पैरा 6.9.5.ख)।

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 हमारी अधिशासन प्रणाली में आमूल बदलाव का संकेत देता है तथा यह राज्य की सभी एजेन्सियों को स्थायी रूप से प्रभावित करता है। इस कानून का प्रभावी कार्यान्वयन तीन मूलभूत बदलावों पर निर्भर करता है : गुप्तता की विद्यमान पद्धति से खुलेपन की नई पद्धति की ओर; वैयक्तिक निरंकुशता से जवाबदेही के साथ प्राधिकार की ओर ; और एकपक्षीय निर्णय निर्माण से भागीदारीपूर्ण अधिशासन की ओर। स्पष्ट है कि कोई एक कानून सभी चीजों को नहीं बदल सकता। किन्तु यह अत्युत्तम विधान एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। इसे प्रभावी ढंग से लागू करना मुख्य रूप से सृजित संस्थानों, शीघ्रतापूर्ण परम्पराओं और प्रथाओं, कानूनों और प्रक्रियाओं में परिणामी परिवर्तनों और लोगों व सहकारी सेवकों की पर्याप्त भागीदारी पर निर्भर करता है। इसलिए आयोग ने मुद्दों की दो स्थूल श्रेणियों पर बल दिया।
2. मुद्दों का पहला सैट अन्य कानूनों और प्रथाओं में परिवर्तनों से संबंधित है जिनके अंतर्गत राज्य गुप्तताएं, सिविल सेवा आचरण नियम और दस्तावेजों का वर्गीकरण सम्मिलित है। आयोग का यह पक्का विश्वास है कि वर्तमान रूप में अधिकारिक गुप्तता अधिनियम, 1923 पुरातन तथा उभरती जरूरतों के लिए अनुपयुक्त है। मुद्दों का दूसरा सैट आर टी आई अधिनियम के कार्यान्वयन से ही संबंधित है, विशेष रूप से प्रक्रिया इंजीनियरिंग, अभिलेख पालन, प्रकटन, सुलभता और मानीटरन। दूसरी श्रेणी के मुद्दों के संबंध में आयोग की सिफारिशें मुख्यतः वर्तमान कानून की रूपरेखा के अंदर हैं।
3. यह सभी समझते हैं कि सूचना का अधिकार अधिशासन सुधारने के लिए आवश्यक है, किन्तु पर्याप्त नहीं। अधिशासन में जवाबदेही पैदा करने के लिए, काफी कुछ किए जाने की जरूरत है, जिसमें भेद खोलने वालों को संरक्षण प्रदान करना, शक्ति का विकेन्द्रकरण और सभी स्तरों पर जवाबदेही के साथ प्राधिकार का प्रसार। फिर भी, इस कानून से हमें अधिशासन की प्रक्रिया पर, विशेष रूप से आधारभूत स्तर पर, जहाँ नागरिकों की अन्योन्य-क्रिया अधिकतम होती है, फिर से गौर करने का बहुमूल्य अवसर प्राप्त होता है। अब जबकि पारदर्शिता के लिए संघर्ष कामयाब हो गया है, पद्धति निर्माण की जटिल प्रक्रिया को अपनाना होगा। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए आयोग ने विशिष्ट सिफारिशें की हैं तथा उनके समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक मार्गदर्शक चित्र तैयार किया है।

सिफारिशों का सारांश

1. अधिकारिक गुप्तता अधिनियम (पैरा 2.2.12) :

- क. अधिकारिक गुप्तता अधिनियम, 1923 को रद्द किया जाना चाहिए तथा इसके स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में एक अध्याय जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें अधिकारिक गुप्तताओं से संबंधित प्रावधान शामिल किए जाएं ।
- ख. नए कानून में, विद्यमान धारा 5 की समकक्षता शैरी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार हो सकती है, जिसे नीचे पुनः उद्धृत किया जा रहा है :

"5 (1), यदि कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे अथवा नियंत्रण में कोई अधिकारिक गुप्तता हो, जो उसके कब्जे अथवा नियंत्रण में निम्नलिखित के नाते प्राप्त हुई हो :

- ख 1. सरकार के पास अथवा उसके अधीन कोई पद धारण करने अथवा धारित किया हो, अथवा
- ख 2. सरकार के साथ कोई संविदा, अथवा
- ख 3. उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरोसे के साथ सौंपी गई हो जो उसे सरकार के पास अथवा उसके अधीन कोई पद धारण करने अथवा धारित किए जाने के कारण अथवा किसी अन्य ढंग से प्राप्त हुई हो,
- (i) बिना उचित प्राधिकार के ऐसी अधिकारिक गुप्तता को किसी अन्य व्यक्ति को सम्प्रेषित करें अथवा उसका उपयोग उस प्रयोजन से इतर किसी अन्य प्रयोजन के लिए करे जिसके लिए उपयोग करने के लिए उसे उस समय लागू किसी कानून के तहत उपयोग करने की अनुमति हो ; अथवा
- (ii) समुचित देखभाल करने में असमर्थ रहता है अथवा स्वयं इस प्रकार आचरण करता है जिससे अधिकारिक गुप्तता की सुरक्षा को खतरा हो; अथवा
- (iii) जानबूझकर अधिकारिक गुप्तता को वापस करने में असमर्थ रहता है जबकि उसे वापस करने के लिए वह ड्यूटीबद्ध हो ।

इस धारा के तहत एक अपराध का कसूरवार होगा ।

5 (2) किसी व्यक्ति को कोई अधिकारिक गुप्तता स्वैच्छपूर्वक प्राप्त होने पर यह जानते हुए अथवा विश्वास के समुचित आधार के साथ, उसे प्राप्त करने के समय कि अधिकारिक गुप्तता इस अधिनियम के उल्लंघन में सम्प्रेषित की गई है, वह इस धारा के तहत अपराध का कसूरवार होगा ।

5 (3) इस धारा के तहत किसी अपराध के लिए कसूरवार व्यक्ति ऐसी अवधि की सज़ा के साथ दण्डनीय होगा जो तीन वर्ष तक की सज़ा अथवा जुर्माने अथवा दोनों को हो सकती है ।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ, "अधिकारिक गुप्तता" का अर्थ ऐसी किसी सूचना से है जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुसत्ता अथवा अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय मामले विपरीत रूप से प्रभावित होने की सम्भावना हो तथा इसमें सम्मिलित हैं : कोई गुप्त कोड, पासवर्ड, स्केच नक्शा, मॉडल, लेख, नोट अथवा दस्तावेज, किसी निषिद्ध स्थान की दृष्टि से ।"

2. साक्ष्य में सरकार का विशेषाधिकार (पैरा 2.3.8) :

क. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 में संशोधन करके उसे निम्न प्रकार पढ़ा जाना चाहिए :

"123 (1) इस धारा के प्रावधानों के अध्यधीन, किसी को भी अधिकारिक अभिलेखों से कोई साक्ष्य देने की अनुमति नहीं होगी जिन्हें आर टी आई अधिनियम 2005 के तहत सार्वजनिक प्रकटन से छूट प्राप्त हो ।

(2) जिन मामलों में वह ऐसी अनुमति को रोकता है, उस स्थिति में वह एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें इस बाबत एक वक्तव्य तथा उसके कारणों का उल्लेख किया जाएगा ।

(3) जिस मामले में ऐसे अधिकारी ने ऐसा साक्ष्य देने के लिए अनुमति रोक ली है, न्यायालय, शपथ पत्र पर अथवा और किसी अन्य शपथपत्र पर विचार करने के बाद और यदि वह उपयुक्त समझे, ऐसे अधिकारी की सुनवाई करने के बाद, अथवा उपयुक्त मामलों में, मंत्री मौखिक रूप से, निम्नलिखित कार्रवाई करेगा :

(क) संबंधित अप्रकाशित अधिकारिक रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए सम्मन जारी करेगा यदि ऐसा सम्मन पहले जारी नहीं किया गया है ;

(ख) रिकार्ड की चेम्बर्स में जाँच करेगा ; और

(ग) यह प्रश्न तय करेगा कि क्या ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करना सरकारी हित के लिए हानिकर होगा अथवा नहीं, जिसके संबंध में वह कारणों का उल्लेख करेगा।

(4) जिस मामले में न्यायालय उप-धारा (3) के तहत यह निर्णय करे कि ऐसा साक्ष्य देना सरकारी हित के लिए हानिकर नहीं होगा, ऐसे साक्ष्य पर उप-धारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

बशर्ते कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों की दृष्टि से " परम गुप्त " के रूप में वर्गीकृत सूचना के संबंध में, केवल उच्च न्यायालय को ऐसे रिकार्ड को प्रस्तुत करने का आदेश देने की शक्ति होगी।"

उपरोक्त की वजह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 निरर्थक हो जाएगी तथा उसे निरस्त करना होगा।

तदनुसार, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में, उपयुक्त स्थान पर, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

" उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से पीड़ित व्यक्ति को, जिसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 के तहत किए गए किसी विशेषाधिकार का दावा अस्वीकार हो जाने पर, ऐसे निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा और ऐसी अपील इस तथ्य के बावजूद की जा सकती है कि जिस मामले में न्यायालय द्वारा निर्णय की उद्घोषणा की गई है, कार्यवाही अभी लंबित है।"

3. गुप्तता की शपथ (पैरा 2.4.4) :

क. सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता के महत्व की पुष्टि के रूप में, मंत्रिगण अपना कार्यभार सम्भालने के समय पद की शपथ लेने के साथ-साथ पारदर्शिता की शपथ ले सकते हैं और गुप्तता की शपथ दिलाने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 75 (4) और 164 (3) तथा तृतीय अनुसूची में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाना चाहिए।

ख. राष्ट्रीय हित के विरुद्ध सूचना के प्रकटन के विरुद्ध सुरक्षोपाय का, अधिकारिक गुप्तता के साथ डील करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में एक खण्ड का समावेश करके एक लिखित वचन के माध्यम से प्रावधान किया जा सकता है।

4. छूट प्राप्त संगठन (पैरा 2.5.6) :

क. सशस्त्र सेनाओं को अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

ख. अधिनियम की दूसरी अनुसूची की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।

ग. द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध सभी संगठनों द्वारा पी आई ओ नियुक्त किए जाने हैं। पी आई ओ के आदेशों के विरुद्ध अपील सी आई सी/एस आई सी के पास की जानी चाहिए (धारा 30 के अंतर्गत कठिनाइयों को दूर करके यह प्रावधान किया जा सकता है)।

5. केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम (पैरा 3.1.4) :

क. सभी राज्यों के सिविल सेवा नियमों को निम्नानुसार पुनः लिखा जाना चाहिए :

" अधिकारिक सूचना का सम्प्रेषण :

प्रत्येक सरकारी सेवक, सदाशयता के साथ अपने कर्तव्य के निष्पादन में, जनता के अथवा किसी संगठन के किसी सदस्य को पूर्ण और सही सूचना सम्प्रेषित करेगा, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रकट किया जा सकता है ।

स्पष्टीकरण : इस नियम में किसी बात को, अप्राधिकृत ढंग से अथवा किसी सरकारी सेवक व अन्यो के लिए अनुचित लाभ के लिए, वर्गीकृत सूचना के सम्प्रेषण की अनुमति के रूप में नहीं समझा जाएगा ।"

6. कार्यालय पद्धति संहिता (पैरा 3.2.3) :

क. कार्यालय प्रक्रिया संहिता के पैरा 116 को निम्नानुसार पुनः लिखे जाने की जरूरत है:

"अधिकारिक सूचना का सम्प्रेषण : प्रत्येक सरकारी सेवक, सदाशयता के साथ अपने कर्तव्य के निष्पादन में, जनता के अथवा किसी संगठन के किसी सदस्य को पूर्ण और सही सूचना सम्प्रेषित करेगा, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रकट किया जा सकता है । (ऊपर बताई किसी बात को, अप्राधिकृत ढंग से अथवा किसी सरकारी सेवक व अन्यो के लिए अनुचित लाभ के लिए, वर्गीकृत सूचना के सम्प्रेषण की अनुमति के रूप में नहीं समझा जाएगा) ।"

ख. पैरा 118 (1) को हटा दिया जाना चाहिए ।

ग. राज्य सरकारों को अपनी संहिताओं में ऐसे ही संशोधन करने की सलाह दी जानी चाहिए, यदि ऐसे प्रावधान उनमें विद्यमान नहीं हैं ।

7. सूचना का वर्गीकरण (पैरा 4.1.8) :

क. भारत सरकार को विभागीय सुरक्षा अनुदेशों की संहिता में निम्न प्रकार संशोधन करना चाहिए:

(i) वर्गीकरण के लिए पात्र सूचना (पैरा 3) :

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए सूचना का वर्गीकरण करने की सलाह दी जा सकती है जो सुरक्षा वर्गीकरण प्रदान किए जाने की पात्र हो । सामान्यतः केवल ऐसी सूचना को सुरक्षा वर्गीकरण प्रदान किया जाना चाहिए जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रकटन से छूट के लिए पात्र हो । दस्तावेजों का वर्गीकरण निम्नलिखित मार्गनिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए :

क्रम सं.	आर टी आई अधिनियम की धारा जिससे सूचना संबंधित है	वर्गीकरण
1.	8(1)(क)	परम गुप्त
2.	8(1)(ख)	गोपनीय
3.	8(1)(ग)	गोपनीय
4.	8(1)(घ)	गुप्त
5.	8(1)(ङ.)	गोपनीय
6.	8(1)(च)	गुप्त
7.	8(1)(छ)	परम गुप्त/गुप्त
8.	8(1)(ज)	गुप्त/गोपनीय
9.	8(1)(झ)	गोपनीय
10.	8(1)(ण)	गोपनीय/प्रतिबंधित
11.	9	गोपनीय/प्रतिबंधित

स्पष्टीकरण : सामान्यतः ऊपर वर्णित वर्गीकरण का पालन किया जाना चाहिए। ऐसा काफी सम्भव है कि सूचना एक से अधिक अपवाद के अंतर्गत कवर होती हो ; ऐसी स्थिति में सूचना को उच्चतर वर्ग का वर्गीकरण प्रदान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह अनुभव किया जाए कि मामले के हालात ऊपर वर्णित से ऊँचे श्रेणीकरण की मांग करते हैं तो ऐसा किसी प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसे ऐसा वर्गीकरण प्रदान करने की शक्ति प्राप्त हो।

आर टी आई अधिनियम के तहत छूटों में अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों और परीक्षा प्रश्न पत्रों व सम्बद्ध मामलों को शामिल करने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। ऐसा धारा 30 के अंतर्गत कठिनाइयों को दूर करके किया जा सकता है।

ii. ग्रेड बढ़ाना और ग्रेड कम करना (पैरा 2.3)

एक शर "परम गुप्त" अथवा "गुप्त" वर्गीकृत किए जाने पर दस्तावेजों का वर्गीकरण इसी प्रकार जारी रहना चाहिए जब तक अपेक्षित हो किन्तु 30 वर्ष से अधिक नहीं। गोपनीय और प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत दस्तावेज अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए ऐसे ही बने रहने चाहिए। तथापि, सक्षम वर्गीकरण अधिकारी, लिखित में कारण दर्ज करके, ऊपर निर्धारित अवधि के आगे वर्गीकरण को जारी रखने के लिए प्राधिकृत कर सकता है यदि सूचना के प्रकटन से राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय हित

को नुकसान पहुँचने की सम्भावना हो। मंत्रालय अथवा विभाग में उपयुक्त दर्जे का प्राप्तकर्ता अधिकारी, बाहर से प्राप्त दस्तावेज के सुरक्षा वर्गीकरण का ग्रेड बढ़ा सकता है, किन्तु यह बढ़ाया हुआ वर्गीकरण केवल उसी मंत्रालय अथवा विभाग तक सीमित रहेगा। तथापि, उसे प्राप्त किसी दस्तावेज के सुरक्षा वर्गीकरण के ग्रेड को कम करने का कोई प्राधिकार नहीं होगा, सिवाय मूल मालिक की सहमति के। एक ही विभाग के अंदर मूल अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को वर्गीकरण के ग्रेड को बढ़ाने अथवा कम करने का प्राधिकार होगा।

iii. ग्रेडिंग प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी :

परम गुप्त	संयुक्त सचिव से कम नहीं
गुप्त	उप सचिव से कम नहीं
गोपनीय	अवर सचिव से कम नहीं

राज्य सरकारें ग्रेड प्रदान करने के लिए समकक्ष दर्जे के अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकती हैं।

8. संस्थानों का निर्माण (पैरा 5.2.5) :

- क. प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर सी आई सी की चयन समिति गठित करने के लिए अधिनियम की धारा 12 संशोधित की जा सकती है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ राज्य स्तर पर चयन समिति गठित करने के लिए धारा 15 संशोधित की जा सकती है।
- ख. भारत सरकार को, तीन महीने के अंदर सभी राज्यों में एस आई सी का गठन सुनिश्चित करना चाहिए।
- ग. सी आई सी को सी आई सी के चार क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने चाहिए जिस प्रत्येक का प्रमुख एक आयुक्त हो। इसी प्रकार, बड़े राज्यों में एस आई सी के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाने चाहिए।
- घ. सूचना आयोगों के कम से कम आधे सदस्य भगैर सिविल सेवा पृष्ठभूमि वाले होने चाहिए। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के तहत नियमों में ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जो सी आई सी और एस आई सी दोनों पर लागू हो।

9. सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी पदनामित करना (पैरा 5.3.4) :

- (i) एक से अधिक पी आई ओ मंत्रालयों/विभागों/एजेन्सियों/कार्यालयों द्वारा सभी पी आई ओ की ओर से सूचनार्थ अनुरोध प्राप्त करने के प्राधिकार के साथ एक नोडल सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी पदनामित किया जाना है। उपयुक्त सरकारों द्वारा नियमों में ऐसा एक प्रावधान किया जाना चाहिए।

- (ii) केंद्रीय सचिवालयों में पी आई ओ कम से कम उप सचिव/निदेशक स्तर का होना चाहिए। सभी अधीनस्थ एजेन्सियों और विभागों में पर्याप्त रूप से वरिष्ठ दर्जे के अधिकारी को तथा जनता के लिए सुलभ अधिकारी को पी आई ओ के रूप में पदनामित किया जाना चाहिए।
- (iii) सभी सरकारी प्राधिकारियों को भारत सरकार द्वारा सलाह दी जानी चाहिए कि सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के साथ-साथ उन्हें एक अपीलीय प्राधिकारी भी पदनामित और दोनों को एक साथ प्रकाशित किया जाना चाहिए ।
- (iv) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी के संबंध में अपीलीय प्राधिकारियों के पदनाम और अधिसूचना की या तो नियमों के अंतर्गत अथवा अधिनियम की धारा 30 का सहारा लेकर व्यवस्था की जानी चाहिए ।

10. सूचना का आयोजन तथा अभिलेख पालन (पैरा 5.4.11) :

- क. सरकारी भाषा में मुद्रित, समूल्य प्रकाशन के रूप में स्वमेव प्रकटन भी उपलब्ध होने चाहिए जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाना चाहिए (वर्ष में कम से कम एक बार) । इलेक्ट्रॉनिक प्रकटनों के संबंध में, एन आई सी को एक एकल पोर्टल उपलब्ध कराना चाहिए जिसके माध्यम से उपयुक्त सरकारों के अधीन सभी सरकारी प्राधिकरणों के प्रकटन सुलभ हो सकें ताकि सूचना की सहज उपलब्धता सुकर हो सके ।
- ख. भारत सरकार में एक स्वतन्त्र प्राधिकरण के रूप में तथा सभी राज्यों को इस समय अभिलेख पालन में लगी अनेक एजेन्सियों को एकीकृत और पुनर्गठित करके 6 महीने के अंदर सार्वजनिक अभिलेख कार्यालय स्थापित किए जाने चाहिए । यह कार्यालय, सार्वजनिक रिकार्डों के प्रबंधन में तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता का एक संग्रह स्थल होगा । यह, सभी सार्वजनिक कार्यालयों में सभी अभिलेखों के पर्यवेक्षण, मानीटरन, नियंत्रण और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार होगा ।
- ग. सार्वजनिक अभिलेख कार्यालय सी आई सी/एस आई सी के समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के अधीन कार्य करेगा ।
- घ. एक बारगी उपाय के रूप में, भारत सरकार को, अभिलेखों को अद्यतन बनाने, अवस्थापना सुधारने, संहिताएं तैयार करने तथा सार्वजनिक अभिलेख कार्यालय स्थापित करने के लिए, पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए सभी अग्रणी कार्यक्रमों की निधियों का 1% सुनिश्चित करना चाहिए । इसकी अधिकतम 25% राशि का उपयोग जागरूकता सृजन के लिए किया जा सकता है ।
- ड. एक बारगी उपाय के रूप में, भारत सरकार सभी भूमि अभिलेखों के सर्वेक्षण और उन्हें अद्यतन बनाने के लिए एक भू-अभिलेख आधुनिकीकरण निधि कायम कर सकती है । प्रत्येक राज्य के लिए सहायता की मात्रा क्षेत्र स्थिति के एक आंकलन पर आधारित होगी।

च. सभी संगठनों को, जिनका क्षेत्र एक जिले के बराबर अथवा उससे अधिक हो, निधियां प्रदान की जानी चाहिए तथा उनसे 2009 के अंत तक डिजिटीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लेने की अपेक्षा की जानी चाहिए। सभी उप-जिला स्तर के संगठनों को यह कार्य 2011 के अंत तक पूरा करना चाहिए। केंद्रीय और राज्य स्तर पर नियंत्रक मंत्रालयों/विभागों को इस प्रयोजनार्थ सुपरिभाषित उद्देश्यों के साथ 6 मास के अंदर एक विस्तृत मार्गदर्शक चित्र निर्धारित करना चाहिए जिससे कि इसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक प्राथमिकतापूर्ण मद के रूप में कार्यान्वित किया जा किया जा सके।

11. क्षमता निर्माण तथा जागरूकता सृजन (पैरा 5.5.5) :

- क. प्रशिक्षण कार्यक्रम मात्र पी आई ओ और ए पी आई ओ तक सीमित नहीं रहने चाहिए। सभी सरकारी कार्यकर्ताओं को सूचना का अधिकार के संबंध में एक वर्ष में कम से कम एक दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रत्येक ब्लॉक में एक विकेंद्रीकृत ढंग से आयोजित किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में निपुण प्रशिक्षकों के एक बैच के साथ एक प्रपाती माडल अपनाया जा सकता है।
- ख. तीन दिन से अधिक की अवधि के दौरान सभी सामान्य अथवा विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, सूचना का अधिकार के संबंध में आधे दिन का एक माड्यूल अनिवार्य होना चाहिए।
- ग. जागरूकता अभियान राज्य स्तर पर एक विश्वसनीय गैर-लाभकारी संगठनों को सौंपे जाने चाहिए। उन्हें एक बहु-मिडिया अभियान तैयार करना चाहिए जो जरूरतों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और स्थानीय भाषा में हो। विनिश्चित निधियों का उपयोग इस प्रयोजनार्थ (पैरा 5.4.11 घ में यथा उल्लिखित) किया जा सकता है।
- घ. उपयुक्त सरकारों को निर्धारित समयवधि के दौरान गाइड और समझ योग्य सूचना सामग्री प्रकाशित करनी चाहिए।
- ड. सी आई सी और एस आई सी, विशेष रूप से सरकारी प्राधिकारियों और सरकारी अधिकारियों तथा सामान्य रूप से जनता के लाभार्थ, ऊपर उल्लिखित जागरूकता मार्गदर्शन श्रृंखला के अनुरूप (पैरा 5.5.1) सूचना अनुरोधों की प्रतिक्रिया में, अधिनियम की प्रमुख अवधारणा और दृष्टिकोण के बारे में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के संबंध में मार्गनिर्देश जारी कर सकते हैं।

12. मानीटरन पद्धति (पैरा 5.6.4) :

- क. सी आई सी और एस आई सी को, सभी सरकारी प्राधिकरणों में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के मानीटरन का काम सौंपा जा सकता है। कठिनाइयाँ दूर करके धारा 30 के तहत उपयुक्त व्यवस्था की जा सकती है।
- ख. क्योंकि बड़ी संख्या में सरकारी प्राधिकरण, क्षेत्रीय, राज्य, जिला और उप-जिला स्तर पर विद्यमान हैं इसलिए अधिनियम के कार्यान्वयन का मानीटरन करने के लिए उपयुक्त

मानीटरन प्राधिकारी (सी आई सी/एस आई सी) द्वारा, जहाँ कहीं आवश्यक हो, एक नोडल अधिकारी विनिर्धारित किया जाना चाहिए ।

- ग. प्रत्येक सरकारी प्राधिकरण, अपने कार्यालय में और साथ ही अधीनस्थ सरकारी प्राधिकरणों में भी, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए ।
- घ. मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में, नोडल केंद्रीय मंत्रालय, एस आई सी और राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ इसके सदस्यों के रूप में एक राष्ट्रीय समन्वय समिति (एन सी सी) गठित की जा सकती है । कठिनाइयाँ दूर करके अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत इस बाबत व्यवस्था की जा सकती है । राष्ट्रीय समन्वय समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :
- (i) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करना ।
 - (ii) भारत में व अन्यत्र सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रलेखबद्ध व प्रसारित करना,
 - (iii) सूचना का अधिकार के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के सृजन और कार्यकरण का मानीटरन करना ;
 - (iv) अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त सरकारों द्वारा जारी नियमों और कार्यकारी आदेशों की समीक्षा ।
 - (v) अधिनियम के कार्यान्वयन का प्रभाव मूल्यांकन आयोजित करना, और
 - (vi) ऐसा अन्य संगत कार्य निष्पादित करना, जो आवश्यक समझा जाए ।

13. सुलभता सुकर बनाना (पैरा 6.2.7) :

- क. अदायगी की विद्यमान विधियों के अलावा, उपयुक्त सरकारों को नियमों में संशोधन करना चाहिए ताकि पोस्टल आर्डरों के माध्यम से अदायगी को सम्मिलित किया जा सके ।
- ख. राज्यों को आवेदन-पत्र फीस के संबंध में नियम तैयार करने चाहिए जो केंद्रीय नियमों के अनुरूप हो । यह सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि फीस अपने आप में कोई हतोत्साहित न हो ।
- ग. उपयुक्त सरकारें, 5 रूपए के गुणकों में फीस की पुनर्संरचना कर सकती हैं (अतिरिक्त फीस सहित) (प्रति अतिरिक्त पृष्ठ 2 रूपए की फीस निर्धारित करने की बजाए, प्रत्येक 3 पृष्ठों अथवा उसके भाग के रूप में 5 रूपए की फीस निर्धारित करना वांछनीय होगा)।
- घ. राज्य सरकारें, फीस की अदायगी की एक विधि के रूप में उपयुक्त राशि की समुचित स्टाम्प जारी कर सकती हैं । ऐसी स्टाम्पों का उपयोग राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी प्राधिकरणों के समक्ष आवेदन करने के लिए किया जा सकता है ।

ड. क्योंकि देश में सभी डाकघरों को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की ओर से ए पी आई ओ के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है अतः उन्हें नकद रूप में फीस प्राप्त करने और आवेदन-पत्र के साथ रसीद भेजने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है ।

14. सरकारी प्राधिकरणों की तालिका (पैरा 6.3.2) :

क. भारत सरकार के स्तर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को आर टी आई अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग के रूप में विनिर्धारित किया गया है । इस नोडल विभाग के पास उन सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की एक पूर्ण सूची होनी चाहिए जो सरकारी प्राधिकरणों के रूप में कार्य करते हैं ।

ख. प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग के पास उन सभी सरकारी प्राधिकरणों की एक विस्तृत सूची होनी चाहिए जो उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं । प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत आने वाले सरकारी प्राधिकरणों को निम्नलिखित के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए : (i) संवैधानिक निकाय, (ii) एकसमान एजेन्सियां, (iii) सांविधिक निकाय, (iv) सरकारी क्षेत्रक उपक्रम, (v) कार्यकारी आदेशों के तहत स्थापित निकाय, (vi) पर्याप्त रूप से वित्त पोषित, स्वामित्व वाले, नियंत्रित निकाय, और (vii) सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित एन जी ओ । प्रत्येक वर्ग के अंदर सभी सरकारी प्राधिकरणों की अद्यतन सूची रखी जानी चाहिए ।

ग. प्रत्येक सरकारी प्राधिकरण के पास उसके अधीन तत्काल अगले स्तर के सभी सरकारी प्राधिकरणों के ब्यौरे होने चाहिए । अंतिम स्तर तक पहुँचने तक ऐसा जारी रहना चाहिए। ये सभी वितरण, क्रमानुसार, संबंधित सरकारी प्राधिकरणों की वेबसाइटों पर उपलब्ध होने चाहिए ।

घ. राज्यों द्वारा भी ऐसी ही पद्धति अपनाई जानी चाहिए ।

15. जिला स्तर पर एकल खिड़की एजेंसी (6.4.2) :

क. प्रत्येक जिले में एक एकल खिड़की एजेंसी कायम की जानी चाहिए । यह, जिला स्तर कार्यालय में एक प्रकोष्ठ स्थापित करके तथा एकल खिड़की एजेंसी द्वारा सेवित सभी सरकारी प्राधिकरणों के लिए सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में एक अधिकारी को पदनामित करके प्राप्त किया जा सकता है । इस प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए जिला कलेक्टर/उपायुक्त अथवा जिला परिषद का कार्यालय सर्वाधिक उपयुक्त होगा । सभी राज्यों द्वारा इसे छः महीने के अंदर पूरा किया जाना चाहिए ।

16. अधीनस्थ क्षेत्र कार्यालय और सार्वजनिक प्राधिकरण (पैरा 6.5.4) :

क. किसी भी संगठन में सबसे निचले स्तर के कार्यालय को, जिसे निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हो अथवा जो अभिलेखों का अभिरक्षक हो, एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए ।

17. गैर-सरकारी निकायों पर लागू करना (पैरा 6.6.6) :

- क. सरकारी प्रवृत्ति के कार्य निष्पादित करने वाले संगठनों को, जो सामान्यतः सरकार अथवा उसकी एजेन्सियों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं तथा जिन्हें स्वाभाविक एकाधिकार प्राप्त हो, इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जा सकता है ।
- ख. इस बाबत मानदण्ड निर्धारित किए जाने चाहिए कि कोई भी संस्थान अथवा निकाय जिसे अपनी वार्षिक प्रचालन लागत का कम से कम 50% अथवा पिछले तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में एक करोड़ रुपए के बराबर अथवा उससे अधिक राशि प्राप्त हुई है, उसे उस निधियन की अवधि और प्रयोजन के लिए सरकार से "पर्याप्त निधियन" प्राप्त हुआ समझा जाना चाहिए ।
- ग. ऐसी कोई सूचना, जो वह सरकार द्वारा धारित की गई हो, कानून के अंतर्गत प्रकटन के अध्वधीन होगी, ऐसे प्रकटन के अध्वधीन रहनी चाहिए, चाहे उसे किसी गैर-सरकारी निकाय अथवा संस्थान को हस्तांतरित कर दिया जाए ।
- घ. इसे, अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत कठिनाइयों को दूर करके प्राप्त किया जा सकता है ।

18. बीस वर्ष से अधिक की सूचना के संबंध में समय सीमा (पैरा 6.7.6) :

- क. अनुरोध पर 20 वर्ष पुराने अभिलेख उपलब्ध कराने की व्यवस्था केवल उन सरकारी अभिलेखों पर लागू होनी चाहिए जिन्हें ऐसी अवधि के लिए परिरक्षित रखे जाने की जरूरत हो । सभी अन्य अभिलेखों के संबंध में, उपलब्धता की अवधि उस अवधि तक सीमित होगी जिसके लिए उसे अभिलेख पालन प्रक्रियाओं के अंतर्गत परिरक्षित रखा जाना चाहिए ।
- ख. यदि किसी सरकारी प्राधिकरण का इरादा अभिलेख को रखे जाने की अवधि को कम करने का हो, तो वह ऐसा सार्वजनिक अभिलेख कार्यालय की सहमति प्राप्त करने के बाद करेगा, जैसाकि पैरा 5.4.11 में सुझाया गया है ।
- ग. इन सिफारिशों को, अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत कठिनाइयों को दूर करके, कार्यान्वित किया जा सकता है ।

19. लोक शिकायतें दूर करने की पद्धति (पैरा 6.8.3) :

- क. देरी, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने के लिए राज्यों को स्वतन्त्र लोक शिकायत समाधान प्राधिकरण कायम करने की सलाह दी जा सकती है । इन प्राधिकरणों को, एस आई सी/जिला एकल खिड़की एजेन्सियों के साथ निकट समन्वय से कार्य करना चाहिए तथा नागरिकों को भ्रष्टाचार और कुशासन के विरुद्ध संघर्ष करने अथवा बेहतर सेवाओं के लिए, एक साधन के रूप में सूचना के उपयोग में मदद करनी चाहिए ।

20. तुच्छ और कष्टकर अनुरोध (पैरा 6.9.5) :

क. निम्न प्रकार उप धारा 10 जोड़ने के लिए धारा 7 को संशोधित किया जा सकता है :

" पी आई ओ सूचना के किसी अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है यदि अनुरोध तुच्छ अथवा कष्टकर हो ।

बशर्ते कि ऐसी मनाही आवेदन-पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर, अपीलीय प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ, सम्प्रेषित की जाएगी ।

यह भी शर्त है कि ऐसी सभी मनाही सी आई सी/एस आई सी को हस्तांतरित हो जाएगी। जैसा भी मामला हो, और सी आई सी/एस आई सी मामले का निपटान इस प्रकार करेगा जैसे कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत कोई अपील हो ।"

ख. ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि सूचना की मनाही की जा सकती है यदि अनुरोध पर कार्यवाही करने में अन्तर्निहित कार्य के फलस्वरूप पर्याप्त और अनावश्यक रूप से सरकारी निकाय के संसाधनों का विचलन होगा ।

शर्त यह है कि ऐसी मनाही आवेदन-पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर, अपीलीय प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ, सम्प्रेषित की जाएगी ।

यह भी शर्त है कि ऐसी सभी मनाही सी आई सी/एस आई सी को हस्तांतरित हो जाएगी, जैसा भी मामला हो, और सी आई सी/एस आई सी मामले का निपटान इस प्रकार करेगा जैसे कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत कोई अपील हो। इसे, कठिनाइयों को दूर करके अथवा उपयुक्त नियमों का निर्माण करके प्राप्त किया जा सकता है ।

21. विधानमंडल और न्यायपालिका पर अधिनियम लागू करना (पैरा 7.11) :

क. विधानमंडलों के अभिलेखों की इंडेक्सिंग और सूची-पत्र तैयार करने की एक पद्धति कायम की जानी चाहिए, जिससे सहज सुलभता सुकर हो । ऐसा सभी अभिलेखों को डिजिटृत करके तथा नागरिकों को स्पष्ट रूप से खोजों के आधार पर अभिलेखों की पुनः प्राप्ति के लिए सुविधाओं की सुलभता प्रदान करके प्राप्त किया जा सकता है ।

ख. एक नजर रखने की पद्धति विकसित की जानी चाहिए ताकि विभिन्न रिपोर्टों, जैसे कि सी ए जी, जाँच आयोगों और सदन की समितियों की रिपोर्टों के संबंध में कार्यपालिका शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, विधायकों, जनता को आन लाइन उपलब्ध हो सके ।

ग. विधायी समितियों की कार्यवाही को जनता के लिए खोल दिया जाना चाहिए । समिति का पीठासीन अधिकारी, राज्य अथवा गुप्तता के हित में आवश्यक होने पर, कार्यवाही कैमरे में आयोजित कर सकता है ।

- घ. जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख, इन्डेक्सिंग और सूची-पत्र तैयार करने के संबंध में एकसमान मानदण्ड अपनाकर वैज्ञानिक ढंग से भण्डारित किए जाने चाहिए ।
- ड. जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को एक समयबद्ध तरीके से कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए । ये प्रक्रियाएं पूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होनी चाहिए ।

सूचना का अधिकार अधिनियम पर राष्ट्रीय चर्चा

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल
11 और 12 दिसम्बर, 2005

भाग लेने वाले महानुभावों की सूची

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री न्यायमूर्ति वाई. के. सभरवाल	भारत के मुख्य न्यायाधीश
2.	श्री न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन	न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय
3.	श्री न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी	भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
4.	श्री न्यायमूर्ति एस. राजेन्द्र बाबू	भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
5.	श्री न्यायमूर्ति एन. संतोष हेगड़े	पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय तथा वर्तमान अध्यक्ष, दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय अधिकरण (टी डी एस ए टी)
6.	श्री न्यायमूर्ति सलीम मारसूफ	न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, श्रीलंका
7.	श्री न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक	मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
8.	श्री वज़ाहत हबीबुल्लाह	मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग
9.	श्री वी. राधाकृष्णन	सांसद
10.	श्री न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी	इलाहाबाद उच्च न्यायालय
11.	श्री न्यायमूर्ति अशोक भूषण	इलाहाबाद उच्च न्यायालय
12.	श्री न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा	इलाहाबाद उच्च न्यायालय
13.	श्री न्यायमूर्ति सी वाई सोमायाजुलु	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
14.	श्री न्यायमूर्ति बी.एच. मारलापल्ले	मुम्बई उच्च न्यायालय
15.	श्रीमती न्यायमूर्ति वी.के. तहिलरमानी	मुम्बई उच्च न्यायालय

16.	श्री न्यायमूर्ति जयंत कुमार विवास	कलकत्ता उच्च न्यायालय
17.	श्री न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस	कलकत्ता उच्च न्यायालय
18.	श्री न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
19.	श्री न्यायमूर्ति सतीश कुमार अग्निहोत्री	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
20.	श्रीमती न्यायमूर्ति मंजू गोयल	दिल्ली उच्च न्यायालय
21.	श्री न्यायमूर्ति ए.एच. सैकिया	गुवाहाटी उच्च न्यायालय
22.	श्री न्यायमूर्ति बी.जे. सेठना	गुजरात उच्च न्यायालय
23.	श्री न्यायमूर्ति ए.आर. दवे	गुजरात उच्च न्यायालय
24.	श्री न्यायमूर्ति एन.एन. तिवारी	झारखण्ड उच्च न्यायालय
25.	श्री न्यायमूर्ति एस.ए. नज़ीर	कर्नाटक उच्च न्यायालय
26.	श्री न्यायमूर्ति राम मोहन रेड्डी	कर्नाटक उच्च न्यायालय
27.	श्री न्यायमूर्ति के.के. देनेसन	केरल उच्च न्यायालय
28.	श्री न्यायमूर्ति के. बालकृष्णन नायर	केरल उच्च न्यायालय
29.	श्री न्यायमूर्ति के.के. लाहोटी	म.प्र. उच्च न्यायालय
30.	श्री न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन	म.प्र. उच्च न्यायालय
31.	श्री न्यायमूर्ति आर.एन. बिसवाल	उड़ीसा उच्च न्यायालय
32.	श्री न्यायमूर्ति एस.के. कटरियार	पटना उच्च न्यायालय
33.	श्री न्यायमूर्ति एस. नायेर हुसैन	पटना उच्च न्यायालय
34.	श्री न्यायमूर्ति ए.पी. सुब्बा	सिक्किम उच्च न्यायालय
35.	श्री न्यायमूर्ति पी.सी. पन्त	उत्तरांचल उच्च न्यायालय
36.	श्रीमती शैलजा चन्द्रा	अध्यक्ष, लोक शिकायत आयोग, दिल्ली सरकार
37.	श्री पार्थसारथी शोम	सलाहकार, वित्त मंत्री
38.	श्री पी.के. शर्मा	संयुक्त सचिव, अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध
39.	श्री प्रशान्त भूषण	अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय

40.	श्री के.के. मिश्रा	मुख्य सूचना आयुक्त, कर्नाटक
41.	श्री बलविन्दर सिंह	अपर सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग
42.	डॉ. सी.वी. मधुकर	संसदीय अनुसंधान सेवा, नीति अनुसंधान केंद्र
43.	श्री टी.एन. श्रीवास्तव	मुख्य सूचना आयुक्त, मध्य प्रदेश सरकार
44.	श्री पी.के. मोहन्ती	महानिदेशक, सुशासन केन्द्र, हैदराबाद
45.	श्री के.ए. थिप्पेस्वामी	सूचना आयुक्त, कर्नाटक
46.	श्री विनय कोहली	"प्रूफ" बंगलुरु
47.	प्रो. जोस वर्धिस	पूर्व कुलपति, एच एन एल यू
48.	श्री पी.एस. बावा	उपाध्यक्ष, ट्रांसपेरेन्सी इण्डिया
49.	श्री वेंकटेश नायक	सी एच आर आई, नई दिल्ली
50.	डॉ. पी.के. दास	मुख्य सूचना आयुक्त, गुजरात
51.	डॉ. अश्विन महेश	ई - गवर्नमेन्ट्स फाउन्डेशन
52.	श्री निखिल डे	सदस्य, एन सी पी आर आई
53.	डॉ. बी. राजेन्द्र	जिलाधीश, पटना, बिहार
54.	श्री नीरज मण्डलोई	कलेक्टर, उज्जैन, मध्य प्रदेश
55.	श्री मनीश ठाकुर	जिला कलेक्टर, लखीमपुर, असम
56.	श्रीमती ममता कुन्द्रा	प्रधान निदाक (स्टॉफ नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, भारत
57.	श्रीमती जे.आर. ज्ञानाने	सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, भोपाल
58.	श्री एम.के.एस. सुन्दरम	जिलाधीश, झांसी
59.	श्री के.एन. केवनारायण	प्रधान जिला तथा सेशन जज, मैसूर
60.	श्री के. गोविन्दाराजुलु	प्रधान जिला तथा सेशन जज, माण्ड्या
61.	श्री बाबू मैथ्यू पी. जोसफ	विशेष अतिरिक्त सेशन जज (मराड मामले), कोझीकोड
62.	श्री माणिक मोहन सरकार	जज, सिटी सिविल न्यायालय, कलकत्ता

63.	श्री आर.एन. बनर्जी	रजिस्ट्रार (सतर्कता और प्रोटोकाल) उच्च न्यायालय, कलकत्ता
64.	श्री डी. अप्पा राव	मुख्य जज, सिटी सिविल न्यायालय, हैदराबाद
65.	श्री पी. देवाडोस	सेशन जज, सेशन न्यायालय, मात्र बम्बे धमाके मामले विचारण, चेन्नै
66.	श्री के.जी. शंकर	प्रथम अतिरिक्त मुख्य जज, सिटी सिविल न्यायालय, सिकन्दराबाद
प्रशासनिक सुधार आयोग (ए आर सी) :		
क्रम सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री एम. वीरप्पा मोइली	अध्यक्ष, ए.आर.सी. तथा पूर्व मुख्यमंत्री, कर्नाटक
2.	श्री वी. रामचन्द्रन	सदस्य, ए.आर.सी.
3.	डॉ. ए.पी. मुखर्जी	सदस्य, ए.आर.सी.
4.	डॉ. ए.एच. कालशे	सदस्य, ए.आर.सी.
5.	डॉ. जय प्रकाश नारायण	सदस्य, ए.आर.सी.
6.	श्रीमती विनीता राय	सदस्य-सचिव, ए.आर.सी.

सूचना का अधिकार, प्रशासनिक कार्यकुशलता, सार्वजनिक जवाबदेही और संवैधानिक अधिशासन

माननीय श्री न्यायमूर्ति वाई. के. सभरवाल
भारत के मुख्य न्यायाधीश

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम, जो लागू हो गया है, आज की चर्चा में हमारा प्रस्ताव प्रशासनिक कार्यकुशलता, सार्वजनिक जवाबदेही और संवैधानिक अधिशासन पर इसके प्रभाव पर चर्चा करने का है।

आज की न्यायिक चर्चा के विषय से संबंधित अधिनियम के संगत प्रावधान :

सर्वप्रथम अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है, जो न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आ सकते हैं अथवा जिनके तहत सूचना मांगी जा सकती है।

अधिनियम की भूमिका

अधिनियम की भूमिका में कहा गया है कि अधिनियम का अधिनियमन "नागरिकों के लिए, सरकारी प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था" कायम करने के लिए किया गया है जिससे कि प्रत्येक सरकारी प्राधिकरण के कामकाज, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के गठन और उससे संबंधित अथवा उसकी प्रासंगिकता से जुड़े मामलों के विषय में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित किया जा सके।" इसमें यह भी कहा गया है कि प्रजातन्त्र के लिए सुविज्ञ नागरिक और सूचना में पारदर्शिता का होना जरूरी है जो इसके कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है और भ्रष्टाचार पर काबू पाना तथा सरकारों व उनकी पद्धतियों को अधिशासित किए जाने के लिए जवाबदेह होना भी जरूरी है। तथापि, भूमिका में छूटों का भी उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि कुछ मामलों में, सूचना को वास्तविक रूप में प्रकट करने से अन्य सार्वजनिक हितों के साथ टकराव होने की सम्भावना है, जिसमें सरकारों का कुशलतापूर्वक प्रचालन, सीमित भौतिक संसाधनों का ईष्टतम उपयोग और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता का परिरक्षण शामिल है। अधिनियम का उद्देश्य, प्रजातान्त्रिक विचार की प्रमुखता को परिरक्षित रखते हुए इन विरोधाभासी हितों के बीच तालमेल कायम करना है।

प्रयोज्यता

अधिनियम केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा सभी सरकारी प्राधिकरणों पर लागू होता है। एक "सरकारी प्राधिकरण" (धारा 2 (ज)), जो सूचना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है, का अर्थ कोई प्राधिकरण, अथवा निकाय अथवा स्वःशासन का

संलग्नक - 1 (2) जारी

संस्थान है जिसका गठन अथवा स्थापना (क) संविधान द्वारा अथवा उसके अंतर्गत हुई हो, (ख) संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून, (ग) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून, (घ) उपयुक्त सरकार द्वारा जारी आदेश अथवा अधिसूचना, द्वारा की गई हो और इसमें (i) स्वामित्व वाला, नियंत्रणाधीन अथवा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय, (ii) पर्याप्त रूप से वित्त पोषित गैर-सरकारी संगठन सम्मिलित हैं, जो खण्ड (क) से (घ) तक में सभी प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं ।

परिभाषा :
सूचना

अधिनियम के अंतर्गत सूचना की परिभाषा धारा 2 (च) में किसी भी रूप में कोई सामग्री के रूप में की गई है जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्टें, कागजात, नमूने, माडल, किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित डाटा सामग्री और किसी निजी निकाय से संबंधित सूचना शामिल है, जिसे किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा उस समय लागू कानून के तहत प्राप्त किया जा सकता है । धारा 2 (i) में "अभिलेख" शब्द की परिभाषा में निम्नलिखित सम्मिलित हैं : (क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल, (ख) किसी दस्तावेज की माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिसे और ससिमाइल प्रतिलिपि, (ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में समाहित छवि अथवा छवियों का कोई पुनः उद्धरण, और (घ) किसी कम्प्यूटर अथवा किसी अन्य साधन से तैयार की गई कोई सामग्री ।

परिभाषा :
सूचना का अधिकार

" सूचना का अधिकार " की परिभाषा धारा 2 (ण) में (i) अधिनियम के तहत सुलभ सूचना के अधिकार, जिसे किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा अथवा उसके नियंत्रण में धारित किया गया है तथा उसमें शामिल हैं : (i) कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण, (ii) प्रलेखों अथवा अभिलेखों से नोट, उद्धरण अथवा प्रमाणित प्रतियां लेना, (iii) सामग्री के पृथक नमूने लेना (iv) डिस्कटों, प्लापियों, टेपों, विडियो केसेटों के रूप में अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक विधि अथवा प्रिन्ट आउट के माध्यम से लेना, जहाँ कहीं ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर में अथवा किसी अन्य साधन में भण्डारित है ।

अभिलेखों का अनुरक्षण और प्रकाशन

धारा 4 के अंतर्गत सरकारी प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह सहज सुलभता के लिए अभिलेखों का अनुरक्षण करे और 120 दिन के अंदर उन अधिकारियों विशेष के नाम प्रकाशित करें जिन्हें सूचना प्रदान करनी चाहिए और नियमों, विनियमों आदि को तैयार करने के संबंध में धारा 4 की उप-धारा (3) में कहा गया है कि उप धारा (1) के निष्पादन हेतु, सभी सूचना का व्यापक रूप से प्रसार किया जाना चाहिए और ऐसे रूप और ढंग से जनता के लिए सहज रूप में सुलभ हो। धारा 6 के अंतर्गत व्यक्तियों को अंग्रेज़ी अथवा हिन्दी में अथवा पदनामित

अधिकारियों से क्षेत्र की सरकारी भाषा में प्राप्त करने की अनुमति होगी। व्यक्ति को अनुरोध के लिए कोई कारण अथवा कोई व्यक्तिगत विवरण देने की जरूरत नहीं है। धारा 7 के अंतर्गत अपेक्षित है कि अनुरोध को 30 दिन की अवधि में निपटाया जाना चाहिए बशर्ते कि जहाँ मांगी गई सूचना, किसी व्यक्ति के जीवन अथवा आजादी से संबंधित है, 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। धारा 7 (7) के अंतर्गत, सूचना प्रस्तुत करने के लिए कोई निर्णय लेने से पहले, पदनामित अधिकारी को, किसी तीसरे पक्षकार द्वारा धारा 11 के अंतर्गत किए गए किसी अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, ध्यान में रखना चाहिए। अस्वीकार किए गए अनुरोध की सूचना धारा 7 (8) के अंतर्गत सम्प्रेषित की जाएगी, जिसमें कारण बताए गए हों तथा अपील के लिए प्रक्रिया तथा अपीलीय अधिकारी का पदनाम विनिर्दिष्ट किया गया हो। धारा 7 (9) के अंतर्गत सूचना देने को छूट प्रदान की गई है जहाँ सरकारी प्राधिकरण के संसाधनों का अननुपातिक रूप से विचलन हो अथवा जो प्रसंगाधीन अभिलेख की सुरक्षा और परिरक्षा के लिए हानिकर हो।

छूट

धारा 8 के अंतर्गत कतिपय सूचना और सामग्री के प्रकटन से छूट दी गई है जैसा कि उसके उपखण्ड (क) से (j) में कहा गया है। उप खण्ड (ख) में उस सूचना के संबंध में छूट दी गई है जिसकी **कानूनी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से मनाही की गई हो अथवा जिसके विवाद से न्यायालय की अवमानना होगी।** उप-खण्ड (छ) के अंतर्गत ऐसी सूचना को छूट प्रदान की गई है जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति का **जीवन अथवा भौतिक सुरक्षा** खतरे में पड़ सकती है अथवा इस सूचना अथवा सहायता के स्रोत का पता चले जो कानूनी प्रवर्तन अथवा सुरक्षा प्रयोजनार्थ विश्वास में प्रदान की गई हो। उप-खण्ड (ज) के अंतर्गत ऐसी सूचना को छूट प्रदान की गई है जिससे अपराधकर्ताओं की जाँच-पड़ताल अथवा आशंका अथवा उनके अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा पहुँचे। उप खण्ड (झ) के अंतर्गत मंत्रिमण्डल पत्रों को छूट प्रदान की गई है। अन्य छूट भी विद्यमान है :

धारा 8 (2) में व्यवस्था है कि कोई सरकारी प्राधिकरण सूचना की सुलभता की अनुमति प्रदान कर सकता है यदि प्रकटन में जनहित, संरक्षित हितों को पहुँचने वाले नुकसान से अधिक भारी हो। धारा 8 (3) के अंतर्गत उन मामलों अथवा घटनाओं के संबंध में छूट प्रदान की गई है जो सूचना की मांग करने के लिए आवेदन-पत्र की तारीख से 20 वर्ष पहले घटित हुई हो।

यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम में यह विनिर्दिष्ट है कि आसूचना और सुरक्षा संगठनों को अधिनियम की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त है। तथापि, यह व्यवस्था है कि यदि सूचना की मांग भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है, तो अधिनियम ऐसे संस्थानों पर भी लागू होगा।

विविध प्रावधान

- धारा 18 सूचना आयोगों की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है।
- धारा 20 में, अधिनियम द्वारा अपेक्षित के अनुसार सूचना प्रस्तुत न करने के लिए 250/- रुपए प्रतिदिन की राशि के दण्ड की व्यवस्था है।
- धारा 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध सदभावना के साथ किए गए अथवा अधिनियम अथवा नियमों के अंतर्गत किए जाने वाले प्रत्याशित किसी कार्य के संबंध में कोई दावा अथवा अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।
- धारा 22, अधिकारिक गुप्तता अधिनियम 1923 अथवा इस समय लागू किसी अन्य कानून पर अभिभावी होगी जहाँ तक वे अधिनियम के अननुरूप हैं।
- धारा 23 के अंतर्गत न्यायालयों को किसी अधिनियम के तहत किए गए आदेश के संबंध में कोई मुकदमा, आवेदन-पत्र व अन्य कार्यवाही स्वीकार करने की मनाही है तथा अधिनियम के तहत प्रत्येक आदेश के खिलाफ सर्वप्रथम अपील की जानी चाहिए।

एक मूलभूत अधिकार के रूप में सूचना का अधिकार :

सूचना का अधिकार के संबंध में उच्चतम न्यायालय

अब यह एक तय बात है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के फलस्वरूप सूचना का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। पिछले अनेक वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय ने सतत रूप से नागरिकों के जानकारी के अधिकार के समर्थन में अपना मत व्यक्त किया है। इस अधिकार की प्रकृति और उससे संबंधित संगत प्रतिबंधों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक मामलों में चर्चा की गई है :

- बेनेट कोलेमन¹ में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 (1)(क) द्वारा गारंटीशुदा भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर शामिल किया गया है।
- राजनारायन में², न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि "सामान्य मार्ग कामकाज को गुप्तता के पर्दे के अंदर कवर करना.....अधिकारियों के कार्यों को स्पष्ट करने व उन्हें न्यायोचित ठहराने की उनकी जिम्मेदारी, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रमुख संरक्षोपाय है", जनता के हित में नहीं है।"

¹ बेनेट कोलेमन बनाम भारत संघ, ए आई आर 1973 एस सी 60

² स्टेट आफ यू.पी. बनाम राज नारायन (1975) 4 एस सी सी 428

- एस.पी. गुप्ता में,³ प्रत्येक सार्वजनिक कार्य के बारे में जानने के अधिकार और सरकारी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रत्येक कारोबार के ब्यौरे जानने के अधिकार का उल्लेख किया गया है ।
- क्रिकेट एसोसियेशन आफ बंगाल में,⁴ इलेक्ट्रानिक मीडिया से सूचना प्रदान और प्राप्त करने के अधिकार को भाषण की आजादी के अंतर्गत शामिल किया गया । वायु तरंगों को सार्वजनिक सम्पत्ति बताया गया और इसलिए सरकार और निजी चैनलों के बीच इनका विभाजन समानता के आधार पर किया जाना चाहिए ।
- पी यू सी एल में,⁵ सूचना के अधिकार को और बढ़ाकर मानव अधिकार के दर्जे के रूप में कर दिया गया, जो अधिशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए जरूरी है । इस बात पर भी बल दिया गया कि अधिशासन भागीदारीपूर्ण होना चाहिए ।

जैसा कि देखा जा सकता है, उपरोक्त निर्णयों में वैयक्तिक, गोपनीयता की आजादी, प्रेस की आजादी, सरकार के कर्तव्यों, सरकारी प्राधिकारियों के कर्तव्यों, चुनाव में लड़ रहे उम्मीदवारों के बारे में जानकारी का प्रकटन चाहने के अधिकार इत्यादि के बारे में और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में दिए गए अपवादों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है ।

प्रशासनिक कार्यकुशलता तथा सूचना का अधिकार :

अधिशासन के संदर्भ में कार्यकुशलता

यद्यपि निजी क्षेत्र में कार्यकुशलता का आकलन एकमात्र रूप से आर्थिक दृष्टि से किया जाता है, तथापि सरकार के सरकारी क्षेत्र में इसे इतना आसानी से मूल्यांकित नहीं किया जा सकता । व्यवसाय समुदाय के विपरीत, सरकार का प्रयोजन लाभ सृजित करना नहीं है । सरकार के समाज में अनेक कर्तव्य हैं जिनमें दुर्लभ संसाधनों का आवंटन और सामाजिक सेवाएं प्रदान करना, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल शामिल है तथा इसकी कार्यकुशलता का अनुमान लाभ और हानि की तुलना में एक व्यापक तथा और अधिक विशिष्ट दृष्टि से लगाया जाना चाहिए । इसके अलावा, सरकार जनता की इस दृष्टि से प्रतिबंधित है कि क्या वांछित है और तरीकों में क्या बर्दाश्त किया जाएगा जो निजी क्षेत्र के एजेन्टों में नहीं होता है । सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और इसलिए सरकार मात्र लक्ष्य नहीं निर्धारित कर सकती ; सरकार को नागरिकों को संतुष्ट रखा जाना है अथवा कम से कम शान्त रखा जाना है ।

³ एस पी गुप्ता बनाम भारत सरकार, ए आई आर 1982 एस सी 149

⁴ सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (1995) 2 एस सी सी 161

⁵ पीपिल्स यूनिन फार सिविल लिबर्टीज बनाम भारत सरकार 2004 (2) एस सी सी 476

अधिशासन में
कार्यकुशलता
की किस्म

सरकार के संदर्भ में "कार्यकुशलता" की तीन परिभाषाएं हैं ⁶ ; **प्रशासनिक कार्यकुशलता, नीतिगत कार्यकुशलता और सेवा कार्यकुशलता** । नीतिगत कार्यकुशलता सही राजनीतिक निर्णय लेने की द्योतक है । इसके अंतर्गत सरकारी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों का चयन सम्मिलित है ।

सेवा कार्यकुशलता के अंतर्गत जनता के लिए सेवाओं का प्रभावी प्रावधान सम्मिलित है, जो जनमत इत्यादि के प्रति प्रतिक्रियाशील हो । इस प्रकार सरकार में कार्यकुशलता को इन तीनों पहलुओं की दृष्टि से मापा जाना चाहिए ।

प्रशासनिक
कार्यकुशलता

प्रशासनिक कार्यकुशलता के अंतर्गत, जो इन तीनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बिना अनावश्यक देरी अथवा अप्रत्यक्ष अथवा भ्रष्ट उद्देश्यों के प्रशासन का संचालन करना और विभिन्न आदेश पारित करते समय कारणों का उल्लेख करना शामिल है । इसका संदर्भ राजनीतिक पद्धति के प्रभावी प्रबंधन से है । इसके तहत उत्तम संगठन और कुशल उत्पादकता अन्तर्निहित है । जहाँ आवश्यक अथवा अन्तर्निहित होने पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए ।

भ्रष्टाचार की
व्यवस्थित
क्लान्ति

नागरिक की यह आम शिकायत है कि अभ्यावेदन अथवा सांविधिक आवेदन-पत्र अथवा अपील लम्बे अर्से तक, कभी-कभी महीनों अथवा वर्षों तक, बिना निपटान के लंबित पड़ी रहती है जहाँ आवेदक को धन की दृष्टि से लाभ होने की सम्भावना हो, जैसे कि जिन मामलों में किसी संविदे के तहत प्रदत्त सेवा के लिए धन प्राप्त होना है अथवा सरकारी प्राधिकारियों द्वारा उसे धन की देय राशि वापस की जानी है । अस्पष्ट उद्देश्यों की वजह से, भ्रष्ट उद्देश्यों सहित, मामले को लम्बित रखने की प्रवृत्ति देखी गई है । कुछ अन्य मामलों में, आवेदन-पत्रों को अस्वीकार करके अथवा यह कहकर आसानी से निपटा दिया जाता है कि सरकार अथवा सम्बद्ध प्राधिकारी को अनुरोध आदि स्वीकार करने का "कोई कारण प्रतीत नहीं होता।" कारण से बचना आमतौर पर एक ऐसा साधन है जिसे अधिकारियों द्वारा अपनाया जाता है जिनके पास राहत से मना करने का कोई उत्तम कारण नहीं होता ।

नए कानून का
प्रभाव

अब क्योंकि संविधि के तहत आवेदन-पत्रों की लम्बिता के बारे में, उन कारणों के बारे में कि उनका क्यों नहीं निपटान किया गया अथवा किसी आवेदन-पत्र को अस्वीकार किए जाने के क्या कारण हैं, जानकारी देना आवश्यक है, इसलिए विभागों की कार्यकुशलता में सुधार होना अवश्यम्भावी है । वर्तमान में केवल कार्यकुशलता का पर्यवेक्षण एक ऐसा पर्यवेक्षण है जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के कार्य की समीक्षा करते समय और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों अथवा ए सी आर में टिप्पणियाँ रिकार्ड करते समय किया जाता है । यह प्रक्रिया सफल

⁶ (एच टी टी पी/आई एम ई जे, डब्ल्यू एफ यू. ई डी यू/आर्टिकिल्स/1999/1/02/डेमो/ग्लोसरी/ग्लोसरीहटम/ एफीसिएन्सी.एच टी एम एल)

**संवैधानिक
अवसर खुले
हैं**

सिद्ध नहीं हुई है और यद्यपि इसे जारी रखा जा सकता है, फिर भी किसी नागरिक के अनुरोध पर संगत सूचना के लिए पदनामित सरकारी को बुलाने का भय अधिकारियों की कार्यकुशलता पर एक हितकर चैक होगा। यह सुस्ती, गलत विश्वास अथवा भ्रष्ट उद्देश्यों पर भी एक चैक होगा।

अधिनियम के अंतर्गत, जहाँ नागरिक के लिए अपील अथवा दूसरी अपील के साधन समाप्त हो गए हैं, आयुक्तों और अपीलीय प्राधिकारियों के आदेशों को दिया गया अंतिम दिया गया अंतिम रूप अधिनियम का एकमात्र प्रयोजन है और नागरिक को अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय से, जहाँ मूलभूत अधिकार का उल्लेख किया जाए, अनुरोध करने का अधिकार है, वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से भी अनुरोध कर सकता है।

काफी महत्त्व की एक अन्य बात यह है कि जिस मामले में मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति की आजादी अथवा मानव अधिकारों को प्रभावित करती है, उस स्थिति में सूचना 48 घंटे के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए। निःसंदेह ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 8 (ज) के तहत छूट का प्रयास किया गया है, जिस जानकारी के प्रकटन से जाँच-पड़ताल अथवा आशंका अथवा अपराधकर्ता के अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा पहुँचेगी तथा धारा 8 (ज) के अंतर्गत ऐसी सूचना के संबंध में भी छूट प्रदान की गई है जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति में जीवन अथवा भौतिक सुरक्षा को खतरा होगा अथवा जानकारी अथवा सहायता के उस स्रोत का पता चल जाएगा जो कानून प्रवर्तन और सुरक्षा प्रयोजनार्थ विश्वास में प्रदान की गई है। स्पष्ट है कि इन प्रावधानों का आशय आजादी के अधिकारों को, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक आदेश, शालीनता अथवा नैतिकता अथवा किसी अपराध को भड़काने के प्रति संरक्षण प्रदान करने के कर्तव्य के रूप में, संतुलन कायम करना है, जो अनुच्छेद 19 (2) के तहत संरक्षित हैं।

सार्वजनिक जवाबदेही तथा सूचना का अधिकार :

**सरकारी जवाब-
देही का
कार्यक्षेत्र**

"सरकारी जवाबदेही" प्रशासनिक कार्यकुशलता का एक पहलू है। सूचना का प्रकाशन, नागरिकों की निगरानी के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। इसके साथ-साथ इसमें यह सुझाया गया है कि कानून भ्रष्टाचार से संघर्ष करने का एक साधन बन सकता है। इसलिए, एक ऐसी सरकार जो सूचना का एक विश्वसनीय प्रवाह सुनिश्चित करती है, अधिक निश्चितता और पारदर्शिता पैदा करती है। इसकी विशेष रूप से उन लोगों द्वारा सराहना की जाती है जो देश में निवेश करने के इच्छुक हैं। अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि नागरिकों को सार्वजनिक सूचना की सुलभता प्रदान करने वाले देशों में भ्रष्टाचार के

संलग्नक - 1 (2) जारी

संकेतकों में कमी देखी गई है और परिणामतः प्रशासनिक कार्यकुशलता में पर्याप्त वृद्धि होती है।

"सार्वजनिक जवाबदेही" अधिशासन का एक भाग है। परिणामों को स्थूल रूप में उपलब्ध कराने के लिए सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है किन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं हैं जिनमें सरकारी सेवक सम्मिलित हैं जो प्रदाय पद्धति का अंग हैं। इसलिए, सरकार के बीच जवाबदेही और अधिशासन की व्यवस्था, जो सिद्धांत के रूप में कार्य करती है तथा सार्वजनिक सेवा, जो इसका एजेन्ट है, प्रदान करने की सरकार की योग्यता और जनता के प्रति इसकी जवाबदेही को प्रभावित करती है। चुनौती यह सुनिश्चित करने में है कि सरकारी सेवा को आज की सरकार की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रति मोड़ा जाए और कि सरकारी सेवा निष्पक्ष हो, चाहे कोई भी पार्टी शासन में हो। सरकारी विभाग द्वारा सरकार की कार्यनीति को कार्यक्रमों में कार्यरूप देना और उस कार्यरूप की सफलता काफ़ी हद तक प्राप्त किए जाने वाले परिणामों की स्पष्ट समझ और वचनबद्धता पर निर्भर करती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सरकारी सेवा के अन्दर जवाबदेही और अधिशासन का इतिहास "इनपुट" के मापने से हटकर "परिणामों" को मापने पर चला गया है, जो आनुपातिक परिणामों के रूप में हो तथा परिणामों का विनिर्धारण किया जाए। वह कुँजी जो सरकारी क्षेत्रक की सरकार की जवाबदेही और प्रभावशालीनता को कम करती है, सूचना का अभाव है।

खुलेपन की
संस्कृति की
जरूरत

जिन देशों ने, सूचना की आजादी से संबंधित कानूनों को लागू किया है, "गुप्तता की परम्परा" को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं जो उनकी सार्वजनिक सेवा के अंदर "खुलेपन" की परम्परा" में विद्यमान है। इन नए सूचना कानूनों का उद्देश्य, सरकार की निर्णय निर्माण प्रक्रिया को और अधिक खुला बनाकर, सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना है। यद्यपि कुछ अभिलेख वैद्य रूप में प्रकटन से छूट प्राप्त हो सकते हैं तथापि छूट की अनुमति संकीर्णता के साथ दी जानी चाहिए इतना कि प्रकटन एक नियम होना चाहिए न कि अपवाद।

अधिनियम और
विद्यमान पद्धति
के बीच तालमेल

निःसंदेह, इस समय हमारे बीच मिडिया है, हमारे पास नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टें और विधानमंडल में विपक्ष हैं तथा न्यायपालिका और सार्वजनिक हित मुकदमा है, जो सार्वजनिक सूचना प्राप्त और प्रकाशित कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण अंग हैं जो सरकार पर अंकुश रखते हैं। ये सभी सरकार से जानकारी प्राप्त करने से संबंधित हैं। किंतु नए अधिनियम में नागरिकों को सीधे ही सूचना को अधिकार से सशक्त बनाने तथा राज्य और सरकारी क्षेत्रक को और अधिक जवाबदेह बनाने का प्रस्ताव है। नए अधिनियम के प्रावधानों से ऊपर वर्णित कार्यकर्ताओं को भी लाभ प्राप्त होगा।

⁷ "गवर्नेंस एण्ड एकाउन्टेबिलिटी दन दि पब्लिक सेक्टर" माननीय लिअन्ने डेलज़ियल, 2003 (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू एस सी ओ ओपी.सी.ओ.एनजेड)

परिभाषा के अनुसार निजी क्षेत्रक सार्वजनिक तौर से जवाबदेह नहीं है किंतु जहाँ तक सरकार और सरकारी क्षेत्रक का संबंध है, ये सार्वजनिक तौर पर जवाबदेह है। "सरकार" से संक्रमण से दायित्व का फैलाव होता है और इसीलिए सार्वजनिक जवाबदेही की जरूरत है।

सार्वजनिक जवाबदेही मापने की एक विधि सरकार और साथ ही सरकारी क्षेत्रक का भी कार्रवाइयों का कम लागत वाला विश्लेषण विकसित करना है। ऐसा कम लागत वाला विश्लेषण आयोजित करने की एक महत्वपूर्ण पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिससे सरकार तथा सरकारी क्षेत्रक को जनता को तथ्यों की जानकारी देने के लिए बाध्य किया जा सके। सूचना के बगैर "धन की कीमत" का परीक्षण नहीं हो सकता।

जवाबदेही की परम्परा को प्रोत्साहित करने तथा भ्रष्टाचार व कुप्रथा का अनावरण करने के लिए सूचना का अधिकार आवश्यक है। सूचना की सुलभता और वित्त से संबंधित तथ्य उजागर करने, उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के निर्णयों और कार्यवाहियों को उजागर करना, जिनके कार्यकलापों का जनता पर प्रभाव पड़ता है, इस बात की गारंटी है कि ऐसे कार्यकर्ता जवाबदेह होंगे तथा वे उन्हें सौंपे गए कार्यों को पूरा करेंगे। जवाबदेही, कुप्रबंधन, विवेकाधिकार के दुरुपयोग, रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार तथा कुप्रभावों के अन्य रूपों पर प्रहार करती है। कभी-कभी मिडिया से धोखाधड़ी का पता चलता है तथा इसका हिमशैल के एक कण के रूप में उल्लेख किया जाता है। इसलिए, धोखेधड़ी की पूरी तस्वीर का पता लगाने के लिए और अधिक तथ्य जरूरी हैं और यह तभी हो सकता है जब पूरी जानकारी मिल जाए कि जनता के धन को पहुँची हुई क्षति का अंदाजा लगाया जा सके और व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराया जाए।

विधि आयोग की रिपोर्टें

विधि आयोग ने "भ्रष्ट सरकारी सेवक (सम्पत्ति की जब्ती) विधेयक, 1999" पर अपनी 166वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि भ्रष्टाचार के जरिए प्राप्त की गई सम्पत्ति को जब्त करने के लिए एक कानून बनाया जाए। भ्रष्ट अधिकारियों को मात्र उनके पद से हटाना या उन्हें सजा देना ही पर्याप्त नहीं है। भ्रष्टाचार के लाभों को सरकार के लिए जब्त किया जाना चाहिए। बेनामी कारोबार (निषिद्ध) अधिनियम, 1998 में, अन्य व्यक्तियों के नाम में धारित सम्पत्ति को जब्त करने की व्यवस्था है किन्तु अधिनियम में कहा गया है कि नियमों के तहत समुचित प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए। विधि आयोग ने अनेक बार यह कहा है कि 1988 के बाद से नियम नहीं बनाए गए हैं तथा प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाए जाने चाहिए। यही बात संविधान समीक्षा आयोग ने भी कही थी। दुर्भाग्यवश

संलग्नक - 1 (2) जारी

इन वर्षों के दौरान भ्रष्ट तरीकों के जरिए अर्जित सम्पत्ति को जब्त करने के लिए न तो कोई कानून बनाया गया है और न ही बेनामी कारोबार (निषिद्ध) अधिनियम, 1988 के तहत नियम बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं।

विधि आयोग ने, "पर्दाफाश करने के कानून" के संबंध में भी, जिसे सार्वजनिक हित प्रकटन (संरक्षण) अधिनियम कहा जाता है, एक रिपोर्ट (रिपोर्ट सं. 179) दी है। इस रिपोर्ट को संसद द्वारा कानून का रूप नहीं दिया गया है। तथापि, श्री दुबे से संबंधित मामले में, जिसकी भ्रष्टाचार को सरकार के नोटिस में लाने के लिए हत्या कर दी गई थी, सरकार ने, उच्चतम न्यायालय के अनुरोध पर एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत उसने सतर्कता आयुक्त को सरकार में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के बारे में शिकायतें प्राप्त करने के लिए पदनामित किया है। सतर्कता आयुक्त ने परिपत्र जारी किए हैं जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं जिनमें उस ढंग का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार सतर्कता आयुक्त को गोपनीय पूर्वक शिकायतों की जा सकती हैं तथा किस प्रकार शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा तथा किस प्रकार शिकायतकर्ता को किसी नुकसान अथवा उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में पर्याप्त प्रचार के अभाव के कारण, सतर्कता आयुक्त के समक्ष गोपनीय रूप से फाइल की गई शिकायतों की संख्या लगभग नगण्य है। किसी भी सरकार के लिए उचित बात, विधि आयोग द्वारा सुझाए गए विधेयक के मसौदे के आधार पर "पर्दाफाश करने वाला कानून" अधिनियमित करने की होगी।

ऐसे कानून जिनका उ्मर उल्लेख किया गया है और साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने से यह सुनिश्चित करने में बहुत मदद मिलेगी कि सरकारी क्षेत्रक, कुप्रबंधन, अकार्यकुशलता अथवा रिश्वतखोरी की कुरीतियों के बगैर काम करे।

अधिशासन तथा सूचना का अधिकार

"सुशासन" का अर्थ, एक प्रजातान्त्रिक ढंग से सुचारु और प्रभावी प्रशासन है। इसके अंतर्गत उच्च स्तरीय संगठनात्मक कार्यकुशलता और प्रभावशालीता सम्मिलित है जो एक प्रतिक्रियाशील पद्धति के अनुरूप हो ताकि समाज के लिए पूर्व-निर्धारित वांछनीय लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। "गवर्नेन्स एण्ड डवलपमेंट (1992)" नामक विश्व बैंक के एक प्रलेख में सु-शासन के प्रतिमान निम्नलिखित हैं :

1. राजनीतिक पद्धति की वैद्यता-इसका अर्थ सीमित और प्रजातान्त्रिक सरकार है।

2. अधिशासन की प्रक्रिया में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक समूहों द्वारा सम्बद्ध होने तथा भाग लेने की आजादी।
3. कानून के शासन पर आधारित एक स्थापित कानूनी ढांचा तथा मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने तथा शक्ति के दुरुपयोग और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यायपालिका की आजादी ।
4. अफसरशाही की जवाबदेही, प्रशासन में पारदर्शिता सहित ।
5. सार्वजनिक नीतियां तैयार करने, निर्णय निर्माण, सरकार के निष्पादन का मानीटरन और मूल्यांकन
6. एक मजबूत प्रशासनिक पद्धति जिससे कार्यकुशलता और प्रभावशालीता में वृद्धि हो ।
7. सरकार तथा सिविल सोसायटी संगठनों के बीच सहयोग ।

ओ ई सी डी द्वारा भी ऐसे ही सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनके अंतर्गत वैध सरकार, राजनीतिक तथा सरकार के अधिकारिक अंगों की जवाबदेही, नीति बनाने तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार की दक्षता ; और मानव अधिकारों तथा कानून के शासन का सम्मान करने पर बल दिया गया है ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई व्यक्ति उन प्रतिमानों की सूची तैयार करने का प्रयास करे जो अधिशासन की कोटि निश्चित करने में सहायक हैं, प्रमुख कारकों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे : सीमित सरकार, सरकार की वैधता, राजनीतिक तथा अफसरशाही जवाबदेही, सूचना और अभिव्यक्ति की आजादी, पारदर्शिता और किफायती प्रशासन, मानव जीवन को संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून के शासन पर आधारित एक स्थापित कानूनी ढांचा, सामाजिक न्याय प्राप्त करना तथा शक्ति के दुरुपयोग को रोकना⁸।

सूचना का अधिकार तथा सुशासन के साथ इसका संबंध

सूचना का अधिकार के पीछे बुनियादी उद्देश्य यह है कि सरकार "लोगों के लिए" है; यह खुली और जवाबदेह होनी चाहिए तथा इसके अंतर्गत जिन लोगों का यह प्रति-निधित्व करती है उनसे कुछ नहीं छिपाया जाना चाहिए । एक जिम्मेदार सरकार में जैसीकि हमारी है, जनता के सभी अभिकर्ता अपने आचरण के लिए जिम्मेदार होने चाहिए तथा कोई गोपनीयता नहीं रहनी चाहिए । जानने का अधिकार, यद्यपि यह पूर्ण नहीं है, नागरिकों को चिन्तित करता है जबकि प्रशासन

⁸ देखिए "इम्पोर्ट्स आफ ह्युमन राइट्स टू इन्फार्मेशन - ए की टू गुड गवर्नेंस", श्रीमती प्रभा, एस डी कालेज, मुजफ्फरनगर, उ.प्र. द्वारा । "गुड गवर्नेंस इन इण्डिया" पुस्तक में अध्याय 27 में वर्णित, सी.पी. बर्भवाल द्वारा सम्पादित ।

संलग्नक - 1 (2) जारी

के सामान्य कामकाज के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है। ऐसी गोपनीयता शायद ही वांछनीय है। सूचना, भ्रष्टाचार का प्रतिकारक है, यह विवेकाधीन के दुरुपयोग को सीमित करता है, सिविल आजादी को संरक्षण प्रदान करता है, उपभोक्ता जानकारी प्रदान करता है, यह लोगों की भागीदारी की व्यवस्था करता है और कानूनों व नीतियों के प्रति जागरूकता पैदा करता है तथा मीडिया के लिए अक्सीर है।

आजकल "अधिशासन" और "सुशासन" शब्दों का विकास साहित्य में अधिकारिक उपयोग किया जा रहा है। "कु-शासन" को हमारे समाज के अंदर सभी बुराइयों का एक अधिकाधिक मूल कारण समझा जाता है। प्रमुख, दानदाता तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान अपनी सहायता और ऋणों को अधिकाधिक इस शर्त पर आधारित कर रहे हैं कि "सु-शासन" सुनिश्चित करने के लिए स्कीमें प्रारंभ की जाएं। अधिशासन का अर्थ निर्णय निर्माण की प्रक्रिया और एक ऐसी प्रक्रिया से है, जिसके जरिए या तो निर्णय कार्यान्वित किए जाएं अथवा कार्यान्वयन में असफलताओं को स्वीकारा जाए तथा उन्हें दूर किया जाए अधिशासन के अंतर्गत सम्मिलित हैं : राष्ट्रीय अधिशासन, अन्तर्राष्ट्रीय अधिशासन, निगमित अधिशासन तथा स्थानीय अधिशासन। अधिशासन में सरकार एक कार्यकर्ता है और इसी प्रकार सरकारी क्षेत्रक में सभी कारक सरकार, सरकारी क्षेत्रक और सेना को छोड़कर, सिविल समाज बनाते हैं।

"हयुमन राइट्स इनिशिएटिव⁹" द्वारा तैयार एक पत्र के अनुसार सु-शासन के आठ प्रमुख पहलू हैं। यह भागीदारीपूर्ण, जनमत उन्मुख जवाबदेह, पारदर्शी, प्रतिक्रियाशील, प्रभावी और कुशल, साम्य और समावेशी है तथा कानून का शासन का पालन करती है। अनुमान लगाया गया है कि यदि भ्रष्टाचार कम हो जाए तो अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों की बात सुनी जाएगी, जिससे अधिशासन को बढ़ावा मिलता है। सुशासन एक आदर्श है जिसे समग्र रूप में प्राप्त करना कठिन है। तथापि, संधारणीय मानव विकास सुनिश्चित करने के लिए, इस आदर्श की दिशा में कार्य करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। सूचना का अधिकार एक ऐसी पद्धति है जिसके जरिए सु-शासन में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

मुझे विश्वास है कि इस चर्चा में इनपर तथा सूचना के नए सांविधिक अधिकार से संबंधित अन्य सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और उसका अनुकरण किया जाएगा। मैं चर्चा की सफलता की कामना करता हूँ।

⁹ "व्हाट इज गुड गवर्नेंस" (जुलाई 2001)

सूचना का अधिकार पर राष्ट्रीय चर्चा में अध्यक्ष, प्रशासनिक सुधार आयोग का भाषण

1. एक ही कदम से लम्बी यात्रा शुरू होती है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग को, जिसका गठन हाल ही में किया गया था, देश की अधिशासन पद्धति में सुधारों की सिफारिशें करने का एक महान कार्य सौंपा गया है। आयोग से, सरकार के सभी स्तरों पर एक सक्रिय, प्रतिक्रियाशील, जवाबदेह, संधारणीय तथा कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय सुझाने के लिए कहा गया है। हाल ही में जो एक बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई है वह सूचना का अधिकार अधिनियम के अधिनियमन की है जिसका उद्देश्य प्रत्येक सरकारी प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। आयोग का विचार है कि यह जवाबदेही कायम करने का सर्वाधिक प्रभावी उपाय "सूचना का अधिकार अधिनियम" का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन हो सकता है। मुझे खुशी है कि हम यहाँ सूचना का अधिकार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं।
 - 1.1 इस चर्चा को आयोजित करने के लिए मैं सुप्रतिष्ठित "राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी" के प्रति अपना आभार और सराहना व्यक्त करना चाहूँगा। मैं माननीय न्यायाधीश श्री वाई.के. सभरवाल और सभी अतिथियों का भी आभारी हूँ और मुझे विश्वास है कि उनकी उपस्थिति से विचार-विमर्श की कोटि में सुधार आएगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हूँ।
2. महान यूनानी दार्शनिक अरिस्टोटल ने कहा था :

"यदि आजादी और समानता, जैसा कि कुछ लोगों द्वारा सोचा जाता है, मुख्य रूप से प्रजातंत्र में पाई जा सकती है, उन्हें सर्वोत्तम ढंग से प्राप्त किया जा सकता है यदि सभी एकसमान व्यक्ति सरकार में अधिकारिक हिस्सा लें"।

 - 2.1 संयुक्त राष्ट्र ने भी बहुत पहले, सूचना की आजादी को संयुक्त राष्ट्र के अंदर एक मूलभूत अधिकार के रूप में, माना था। 1946 में अपने पहले सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प 59 (1) पारित किया था जिसमें कहा गया था : "सूचना की आजादी एक मूलभूत मानव अधिकार है और.....उन सभी आजादियों का मूलाधार है जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र समर्पित है।" संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 19 में कहा गया है, "प्रत्येक को मत और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है; इस अधिकार में बिना किसी हस्तक्षेप के मत धारण करने की आजादी शामिल है, तथा किसी भी माध्यम के जरिए, सीमाओं को ध्यान में न रखते हुए, सूचना और विचारों की चाह प्राप्त और प्रदान करने की आजादी इस अधिकार में शामिल है।"
 - 2.2 सूचना की आजादी कानून 200 से भी अधिक वर्षों से विद्यमान हैं, स्वीडन ऐसा पहला देश है जिसने ऐसा कानून पारित किया है। विगत दशक के दौरान बड़ी संख्या में देशों ने, और अधिक पारदर्शिता और भागीदारीपूर्ण अधिशासन कायम करने की खोज में, ऐसे कानून अधिनियमित किए हैं। आज 50 से भी अधिक देशों में ऐसे कानून मौजूद हैं और इनमें से कुछ देशों में इनका अधिनियमन सिविल सोसायटी के सतत प्रयासों का नतीजा है।

संलग्नक - 1 (3) जारी

- 2.3 सूचना का अधिकार को, भागीदारीपूर्ण प्रजातन्त्र को सुदृढ़ करने की एक कुंजी और एक जन-केंद्रित अधिशासन कायम करने के रूप में देखा गया है। सूचना की सुलभता के जरिए समाज के कमजोर और गरीब वर्गों को सरकारी नीतियों और कार्रवाईयों के बारे में सूचना की मांग और प्राप्ति के लिए सशक्त बनाना है जिसके फलस्वरूप उनका कल्याण हो सके। सुशासन के बिना, कितनी भी मात्रा में विभागीय स्कीमों से नागरिकों के जीवन की कोटि में सुधार प्राप्त नहीं हो सकता। सुशासन के चार पहलू हैं - पारदर्शिता, जवाबदेही, पूर्वानुमान और भागीदारी। पारदर्शिता का संबंध, आम जनता के लिए सूचना की उपलब्धता और सरकारी संस्थानों के कामकाज के बारे में स्पष्टता प्राप्त करने से है। सूचना का अधिकार का अर्थ सरकार के अभिलेखों को सार्वजनिक जाँच के लिए खोलना है, जिससे कि नागरिकों को इस बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन प्राप्त हो सके कि सरकार क्या और कितने प्रभावशाली ढंग से काम करती है और इस प्रकार सरकार और अधिक जवाबदेह बनती है। सरकारी संगठनों में पारदर्शिता से उन्हें वे और अधिक उद्देश्यपरक ढंग से काम करने में मदद मिलेगी जिससे उनकी पूर्वानुमानिकता में वृद्धि होगी। सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी से नागरिकों को अधिशासन प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने में भी मदद मिलेगी। एक मूलभूत दृष्टि से, सूचना का अधिकार सुशासन की एक बुनियादी जरूरत है। इसलिए, यह भी कहा जाता है कि सूचना का अधिकार प्रजातंत्र का जीवनाधार है। जितनी अधिक मात्रा में नागरिकों को सरकारी सूचना सुलभ होगी उतनी ही अधिक सामुदायिक जरूरतों के प्रति सरकारी पद्धति की प्रतिक्रियाशीलता अधिक होगी। दूसरी ओर, सूचना की सुलभता की असमर्थता से वंचना की भावना पैदा होती है। सूचना के बिना, लोग अपने अधिकारों का नागरिकों के रूप में प्रभावी ढंग से पर्याप्त रूप में प्रयोग नहीं कर सकते।
- 2.4 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 में अन्तर्निहित के रूप में समझा गया है जिसके फलस्वरूप यह नागरिकों के लिए एक मूलभूत अधिकार बन जाता है। इस अधिकार के महत्व को समझते हुए, संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियमन किया। अधिनियमन का उद्देश्य नागरिकों के लिए, सरकारी प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन सूचना की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यावहारिक पद्धति की व्यवस्था करना है ताकि प्रत्येक सरकारी प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित किया जा सके। परिकल्पना की गई है कि इस अधिनियम से गोपनीयता और नियंत्रण की विद्यमान परम्परा में आमूल रूप से परिवर्तन होगा तथा अधिशासन में खुलेपन, पारदर्शिता तथा जवाबदेही की नई परम्परा कायम होगी। यह सामान्य नागरिकों को सरकार से सूचना मांगने और प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इस प्रकार वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने में समर्थ बन सकेंगे।
- 2.5 जाँच की भावना को, जो प्रजातंत्र का केंद्र बिन्दु है, स्वीकार्य और संस्थागत बनाया जाना है। सार्वजनिक नीतियों और कार्यों से जुड़ी सूचना को नागरिकों से नहीं छिपाया जाना चाहिए। सरकारी संस्थानों को, जनता से संबंधित जानकारी को देने के लिए आर टी आई अधिनियम के लागू होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्हें इन्हें नेमी मामले के तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तुत करना चाहिए जैसा कि अन्य प्रजातंत्र देशों में है। अधिशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास एक सतत प्रक्रिया है। आर टी आई अधिनियम मात्र एक शुरुआत है। यदि राज्य को अधिनियम का सम्मान

- करना है तो एक नागरिक का सक्रिय होना जरूरी है। इसका कार्यान्वयन सचेत जनता पर निर्भर करेगा। मात्र एक खुली सोसायटी प्रजातंत्र को बढ़ावा दे सकती है। एक राज्य जो अपने कामकाज में पारदर्शिता बरतने में मनाही करता है अथवा अपने लोगों के प्रति जवाबदेह बनने से इंकार करता है, वह प्रजातंत्र होने का दावा नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में वह लोगों का विश्वास खो देगा।
- 2.6 सूचना का अधिकार, सरकारी कार्यकर्ताओं द्वारा मनमाने ढंग से विवेक के इस्तेमाल पर नियंत्रण करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जैसे कि खरीद, निविदाएं आमंत्रित करना, भर्ती, अनुज्ञापतियां और लाइसेंस प्रदान करना, जहाँ प्राधिकारी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। यद्यपि विवेक का इस्तेमाल करना उचित शासन के लिए जरूरी है, जिस चीज को नियंत्रित किया जाना जरूरी है वह विवेक का मनमाना और जोड़-तोड़ वाला प्रयोग है। सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा पैदा हुई पारदर्शिता से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद मिलेगी।
3. आजकल, भारत जैसे देश में जहाँ प्रजातंत्र स्थापित है, हम प्रजातंत्र को मात्र सरकार के रूप में नहीं बल्कि जीवन की एक पद्धति के रूप में अधिक देखते हैं। वे प्रजातंत्र के सिद्धांत को अपने समाज और अधिशासन के प्रत्येक पहलू पर लागू करना चाहते हैं और यह केवल सूचना की आजादी की व्यवस्था में ही सम्भव हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा है, "किसी प्रजातांत्रिक राजतंत्र के सफलतापूर्ण कार्यकरण की कुँजी नागरिकों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के कामकाज का प्रेक्षण और आकलन करने की योग्यता तथा उनके निष्पादन का एक सुविज्ञ मूल्यांकन करना है। इस मूल्यांकन का पूर्वानुमान किसी नागरिक द्वारा आकलन करने के वास्ते आवश्यक सूचना की सहज उपलब्धता के आधार पर लगाया जा सकता है।"
- 3.1 विधानमंडल, काफी अधिक सीमा तक, कार्यपालिका की तुलना में सार्वजनिक रूप से खुले रूप में काम करते हैं और उनका कामकाज बिल्कुल पारदर्शी है। तथापि, कुछ मामलों में, विधानमंडल के लिए सूचना का अधिकार के कार्यान्वयन से कुछ मुद्दे उत्पन्न होते हैं। एक ऐसा मुद्दा "सूचना का अधिकार और संसदीय विशेषाधिकार" है। ये विशेषाधिकार संसद के प्रभावी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के काम करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करते हैं। एक अन्य मुद्दा, जो सामने आता है, "उन सूचना और कार्यवाहियों का अधिकार है, जो कैमरे में" आयोजित होती हैं। चुनौती ऐसा समाधान खोजने की है जिनसे एक ओर महान निकाय का सम्मान बना रहे और दूसरी ओर अपेक्षित जानकारी नागरिकों को उपलब्ध हो सके।
- 3.2 सूचना की सुलभता व्यवस्था की समीक्षा करने और उस पर नजर रखने में तथा यह सुनिश्चित करने में कि जानने के जनता के अधिकार की गारंटी हो, विधानमंडलों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसके अलावा, विधानमंडल, अपनी स्वयं की प्रथाओं और प्रक्रियाओं को, सम्भव सीमा तक खोलकर, किंतु इसके साथ ही विधानमंडलों के सम्मान और दर्जे को कायम रखते हुए, एक अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। विधानमंडल, अनेक संसदीय समितियों के माध्यम से कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराते हैं। ये समितियां, कार्यपालिका में खुलेपन की व्यवस्था कायम करने में मददगार हो सकती हैं। इसके अलावा, संसद तथा राज्य विधानमंडल सूचना के भण्डारगृह हैं। विशेष रूप से उनके पुस्तकालयों में उपलब्ध समृद्ध जानकारी नागरिकों के लिए काफी सहायक हो सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में, इस बहुमूल्य जानकारी को नागरिकों को सुलभ कराना कठिन नहीं होगा।

संलग्नक - 1 (3) जारी

- 3.3 इस संदर्भ में, भारत में आडिट के बारे में एक शब्द कहना विपरीत होगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की संस्था, जो स्वयं एक संवैधानिक निकाय है, विधानमंडल के पर्यवेक्षण के तहत, कार्यपालिका की त्रुटियों और चूकों के खिलाफ बचाव करने के लिए स्थापित की गई है। किंतु जिस प्रकार आडिट की परम्परा ने कार्य किया है, उसने भारतीय संविधान द्वारा यह संस्था निर्मित करने की बात को ध्यान में रखा, उसे इसने सही ढंग से पूरा नहीं किया है।
4. आडिट का कोई स्वतंत्र समूह नहीं है; आडिट के प्रेक्षणों में कोई असहमति परिणाम भी नहीं है। आडिट केवल एक ही तरीके से कुछ शक्ति प्राप्त कर सकता है जबकि पी ए सी और सी ओ पी यू, आडिट के प्रेक्षण के आधार पर प्रतिकूल टिप्पणियां करते हैं। किन्तु, पी ए सी और सी ओ पी यू अपनी जाँच में अत्यंत चयनात्मक होते हैं; वे परीक्षण और साक्ष्य हेतु आडिट रिपोर्टों से केवल कुछ पैराग्राफों का चयन करते हैं। वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए निचयनात्मकता हेतु स्तर निम्नलिखित था:

आडिट रिपोर्टों की चयनात्मकता का स्तर

वर्ष	आडिट रिपोर्टों में पैराग्राफों की कुल संख्या	समीक्षा हेतु चुने गए पैराग्राफों की संख्या	पी. ए. सी./सी.ओ.पी.यू. द्वारा अंतिम रूप से समीक्षा किए गए पैराग्राफों की संख्या
1997-98	1209	76	16
1998-99	1478	87	32

- 4.1 वर्ष 1997-98 के संबंध में, समीक्षार्थ चुने गए पैराग्राफों की संख्या, आडिट रिपोर्ट में पैरों की कुल संख्या की 6.28 प्रतिशत थी तथा अंतिम जांच हेतु चुने गए पैरों की संख्या 1.32 प्रतिशत थी। वर्ष 1998-99 के संबंध में, स्तर और भी कम था। चुने गए पैरों की संख्या 5.88 प्रतिशत थी जबकि अंतिम रूप से जांचे गए पैरों की संख्या 2.18 प्रतिशत थी। कुछ विभागों के पैराग्राफों के संबंध में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई — वर्ष 1997-98 के लिए वैज्ञानिक विभाग और वर्ष 1998-99 के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग, स्वायत्त निकायों और वैज्ञानिक विभागों (कार्यकलाप रिपोर्ट 1997-98 और 1998-99)।
- 4.2 शकधर समिति ने, जिसने पी.ए.सी. और सी.ओ.पी.यू. द्वारा आडिट रिपोर्टों की जांच के संदर्भ में प्रक्रियाओं की जांच की, 1993 में निम्नलिखित सिफारिशों की थी :-
- आडिट पूछताछ और निरीक्षण रिपोर्टों के प्रति सभी स्तरों पर कार्यपालिका की प्रतिक्रिया में वृद्धि होनी चाहिए।
 - सरकार को, एक विनिर्दिष्ट समयावधि के दौरान अन्दर आडिट रिपोर्ट में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित सामग्री के संबंध में सी ए जी के संदर्भों के प्रति अनिवार्य रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

- सरकार को आडिट रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों पर स्वमेव कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई पर पी ए सी/सी ओ पी यू को टिप्पणियां प्रस्तुत करनी चाहिए ।
 - आडिट रिपोर्टों के संबन्ध में अनुवर्ती कार्रवाई का बेहतर मानीटरन किया जाना चाहिए (कुमार, 1998)
- 4.3 आजकल विधानमंडल में वार्षिक रिपोर्टें बड़ी संख्या में इकट्ठी हो गई हैं तथा समितियों ने अभी तक केवल थोड़ी-सी रिपोर्टों पर चर्चा की है । स्पष्टतः आडिट प्रथा की प्रभावशालिता मांग कारक द्वारा बाधित होती है । क्योंकि इस प्रथा को संसद को कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण निष्पादित करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था इसलिए मांग कारक संस्थागत डिजाइन में अन्तर्निहित है । क्या प्रथा (संस्थान) की प्रभावशालिता बढ़ाने के लिए ग्राहकों में परिवर्तन करने की बात सोची जा सकती है ? संयुक्त राज्य में, सामान्य लेखांकन कार्यालय विधानमंडल का एक भाग है और यू.के. में, सी ए जी हाउस ऑफ कामन्स का एक अधिकारी होता है । विधानमंडल को आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का एक मकसद आडिट की संस्था के कामकाज में चैक और संतुलन की एक पद्धति कायम करना है, जो अन्यथा एक स्वायत्त निकाय है ।
- 4.4 घोटाले और गड़बड़ियों का उनकी योजना तैयार करने और निष्पादित करने के समय ही पता लग जाता है । यदि आडिट द्वारा एक सु-प्रकाशित ढंग से तत्काल उनकी ओर ध्यान दिया जाए तो ऐसे घोटालों को बीच में ही रोका जा सकता है । पोस्ट मार्टम उपयोगी होता है किन्तु इसे रोगी की मृत्यु के बाद ही किया जा सकता है । रोगी का इलाज करना और उसे जिन्दा रखने का प्रयास करना बेहतर है । वस्तुतः हाल ही के वर्षों में किसी एक भी बड़े घोटाले का पता नहीं चला है जिसे आडिट प्रक्रिया के दौरान सामने लाया गया हो ।
- 4.5 होता यह है कि सी ए जी आडिट रिपोर्ट सरकार को भेजता है और सरकार रिपोर्टों को विधानमंडल में प्रस्तुत करती है और केवल उसके बाद रिपोर्ट सार्वजनिक होती है । वस्तुओं का आडिट करने में सी ए जी अपना समय लेता है और जब तक रिपोर्टें अंतिम रूप में जारी की जाती हैं, उनमें लेन-देन, जिनसे वे संबंधित होती हैं, अनेक वर्ष पुराने हो जाते हैं । पी ए सी और सी ओ पी यू द्वारा रिपोर्टों पर विचार करने के दौरान देरी होती है । समितियों की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने, विभागों की प्रतिक्रिया, समितियों द्वारा उनपर विचार करने और संसद को समितियों की सिफारिशें प्रस्तुत करने में और देरी होती है ।
- 4.6 विधानमंडलों के साथ निकटतः जुड़ी एक महत्वपूर्ण संस्था राजनीतिक पार्टी पद्धति है । पारदर्शिता और जवाबदेही का कोई भी संदर्भ अधूरा रहेगा जब तक कि सभी राजनीतिक दल भी आंतरिक पारदर्शिता के परिवेश में कार्य न करें और सभी के लिए सूचना की पूर्ण सुलभता सुनिश्चित न करें।
5. भारतीय विधि प्रणाली विश्व में सबसे पुरानी है । इसके कानून और न्याय शास्त्र सदियों पुराने हैं । कानून के शासन के प्रति भारत की वचनबद्धता संविधान में दी गई है । हमारी न्यायपालिका वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष है तथा विशुद्धतः कानून के शासन के सिद्धांत द्वारा मार्गदर्शित है । देश के संविधान को हमारी सरकार के प्रजातांत्रिक स्वरूप और नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित रखने

में न्यायिक पद्धति अडिग रही है। भारतीय न्यायिक पद्धति को विश्व में एक सर्वोत्तम पद्धति के रूप में माना जाता है। इसका कारण इसके द्वारा अपनाई जाने वाली पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया की उद्देश्यपरकता है।

- 5.1 जैसाकि मैंने पहले कहा, सभी न्यायिक प्रक्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र में है और इसलिए समग्र रूप से पारदर्शी हैं। परंतु न्यायालयों के अंदर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को इस कानून के क्षेत्राधिकार के अंदर लाना होगा, किंतु इसके साथ ही ऐसा करने के लिए न्यायलयों की स्वतंत्रता और सम्मान पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। हमें, सूचना रिकार्डिंग पद्धति में एकरूपता लानी होगी, मानकीकृत फार्म और मामलों के वर्गीकरण की एक बेहतर पद्धति अपनानी होगी। आर टी आई अधिनियम का उपयोग, सूचना प्रसार की सुचारु पद्धतियां विकसित करने के लिए क्षमता का निर्माण करने के वास्ते एक साधन के रूप में किया जा सकता है।
6. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख रूप से बल गोपनीयता की परम्परा को बदलने और पारदर्शिता की परम्परा कायम करने पर अधिक दिया गया है। आर टी आई अधिनियम का अधिनियमन होने से नागरिकों के अधिकारों का सृजन किया गया है। किंतु अधिनियम के उद्देश्य केवल तभी प्राप्त किए जा सकते हैं यदि इसे पूर्णतः कार्यान्वित किया जाए। किंतु वास्तविक चुनौती इसके कार्यान्वयन में है। ये चुनौतियां हैं : सरकारी प्राधिकरणों में सूचना को रोककर रखने की विद्यमान पद्धति, लोगों के बीच अपर्याप्त जागरूकता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिकारिक गुप्तता अधिनियम द्वारा आरोपित प्रतिबंध व अन्य विनियम और असंतोषजनक अभिलेख पालन।
- 6.1 भारत में अधिशासन की पद्धति परम्परागत रूप से कुछ अस्पष्ट है। अधिकारिक गुप्तता अधिनियम जिसे 1923 में अधिनियमित किया गया था, अभी भी बना हुआ है और उपनिवेशी परम्परा जारी है तथा यही स्थिति गुप्तता की परम्परा की है। उपनिवेशी काल के दौरान सूचना को गुप्त रखना एक मानदण्ड था और प्रकटन एक अपवाद। अधिकारिक गुप्तता अधिनियम और साथ ही गुप्तता से संबंधित अन्य विनियमों का उनके विद्यमान स्वरूप में जारी रहना सूचना की आजादी के लिए एक बाधा होगी। "गुप्त" शब्द अथवा "अधिकारिक गुप्तता" वाक्यांश की अधिनियम में सही-सही परिभाषा नहीं की गई है। अधिकारिक गुप्तता अधिनियम, एक सुविधाजनक धुंधला पर्दा है जिसके पीछे अधिकारीगण बिना किसी वैध औचित्य के जानकारी को छिपाने में समर्थ रहते हैं। सभी प्रावधानों में धारा 5 महत्वपूर्ण है जिसके अनुसार किसी भी सूचना को गुप्त के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अधिनियम को संशोधित करने की कई बार मांग की गई है, किंतु ऐसी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश अधिकारिक गुप्तता अधिनियम, 1911 के प्रावधानों में 1988 में व्यापक रूप से संशोधन किया गया ताकि आज की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।
7. अब मैं सरकार की त्रुटियों और कारनामों से निपटने में नागरिकों की शक्ति और व्यावहारिकता के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। नागरिकों की आवाज का उपयोग, सिविल सेवकों के भ्रष्ट आचरण को अनावरित करने, निन्दा करने और सीमित करने के लिए किया जा सकता है। ऐसा अन्य देशों में आश्चर्यजनक परिणामों के साथ किया गया है। जापान एक अच्छा उदाहरण है। जापान में सिविल सेवा आचरण को विनियंत्रित करने में सामाजिक अस्वीकृति प्रमुख साधन है।

- 7.1 जापान में सामाजिक अस्वीकृति अनेक प्रकार से व्यक्त की जाती है। एक बात सामाजिक शर्मिन्दा की है। अन्य राजनीतिक उत्पीड़न है तथा जैसा कि अधिकांश जापानी सिविल सेवक स्वीकार करते हैं, अधिकारिक आचरण का एक अत्यंत प्रभावी तरीका राजनीतिक उत्पीड़न है।
- 7.2 जापान में सामाजिक अस्वीकृति परम्परागत सरकारी अफसरशाही के संदर्भ में विशेष रूप से प्रतिबंध एक प्रभावी साधन है। जापान में वरिष्ठ सिविल सेवकों को अपने अधीनस्थ की त्रुटि और निष्पादन के कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है। जापान में सामाजिक अस्वीकृति भ्रष्ट सिविल सेवकों के प्रति भी उतनी ही मार्गदर्शित होती है जितनी कि उसके कार्य का पर्यवेक्षण करने वाले वरिष्ठ सिविल सेवकों की ओर। इसलिए, न्यायालयों में भ्रष्टाचार का अनावरण किए जाने पर, मीडिया अथवा "डाइट", अनावरण का प्रभाव पूरी प्रक्रिया में देखा जा सकता है क्योंकि विभाग के वरिष्ठ सिविल सेवक, प्रभारी मंत्री सहित, परिणामी सामाजिक अस्वीकृति के सामाजिक परिणामों से समान रूप से प्रभावित होते हैं। ऐसे मामलों में जहाँ सामाजिक अस्वीकृति विशेष रूप से गम्भीर होती है, शर्मिन्दगी वाला सिविल सेवक सामाजिक बदनामी बर्दाश्त करने में असफल रहने पर अपना जीवन समाप्त करना पसंद करता है।
- 7.3 जापान में सिविल सेवा आचरण को विनियंत्रित करने में सामाजिक अस्वीकृति प्रभावी रही है जिसका मुख्य कारण यह है कि सिविल सेवक अपने आप को सार्वजनिक हित के अभिभावक के रूप में समझते हैं। जापान में सिविल सेवा सार्वजनिक हित के अभिभावक के रूप में अपनी छवि के संबंध में अत्यंत गौरव का अनुभव करती है। इसी संदर्भ में उनके आचरण का समाज द्वारा अनुमोदन और अनुसमर्थन सिविल सेवकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
- 7.4 सिविल सेवकों की प्रशासनिक कार्रवाई से सीमित न्यायिक राहत सन 1947 के जापानी राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति कानून के अंतर्गत निजी क्षति कार्रवाईयों के रूप में उपलब्ध है। राहत अत्यंत सीमित होती है। राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति कानून के अंतर्गत केवल तथ्य के पश्चात क्षतिपूर्ति क्षति की व्यवस्था है और फिर भी कानून न्यायालयों को निवारक उपाय अपनाने अथवा सिविल सेवकों को किसी खास ढंग से कार्य करने का आदेश देने के लिए प्राधिकृत नहीं करता। किंतु सार्वजनिक हित के संदर्भ के अंदर, न्यायिक निन्दा के मात्र भय से सामाजिक बदनामी होती है और उस सीमा तक, राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति कानून के अंतर्गत प्रदत्त सीमित न्यायिक राहत का भी सिविल सेवा आचरण को अनुशासनपूर्ण बनाने पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है।
- 7.5 उस दृष्टि से, कोई न्यायिक कार्रवाई अथवा ऐसी कार्रवाई की धमकी भी शर्मनाक समझी जाती है क्योंकि इससे सार्वजनिक हित के अभिभावक के रूप में सिविल सेवकों की छवि में गिरावट आती है। ऐसी परिस्थितियों में, मुकदमेबाजी, प्रक्रिया की बजाए, जिसके जरिए औपचारिक कानूनी उपचार प्राप्त किया जाता है। सामाजिक दण्ड के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
- 7.6 जापान, एक अफसरशाही वाली संस्कृति के निर्माण और उसे बनाए रखने में सफल हुआ है जिसके संदर्भ में सिविल सेवा आचरण की सामाजिक अस्वीकृति ने प्रतिबंध के एक साधन के रूप में वांछनीय भूमिका निभायी है। खुद सिविल सेवकों द्वारा समाज के मत का अत्यंत सम्मान करके ऐसी अफसरशाही संस्कृति

का विकास किया है। किंतु यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि ऐसी अफसरशाही संस्कृति, जापान में राज्य-सोसायटी एकीकरण की प्रक्रिया तथा कम से कम मेइजी पुनरुद्धार" के समय से चल रही प्रक्रिया का परिणाम है। जापानी सिविल सेवा का संस्थागत और कानूनी रूपरेखा एकीकरण की ऐसी प्रक्रिया का परिणाम है - एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जापानी सोसायटी के प्रमुख पणधारियों की आवाज पारदर्शी, सार्वजनिक निर्णय निर्माण की परामर्शी पद्धतियों में समाहित है।

7.7 मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि लोगों को एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी दिए जाने की जरूरत है। परिवर्तन अपने आप आएंगे यदि भ्रष्ट पद्धति को बनाए रखने की बजाए उसे उखाड़ फेंकने के लिए प्रोत्साहनों में तेजी आएगी।

8. किसी भी सूचना व्यवस्था की अच्छी आजादी के लिए कारगर ढंग से कार्यान्वित करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि चुनौतियां अनेक हैं किंतु उनका सामना एक सुनियोजित कार्रवाई के जरिए किया जा सकता है। पहला कदम नागरिकों की और साथ ही सरकारी सेवकों की क्षमताओं का निर्माण करने के संबंध में है। इसके लिए सतत जागरूकता निर्माण और प्रशिक्षण प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में सिविल सोसायटी सरकार के प्रयासों को पूरक बना सकती है। सुधरी अभिलेख पालन पद्धतियों के रूप में आवश्यक अपस्थापना का विकास करना होगा। विद्यमान अभिलेख पालन पद्धतियों में काफी सुधार करने की जरूरत है। इस कार्य में आधुनिक प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से विशाल सरकारी अभिलेखों में दी गई जानकारी के उचित भण्डारण, सहज पुनः प्राप्ति और स्पष्ट प्रसंस्करण में मदद मिल सकती है।

8.1 अंत में एक शब्द पर्दाफाश करने के बारे में, हम चाहेंगे कि सरकार के अंदर बैठे लोग त्रुटिपूर्ण कार्यों और निष्पादन, भ्रष्टाचार की सीमा और सरकार में भ्रष्टाचार के कार्यों के बारे में सूचना उपलब्ध कराएं। इस प्रयोजनार्थ, हमें एक स्वतंत्र पर्दाफाश करने वाली एजेंसी की जरूरत है जिसका प्रबंधन विख्यात पुरुष और स्त्रियों के एक समूह द्वारा किया जाए जो ऐसी प्रत्येक शिकायत की जाँच करें और साथ ही पर्दाफाश करने वालों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करे। आज, पद्धति में बहुत कम लोगों का विश्वास रह गया है, किंतु ऐसी किसी एजेंसी की स्थापना से उम्मीद है कि उन ईमानदार, शिष्ट लोगों तक पहुँच सम्भव हो सकेगी जो पद्धति में भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं।

9. मुझे उम्मीद है कि इस राष्ट्रीय चर्चा में सूचना का अधिकार के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा तथा अपने निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत की जाएंगी जो हमारे सु-शासन संबंधी प्रयासों का आधार बनेंगी। चर्चा के दौरान प्रमुख कार्यान्वयन मुद्दों के विषय में जागरूकता मार्गदर्शन नोटों का एक सैट तैयार किया जा सकता है। अन्य देशों में, उदाहरणार्थ यू.के. में ऐसा किया जाता है।

10. मैं अपनी टिप्पणियाँ, अमरीका में सूचना की आजादी के निर्माता जेम्स मडीसन के शब्दों को दोहराकर, सम्पन्न करना चाहूँगा :

" जो लोग अपने शासक खुद बनना चाहते हैं उन्हें अपने आपको ज्ञान द्वारा प्रदान की जाने वाली शक्ति से सज्जित करना होगा। पूरी जानकारी अथवा उसे प्राप्त करने के साधनों के बिना कोई भी लोकप्रिय सरकार किसी धोखे अथवा दुखदः घटना अथवा सम्भवतः दोनों के संबंध में मात्र एक प्रस्तावना है।"

सूचना का अधिकार पर चर्चा के संबंध में रिपोर्ट की प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अधिनियमन, भारतीय गणतंत्र के प्रजातान्त्रिक विकास में एक श्रेष्ठ विधायी उपलब्धि है। जी हाँ, यह परिवर्तन इतना सुचारु अथवा सहज नहीं होगा। अफसरशाही की ओर से सूचना की मनाही की मनोवृत्ति और साथ ही ऐसे प्रकटन के परिणामों की न्यायोचित आशंका प्रक्रियाओं को विकृत बना सकती है और अधिनियम के प्रावधानों के पूर्ण रूप से कार्यान्वयन में देरी पैदा कर सकती है। समाजार्थिक और ऐतिहासिक कारणों की वजह से आज आम आदमी की जानकारी प्राप्त करने की क्षमता सीमित है। इसलिए, निकट भविष्य में अधिशासन की कोटि में कोई खास परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं है। फिर भी, कानून का अधिदेश और बुद्धिजीवियों की ओर से उन लोगों के साथ एक सामान्य हित पैदा करने के लिए जो काफी लंबे अर्से से कुप्रशासन और भ्रष्टाचार के शिकार रहे हैं, प्रतिबद्धता की वजह से पारदर्शिता का माहौल अधिकाधिक मात्रा में पैदा हो सकता है और वांछित दिशा में प्रभाव में बदलाव आ सकता है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में, एन जे ए में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय चर्चा एक छोटा-सा किंतु महत्वपूर्ण कदम है।

एन जे ए चर्चा का महत्व इस बात से स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में उच्चतर न्यायपालिका के पीठासीन और सेवानिवृत्त न्यायाधीश (उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय से लगभग 50 न्यायाधीश, भारत के वर्तमान और तीन पूर्व मुख्य न्यायाधीशों सहित) और साथ ही अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रभारी वरिष्ठ सिविल सेवक पहली बार भाग ले रहे हैं। राज्य संरचना के सम्पूर्ण कामकाज में न्यायिक कार्यवाही सर्वाधिक पारदर्शी रही है। इसके अलावा, बुनियादी अधिकारों की न्यायिक व्याख्या से ही सूचना के अधिकार को, संसद द्वारा इस विषय पर विधान बनाए जाने से काफी पहले, एक मूलभूत अधिकार का दर्जा और प्रकृति प्राप्त हुई। अब, चूँकि विधायिका और न्यायपालिका सरकारी कार्यकरण से संबंधित मामलों के सार्वजनिक प्रकटन के मामले में एक हैं, इसलिए कार्यपालिका के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वे लोगों को जानकारी प्रदान कर सशक्त बनाने का मार्ग अपना सकते हैं। यह कानून के शासन और संवैधानिक अधिशासन के लिए महत्वपूर्ण है।

चर्चा के परिणाम

विचार-विमर्श के परिणामों का कुछेक वाक्यों में वर्णन करना कठिन है। इसी वजह से हमने प्रमुख विचारों और बोधों पर प्रकाश डालते हुए कार्यवाहियों का एक सारांश संकलित करने का निर्णय लिया है। चर्चा के दौरान प्रस्तुत किए गए कुछेक प्रस्तुतीकरणों को भी परिशिष्ट के भाग के रूप में रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

चर्चा के प्रमुख परिणामों में से, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रेक्षणों पर प्रकाश डालना उपयुक्त होगा :

- (क) प्रशासन के उच्च स्तरों पर यह बात व्यापक रूप से समझी जा रही है कि अधिनियम को कार्यान्वित करने से पहले विभिन्न विभागों में उनके पर्यवेक्षण के तहत सूचना का श्रेणीकरण, आयोजन और प्रलेखन किया जाना चाहिए ।
- (ख) धारा 4 के तहत दायित्वों की एक विस्तारपूर्वक व्याख्या करना तत्काल जरूरी है तथा उन्हें तत्काल संकलित व प्रसारित किया जाना चाहिए जिससे बड़ी संख्या में लोग संतुष्ट हो सकते हैं जो अफसरशाही तंत्र की प्रतिक्रिया पर निकट रूप से नजर रखे हुए हैं ।
- (ग) धारा 8 के अंतर्गत अभी भी छूटों और अपवादों की कुछ मंदां हो सकती हैं जिनका निपटारा किया जाता है तथा सम्भवतः केंद्रीय सूचना आयोग से अग्रिम रूप से राय प्राप्त करना, सूचना की वंचित श्रेणियों के एकसमान कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए एक कार्यनीति हो सकती है । ऐसा करने से जनता को भी असुविधा से बचाया जा सकता है ।
- (घ) अधिनियम के तहत देश के आम नागरिकों के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिकारों और हकदारियों का प्रसार करना जनसमूह तक सुशासन के लाभ पहुंचाने के लिए एक प्राथमिकतापूर्ण उपाय होगा । पंचायत राज पद्धति कायम होने से इससे उनके जीवन और बुनियादी जरूरतों तक उनकी पहुंच में अन्तर आ सकता है ।
- (ङ) यू.के. ने, जिसने 2000 में एक ऐसा ही कानून पारित किया था, इसके कार्यान्वयन को सुकर बनाने के उद्देश्य से, सरकारी प्राधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले प्रमुख उपायों के संबंध में अनेक जागरूकता टिप्पणियाँ तैयार की थी । नए कानून को पूरी तत्परता से लागू करने के लिए, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर विशाल भारतीय अफसरशाही के वास्ते कुछ कार्यात्मक मार्गनिर्देश तैयार और परिचालित किए जाने की जरूरत है ।
- (च) सरकारी शक्ति का इस्तेमाल करने में खुलापन एक परम्परा और मनोवृत्ति है जिसे अधिकारियों और नागरिकों के बीच पैदा करना होगा जिसके लिए सोसायटी को कार्रवाई के एक योजनाबद्ध कार्यक्रम के साथ सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा । गोपनीयता, अपवाद, प्राइवेटिटी अपवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद आदि को, संसद के इरादे के अनुसार सफल होने के लिए कार्यान्वयन प्रक्रिया हेतु देश के सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ में समायोजित करना होगा ।
- (छ) विधि आयोग द्वारा सुझाए अनुसार, पर्दाफाश करने वालों की एक भूमिका है ।

संलग्नक - 1 (4) जारी

(ज) अंत में, इस असाधारण सराहनीय कानून को सफल बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सतत रूप से समीक्षा किए जाने की जरूरत है। प्रशासन से लोगों की विमुखता और पद्धति में नियंत्रण रहित भ्रष्टाचार खतरे के संकेत हैं जिसे सूचना कानून द्वारा रोकने में मदद मिल सकती है।

एक अनुभवी प्रशासक और राजनीतिज्ञ के समर्थ नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रशासनिक सुधार आयोग के सामने एक कड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रशासन में अधिकांश वांछित सुधार स्वभावतः कायम हो सकते हैं यदि सूचना का अधिकार अधिनियम पर पूरी तरह से अमल किया जाए। इसलिए, इसे सूचना आयुक्तों, मिडिया और सिविल सोसायटी के साथ भागीदारी के जरिए मिशन मोड में लागू करना प्र.सु. आयोग के लिए एक प्राथमिकतापूर्ण कार्य होगा।

2 जनवरी, 2006

प्रोफेसर (डा.) एन.आर. माधव मेनन
निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी
समन्वयकर्ता, आर टी आई ए संबन्धी राष्ट्रीय चर्चा

राष्ट्रीय चर्चा के दौरान गठित तकनीकी समूहों की सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :

समूह-1

अधिनियम की संरचना-मुद्दे

1. क्या आर टी आई अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए अधिकारिक गुप्तता अधिनियम में कई संशोधनों की जरूरत है ?

आर टी आई अधिनियम की धारा 8 (2) और 22 में पर्याप्त व्यवस्था है। अधिकारिक गुप्तता अधिनियम में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है।

अधिकारिक गुप्तता अधिनियम को ऐसे ही रहने दिया जाए और हमें इस समय किसी भी अधिनियम में दखल देने की जरूरत नहीं है।

2. क्या राज्य सूचना कानूनों को रद्द/संशोधित करना वांछनीय है ? आर टी आई अधिनियम और राज्य कानूनों के बीच किस प्रकार तालमेल कायम किया जाए ?

राज्य कानून, जहाँ तक यह आर टी आई अधिनियम के प्रतिकूल है, बुरा है। इसलिए यह राज्य सरकार पर है कि वह राज्य अधिनियम को जारी रखती है अथवा निरस्त करती है।

3. आर टी आई अधिनियम के भाग के रूप में, पर्दाफाश करने वालों को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या व्यवस्था आवश्यक है ?

बताया गया है कि पर्दाफाश करने का कानून विचाराधीन है। जहाँ तक आर टी आई अधिनियम का सम्बंध है, पर्दाफाश करने का प्रश्न नहीं उठता।

4. क्या एक शिकायत समाधान तंत्र कायम करना वांछनीय है ? यदि हाँ तो क्या क्रियाविधियाँ होनी चाहिए ? क्या सूचना आयुक्त को यह काम सौंपा जा सकता है ?

सूचना की मनाही करने के लिए आर टी आई अधिनियम में समाधान तंत्र है। इसमें किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं है। यदि सूचना प्राप्त हो जाती है और प्राप्त सूचना के आधार पर समाधान की जरूरत है तो सामान्य कानून और नियम लागू होंगे (दो प्राधिकरण नहीं हो सकते - एक आर टी आई अधिनियम के अंतर्गत और एक अन्य सामान्य कानून के अंतर्गत)

5. विभिन्न राजकोषीय, कराधान और मौद्रिक नीति से संबंधित मुद्दों का कैसे समाधान किया जाए ?

यह आर टी आई अधिनियम के अंतर्गत पर्याप्त रूप से कवर होता है। आडिट रिपोर्टें तथा सी ए जी रिपोर्टें सार्वजनिक दस्तावेज हैं।

6. क्या छूटों को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है ?

कोई जरूरत नहीं है क्योंकि छूट काफी तर्कसंगत हैं।

7. धारा 30 के अंतर्गत "कठिनाइयों को दूर करने" की व्यवस्था है। अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इस धारा के अंतर्गत क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है ?
इस समय इस मुद्दे पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है।
8. क्या हम यू.के. की भांति "जागरूकता मार्गदर्शन टिप्पणियाँ" अपना सकते हैं ?
निश्चय ही मार्गदर्शी रूपरेखाएं होनी चाहिए। उपयुक्त सरकारों और आयोगों को कानून के बारे में जनता को जागरूक बनाया जाना चाहिए।
9. कोई अन्य मुद्दा ?
आर टी आई के अंतर्गत मूलभूत अधिकार, अधिकारिक गुप्तता अधिनियम, मानहानि कानून और अवमानना कानून आदि सम्मिलित हैं। इसलिए जो व्यक्ति शामिल मुद्दों को समझने में सक्षम हों, उन्हें सूचना अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। आर टी आई अधिनियम में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

समूह II और III

सूचना का सृजन, अनुरक्षण और प्रसार

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को आर टी आई आवश्यकताओं के अनुपालन में सूचना उपलब्ध हो। इस उद्देश्य हेतु सिफारिशों में निम्नलिखित पर चर्चा की गई है :

- सूचना सृजन
- सूचना अनुरक्षण
- सूचना प्रसार

1. सृजन

अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था है कि कुछ सूचना को अनिवार्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाए। प्रत्येक विभाग यह निर्णय करेगा कि उसके लिए स्वमेव सूची क्या है।

स्वमेव सूची में उल्लिखित सूचना को कम्प्यूटरीकृत तथा मानकीकृत किया जाना चाहिए ताकि सरकार और साथ ही नागरिकों द्वारा भी उसकी पुनः प्राप्ति सुकर हो सके। डाटा का भण्डारण और पुनः प्राप्ति ऐसे प्रारूप में होनी चाहिए जिससे राज्य सीमाओं से परे कार्यान्वित स्कीमों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण और प्रसार सुकर हो सके। प्रशासनिक इकाइयों के बीच सूचना जरूरतों के मानीटरन, पता लगाने और प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए उपयुक्त पद्धतियां तैयार की जानी चाहिए।

राज्य और केंद्रीय सूचना आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि विभागों द्वारा अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित पूर्ण सूचना प्रदान की जाए। जहाँ कहीं आवश्यक हो प्रशासनिक और व्यवसाय प्रक्रिया को एक सुगम तरीके से सूचना एकत्र और प्रदान करने के लिए चुस्त बनाया जाना चाहिए। ऐसी पुनर्सूचना के लिए ए आर सी प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों पर विचार कर सकता है।

उदाहरण के लिए पी डी एस डाटा संकलित किया जा सकता है ताकि खाद्यान्नों की खरीद, परिवहन और भण्डार, राशन की दुकानों पर स्टॉक की स्थिति, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, परिवहन की लागत, भण्डार का प्रबंधन करने वाली एजेंसियों, राशन दुकानों पर स्टॉक स्थिति, वस्तुओं की कीमतों, सुपुर्दगी की समय सारिणी, दुकानों के समय, प्रत्येक दुकान के जुड़े लाभार्थियों के ब्यौरे आदि के संबंध में समुच्चय रूप से अथवा अलग-थलग रूप में जानकारी प्राप्त हो सके।

प्रत्येक क्षेत्र में जानकारी की प्रकृति, सीमा और प्रसार के साधनों के संबंध में पणधारियों से परामर्श किया जाएगा।

मानकों में डाटा का सृजन किया जाना चाहिए जिसमें वर्तमान जरूरतों के अलावा सूचना संबंधी भावी जरूरतों का अनुमान लगाया जाए। मानक सम्भवतः खुले होने चाहिए किन्तु जहाँ कहीं वे विद्यमान न हों। अमुक्त मानकों को कुछ समय के दौरान मुक्त मानकों के रूप में बदलने की प्रक्रिया को पाटा जाना चाहिए।

सरकार के साथ नागरिकों की अन्योन्य क्रिया के पूर्ण जीवन चक्र (जन्म से मृत्यु तक) का विनिर्धारण किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक चरण के लिए विशिष्ट सूचना पद्धतियों का सृजन किया जाना चाहिए।

विद्यमान सूचना का एक राष्ट्रीय डाटाबेस कायम किया जाना चाहिए। अंतरिम उपाय के रूप में जिला स्तरीय डाटा को भौगोलिक, कार्यात्मक और क्रमवार पद्धतियों में समाहित करने का कार्य किया जाना चाहिए। एन आई सी जैसे एक विद्यमान राष्ट्रीय स्तर के संगठन को यह जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए अथवा एक नया संगठन कायम करने पर विचार किया जाना चाहिए।

2. अनुरक्षण

सभी सरकारी संकल्पों, आदेशों को विशिष्ट कार्यकलापों के लिए विशिष्ट आदेशों में समेकित किया जाना चाहिए ताकि पिछले आदेशों का संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं हो, अर्थात् सूचना की प्रत्येक व्यवस्था आत्मनिर्भर होनी चाहिए।

सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों की एकल खिड़की मंजूरी के लिए पद्धतियां और मानक तैयार किए जाने चाहिए।

3. प्रसार

सूचना आयोगों के पास उनके क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत सभी पी आई ओ की सूची होनी चाहिए ।

प्रत्येक सूचना आयोग को सूचना के प्रसार की उपयुक्त विधियां विनिर्धारित करनी चाहिए ।

राज्यों और केंद्र की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निधियों के उपयोग के संबंध में विस्तृत सूचना प्रत्येक विभाग में सक्रिय प्रकटन का एक भाग होनी चाहिए ।

सूचना आयोग को विशेष रूप से भ्रष्टाचार प्रवण के रूप में विनिर्धारित क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्रों में सूचना की शुद्धता और नियमितता सुनिश्चित करनी चाहिए ।

सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना के प्रसार में निजी क्षेत्रक/एन जी ओ/नागरिकों की भागीदारी की सम्भाव्यता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

सभी आवेदन-पत्र अथवा अन्य फार्म, जिनकी सरकार के साथ अन्योन्य-क्रिया करने के लिए जरूरत हो, ऑन लाइन उपलब्ध होने चाहिए जिन्हें डाउनलोड किया जा सके । यदि कोई फीस चार्ज की जानी है तो उसे फार्म प्रस्तुत करने के समय चार्ज किया जाना चाहिए ।

सरकारी विभागों को, उनसे उनकी वेबसाइट पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफ ए क्यू) के उत्तर तैयार रखने चाहिए ।

सभी सक्रियतापूर्वक प्रकट सूचना स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध होनी चाहिए ।

किसी विभाग से सामान्य रूप से पूछी जाने वाली सूचना और साथ ही सक्रियतापूर्वक प्रकट सूचना भी विभाग के अधिकांश कार्यालयों में उपलब्ध होनी चाहिए ।

डाटा का प्रसारण जरूरतमंद जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप में किया जाना चाहिए।

सभी क्षेत्रों के संबंध में, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों से सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए तथा जहाँ उपयुक्त हो, अपनाया जा सकता है । एक क्षेत्राधिकार में सफल सिद्ध हुए कार्यक्रमों को अन्यत्र अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए ।

आर टी आई विधान के प्रभावी अनुपालन हेतु पी आई ओ के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किया जाना चाहिए तथा कार्यक्रम के संचालन के लिए केंद्रीय निधियों का उपयोग किया जा सकता है।

समूह IV

अधिनियम को विधानमंडल, न्यायपालिका और स्थानीय स्वःशासनों पर लागू करना

1. विधानमंडल

क. विधायी व्यवसाय, जैसे कि प्रश्न, समिति रिपोर्टें, विधेयक आदि से संबंधित सूचना का मानकीकरण, विद्यायी व्यवसाय का कम्प्यूटरीकरण ।

- ख. सचिवालयीय विभागों के साथ विधायी सचिवालय की नेटवर्किंग ।
- ग. विधायकों, विशेष रूप से याचिका समितियों के लिए नेटवर्क सुविधाएं ।
- घ. विशेषाधिकारी बनाम पारदर्शिता और सूचना के अधिकार पर पुनर्विचार ।
- ङ. सी ए जी सिफारिशों को, कार्यपालिका द्वारा कार्यान्वयन और पी ए सी, अन्य समितियों और विधानमंडलों द्वारा मानीटरन हेतु आटो-पायलट पर प्रस्तुत करना ।
- च. कार्यपालिका और विधानमंडल द्वारा सी ए जी रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई को धारा 4 प्रकटन के भाग के रूप में प्रकाशित किया जाना चाहिए ।
- छ. विधानमंडलों के बीच सार्वजनिक प्राधिकारियों और पी आई ओ का मानकीकरण ।
- ज. एकसमान प्रारूपों में अभिलेखों की इंडेक्सिंग, सूची पत्र तैयार करना तथा कम्प्यूटरीकरण ।
- झ. विधायी व्यवसाय, समितियों, विधायकों के बारे में सूचना आदि को कवर करते हुए विधानमंडल एम आई एस विकसित करना ।
- त्र. प्रश्नों, समितियों की कार्यवाही का व्यवसाय, समितियों की रिपोर्टें, अनुमान समिति, नैतिकता समिति विषयों पर स्थायी समितियों और विशेषाधिकारी समिति आदि सहित, धारा 4 के अंतर्गत प्रकटन के भाग के रूप में प्रकाशन किया जाना चाहिए ।
- ट. की गई कार्रवाई रिपोर्टें समय-समय पर प्रकाशित और ऑन-लाइन उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।
- ठ. जाँच आयोगों, सदन समितियों और विशेष समितियों की रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र में आन लाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए ।
- ड. विधायकों, पी आई ओ, ए पी आई ओ, सार्वजनिक प्राधिकरणों के कार्यकर्ताओं आदि के लिए क्षमता निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।
- ढ. बड़ी संख्या में अधिकारियों को, विडियो कन्फरेंसिंग सुविधाओं और सूचना के ई-समर्थित संग्रह स्थल का इस्तेमाल करते हुए, बुलाने की बजाए समितियों का वास्तविक विचार-विमर्श ।
- ण. सूचना और ई-स्थापना के सहज प्रवाह को सुकर बनाने के लिए विधानमंडलों के लिए पृष्ठ और अग्र संयोजनों का स्पष्टतः मानचित्रण किया जाना चाहिए ।
- त. लोगों और सिविल सोसायटी समूहों के साथ, विधायी व्यवसाय, विशेषाधिकारों, समितियों, विधि निर्माण प्रक्रियाओं और सूचना का अधिकार के लिए सुविधाओं जागरूकता अभियान ।
- थ. आर टी आई अधिनियम की जरूरतों के प्रत्युत्तर हेतु व्यवसाय नियमों और विधायी सचिवालयीय प्रथाओं का पुनर्गठन ।
- द. राष्ट्रीय ई-अधिशासन कार्रवाई योजना के भाग के रूप में ई-विधानमंडल ।

- ध. सम्पूर्ण विधायी प्रबंधन पद्धति का वर्गीकरण, भण्डारण, छानबीन, सूचना की पुनः प्राप्ति और आपूर्ति का ई-समर्थन ।

2. न्यायपालिका

- क. धारा 4 प्रकटन के प्रयोजनार्थ प्रारूपों का मानकीकरण ।
- ख. अधीनस्थ न्यायालयों, अधिकरणों और उच्च न्यायालय के बीच नेटवर्किंग ।
- ग. न्याय निर्णयों का वेब भण्डारण - जिला, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के लिए सुविधाएं।
- घ. सार्वजनिक प्राधिकरणों और न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों के बीच मानकीकरण ।
- ङ. अभिलेखों, उच्च न्यायालयों के मामलों, अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों के बीच मामलों की इंडेक्सिंग और सूचीकरण के लिए मानकीकृत प्रारूप ।
- च. अभिलेखों और मामला प्रवाह प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण ।
- छ. आर टी आई अधिनियम से सम्बद्ध अनेक मुकदमें - उच्च न्यायालयों में कार्यभार - सभी स्तरों पर आवश्यक संसाधन ।
- ज. राष्ट्रीय ई-अधिशासन कार्रवाई योजना के भाग के रूप में ई-न्यायपालिका ।

3. स्थानीय स्व:शासन

- क. नागरिक समूहों और स्थानीय निकायों की भागीदारी के साथ, तिहरी पद्धतियों में ग्रामीण स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए समुचित इन्डेक्सिंग और सूचीपत्रण के साथ अभिलेख पालन के लिए प्रारूपों का मानकीकरण ।
- ख. राष्ट्रीय संहिता का पालन करते हुए स्थानीय निकाय सूचना प्रबंधन पद्धति का विकास ।
- ग. ग्राम सभा और वार्ड समिति स्तर पर श्रव्य-दृश्य प्रचार और सामूहिक जागरूकता अभियान ।
- घ. अनिवार्य प्रकटन के संबंध में स्थानीय निकायों की ग्रेडिंग ।
- ङ. धारा 4 के तहत प्रकटन के संबंध में प्रारूपों का मानकीकरण ।
- च. पी आई ओ, ए पी आई ओ और अपीलीय अधिकारियों की निर्देशिका का व्यापक रूप से प्रसार किया जाए ।
- छ. सूचना के अधिकार के संबंध में पाषर्दों, सरपंचों, जिला परिषद प्रधानों आदि का प्रशिक्षण ।
- ज. स्थानीय निकायों की सूचना आयोग के साथ नेटवर्किंग ।

1. उन राज्य सरकारों के लिए प्रश्नावली जिनके राज्य आर टी आई अधिनियम हैं

1. आर टी आई अधिनियम, 2005 कैसा है ? क्या यह राज्य अधिनियम से बेहतर है ? कृपया दोनों के बीच अंतरों पर प्रकाश डालें ?
2. राज्य अधिनियम कब लागू हुआ ?
3. केंद्रीय आर टी आई अधिनियम लागू होने के बाद राज्य की राज्य अधिनियम के बारे में क्या योजना है ? (कृपया राज्य अधिनियम की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करें) ।
4. केंद्रीय आर टी आई अधिनियम लागू हो जाने के बाद राज्य की राज्य अधिनियम के संबंध में क्या कार्रवाई की योजना है ?
5. राज्य अधिनियम के तहत क्या मानीटरन तंत्र मौजूद है ?
6. क्या राज्य अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों का ब्यौरा, प्राप्त आवेदन पत्रों की किस्म दर्शाते हुए संकलित किया गया है, उनका किस प्रकार निपटान किया गया, कितने मामलों में सूचना प्रस्तुत नहीं की जा सकी और उसके क्या कारण थे ?
7. राज्य अधिनियम को कार्यान्वित करने में राज्य को किन मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा ? और उन पर किस प्रकार काबू पाया गया ?
8. नागरिकों को स्वमेव जानकारी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर टी आई अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है ? क्या कोई मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं ? क्या मार्ग निर्देश जारी करने से सूचना के प्रसार में कोई मदद मिलेगी, क्योंकि अप्रीतिकर जानकारी को छिपाने की प्रवृत्ति है ? यदि हां तो क्या इन सभी पहलुओं को मार्ग निर्देशों में कवर किया जाएगा?
9. नागरिकों को स्वमेव जानकारी प्रदान करने के लिए आर टी आई अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जिला स्तर पर राज्य सरकार के कार्यकर्ताओं के कार्यालयों में क्या व्यवस्था की गई है ?
10. क्या राज्य सरकार यह समझती है कि राज्य में अभिलेख पालन की स्थिति आर टी आई अधिनियम के तहत यथा निर्धारित रूप में यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त है ? किन परिवर्तनों की जरूरत है ?
11. क्या उन कुछेक कार्यालयों/विभागों का विनिर्धारण करना सम्भव है जिनके संबंध में यह कहा जा सके कि सभी अपेक्षित जानकारी, उपलब्धता के अध्यधीन, नागरिकों को उपलब्ध करा दी जाएगी?
12. क्या राज्य सरकार ने, नागरिकों के बीच सूचना का अधिकार से संबंधित अधिनियम के अधिनियमन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोई व्यवस्था की है ? यदि हाँ तो क्या ग्राम/पंचायत स्तर पर भी इसे लागू किया गया है ? राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ क्या विधियां अपनाई गई हैं ?

13. राज्य सरकार ने अनपढ़ लोगों के बीच अथवा उन क्षेत्रों में जहाँ निरक्षरता अधिक है, आर टी आई अधिनियम के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए क्या व्यवस्था की है ?
14. क्या राज्य सरकार ने, इलेक्ट्रॉनिक साधनों, अर्थात् ई-अधिशासन की विधियों का उपयोग करके, सूचना के भण्डारण, प्रकटन और प्रसार के लिए कोई व्यवस्था की है ? इस संबंध में प्रमुख कठिनाइयाँ क्या हो सकती हैं ?
15. सभी स्तरों पर सूचना के प्रकटन के लिए आवेदन करने के लिए अनपढ़/गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सहायतायर्थ राज्य सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?
16. क्या सरकार समझती है कि आर टी आई अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए एक पृथक संसाधन आवंटन की जरूरत है ? क्या विद्यमान स्टाफ सभी स्तरों पर प्रत्याशित मांग को पूरा करने में समर्थ हो सकेगा ?
17. प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या मानीटरन पद्धति कायम की गई है और किस प्रकार उनका निपटान किया गया ?
18. क्या राज्य सरकार ने आर टी आई अधिनियम के कार्यान्वयन और सूचना के प्रकटन के मानदण्डों के संबंध में अपने अधिकारियों के लाभार्थ कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है ?
19. क्या राज्य सरकार समझती है कि आर टी आई अधिनियम के कार्यान्वयन में अधिकारिक गुप्तता अधिनियम आड़े आएगा ? यदि हाँ, तो कैसे ? क्या राज्य सरकार अधिकारिक गुप्तता अधिनियम में किसी संशोधन की सिफारिश करना चाहेगी ?
20. क्या जिला और राज्य स्तरों पर इस अधिनियम के कार्यान्वयन के मानीटरन हेतु कोई नागरिक समिति गठित करना सम्भव/वांछनीय है ?
21. दूरवर्ती क्षेत्रों से सूचना के अनुरोध स्वीकार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?
22. क्या सूचना के प्रसार में उनके निष्पादन के आधार पर महत्वपूर्ण कार्यालयों के श्रेणीकरण की कोई प्रणाली अपनाना वांछनीय होगा ?
23. क्या निजी क्षेत्र को सम्मिलित करना सम्भव है जिसे कुछ कार्यालयों द्वारा समय-समय पर अशोधित आंकड़े उपलब्ध कराए जा सकते हैं, तत्पश्चात् वह इस अशोधित डाटा को प्रसंस्करित करे और वांछित सूचना की मांग किए जाने पर जनता को उपलब्ध कराए ? (निजी रूप से संचालित सूचना खोखों की अवधारणा) ।
24. ऐसे कौन से क्षेत्र/क्षेत्रक/कार्यालय हैं जहाँ आर टी आई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन से भ्रष्टाचार पर काबू पाने में मदद मिल सकती है ? क्या इन कार्यालयों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु और अधिक निकट रूप से मानीटरन किया जाना चाहिए ?

25. क्या जिला/ब्लॉक स्तरों पर कोई एकल खिड़की एजेन्सी कायम करना सम्भव/वांछनीय होगा जहाँ जिला/तालुका से संबंधित सभी सूचना प्राप्त हो और उसका वहाँ और प्रसंस्करण किया जाए ?
26. अनेक कार्यालयों की, विशेष रूप से जिला कलेक्टरों/जिला पंचायतों की अपनी वेबसाइट हैं। किंतु उपलब्ध जानकारी सामान्य किस्म की होती है। इन वेबसाइटों को किस प्रकार समृद्ध बनाया जा सकता है। क्या इन वेबसाइटों की सामग्री को समृद्ध बनाने के लिए कोई मार्गनिर्देश जारी किए जा सकते हैं ?
27. जानकारी की मांग करने के लिए फीस स्वीकार करने के संबंध में क्या व्यवस्था की गई है ?
28. अधिनियम में यह निर्धारित है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किसी फीस की अदायगी नहीं की जानी है ? इस प्रावधान के समुचित कार्यान्वयन के लिए क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं ?
29. सूचना की तुच्छ मांग का निपटान करने के लिए क्या किया जाना चाहिए ?

2. उन राज्य सरकारों के लिए प्रश्नावली जहाँ राज्य आर टी आई अधिनियम नहीं हैं

1. आर टी आई अधिनियम के लागू होने से पहले जनता को सूचना प्रदान करने के लिए राज्य सरकार, इसकी एजेन्सियों और कार्यकर्ताओं द्वारा क्या पद्धति अपनाई जाती थी ? कुछ दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए कोई न कोई पद्धति रही होगी ? राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुदेश/मार्गनिर्देश जारी किए गए थे ?
2. क्या इस पद्धति के मॉनीटरन हेतु कोई पद्धति विद्यमान थी ? यदि इस पद्धति का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया था तो उसकी एक प्रति प्रस्तुत करें ?
3. नागरिकों को स्वमेव जानकारी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर टी आई अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है ? क्या कोई मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं ? क्या मार्ग निर्देश जारी करने से सूचना के प्रसार में कोई मदद मिलेगी क्योंकि अप्रीतिकर जानकारी को छिपाने की प्रवृत्ति है ? यदि हां तो क्या इन सभी पहलुओं को मार्ग निर्देशों में कवर किया जाएगा ?
4. नागरिकों को स्वमेव जानकारी प्रदान करने के लिए आर टी आई अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जिला स्तर पर राज्य सरकार के कार्यकर्ताओं के कार्यालयों में क्या व्यवस्था की गई है ?
5. क्या राज्य सरकार यह समझती है कि राज्य में अभिलेख पालन की स्थिति आर टी आई अधिनियम के तहत यथा निर्धारित रूप में यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त है ? किन परिवर्तनों की जरूरत है ?
6. क्या उन कुछेक कार्यालयों/विभागों का विनिर्धारण करना सम्भव है जिनके संबंध में यह कहा जा सके कि सभी अपेक्षित जानकारी, उपलब्धता के अध्यधीन, नागरिकों को उपलब्ध करा दी जाएगी ?

7. क्या राज्य सरकार ने, नागरिकों के बीच सूचना का अधिकार से संबंधित अधिनियम के अधिनियमन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोई व्यवस्था की है ? यदि हाँ तो क्या ग्राम/पंचायत स्तर पर भी इसे लागू किया गया है ? राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ क्या विधियां अपनाई गई हैं ?
8. राज्य सरकार ने अनपढ़ लोगों के बीच अथवा उन क्षेत्रों में जहाँ निरक्षरता अधिक है, आर टी आई अधिनियम के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए क्या व्यवस्था की है ?
9. क्या राज्य सरकार ने, इलेक्ट्रॉनिक साधनों, अर्थात् ई-अधिशासन की विधियों का उपयोग करके, सूचना के भण्डारण, प्रकटन और प्रसार के लिए कोई व्यवस्था की है ? इस संबंध में प्रमुख कठिनाइयाँ क्या हो सकती हैं ?
10. सभी स्तरों पर सूचना के प्रकटन के लिए आवेदन करने के लिए अनपढ़/गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सहायतार्थ राज्य सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?
11. क्या सरकार समझती है कि आर टी आई अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए एक पृथक संसाधन आवंटन की जरूरत है ? क्या विद्यमान स्टाफ सभी स्तरों पर प्रत्याशित मांग को पूरा करने में समर्थ हो सकेगा ?
12. प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या मानीटरन पद्धति कायम की गई है और किस प्रकार उनका निपटान किया गया ?
13. क्या राज्य सरकार ने आर टी आई अधिनियम के कार्यान्वयन और सूचना के प्रकटन के मानदण्डों के संबंध में अपने अधिकारियों के लाभार्थ कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है ?
14. क्या राज्य सरकार समझती है कि आर टी आई अधिनियम के कार्यान्वयन में अधिकारिक गुप्तता अधिनियम आड़े आएगा ? यदि हाँ, तो कैसे ? क्या राज्य सरकार अधिकारिक गुप्तता अधिनियम में किसी संशोधन की सिफारिश करना चाहेगी ?
15. क्या जिला और राज्य स्तरों पर इस अधिनियम के कार्यान्वयन के मानीटरन हेतु कोई नागरिक समिति गठित करना सम्भव/वांछनीय है ?
16. दूरवर्ती क्षेत्रों से सूचना के अनुरोध स्वीकार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?
17. क्या सूचना के प्रसार में उनके निष्पादन के आधार पर महत्वपूर्ण कार्यालयों के श्रेणीकरण की कोई प्रणाली अपनाना वांछनीय होगा ?
18. क्या निजी क्षेत्रक को सम्मिलित करना सम्भव है जिसे कुछ कार्यालयों द्वारा समय-समय पर अशोधित आंकड़े उपलब्ध कराए जा सकते हैं, तत्पश्चात् वह इस अशोधित डाटा को प्रसंस्करित करे और वांछित सूचना की मांग किए जाने पर जनता को उपलब्ध कराए ? (निजी रूप से संचालित सूचना खोखों की अवधारणा) ।

19. ऐसे कौन से क्षेत्र/क्षेत्रक/कार्यालय हैं जहाँ आर टी आई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन से भ्रष्टाचार पर काबू पाने में मदद मिल सकती है ? क्या इन कार्यालयों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु और अधिक निकट रूप से मानीटरन किया जाना चाहिए ?
20. क्या जिला/ब्लॉक स्तरों पर कोई एकल खिड़की एजेन्सी कायम करना सम्भव/वांछनीय होगा जहाँ जिला/तालुका से संबंधित सभी सूचना प्राप्त हो और उसका वहाँ और प्रसंस्करण किया जाए ?
21. अनेक कार्यालयों की, विशेष रूप से जिला कलेक्टरों/जिला पंचायतों की अपनी वेबसाइट हैं। किंतु उपलब्ध जानकारी सामान्य किस्म की होती है। इन वेबसाइटों को किस प्रकार समृद्ध बनाया जा सकता है। क्या इन वेबसाइटों की सामग्री को समृद्ध बनाने के लिए कोई मार्गनिर्देश जारी किए जा सकते हैं ?
22. जानकारी की मांग करने के लिए फीस स्वीकार करने के संबंध में क्या व्यवस्था की गई है ?
23. अधिनियम में यह निर्धारित है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किसी फीस की अदायगी नहीं की जानी है ? इस प्रावधान के समुचित कार्यान्वयन के लिए क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं ?
24. सूचना की तुच्छ मांग का निपटान करने के लिए क्या किया जाना चाहिए ?

3. नागरिकों के लिए प्रश्नावली

1. कृपया जहाँ आप रहते हैं उस बस्ती की किस्म बताएं : (क) ग्राम, (ख) कस्बा जिसकी आबादी एक लाख से कम है, (ग) कस्बा जिसकी आबादी एक लाख से अधिक है, (घ) नगर जिसकी आबादी दस लाख से अधिक है, (ड.) चार महानगर।
2. कृपया अपने व्यवसाय का उल्लेख करें : (क) खेती, (ख) कृषि श्रमिक, (ग) शिल्पकार (घ) निजी व्यवसाय, (ड.) औद्योगिक श्रमिक, (च) सरकारी सेवक, (छ) निजी क्षेत्रक में सवेतन कर्मचारी (ज) व्यावसायिक।
3. क्या आपने आर टी आई अधिनियम लागू होने से पहले केंद्रीय/राज्य सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/एजेन्सी से कोई सूचना प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी ?
4. यदि हाँ तो क्या यह निम्नलिखित से संबंधित थी : (क) आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र की स्थिति, (ख) आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र की अस्वीकृति के कारण (ग) किसी आवेदन-पत्र की छानबीन करने में अपर्याप्त देरी, (घ) किसी आवेदन पर त्रुटिपूर्ण कार्रवाई, (ड.) किसी सार्वजनिक/सामुदायिक हित से संबंधित मुद्दा।
5. क्या आपने संगत सूचना के लिए संबंधित अधिकारियों को वास्तव में लिखा था ?
6. यदि हाँ, तो क्या संबंधित अधिकारी से कोई जानकारी प्राप्त हुई थी ?

7. यदि हाँ, तो क्या आप आपको प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट थे ?
8. क्या आप जानते हैं कि भारतीय संसद ने 2005 में आर टी आई अधिनियम पारित किया था जिसमें यह व्यवस्था है कि प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार है ?
9. क्या आपको आर टी आई अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी है ?
10. क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आपको आर टी आई अधिनियम के अंतर्गत वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है ?
11. क्या आपको आर टी आई अधिनियम के अंतर्गत सूचना के प्रकटन के लिए चार्ज की जाने वाली फीस की जानकारी है ?
12. क्या आपको इस बात की जानकारी है कि गरीबी रेखा से नीचे किसी नागरिक को कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ती ?
13. क्या आपको इस बात की जानकारी है कि केंद्रीय/राज्य सरकारों के सभी मंत्रालय/विभाग/ एजेंसियां, आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के 30 दिन के अंदर, जो किसी भी हालत में 40 दिन से अधिक नहीं हो सकती, अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के लिए सांविधिक रूप से बाध्य हैं ?
14. क्या आपने आर टी आई अधिनियम के तहत किसी सरकारी अधिकारी को कोई आवेदन-पत्र दिया है ?
15. यदि हाँ, तो क्या आपको आवेदन करने की 30 दिन की अवधि के अंदर सूचना प्राप्त हुई है ?
16. क्या आप आपको दी गई सूचना की कोटि से संतुष्ट हैं ?
17. क्या आप समझते हैं कि आपको जो सूचना दी गई है वह काफी अस्पष्ट, अधूरी अथवा प्रकृति से भ्रामक है ?
18. क्या आपको सूचना उसी प्रारूप में प्रदान की गई थी जिसमें उसकी मांग की गई थी ?
19. क्या अधिकारी ने मांगी गई सूचना प्रदान करने के लिए मानकीकृत कम्प्यूटर सृजित प्रारूप का उपयोग किया था ?
20. क्या संबंधित प्राधिकारियों ने आप द्वारा मांगी गई सूचना की मनाही की थी ?
21. यदि हाँ, क्या उसके लिए आपको किसी कारण के बारे में बताया गया है ?
22. क्या आप बताए गए कारणों से संतुष्ट हैं ?
23. यदि नहीं, तो क्या आपने उक्त आदेश के विरुद्ध अपील की है ?
24. आपको सूचना के प्रकटन की मनाही करने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा आर टी आई अधिनियम के किस प्रावधान का उल्लेख किया था ? (आर टी आई अधिनियम के विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख करें)

25. सभी स्तरों पर सूचना के प्रकटन के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनपढ़ लोगों और/अथवा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सहायतार्थ राज्य सरकार द्वारा आपके क्षेत्रीय कार्य के क्षेत्र में क्या व्यवस्था की गई है ?
26. सूचना की तुच्छ मांग का निपटान करने के लिए क्या किया जाना चाहिए ?

4. एन जी ओ के लिए प्रश्नावली

1. एन जी ओ का क्या नाम है ?
2. कृपया अपने कार्य क्षेत्र/इलाके का उल्लेख करें (ग्राम/तालुका/जिला/राज्य) ?
3. क्या आपका संगठन आपके कार्य क्षेत्र में आर टी आई अधिनियम के प्रावधानों के बारे में भी जागरूकता का प्रसार करने का कार्य कर रहा है ?
4. क्या आपके संगठन ने आर टी आई अधिनियम के अधिनियमन से पहले सरकारी अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया था ?
5. यदि हाँ, तो क्या आपके द्वारा मांगी गई सूचना आपको प्राप्त हो गई थी ?
6. यदि हाँ, तो क्या आपको प्रदत्त सूचना आपकी आवश्यकतानुसार थी ?
7. क्या किसी सरकारी प्राधिकरण ने आपके कार्य क्षेत्र में आर टी आई अधिनियम के प्रावधानों की लोगों को जानकारी देने के प्रयास किए थे ?
8. आपके कार्य क्षेत्र से रहने वाले लोगों द्वारा किस प्रकार की सूचना मांगे जाने की सम्भावना है ?
9. क्या आप समझते हैं कि संबंधित सरकारी प्राधिकारियों ने नागरिकों को ऐसी सूचना प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की है ?
10. क्या आपने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आर टी आई अधिनियम के तहत किसी सरकारी अधिकारी से सूचना के प्रकटन के संबंध में कोई अनुरोध किया था ?
11. यदि हाँ, तो क्या मांगी गई सूचना निर्धारित समय के अंदर आपको प्राप्त हो गई थी ?
12. यदि हाँ तो क्या आपको आवेदन करने के 30 दिन के अंदर सूचना प्राप्त हो गई थी ?
13. क्या आप आपको दी गई सूचना की कोटि से संतुष्ट हैं ?
14. क्या आप समझते हैं कि आपको दी गई सूचना काफी अस्पष्ट, अधूरी और प्रकृति से भ्रामक है ?
15. क्या आपको सूचना उसी प्रारूप में प्रदान की गई थी जिसमें उसकी मांग की गई थी ?
16. क्या अधिकारी ने मांगी गई सूचना प्रदान करने के लिए मानकीकृत कम्प्यूटर सृजित प्रारूप का उपयोग किया था ?

17. आर टी आई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आपके क्या सुझाव हैं ?
18. आपके विचार में आर टी आई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में क्या प्रमुख अड़चनें हो सकती हैं?
19. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत स्वैच्छिक प्रकटन के माध्यम से अधिकतम मात्रा में सूचना का प्रसार हो, आपके क्या सुझाव हैं जिससे कि सूचना प्रदान करने का काम कम हो जाए ?
20. क्या आप समझते हैं कि आर टी आई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में अधिकारिक गुप्तता अधिनियम आड़े आएगा ? यदि हाँ तो क्यों ?
21. लोगों के बीच किस प्रकार जागरूकता पैदा की जाए ? कृपया अपने सुझाव दें ।
22. अफसरों की मनोवृत्ति में किस प्रकार बदलाव लाया जाए जो मूलतः गुप्तता बनाए रखने की ओर झुका है ?
23. सूचना प्राप्त करने के लिए फीस की अदायगी की सरलतम विधि क्या होगी ? क्या रसीदी टिकट की तरह निश्चित मूल्य की टिकटें होनी चाहिए जिन्हें सभी डाकधरों के जरिए उपलब्ध कराया जाए?
24. तुच्छ सूचना की मांग से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए ?

5. जिला कलेक्टरों के लिए प्रश्नावली

1. जिले का नाम ?
2. आर टी आई अधिनियम लागू होने से पहले नागरिकों की मांग पर सूचना उपलब्ध कराने की क्या पद्धति थी ? किस प्रकार की सूचना दी जा सकती है ?
3. नागरिकों को स्वमेव जानकारी प्रदान करने के लिए आर टी आई अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जिला प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है ?
4. नागरिकों को स्वमेव जानकारी प्रदान करने के लिए आर टी आई अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत तालिका/ब्लॉक स्तर पर कार्यालयों में क्या व्यवस्था की गई है ?
5. क्या आप समझते हैं कि अभिलेख पालन की स्थिति काफी अच्छी है जिससे सभी अपेक्षित सूचना आर टी आई अधिनियम के तहत यथा निर्धारित अनुसार प्रदान की जा सकती है ? अभिलेख पालन का मानक सुधारने के लिए क्या किए जाने की जरूरत है ?
6. क्या कुछ कार्यालयों को विनिश्चित किया जाना सम्भव है जहाँ यह कहा जा सके कि सभी अपेक्षित सूचना, उपलब्धता की शर्त पर, नागरिकों को प्रदान कर दी जाएगी ?
7. क्या जिला प्रशासन ने, नागरिकों के बीच सूचना का अधिकार से संबंधित अधिनियम के अधिनियमन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोई व्यवस्था की है ?

8. यदि हाँ, तो क्या इसका विस्तार ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता पैदा करने तक किया गया है ?
9. क्या जिला प्रशासन ने इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके, अर्थात् ई-अधिशासन की विधियां लागू करके, सूचना के भण्डारण, प्रकटन और प्रसार के लिए कोई व्यवस्था की है ?
10. यदि हाँ, तो क्या जिला प्रशासन ने विभिन्न स्तरों पर सूचना के भण्डारण, प्रकटन और प्रसार के लिए कोई मानक प्रारूप तैयार किया है ?
11. जिला प्रशासन द्वारा अनपढ़ लोगों के बीच अथवा उन क्षेत्रों में जहाँ निरक्षरता अधिक है आर टी आई अधिनियम के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?
12. जिला प्रशासन ने अनपढ़ लोगों और/या गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए सभी स्तरों पर सूचना के प्रकटन के लिए आवेदन करने में सहायता प्रदान करने के वास्ते क्या व्यवस्था की है?
13. क्या जिला प्रशासन ने, आर टी आई अधिनियम के कार्यान्वयन और सूचना के प्रकटन के मानदण्डों के संबंध में अपने अधिकारियों के लाभार्थ कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया है ?
14. क्या जिला प्रशासन, आर टी आई अधिनियम के तहत आवेदन करने वाले व्यक्तियों से सामान्य रूप से नागरिकता की स्थिति के बारे में और विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के संबंध में आर्थिक स्थिति के बारे में सत्यापन की मांग करता है ?
15. क्या जिला प्रशासन समझता है कि अधिकारिक गुप्तता अधिनियम आर टी आई अधिनियम के कार्यान्वयन में आड़े आएगा ?
16. यदि हाँ, तो कैसे ?
17. क्या आप समझते हैं कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन में नागरिक समितियाँ उपयोगी हो सकती हैं ?
18. क्या सभी आवेदन-पत्र प्राप्त करने और फिर उन पर कार्रवाई करने के लिए एक एकल खिड़की एजेंसी सम्भव/वांछनीय होगी ? यदि हाँ तो इसके लिए क्या उपाय किए जाने की जरूरत है ?
19. सूचना की तुच्छ मांग का निपटान करने के लिए क्या किया जाना चाहिए ?

6. केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए प्रश्नावली

1. नागरिकों को स्वमेव सूचना प्रदान करने के लिए, मंत्रालय/विभाग द्वारा आर टी आई अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है ? क्या कोई मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं ? क्या मार्गनिर्देश जारी करने से सूचना के प्रसार में मदद मिलेगी क्योंकि अप्रीतिकर सूचना को छिपाने की प्रवृत्ति पाई जाती है ? यदि हाँ तो इन मार्गनिर्देशों में कौन से सभी पहलू शामिल किए जाने चाहिए?

2. नागरिकों को स्वमेव जानकारी प्रदान करने के लिए आर टी आई अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जिला स्तर पर मंत्रालय/विभाग के कार्यालयों में क्या व्यवस्था की गई है ?
3. क्या मंत्रालय/विभाग यह महसूस करता है कि राज्य में अभिलेख पालन की स्थिति आर टी आई अधिनियम के तहत यथा निर्धारित रूप में यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त है ? किन परिवर्तनों की जरूरत है ?
4. क्या उन कुछेक कार्यालयों/विभागों का विनिर्धारण करना सम्भव है जिनके संबंध में यह कहा जा सके कि सभी अपेक्षित जानकारी उपलब्धता के अध्यक्षीन, नागरिकों को उपलब्ध करा दी जाएगी ?
5. क्या मंत्रालय/विभाग ने, नागरिकों के बीच सूचना का अधिकार से संबंधित अधिनियम के अधिनियमन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोई व्यवस्था की है ? यदि हाँ तो क्या ग्राम/पंचायत स्तर पर भी इसे लागू किया गया है ? मंत्रालय/विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ क्या विधियां अपनाई गई हैं?
6. मंत्रालय/विभाग द्वारा अनपढ़ लोगों के बीच अथवा उन क्षेत्रों में जहाँ निरक्षरता अधिक है, आर टी आई अधिनियम के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?
7. क्या मंत्रालय/विभाग ने, इलेक्ट्रॉनिक साधनों, अर्थात् ई-अधिशासन की विधियों का उपयोग करके, सूचना के भण्डारण, प्रकटन और प्रसार के लिए कोई व्यवस्था की है ? इस संबंध में प्रमुख कठिनाईयाँ क्या हो सकती हैं ?
8. सभी स्तरों पर सूचना के प्रकटन के लिए आवेदन करने के लिए अनपढ़/गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सहायतार्थ मंत्रालय/विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?
9. क्या मंत्रालय/विभाग समझता है कि आर टी आई अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए एक पृथक संसाधन आवंटन की जरूरत है ? क्या विद्यमान स्टॉफ सभी स्तरों पर प्रत्याशित मांग को पूरा करने में समर्थ हो सकेगा ?
10. प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों पर नजर रखने के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा क्या मानीटरन पद्धति कायम की गई है और किस प्रकार उनका निपटान किया गया है ?
11. क्या मंत्रालय/विभाग ने आर टी आई अधिनियम के कार्यान्वयन और सूचना के प्रकटन के मानदण्डों के संबंध में अपने अधिकारियों के लाभार्थ कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है ?
12. क्या मंत्रालय/विभाग यह समझता है कि आर टी आई अधिनियम के कार्यान्वयन में अधिकारिक गुप्तता अधिनियम आड़े आएगा ? यदि हाँ, तो कैसे ? अधिकारिक गुप्तता अधिनियम में किस प्रकार संशोधन किया जाना चाहिए ?
13. दूरवर्ती क्षेत्रों से सूचना के अनुरोध स्वीकार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?
14. क्या सूचना के प्रसार में उनके निष्पादन के आधार पर महत्वपूर्ण कार्यालयों के श्रेणीकरण की कोई प्रणाली अपनाना वांछनीय होगा ?

15. क्या निजी क्षेत्रक को सम्मिलित करना सम्भव है जिसे मंत्रालयों/विभागों द्वारा समय-समय पर अशोधित आंकड़े उपलब्ध कराए जा सकते हैं तत्पश्चात् वह इस अशोधित डाटा को प्रसंस्करित करें और वांछित सूचना की मांग किए जाने पर जनता को उपलब्ध कराए ? (निजी रूप से संचालित सूचना खोरखों की अवधारणा) ।
16. ऐसे कौन से क्षेत्र/क्षेत्रक/कार्यालय हैं जहाँ आर टी आई अधिनियम प्रभावी कार्यान्वयन से भ्रष्टाचार पर काबू पाने में मदद मिल सकती है ? क्या इन कार्यालयों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु और अधिक निकट रूप से मानीटरन किया जाना चाहिए ? (ए बी सी विश्लेषण) ।
17. मंत्रालय/विभाग में कितने पी आई ओ की नियुक्ति की गई है ? क्या प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में, कम से कम दिल्ली में एक पी आई ओ नियुक्त करना सम्भव/वांछनीय हैं ?
18. क्या इलेक्ट्रानिकी की कोई सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है ? ऐसे मामलों में फीस कैसे अदा की जाएगी ?
19. अधिनियम में यह निर्धारित है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों द्वारा कोई फीस अदा नहीं की जाएगी ? इस प्रावधान के समुचित कार्यान्वयन हेतु क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं ?
20. सूचना की तुच्छ मांग का निपटान करने के लिए क्या किया जाना चाहिए ?
21. आवेदन द्वारा अपनी भाषा में सूचना मांगने पर क्या प्रबंध किए गए ?

7. मिडिया के लिए प्रश्नावली

1. क्या आपके संगठन ने आर टी आई अधिनियम के अधिनियमन से पहले सरकारी अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया था ?
2. यदि हाँ, तो क्या आप द्वारा मांगी गई सूचना आपको प्राप्त हो गई थी ?
3. यदि हाँ तो क्या आपको प्रदत्त सूचना आपकी आवश्यकतानुसार थी ?
4. लोगों द्वारा सम्भावित रूप से मांगी जाने वाली सूचना की क्या प्रकृति हो सकती है ?
5. क्या आप समझते हैं कि संबंधित सरकारी प्राधिकारियों ने नागरिकों को ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था की है ?
6. क्या आपने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आर टी आई अधिनियम के तहत किसी सरकारी अधिकारी से सूचना के प्रकटन के संबंध में कोई अनुरोध किया था ?
7. यदि हाँ, तो क्या मांगी गई सूचना निर्धारित समय के अंदर आपको प्राप्त हो गई थी ?
8. यदि हाँ, तो क्या आपको आवेदन करने के 30 दिन के अंदर सूचना प्राप्त हो गई थी ?
9. क्या आप आपको दी गई सूचना की कोटि से संतुष्ट हैं ?

10. क्या आप समझते हैं कि आपको दी गई सूचना काफी अस्पष्ट, अधूरी और प्रकृति से भ्रामक है ?
11. क्या संबंधित प्राधिकारियों ने आपके द्वारा मांगी गई सूचना की मनाही की थी ?
12. आर टी आई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आपके क्या सुझाव हैं ?
13. आपके विचार में आर टी आई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में क्या प्रमुख बाधाएं हो सकती हैं?
14. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत स्वैच्छिक प्रकटन के जरिए अधिकतम मात्रा में सूचना का प्रसार हो, आपके क्या सुझाव हैं ताकि सूचना मांगने का काम कम हो जाए ?
15. क्या आप समझते हैं कि अधिकारिक गुप्तता अधिनियम आर टी आई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में आड़े आएगा ? यदि हाँ तो क्यों ?
16. "सूचना की आजादी" सुनिश्चित करने के लिए अधिकारिक गुप्तता अधिनियम में क्या संशोधन करने की जरूरत है ?
17. सूचना की आजादी के बारे में लोगों के बीच किस प्रकार जागरूकता पैदा की जाए ? कृपया अपने सुझाव दें ।
18. अफसरों की मनोवृत्ति को बदलने के लिए क्या किया जाए जो बुनियादी तौर पर गुप्तता बनाए रखने के प्रति झुके रहते हैं ?
19. तुच्छ सूचना की मांग से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए ?

प्रश्नावली का उत्तर
(11.05.2006 की स्थिति)

केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त उत्तरों की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर		
		हाँ (सकारात्मक)	नहीं (नकारात्मक)	कोई टिप्पणी नहीं/ कोई पक्का जवाब नहीं
1.	क्या स्वमेव प्रकटन के लिए कोई व्यवस्था की गई ?	27 (100%)		
2.	क्या "सार्वजनिक प्राधिकरणों" का विनिर्धारण किया गया है ?	26 (96.3%)		1 (3.7%)
3.	क्या सक्रियतापूर्वक प्रकटन के लिए सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों में समान रूप से लागू किए जाने के लिए कोई प्रोटोकॉल और प्रारूप विकसित किए गए हैं ?	8 (29.6%)	12 (44.44%)	7 (26%)
4.	क्या अभिलेख पालन की स्थिति काफी अच्छी समझी जाती है ?	16 (59.25%)	7 (26%)	4 (14.8%)
5.	क्या नागरिकों के बीच अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है ?	13(48.14%)	9 (33.33%)	5 (18.5%)
6.	क्या सूचना के भण्डारण और प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन विकसित किए गए हैं ?	14 (51.85%)	4 (14.8%)	9 (33.33%)
7.	क्या पृथक संसाधन आवंटन की जरूरत हैं ?	17 (63%)	7 (26%)	3 (11%)
8.	क्या अधिकारिक गुप्तता अधिनियम में किसी सशोधन की जरूरत है ?	2 (7.6%)	14 (51.85%)	11 (40.74%)
9.	क्या आवेदन-पत्रों पर नजर रखने के लिए कोई मानीटरन पद्धति अपनाई गई है ?	27 (100%)		
10.	क्या सर्वोत्तम प्रथाओं में हिस्सेदारी करने, सहज एकल खिड़की सुलभता आदि के संबंध में सी आई सी और एस आई सी के बीच किसी समन्वय की जरूरत है ?	16 (59.25%)	4 (14.8%)	7 (26%)

मामला अध्ययन

आर टी आई अधिनियम के तहत निम्नलिखित पाँच मंत्रालयों/विभागों से सूचना मांगी गई थी :

मामला अध्ययन 1 : औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग

- आवेदन पत्र फाइल करने की तारीख : 20.1.2006
- आवेदन-पत्र फाइल करने में पेश आई कठिनाई : अधिनियम के अनुसार आवेदन फीस 10/- रुपए है । किन्तु क्योंकि डी आई पी पी ने केवल डिमान्ड ड्राफ्ट पर बल दिया, इसलिए 35/- रुपए की लागत से ड्राफ्ट तैयार कराया गया ।
- मांगी गई सूचना : औद्योगिक श्रेणीकरण में टिकाऊ और गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के श्रेणीकरण का क्या आधार है ? डाटा संकलन का क्या आधार है और उत्तर प्रतिशतता कितनी थी ?
- किस तारीख को उत्तर प्राप्त हुआ : 2.2.2006
- उत्तर की प्रकृति : सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं है, "क्योंकि यह इस विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं आता" (सूचना को छिपाने अथवा कम से कम सूचना देने की प्रवृत्ति प्रतीत होती है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि अभिवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 51% बार के साथ औद्योगिक उत्पादन इन्डेक्स के संबंध में डाटा संग्रहीत करने के लिए डी आई पी पी स्रोत एजेंसी है और उप-श्रेणीकरण के साथ उसके द्वारा संकलित 209 मदों के संबंध में आंतरिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है) जिनमें उपभोक्ता टिकाऊ और गैर-टिकाऊ सम्मिलित हैं

मामला अध्ययन 2 : राजस्व विभाग (सीबीडीटी)

- आवेदन-पत्र फाइल करने की तारीख : 14.2.2006
- आवेदन-पत्र फाइल करने में पेश आई कठिनाई : कोई नहीं
- मांगी गई सूचना : क्या इक्विटी जुड़ी बचत स्कीम (ई एल एस एस) के अंतर्गत आय कर लाभ अभी भी आय कर अधिनियम के नए प्रावधानों के तहत उपलब्ध हैं ?
- उत्तर प्राप्त होने की तारीख : 1.3.2006
- उत्तर की प्रकृति : विभाग ने सूचित किया है कि "मांगी गई सूचना आर टी आई अधिनियम के अंतर्गत कवर नहीं होती" । फिर भी, कर लाभ के संबंध में जारी परिपत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न है ।

मामला अध्ययन 3 : पंचायती राज मंत्रालय

- आवेदन-पत्र फाइल करने की तारीख : 1.2.2006
 - आवेदन-पत्र फाइल करने में पेश आई कठिनाई : कोई नहीं
 - मांगी गई सूचना : झारखण्ड राज्य में पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?
 - उत्तर प्राप्त होने की तारीख : 22.2.2006
 - उत्तर की प्रकृति : पी आर आई राज्य विषय के अंतर्गत आते हैं और इसलिए वांछित सूचना के लिए आवेदन-पत्र को झारखण्ड राज्य को भेज दिया गया, जिसकी एक प्रतिलिपि आवेदक को पृष्ठांकित की गई (बाद में राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हुआ जो संतोषजनक था) ।
-
-

मामला अध्ययन 4 : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन

- आवेदन-पत्र फाइल करने की तारीख : 1.2.2006
 - आवेदन-पत्र फाइल करने में पेश आई कठिनाई : कोई नहीं
 - मांगी सूचना : विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में डाटा संकलित करने के लिए प्रतिदर्श आकार तथा प्रतिक्रिया दर क्या है ? इस प्रतिदर्श आकार का आधार क्या है और क्या यह अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय मानकों के अनुसार है ?
 - उत्तर प्राप्त होने की तारीख : उत्तर की प्रतीक्षा है ।
 - उत्तर की प्रकृति : (15.5.2006 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)
-
-

मामला अध्ययन 5 : जल संसाधन मंत्रालय

- आवेदन-पत्र फाइल करने की तारीख : 23.1.2006
 - आवेदन-पत्र फाइल करने में पेश आई कठिनाई : मंत्रालय का वेतन तथा लेखा कार्यालय दूसरे भवन में स्थित है ।
 - मांगी गई सूचना : क्या बिहार में सोन नहर पद्धति को, उसकी गाद निकासी सहित, बहाल करने की कोई परियोजना चल रही है ? क्या सोन नदी का अध्ययन करने के लिए विशेष नदी आयोग की स्थापना कर दी गई है जैसाकि बनसागर नियंत्रण बोर्ड गठित करते समय परिकल्पना की गई थी और कि क्या इसका अध्ययन पूरा हो गया है ? वित्त वर्ष 2002-2003/2003-2004 में मई से अक्टूबर और दिसम्बर से मार्च के दौरान सोन नदी में बिहार के लिए कितने डिस्चार्ज की अनुमति दी गई है ?
 - उत्तर प्राप्त होने की तारीख : 31.1.2006 को यह सूचित किया गया कि आवेदन-पत्र जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार तथा केंद्रीय जल आयोग को भेज दिया गया है । बिहार सरकार से दिनांक 27.2.2006 के पत्र के अनुसार और केंद्रीय जल आयोग से दिनांक 16.3.2006 के पत्र के अनुसार उत्तर प्राप्त हुआ ।
 - उत्तर की प्रकृति : उपयुक्त ब्यौरा दे दिया गया है ।
-
-

विभिन्न राज्यों के सूचना का अधिकार अधिनियम का एक तुलनात्मक विश्लेषण

("कामनवेल्थ ट्युमन राइट्स इनीशिएटिव " की वेबसाइट पर प्रदत्त सूचना और अधिनियमनों के आधार पर)

	तमिलनाडु - 1997	गोआ - 1997	राजस्थान - 2000
उद्देश्य	जनता को प्रशासन के बारे में सूचना की सुलभता का अधिकार प्रदान करने तथा उन्हें विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही सरकार की स्कीमों, विभिन्न विभागों द्वारा निष्पादित कार्यों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक दुकान को सप्लाय की जाने वाली अनिवार्य वस्तुओं और उनके भण्डारों के बारे में विवरण प्राप्त करने में समर्थ बनाने तथा लोगों को प्रणाली में अनियमितताओं का पता लगाने के उद्देश्य से सरकार ने एक विधान प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है ।	सरकार की प्रत्येक कार्रवाई जनता के लिए पारदर्शी होनी चाहिए और यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक सरकार से सूचना प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए ।	राज्य और सार्वजनिक निकायों के मामलों के बारे में नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करने के लिए ।
कार्यक्षेत्र : सूचना की परिभाषा	एक समावेशी परिभाषा - सूचना के अंतर्गत दी गई सूचना में राज्य अथवा उस समय लागू किसी अधिनियम के तहत गठित कोई स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण, अथवा कोई सांविधिक प्राधिकरण अथवा कोई कम्पनी, निगम अथवा सहकारी सोसायटी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा उसकी मिल्कियत में किसी संगठन के मामलों से संबंधित किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि शामिल है ।" (धारा 2 (3))	सूचना का अर्थ - "राज्य अथवा उस समय लागू गोआ विधानसभा द्वारा पारित किसी अधिनियम के तहत गठित कोई स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण, अथवा कोई सांविधिक प्राधिकरण अथवा कंपनी, निगम, ट्रस्ट, फर्म, सोसायटी या सहकारी सोसायटी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा उसकी मिल्कियत में किसी संगठन अथवा सरकार की ओर से अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी सार्वजनिक कार्य अथवा सेवा के निष्पादन के मामलों से संबंधित कोई सूचना अथवा सामग्री से है " (धारा 2 (ग))	सूचना पारिभाषिक नहीं किंतु "सूचना के अधिकार" का अर्थ, निम्नलिखित द्वारा राज्य अथवा सार्वजनिक निकायों के मामलों से संबंधित सूचना की सुलभता का अधिकार है : (क) दस्तावेजों अथवा अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना, अथवा (ख) प्राप्ति योग्य अभिलेखों का निरीक्षण और नोट और उद्धरण लेना अथवा (ग) सार्वजनिक कार्यों का निरीक्षण अथवा (घ) सार्वजनिक कार्यों से सामग्री के नमूने लेना शामिल है । (धारा 2 (vi))
सृजित अधिकार	प्रत्येक वास्तविक व्यक्ति जिसे सूचना की जरूरत हो, इस अधिनियम (धारा 3 (1)) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ऐसी सूचना प्राप्त कर सकता है।	"इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्येक्षीन प्रत्येक नागरिक को किसी सक्षम प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा" (धारा 3) ।	"इस अधिनियम के अध्येक्षीन, प्रत्येक नागरिक को कार्यालय के प्रभारी से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा और ऐसा प्रभारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और उनके तहत सूचना प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा" (धारा 3)।

गैर-सरकारी/निजी संगठनों पर प्रयोज्यता	तमिलनाडु - 1997	गोआ - 1997	राजस्थान - 2000	जारी...
<p>यह राज्य और सांविधिक प्राधिकरण, निगम अथवा सहकारी सोसायटी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा उसकी मित्कियत में कोई संगठन पर लागू होता है (निजी निकायों पर लागू नहीं) (धारा 2 (3))</p>	<p>राज्य, किसी सांविधिक निकाय अथवा कंपनी अथवा निगम, ट्रस्ट, फर्म, सोसायटी अथवा सहकारी सोसायटी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा उसके द्वारा वित्त पोषित कोई संगठन अथवा सरकार की ओर से अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी सार्वजनिक कार्य अथवा सेवा पर लागू (कुछ निजी निकायों पर आंशिक रूप से लागू) (धारा 2 (ग)।</p>	<p>राज्य सरकार तथा सार्वजनिक निकायों पर लागू। सार्वजनिक निकायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सभी स्थानीय निकाय और सांविधिक प्राधिकरण 2. सरकारी कम्पनी/निगम, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी राज्य सरकार द्वारा धारित हो। 3. राज्य सरकार द्वारा स्थापित और उसके द्वारा नियंत्रित एक ट्रस्ट; अथवा 4. सोसायटी अथवा सहकारी सोसायटी अथवा उस समय लागू राज्य सरकार द्वारा किसी कानून के अंतर्गत स्थापित कोई अन्य संगठन। 5. कोई अन्य निकाय जिसे राज्य सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, जैसा कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो (धारा 2 (v))। 	<p>राज्य सरकार तथा सार्वजनिक निकायों पर लागू। सार्वजनिक निकायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सभी स्थानीय निकाय और सांविधिक प्राधिकरण 2. सरकारी कम्पनी/निगम, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी राज्य सरकार द्वारा धारित हो। 3. राज्य सरकार द्वारा स्थापित और उसके द्वारा नियंत्रित एक ट्रस्ट; अथवा 4. सोसायटी अथवा सहकारी सोसायटी अथवा उस समय लागू राज्य सरकार द्वारा किसी कानून के अंतर्गत स्थापित कोई अन्य संगठन। 5. कोई अन्य निकाय जिसे राज्य सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, जैसा कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो (धारा 2 (v))। 	<p>जारी...</p>
<p>छूट</p>	<p>अनेक छूटों को सूचीबद्ध किया गया है। ये खुली छूट हैं {धारा 3 (2)}।</p>	<p>छूटों को सूचीबद्ध किया गया है किन्तु ऐसी सूचना जिसकी राज्य विधानमंडल को मनाही नहीं की जा सकती, किसी व्यक्ति को मनाही नहीं की जा सकती (धारा 5)</p>	<p>छूटों का सूचीबद्ध किया गया है (धारा 5)। ये खुली छूट हैं, सिवाय इस आधार पर मनाही के मामले में कि अनुरोध अत्यंत सामान्य है, जहाँ प्रभावी अधिकारी सूचना की आपूर्ति सुकर बनाने के किसी व्यक्ति के अनुरोध का हवाला देते हुए सूचना चाहने वाले व्यक्ति की सहायता करने के लिए कर्तव्यबद्ध है {धारा 5 (ख) (क)}।</p>	<p>कोई खुली छूट नहीं है। धारा 5 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी उस धारा के तहत सूचीबद्ध मामलों में सूचना रोक सकता है। इसके लिए कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करना होगा।</p>
<p>क्या बगैर छूट वाली श्रेणियों में सूचना की मनाही की जा सकती है</p>	<p>जी हाँ, यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में किसी सूचना के प्रकट कर दिए जाने पर, शांति भंग हो सकती है अथवा हिंसा अथवा लोगों के वर्ग के बीच, धर्म, भाषा, जाति, मत, समुदाय के आधार पर संजिश पैदा हो सकती है अथवा यदि वह सार्वजनिक हित के खिलाफ हो, सक्षम प्राधिकारी सूचना देने से इंकार कर सकता है।</p>	<p>कोई खुली छूट नहीं है। धारा 5 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी, उस धारा के तहत सूचीबद्ध मामलों में सूचना को रोक सकता है। इसके लिए कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करना होगा।</p>	<p>कोई खुली छूट नहीं है। धारा 5 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी उस धारा के तहत सूचीबद्ध मामलों में सूचना रोक सकता है। इसके लिए कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करना होगा।</p>	<p>कोई खुली छूट नहीं है। धारा 5 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी उस धारा के तहत सूचीबद्ध मामलों में सूचना रोक सकता है। इसके लिए कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करना होगा।</p>
<p>क्या छूट प्राप्त श्रेणियों में सूचना प्राप्त की जा सकती है</p>	<p>जी नहीं</p>	<p>सैद्धांतिक रूप से हाँ। छूट खुली नहीं है। धारा 5 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी उस धारा के तहत सूचीबद्ध मामलों में सूचना रोक सकता है। इसके लिए कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करना होगा।</p>	<p>सैद्धांतिक रूप से हाँ। छूट खुली नहीं है। धारा 5 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी उस धारा के तहत सूचीबद्ध मामलों में सूचना रोक सकता है। इसके लिए कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करना होगा।</p>	<p>सैद्धांतिक रूप से हाँ। छूट खुली नहीं है। धारा 5 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी उस धारा के तहत सूचीबद्ध मामलों में सूचना रोक सकता है। इसके लिए कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करना होगा।</p>

विभिन्न राज्यों के सूचना के अधिकार अधिनियम का एक तुलनात्मक विश्लेषण

	तमिलनाडु - 1997	गोआ - 1997	राजस्थान - 2000	जारी...
स्वमेव प्रकटन	जी नहीं कोई प्रावधान नहीं	सूचना को रोक सकता है। इसके लिए कारणों को लिखित में रिकार्ड करना होगा। कोई प्रावधान नहीं	को लिखित रूप में रिकार्ड करना होगा।	
संरचना	सक्षम प्राधिकारी सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी अनुरोध प्राप्त करेंगे और सूचना प्रदान करेंगे (धारा 2 (1), 3 (3) और 3 (4))	अधिनियम में अधिसूचित खुद सक्षम प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी अनुरोध प्राप्त करेंगे और सूचना उपलब्ध कराएंगे (धारा 2 (क) और 4)।	कोई अधिदेश नहीं। किंतु राज्य सरकार और सार्वजनिक निकाय समय-समय पर ऐसी सूचना को, जैसा वे सार्वजनिक हित में उपयुक्त समझें, यथा निर्धारित ढंग के अनुसार, स्वमेव ऐसी सूचना को प्रदर्शित अथवा प्रकट कर सकते हैं (धारा 12-क)। कार्यालय प्रभारी व्यक्ति अनुरोध प्राप्त करेगा और सूचना प्रदान करेगा (धारा 2 (iii) और 4)	
अपील	सक्षम अधिकारी के विरुद्ध सरकार से अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी के पास अपील की जा सकती है (धारा 4)	किसी विभागीय अपील की पद्धति नहीं। अपील प्रशासनिक अधिकरण को की जा सकेगी (धारा 6)।	सर्वप्रथम अपील 'नियंत्रक अधिकारी' के पास की जाएगी। उसके बाद जिला सतर्कता समिति अथवा राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण के पास अपील की जा सकेगी (धारा 6 और 7) अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्थित उपचार समाप्त हो जाने पर ही कानूनी कार्यवाही की जा सकती है (धारा 11)	
समय सीमा	30 कार्य दिवस	30 कार्य दिवस, बशर्ते कि यदि ऐसी सूचना किसी व्यक्ति के जीवन अथवा आजादी से संबंधित हो तो सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर 24 घंटे के अंदर या तो सूचना प्रदान करेगा अथवा अनुरोध को अस्वीकार करने संबंधी आदेश पारित करेगा।	30 कार्य दिवस	
फीस	कोई पृथम प्रावधान नहीं किंतु सरकार को अधिनियम के प्रयोजनार्थ संचालन हेतु नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है (धारा 7)।	सक्षम प्राधिकारी सूचना की आपूर्ति के लिए फीस चार्ज करेगा जो प्रसस्करण की लागत और सूचना उपलब्ध कराने की लागत से अधिक नहीं होगी (धारा 14)	इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ, सूचना प्रदान करने के लिए यथा निर्धारित फीस की अदायगी का सबूत संलग्न किया जाएगा (धारा 8)	
अभिलेख पालन	कोई प्रावधान नहीं	समुचित अभिलेख पालन आवश्यक (धारा 7)	उचित अभिलेख पालन अनिवार्य (धारा 9 (1) और (2))	
जागरूकता सृजन	कोई प्रावधान नहीं	कोई प्रावधान नहीं	कोई प्रावधान नहीं	
मानव संसाधन विकास	कोई प्रावधान नहीं	अधिनियम के अंतर्गत स्थापित राज्य परिषद का एक काम सरकार को एच आर डी के संभंध में सलाह देना है (धारा 11 (3) (घ))	कोई प्रावधान नहीं	

	तमिलनाडु - 1997	गोआ - 1997	राजस्थान - 2000	जारी...
दण्ड	कोई प्रावधान नहीं	सेवा नियमों के अंतर्गत दण्ड तथा देरी के लिए 100 रुपए प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना(धारा 8)	सेवा नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित दण्ड आरोपित किया जाएगा (धारा 10)	
फीस माफी का प्रावधान	कोई प्रावधान नहीं	कोई प्रावधान नहीं	कोई प्रावधान नहीं	
तुच्छ/कष्टकर अथवा फजूल अनुरोध	कोई प्रावधान नहीं	कोई प्रावधान नहीं	कोई प्रावधान नहीं	
सरकारी सेवकों के लिए विशेष प्रावधान	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	

संलग्नक - 1 (7)	
विभिन्न राज्यों के सूचना का अधिकार अधिनियम का एक तुलनात्मक विश्लेषण ("कामनवेल्थ ट्युमन राइट्स इनीशिएटिव " की वेबसाइट पर प्रदत्त सूचना और अधिनियमनों के आधार पर)	
	संलग्नक - 1 (7)
	महाराष्ट्र - 2002
उद्देश्य	सूचना का अधिकार प्रजातन्त्र की आधारशिला है और इससे राज्य के मामलों के अधिशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही प्रोत्साहित होती है और प्रशासन में लोगों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित होती है।
कार्यक्षेत्र : सूचना की परिभाषा	“सूचना” का अर्थ, सरकार और किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के मामलों के संबंध में किसी मामले से संबंधित सूचना से है और इसके अंतर्गत दस्तावेज, डिस्क, फ्लॉपी अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक विधि के रूप में किसी अभिलेख की प्रतिलिपि सम्मिलित है (धारा 2 (5) ।
सृजित अधिकार	इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्वये, प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा (धारा (3)।
गैर-सरकारी/निजी संगठनों पर प्रयोज्यता	अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है। “सार्वजनिक प्राधिकरण” का अर्थ किसी केन्द्रीय अथवा राज्य कानून द्वारा गठित अथवा स्थापित किसी प्राधिकरण अथवा निकाय से है और इसके अंतर्गत राज्य की मिल्कियत में और नियंत्रित, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त करने वाला अन्य निकाय सम्मिलित है तथा इनके अंतर्गत वे निकाय सम्मिलित होंगे, जिनका गठन और प्रशासन प्रमुख रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित है अथवा सार्वजनिक प्रकृति और हित के ऐसे निकाय के कार्य सम्मिलित हैं जिनके पदाधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं (धारा 2 (6)।
	दिल्ली - 2001
	दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सूचना का अधिकार सुरक्षित करना।
	“सूचना” का अर्थ दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मामलों से संबंधित कोई सूचना अथवा सामग्री से है (धारा 2 (घ)।
	इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्वये, प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा (अनुच्छेद 3) ।
	“सूचना का अधिकार” का अर्थ सूचना की सुलभता के अधिकार से है और इसके अंतर्गत कार्य का निरीक्षण, दस्तावेज, अभिलेख, नोट और उद्धरण, लेना तथा दस्तावेजों अथवा अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना अथवा सामग्री के नमूने लेना सम्मिलित है (धारा 2 (1) ।
	अधिनियम, सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है। सार्वजनिक प्राधिकरण का अर्थ (i) संविधान द्वारा अथवा उसके तहत, (ii) सरकार द्वारा बनाये गये किसी कानून द्वारा गठित अथवा स्थापित कोई प्राधिकरण अथवा निकाय से है और इसके अंतर्गत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित अथवा उसके मिल्कियत में अथवा पोषित अथवा उसकी मिल्कियत में अथवा नियंत्रित कोई अन्य निकाय सम्मिलित है (धारा 2 (घ) ।
	कर्नाटक - 2000
	राज्य के नागरिकों को सूचना की सुलभता का अधिकार प्रदान करने से प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रोत्साहित होती है और प्रशासन में लोगों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित होती है और इस प्रकार प्रजातन्त्र सार्थक बनाता है।
	“सूचना” का अर्थ, प्रशासन के मामलों अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण के निर्णयों से संबंधित सूचना से है (धारा 2 (ख) ।
	इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्वये, प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार होगा (धारा 4) । “सूचना का अधिकार” का अर्थ किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना की सुलभता के अधिकार से है (धारा 2 (घ) ।
	अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है। सार्वजनिक प्राधिकरण का अर्थ है:- राज्य सरकार के.पी.एस.सी. तथा सभी स्थानीय प्राधिकरण, उस समय लागू राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन गठित सभी प्राधिकरण, कोई कम्पनी निगम, ट्रस्ट, सोसायटी, कोई सांविधिक अथवा अन्य प्राधिकरण, सहकारी सोसायटी अथवा कोई संगठन अथवा राज्य द्वारा वित्त पोषित, मिल्कियत वाला अथवा नियंत्रित निकाय (धारा 2 (ग) ।

	कर्नाटक - 2000	दिल्ली - 2001	महाराष्ट्र - 2002	जारी...
छूट	खुली छूट की व्यवस्था है (धारा 4 (2)। जी हों, यदि अनुरोध वैयक्तिक जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटन का किसी सार्वजनिक कार्यकलाप से कोई संबंध नहीं है अथवा जिससे किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर अनावश्यक आक्रमण होगा, सिवाय उन मामलों के जिनमें प्रकटन से बड़े सार्वजनिक हित को लाभ पहुँचेगा अथवा यदि वह प्रकृति से अत्यधिक सामान्य हो (धारा 6)।	खुली छुट्टों की व्यवस्था है (धारा 6)। जी हों, धारा 6 में वर्णित आधारों पर।	खुली छूट की व्यवस्था है (धारा 7)।	
क्या बगैर छूट वाली श्रेणियों में सूचना की मनाही की जा सकती है			सार्वजनिक सूचना अधिकारी सूचना की आपूर्ति करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, यदि - (क) सूचना सरकारी राजपत्र में अथवा अन्यथा पहले ही प्रकाशित कर दी गई है और जनता के लिए उपलब्ध है अथवा ऐसी प्रकृति की है कि पुनः प्राप्त करने अथवा प्रसंस्कारित करने के लिए, अपेक्षित सूचना की मात्रा में सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधनों का अनुचित विचलन होगा। (ख) यह ऐसी सूचना से संबंधित है जिसे कानून, नियमों, विनियमों अथवा आदेश द्वारा किसी समय विशेष पर प्रकाशित किया जाना है (धारा 8)।	
क्या छूट प्राप्त श्रेणियों में सूचना प्राप्त की जा सकती है	नहीं, ये छूट खुली हैं (धारा 4 (2)।	जी नहीं, (धारा 6)।	जी नहीं, धारा (7)	
स्वमेव प्रकटन	अधिनियम के अंतर्गत कतिपय स्वमेव प्रकटन अनिवार्य हैं (धारा 3)।	अधिनियम के अंतर्गत कतिपय स्वमेव प्रकटन आवश्यक हैं (धारा 4)	अधिनियम के तहत कतिपय स्वमेव प्रकटन अनिवार्य हैं (धारा 4)	
संरचना	सक्षम प्राधिकारी अनुरोध प्राप्त करेगा तथा सूचना प्रदान करेगा। "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ कार्यालय के अध्यक्ष अथवा किसी अन्य अधिकारी अथवा व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए (धारा 5)।	सक्षम प्राधिकारी अनुरोध प्राप्त करेगा और सूचना प्रदान करेगा। "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ, सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी से है (धारा 5)।	अनुरोध प्राप्त करने और सूचना देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पी.आई.ओ. को पदनामित किया गया है (धारा 6)	
अपील	पहली अपील निर्धारित अपीलीय प्राधिकारी के पास की जा सकती है। दूसरी अपील कर्नाटक अपीलीय प्राधिकरण के पास की जा सकती है (धारा 7)। न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक है (धारा 10)।	अपील लोक शिकायत आयोग से की जा सकती है (धारा 7)।	पहली अपील आन्तरिक अपीलीय प्राधिकारी को और दूसरी अपील लोकयुक्त/उप-लोकयुक्त को की जा सकती है जिसका निर्णय अंतिम होगा (धारा 11)। न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक है (धारा 16)	
समय सीमा	15 कार्य दिवस	30 कार्य दिवस	15 कार्य दिवस। 24 घंटे के अंदर यदि अनुरोध के अंतर्गत व्यक्ति का जीवन और आजादी सम्मिलित है।	
फीस	सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी को, निर्धारित ढंग से, फीस के साथ, ऐसे रूप में और ऐसे ब्यौरे के साथ आवेदन किया जाएगा, जो यथानिर्धारित हो, (धारा 5 (1))	सूचना की आपूर्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी, नियमों के अंतर्गत निर्धारित फीस चार्ज करेगा, किन्तु फीस प्रसंस्करण और सूचना उपलब्ध कराने की लागत से अधिक नहीं होगी (धारा 13)।	सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को सार्वजनिक सूचना अधिकारी को, निर्धारित ढंग से ऐसी फीस के साथ, ऐसे ढंग से और ऐसे विवरण के साथ अनुरोध करना है, जो निर्धारित किया गया हो। यदि सूचना को, आवश्यक सूचना प्रदान करने की लागत वाली निर्धारित फीस के अलावा, अतिरिक्त फीस अदा करके प्रदान करने का निर्णय लिया जाए, तो सार्वजनिक सूचना अधिकारी, उसके द्वारा निर्धारित अतिरिक्त फीस का भ्रौंरा देते हुए आवेदक को सूचित करेगा, जिसमें उसे अतिरिक्त फीस जमा करने का अनुरोध किया जाएगा (धारा 6 (1) और (2)।	

विभिन्न राज्यों के सूचना के अधिकार अधिनियम का एक तुलनात्मक विश्लेषण

	कर्नाटक - 2000	दिल्ली - 2001	महाराष्ट्र - 2002	जारी...
अभिलेख पालन	उचित रूप से अभिलेख पालन अनिवार्य है (धारा 3 (क))	उचित अभिलेख पालन अनिवार्य है (धारा 4 (क))।	उचित अभिलेख पालन अनिवार्य है (धारा 4 (क))।	
जागरूकता सृजन	कोई प्रावधान नहीं है	कोई प्रावधान नहीं है	कोई प्रावधान नहीं है	
मानव संसाधन विकास	कोई प्रावधान नहीं है	कोई प्रावधान नहीं है	कोई प्रावधान नहीं है	
दांड	यदि कोई सक्षम प्राधिकारी बिना किसी उचित कारण के, विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर सूचना प्रदान करने में असमर्थ रहे अथवा झूठी सूचना प्रदान करता है जो तुरंत वरिष्ठ अधिकारी उसपर अधिकतम 2000 रूपए का जुर्माना आरोपित कर सकता है और उसके खिलाफ सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी (धारा 9)	संगत सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी (धारा 9)।	यदि कोई सार्वजनिक सूचना अधिकारी बिना किसी उचित वजह के, विनिर्दिष्ट समयावधि के दौरान सूचना प्रदान करने में असमर्थ रहता है, तो अपीलीय प्राधिकारी प्रत्येक दिन की देरी के लिए 250 रूपए का जुर्माना आरोपित कर सकता है यदि यह पाया जाए कि पी.आई.ओ. ने जानबूझकर गलत/भ्रामक अथवा गलत/अधूरी सूचना दी है तो ऐसे अधिकारी पर अधिकतम 2000/-रूपए का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। इसके अलावा, पी.आई.ओ. के खिलाफ सेवा नियमों के तहत उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी (धारा 12)।	
फीस माफ़ी का प्रावधान	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	
तुच्छ/कस्टकर अथवा फंजूल अनुरोध	सक्षम प्राधिकारी सूचना की आपूर्ति करने के किसी अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, यदि ऐसा अनुरोध - (क) प्रकृति से अत्यंत सामान्य है और मांगी गई जानकारी ऐसी प्रकृति की है कि उसे सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सामान्यतः संकलित नहीं किया जाता है। (ख) ऐसी जानकारी से संबंधित है जिसे कानून, नियमों, विनियमों अथवा आदेशों के तहत किसी खास समय पर प्रकाशित किया जाना है, अथवा (ग) ऐसी जानकारी से संबंधित है जो जनता के लिए उपलब्ध प्रकाशित सामग्री में दी गई है। (घ) वैयक्तिक जानकारी से संबंधित है जिसके प्रकटन का किसी सार्वजनिक कार्यकलाप से कोई संबंध नहीं है अथवा जिससे किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर अनावश्यक आक्रमण होगा, सिवाय उन मामलों में जिनमें प्रकटन से बड़े सार्वजनिक हित को लाभ पहुँचेगा (धारा 6)।	कोई प्रावधान नहीं है	सार्वजनिक सूचना अधिकारी सूचना की आपूर्ति के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है यदि - क. सूचना सरकार राजपत्र में अथवा अन्यथा प्रकाशित हो और जनता के लिए उपलब्ध हो अथवा ऐसी प्रकृति की हो कि अपेक्षित सूचना की पुनः प्राप्ति अथवा प्रसंस्करण के लिए सूचना की मात्रा के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधनों का, अनुचित रूप से विचलन होगा। ख. यदि वह ऐसी सूचना से संबंधित हो जो कानून, नियमों, विनियमों अथवा आदेशों के तहत किसी खास समय पर प्रकाशित की जानी है (धारा 8)।	
सरकारी सेवकों के लिए विशेष प्रावधान	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	

संलग्नक - 1 (7)	
विभिन्न राज्यों के सूचना का अधिकार अधिनियम का एक तुलनात्मक विश्लेषण ("कामनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनीशिएटिव " की वेबसाइट पर प्रदत्त सूचना और अधिनियमनों के आधार पर)	
	जम्मू और कश्मीर - 2004
उद्देश्य	सूचना का अधिकार प्राप्त करने तथा उससे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों के संबंध में प्रावधान करना।
कार्यक्षेत्र : सूचना की परिभाषा	सूचना का अर्थ, राज्य अथवा किसी सार्वजनिक निकाय के मामलों से संबंधित कोई दस्तावेज अथवा सूचना से है (धारा 2 (ड.))।
उद्देश्य	सूचना का अर्थ और इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं: प्रशासन के मामलों अथवा राज्य सरकार अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के निर्णयों के संबंध में किसी मामले से संबंधित सूचना, ऐसी कोई सूचना जिसकी उस समय लागू किसी कानून अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना द्वारा प्रकाशन की मनाही की गई है (धारा 2(ग))।
सृजित अधिकार	इस अधिनियम के प्रावधानों और अधिकारिक गुणवत्ता अधिनियम, 1923 के अद्यधीन प्रत्येक नगरिक को कार्यालय के प्रभारी से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा ऐसे प्रभारी को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सूचना प्रदान करनी होगी (धारा 4 (1))। "सूचना का अधिकार" का अर्थ और इसके अंतर्गत राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण के मामलों से संबंधित सूचना की सुलभता का अधिकार सम्मिलित है (धारा 2 (घ))।
गैर-सरकारी/निजी संगठनों पर प्रयोज्यता	सार्वजनिक प्राधिकरणों के अंतर्गत सम्मिलित हैं: स्थानीय शासन, सरकारी कर्मनियां, सरकार द्वारा नियंत्रित सरकारी सोसायटियां, कोई अन्य निकाय, प्राधिकरण, संस्थान अथवा संगठन जिसे राज्य सरकार से पर्याप्त
	मध्य प्रदेश - 2003
	सार्वजनिक हित के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण के अधीन सूचना की सुलभता प्राप्त करने के लिए और प्रशासन में खुलापन व पारदर्शिता के अधिकार के रूप में राज्य के प्रत्येक नागरिक को आजादी प्रदान करना।
	सूचना शब्द की परिभाषा नहीं की गई है। कार्यक्षेत्र अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त करने तक सीमित है (धारा 4 (1))।
	असम - 2002
	नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करने के लिए ताकि प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित किया जा सके।
	सूचना का अर्थ और इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं: प्रशासन के मामलों अथवा राज्य सरकार अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के निर्णयों के संबंध में किसी मामले से संबंधित सूचना, ऐसी कोई सूचना जिसकी उस समय लागू किसी कानून अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना द्वारा प्रकाशन की मनाही की गई है (धारा 2(ग))।
	इस अधिनियम के प्रावधानों और अधिकारिक गुणवत्ता अधिनियम, 1923 के अद्यधीन प्रत्येक नगरिक को कार्यालय के प्रभारी से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा ऐसे प्रभारी को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सूचना प्रदान करनी होगी (धारा 4 (1))। "सूचना का अधिकार" का अर्थ और इसके अंतर्गत राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण के मामलों से संबंधित सूचना की सुलभता का अधिकार सम्मिलित है (धारा 2 (घ))।
	इस अधिनियम के प्रावधानों के अद्यधीन, प्रत्येक नागरिक को कार्यालय के प्रभारी से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा ऐसे प्रभारी को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सूचना प्रदान करनी होगी (धारा 4)।
	अधिनियम राज्य सरकार के विभागों और सार्वजनिक निकायों पर लागू होता है और इसके अंतर्गत सम्मिलित है:
	(i) इस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत गठित

जारी...	जम्मू और कश्मीर - 2004	मध्य प्रदेश - 2003	असम - 2002	
<p>प्रधिकरणों और सभी स्थानीय निकायों के कार्यालय; अथवा</p> <p>(ii) इस समय लागू किसी कानून के तहत सरकार द्वारा गठित कोई अन्य सांविधिक प्राधिकरण।</p> <p>(iii) इस समय लागू किसी कानून के तहत सरकार द्वारा स्थापित और उसके नियंत्रणाधीन, कम्पनी अधिनियम, 1956 (केंद्रीय अधिनियम सं.1, 1956) के अंतर्गत स्थापित कोई सरकारी कम्पनी/निगम अथवा ट्रस्ट जिसकी कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी सरकार द्वारा धारित हो, अथवा</p> <p>(iv) इस समय लागू किसी कानून के तहत सरकार द्वारा स्थापित और प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित अथवा उसके द्वारा वित्त पोषित कोई सोसायटी अथवा सहकारी सोसायटी अथवा कोई अन्य संगठन, अथवा</p> <p>(v) कोई अन्य निकाय जिसे सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, जैसा कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सरकार की बजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो (धारा 2(ड.))</p>	<p>(ii) राज्य विधानमंडल के इस समय लागू किसी अधिनियम के तहत गठित सभी स्थानीय प्राधिकरण और सांविधिक प्राधिकरण तथा सभी कम्पनियाँ। ऐसे निगम और सहकारी सोसायटियाँ जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी राज्य सरकार द्वारा धारित हो (धारा 2 (ख))।</p>	<p>वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत समय-समय पर अधिसूचित किया जाए (धारा 2 (ड))।</p>	<p>धारा 4 (2) (क) से (ट) में खुली छूट की व्यवस्था है।</p>	<p>क्या बगैर छूट वाली श्रेणियों में सूचना की मनाही की जा सकती है</p>
<p>7 खुली छूट (धारा 6 (1))</p>	<p>9 खुली छूट (धारा 4 (2))।</p>	<p>धारा 4 (2) (क) से (ट) में खुली छूट की व्यवस्था है।</p>	<p>निम्नलिखित आधारों पर भी सूचना की मनाही की जा सकती है: (i) अनुरोध अत्यधिक सामान्य के लिए अपेक्षित पुनः प्राप्ति अथवा प्रसंस्कारित करने में राज्य सरकार के अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधनों का अनुचित रूप से विवचन होगा, जैसी भी स्थिति हो, अथवा</p> <p>ऐसे प्राधिकरण के कामकाज में प्रतिकूल रूप से हस्तक्षेप होगा, बशर्ते कि यदि इस आधार पर सूचना की मनाही की जा रही है कि अनुरोध अत्यंत सामान्य है तो यह संबंधित कार्यालय के प्रभावी का कर्तव्य होगा कि वह जहाँ तक सम्भव हो सूचना चाहने वाले व्यक्ति की अपना अनुरोध पुनर्हित करने में सहायता करे जिसे सूचना की आपूर्ति सुकर हो सके, (ii) अनुरोध ऐसी सूचना से संबंधित है जिसे कानून अथवा अभिसमय द्वारा किसी खास समय पर प्रकाशित किया जाना है; अथवा (iii) अनुरोध ऐसी सूचना से संबंधित है जो विक्री के लिए प्रकाशित सामग्री में दी गई है (धारा 4(2) (1))।</p>	<p>निम्नलिखित अधिकारी निम्नलिखित आधार पर भी सूचना की आपूर्ति की मनाही कर सकता है, जैसे कि -</p> <p>(क) यह प्रकृति से अत्यंत सामान्य है और मांगी गई सूचना की प्रकृति ऐसी है कि उसे सामान्य रूप से किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा एकत्रित करने की जरूरत नहीं होती;</p> <p>(ख) ऐसी सूचना से संबंधित है कि उसे किसी कानून, नियमों, विनियमों अथवा आदेशों के अंतर्गत किसी खास समय पर प्रकाशित किया जाना है;</p> <p>(ग) ऐसी सूचना से संबंधित है जो जमला के लिए उपलब्ध प्रकाशित सामग्री में दी गई है;</p> <p>(घ) वैयक्तिक सूचना से संबंधित है जिसके प्रकटन का किसी सार्वजनिक कार्यकलाप से कोई संबंध नहीं है अथवा जिससे किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर अनावश्यक आक्रमण होता है;</p> <p>(ड) "गुप्त" अथवा "गोपनीयता" के रूप में श्रेणीकृत मामलों से संबंधित है;</p> <p>(च) स्पष्ट अथवा निश्चिंत है, अथवा प्रतियाँ तैयार करने की दृष्टि से अत्यंत विशाल है (धारा 6)।</p>
<p>जी हाँ, जैसा कि अधिनियम की धारा 6(2) में निर्धारित है।</p>				

असम - 2002	मध्य प्रदेश - 2003	जम्मू और कश्मीर - 2004	जारी...
क्या छूट प्राप्त श्रेणियों में सूचना प्राप्त की जा सकती है	जी नहीं	जी नहीं	
स्वमेव प्रकटन	जी नहीं	जी नहीं, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अंतर्गत।	
संरचना	कार्यालय का प्रभारी अनुरोध प्राप्त करेगा और सूचना प्रदान करेगा (धारा 5 (1))।	सूचना चाहने वाला व्यक्ति मांगी गई सूचना से संबंधित मामलों के व्योरो के संबंध में कार्यालय के प्रभारी को एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा। (धारा 5)	
अपील	पीडित व्यक्ति पहली अपील कार्यालय के प्रभारी के नियंत्रक अधिकारी के पास कर सकता है। दूसरी अपील असम प्रशासनिक अधिकरण के पास की जा सकती है (धारा 6)। न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर रोक है (धारा 10)।	कार्यालय के प्रभारी के आदेश से दुःखी व्यक्ति अथवा कोई व्यक्ति जिसे धारा 5 के अंतर्गत समयावधि के अंदर अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई है, सूचना के उसके अनुरोध की अस्वीकृति के निर्णय के तीस दिन के अन्दर अथवा ऐसी सूचना प्रस्तुत करने के लिए धारा 5 के अंतर्गत निर्धारित अवधि की समाप्ति पर, नियंत्रक अधिकारी को अपील कर सकता है (धारा 9)। न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर कोई रोक नहीं है (धारा 14)।	
समय सीमा	30 कार्य दिवस	30 कार्य दिवस	
फीस	सूचना प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति कार्यालय के प्रभारी को निर्धारित ढंग से ऐसी फीस के साथ और फार्म में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा, जैसा कि निर्धारित हो धारा 5 (1)।	इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना चाहने के अनुरोध के साथ ऐसी फीस की अदायगी का सबूत संलग्न किया जाना चाहिए जैसा कि सूचना प्रस्तुत करने के लिए यथा निर्धारित हो (धारा 10)।	
अभिलेख पालन	अधिनियम के अंतर्गत उचित अभिलेख पालन जरूरी है (धारा 3)।	अधिनियम के अंतर्गत उचित अभिलेख पालन आवश्यक है धारा 3 (क), 11 (1) और 11 (2)।	
जागरूकता सृजन	कोई प्रावधान नहीं है	कोई प्रावधान नहीं है	
मानव संसाधन विकास	कोई प्रावधान नहीं है	कोई प्रावधान नहीं है	
दण्ड	संगत नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई (धारा 9)।	संगत नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई (नियम (12))।	

	असम - 2002	मध्य प्रदेश - 2003	जम्मू और कश्मीर - 2004
फीस माफी का प्रावधान	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
तुच्छ/कष्टकर अथवा फजूल अनुरोध	अधिनियम के अंतर्गत कुछेक आधारों पर सूचना की मनाही की जा सकती है धारा 4 (1)	अन्तर वांछित सूचना सत्याई करने में असमर्थ रहता है तो अपीलीय प्राधिकारी सार्वजनिक निकाय के संबंधित प्रमुख पर अथवा पदनामित अधिकारी पर अधिकतम दो हजार रुपए का दंड आरोपित कर सकता है (धारा 8)। कोई नहीं पदनामित अधिकारी सूचना की सत्याई करने के अनुरोध को अस्वीकार भी कर सकता है यदि अनुरोध: (क) प्रकृति से अत्यधिक साधारण हो और मांगी गई सूचना की प्रकृति ऐसी हो कि ऐसी सूचना सार्वजनिक निकाय द्वारा सामान्यतः एकत्र नहीं की जाती ; (ख) ऐसी सूचना से संबंधित है जिसे कानून, नियमों, विनियमों अथवा आदेशों के अंतर्गत किसी खास समय पर प्रकाशित किया जाना है ; (ग) ऐसी सूचना से संबंधित है जो जनता के लिए उपलब्ध किसी प्रकाशित सामग्री में दी गई है ; (घ) बैयक्तिक सूचना से संबंधित है जिसके प्रकटन का किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से कोई संबंध नहीं है अथवा जिससे किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर अनावश्यक आक्रमण हो सकता है ; (ङ). "पुत्र" अथवा "गोपनीयता" के रूप में श्रेणीकृत मामलों से संबंधित है ; (च) अस्पष्ट अथवा निरर्थक है अथवा प्रतियां तैयार करने के लिए मात्रा में विशाल है (धारा 6)।	अधिनियम में सूचना प्रस्तुत करने की मनाही के संबंध में कतिपय आधार निर्धारित किए गए हैं। (धारा 6 (2))
सरकारी सेवकों के लिए विशेष प्रावधान	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

जारी...

संलग्नक - 1 (8)					
विभिन्न राज्यों के सूचना का अधिकार अधिनियम का एक तुलनात्मक विश्लेषण ("कामनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनीशिएटिव " की वेबसाइट पर उपलब्ध अधिनियमों और सूचना पर आधारित)					
क्रम सं.	प्रतिमान	यू.के.	दक्षिण अफ्रीका	कनाडा	भारत
1.	अधिनियम का नाम और वर्ष	फ्रीडम आफ इन्फॉर्मेशन एक्ट, 2000	इन्फॉर्मेशन एक्ट, 2000 तक पहुँच को बढ़ावा देना	इन्फॉर्मेशन एक्ट, 1985 तक पहुँच	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
2.	सृजित अधिकार	कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना का अनुरोध करने के लिए निम्नलिखित का पात्र है - (क) सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा लिखित में सूचित किया जाना कि क्या उसके पास अनुरोध में विनिर्दिष्ट विवरण की जानकारी उपलब्ध है। (ख) यदि ऐसा है तो उसे सम्प्रति जानकारी प्राप्त करना। (धारा 1 (1))	किसी अनुरोधकर्ता को सार्वजनिक निकाय के अभिलेख सुलभ करए जाने चाहिए (धारा 11(1))। किसी अनुरोधकर्ता को किसी निजी निकाय के अभिलेख सुलभ करए जाने चाहिए (धारा 50 (1))।	किसी भी व्यक्ति को, जो कनाडा का नागरिक है अथवा स्थायी निवासी (परिभाषित) है, अनुरोध किए जाने पर, सरकारी संस्थान के नियंत्राधीन के तहत किसी अभिलेख की सुलभता प्रदान की जाएगी और वह प्राप्त करेगा {धारा 4 (1) }।	सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा (धारा 3) "सूचना का अधिकार" का अर्थ उस सूचना तक पहुँच से है जो किसी "सार्वजनिक प्राधिकारी" द्वारा धारित है अथवा उसके नियंत्रण में है {धारा 2 (i) }।
3.	कवरेज	इस अधिनियम के अंतर्गत "सार्वजनिक प्राधिकारी" का अर्थ है: (क) धारा 4 (4) के अध्याधीन, कोई निकाय कोई अन्य व्यक्ति अथवा किसी पद का पदधारी, जो - (i) अनुसूची I में सूचीबद्ध है, अथवा (ii) धारा 5 के अंतर्गत आदेश द्वारा पदमानित है, अथवा (ख) सार्वजनिक मिल्कियत वाली कम्पनी, जैसा कि धारा 6 द्वारा परिभाषित है (धारा 3 (1))।	अधिनियम निम्नलिखित पर लागू होता है: (क) किसी सार्वजनिक निकाय के अभिलेख; और (ख) किसी निजी निकाय के अभिलेख, इस बात को ध्यान में रखे बौर कि अभिलेख का सृजन कब हुआ (धारा 3)। "सार्वजनिक निकाय" का अर्थ है:- (क) सरकार के राष्ट्रीय अथवा प्रान्तीय क्षेत्र में अथवा शासन के स्थानीय क्षेत्र में कोई नगरपालिका; अथवा (ख) कोई अन्य कार्यकर्ता अथवा संस्थान, जबकि-(i) संविधान अथवा प्रान्तीय संविधान के अनुसार किसी शक्ति का इस्तेमाल अथवा खूटी निष्पादित करते हुए; अथवा (ii) किसी विधान के अनुसार किसी शक्ति का इस्तेमाल अथवा खूटी निष्पादित करते हुए धारा (1)। "निजी निकाय" का अर्थ है:- (क) कोई भी स्वाभाविक व्यक्ति जो उस हेतियत से कोई व्यापार, व्यवसाय अथवा पेशा चलाता हो या चलाया है; (ख) कोई भागीदारी जिसने ऐसा व्यापार, व्यवसाय अथवा पेशा चलाया है या चलाता है; अथवा (ग) कोई पूर्व अथवा विद्यमान न्यायवादी व्यक्ति किन्तु इसमें कोई सार्वजनिक निकाय शामिल नहीं है, (धारा 1)।	सरकारी संस्थान का अर्थ है कनाडा सरकार का कोई विभाग और राज्य मंत्रालय, जो अनुसूची में सूचीबद्ध है अथवा अनुसूची-1 में सूचीबद्ध कोई निकाय या कार्यालय (धारा 3)	"सार्वजनिक प्राधिकारी" का अर्थ निम्नलिखित के जरिए गठित अथवा स्थापित कोई प्राधिकारी/निकाय/संस्थान है : (क) संविधान द्वारा उसके अंतर्गत, (ख) संसद द्वारा बनाया गया कोई अन्य कानून, (ग) राज्य विधान मंडल द्वारा बनाया गया कोई अन्य कानून, (घ) उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अथवा आदेश, और इसमें शामिल है; स्वाभिव, नियंत्रित अथवा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय, कोई गैर-सरकारी संगठन, जो उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदत्त निधियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप में वित्त पोषित हो (धारा 2 (ज))।

संलग्नक - 1 (8)					
क्रम सं.	प्रतिमान	यू.के.	दक्षिण अफ्रीका	कनाडा	भारत
4.	विधायिका और न्यायपालिका पर प्रयोज्यता	विधायिका पर लागू है किन्तु न्यायपालिका पर नहीं।	नहीं	नहीं	जो हैं
5.	व्या निजी निकाय कवर होते हैं	कुछ सीमा तक राज्य सचिव किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आदेश द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में पदनामित कर सकता है, जो अनुसूची 1 में सूचीबद्ध नहीं है और न ही धारा 4 (1) के अंतर्गत किसी आदेश द्वारा उस सूची में शामिल किए जाने के योग्य है, किन्तु जो (क) राज्य सचिव की निगाह में सार्वजनिक प्रकृति के कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, अथवा (ख) किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ किए गए किसी संविदा के तहत कोई सेवा प्रदान कर रहा है जिसकी व्यवस्था इस प्राधिकारी का एक कार्य है, (धारा 5(1))	धारा 50 (1) के प्रावधानों के अनुसार, अनुरोधकर्ता को निजी निकाय के किसी भी अभिलेख तक पहुँच उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जैसा की ऊपर कहा गया है "निजी निकाय" शब्द की परिभाषा अधिनियम की धारा 1 में की गई है। किसी सार्वजनिक अथवा निजी निकाय की दृष्टि से "अभिलेख" शब्द का अर्थ कोई भी अभिलेखबद्ध सूचना है, (क) चाहे वह किसी भी फार्म अथवा माध्यम में हो; (ख) क्रमशः इस सार्वजनिक अथवा निजी निकाय के कब्जे अथवा नियंत्रण में हो; और (ग) चाहे उसे क्रमशः सार्वजनिक अथवा निजी निकाय द्वारा सृजित किया गया हो या नहीं (धारा 1)।	नहीं	कुछ सीमा तक जैसे कि : "सूचना" की परिभाषा में, किसी निजी निकाय से संबंधित सूचना सम्मिलित है जिसे उसे समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है (धारा 2 (ब)) "सार्वजनिक प्राधिकारी" शब्द की परिभाषा में निम्नलिखित सम्मिलित है : (i) ऐसा निकाय जो उसके स्वामित्व, नियंत्रण अथवा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हो, (ii) गैर-सरकारी संगठन, जो पर्याप्त रूप से वित्त पोषित, उपयुक्त सरकार द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित हो (धारा (ज))
6.	स्वमेव प्रकटन	प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:- (क) ऐसी स्कीम बनाना और उसे बनाए रखना, जो किसी प्राधिकारी द्वारा, सूचना के प्रकाशन से संबंधित है और आयुक्त द्वारा अनुमोदित है (इस अधिनियम में प्रकाशन स्कीम के रूप में वर्णित)। (ख) अपनी प्रकाशन स्कीम के अनुसार, सूचना प्रकाशित करना। (ग) समय-समय पर अपनी प्रकाशन स्कीम की समीक्षा करना (धारा 19 (1))	इस धारा की शुरुआत के बाद छ: महीने के अंदर अथवा सार्वजनिक निकाय के अस्तित्व में आने पर, संबंधित सार्वजनिक निकाय के सूचना अधिकारी को कम से कम तीन सरकारी भाषाओं में एक संहिता संकलित करनी चाहिए जिसमें धारा 14(i), खण्ड (क) से (झ) तक में निर्धारित सूचना दी गई हो। संहिता को वर्ष में कम से कम एक बार अद्यतन बनाया जाना चाहिए (धारा 14(2))। इसी प्रकार निजी निकायों द्वारा स्वयं कुछ सूचना प्रकाशित करनी होती है। (धारा 52)	पदनामित मंत्री, कम से कम वर्ष में एक बार समय-समय पर एक प्रकाशन प्रकाशित कराएगा जिसमें निम्नलिखित सूचना दी जाएगी: (क) संगठन का विवरण और प्रत्येक सरकारी संस्थान की जिम्मेदारियाँ, प्रत्येक सरकारी संस्थान के प्रत्येक प्रभाग और प्रत्येक शाखा के कार्यक्रमों और कार्यों का विवरण सहित (ख) प्रत्येक सरकारी संस्थान के नियंत्रण में सभी श्रेणी के अभिलेखों का विस्तारपूर्वक	आर टी आई अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को (क) सूचना के अधिकार को सुविधा देने के लिए अपने रिकार्ड को वर्गीकृत और सूचीबद्ध और यह सुनिश्चित करना होता है कि संगत रिकार्ड कम्प्यूटराईज्ड हो। जहाँ तक संभव हो नेटवर्क की व्यवस्था की जानी चाहिए। (ख) धारा 4(1) (ख), उप खण्ड (1) से (xvii) में वर्णित आर टी आई अधिनियम के अन्तर्गत 120 दिन के अन्दर ब्यौरो का प्रकाशन करना होता है।

संगनक - 1 (8)					
क्रम सं.	प्रतिमान	यू.के.	दक्षिण अफ्रीका	कनाडा	भारत
		(क) उस सूचना की श्रेणी का उल्लेख जिसका सार्वजनिक प्राधिकारी प्रकाशन करता है अथवा प्रकाशित करना चाहता है, (ख) उस ढंग का उल्लेख करना जिसके अनुसार प्रत्येक श्रेणी की सूचना प्रकाशित की गई है अथवा प्रकाशित करने का इरादा है, (ग) यह उल्लेख करना कि क्या सामग्री जनता के लिए नि:शुल्क अथवा अवयगी पर उपलब्ध कराई गई है या करने का इरादा है धारा 19 21 आयुक्त, समय-समय पर, किसी श्रेणी विशेष के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक प्राधिकारियों की दृष्टि से, उसके द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा माण्डल प्रकाशन स्कीम तैयार की गई है (धारा 20 (1))		विवरण ताकि इस अधिनियम के अंतर्गत सुलभता के अधिकार का इस्तेमाल करना सुकर हो सके ; (ग) सरकारी संस्थान के किसी भी कार्यक्रम अथवा कार्यकलापों के प्रशासन अथवा कार्यान्वयन में प्रत्येक सरकारी संस्थान के कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त सभी संहिताओं का विवरण; और (घ) प्रत्येक सरकारी संस्थान के संबंध में उपयुक्त अधिकारी का शीर्षक और पता (धारा 5 (1))	(ग) नीतियों या उनके निरूपण का समय या घोषणा सम्बन्धी सभी संबंधित तथ्यों को प्रकाशित करना। (घ) प्रभावित व्यक्ति को अर्द्ध-न्यायिक या प्रशासनिक कारणों के बारे में बताना होता है ।
7.	क्या पूर्ण छूट विद्यमान है	जी हॉ, पूर्ण छूट की श्रेणियाँ हैं (धारा 2 (3)) इन सभी मामलों में सूचना का अधिकार विद्यमान नहीं है ।	जी हॉ, पूर्ण छूट विद्यमान हैं । इन श्रेणियों के मामलों में यह निर्धारित है कि सूचना अधिकारी को सूचना की मनाही करनी चाहिए (धारा 33 (1) (क))	जी हॉ, पूर्ण छूट विद्यमान है । कतिपय मामलों में यह निर्धारित है कि सरकारी संस्थान का प्रधान सूचना की मनाही कर देगा	यद्यपि अधिनियम के अंतर्गत दस श्रेणियों के तहत छूटों की व्यवस्था है; (धारा 8 (1)), "सार्वजनिक हित" में उनकी उपेक्षा की जा सकती है (धारा 8 (2)) केवल राज्य से इतर किसी व्यक्ति में निहित काफीचिट के उल्लंघन के मामले में, पूर्ण छूट की व्यवस्था है (धारा 9)
8.	क्या किसी सरकारी संगठन को छूट दी गई है	अधिनियम केवल एजेंसियों की सूची पर लागू है । यह सभी सरकारी एजेंसियों पर लागू नहीं होता, इसलिए सरकारी एजेंसियों को छूट देने का प्रश्न नहीं उठता ।	यह अधिनियम निम्नलिखितों के अभिलेख पर लागू नहीं होता : (क) मंत्रिमंडल और इसकी समितियाँ; (ख) निम्नलिखित के न्यायिक कार्य; (i) संविधान की धारा 166 में संदर्भित न्यायालय (ii) विशेष अन्वेषण इकाइयों और विशेष अधिकरण अधिनियम, 1996 (अधिनियम सं. 74, 1996) की धारा	अधिनियम, कनाडा के लिए व्हीन की प्रीवी काउन्सिल के कन्फिडेंसिज पर लागू नहीं होता जिसमें उपरोक्त की सामान्यता को प्रतिबंधित किए बगैर सम्मिलित हैं: (क) मेमोरेंडा, जिनका प्रयोजन काउन्सिल को प्रस्ताव अथवा सिफारिश प्रस्तुत करना है ; (ख) चर्चा पत्र जिनका उद्देश्य पृष्ठ भूमि व्याख्याएं, समस्याओं का विश्लेषण	जी हॉ । धारा 24 के अनुसार, अधिनियम द्वितीय अनुसूची में वर्णित आसूचना और सुरक्षा एजेंसियों पर लागू नहीं होता । (इस समय 18 संगठन) सिवाय भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघनों से सम्बंधित सूचना के मामले में ।

संलग्नक - 1 (8)					
क्रम सं.	प्रतिमान	यू. के.	दक्षिण अफ्रीका	कनाडा	भारत
			<p>2 के अनुसार स्थापित विशेष अधिकरण ; अथवा</p> <p>(ii) ऐसे न्यायालय अथवा विशेष अधिकरण का न्यायिक अधिकारी, अथवा</p> <p>(ग) प्रांतीय विधान मंडल के सांसद की हैसियत से अलग-अलग सदस्य (धारा 12) ।</p>	<p>अथवा परिषद को नीतिगत विकल्प प्रस्तुत करना है जिन पर काउन्सिल द्वारा चर्चाएं करने के लिए विचार किया जा सके; (ग) काउन्सिल का एजेण्डा अथवा रिकार्ड, रिकार्डिंग विचार-विमर्श अथवा काउन्सिल के निर्णय, (घ) सम्मेषणों के संबंध में अथवा उन्हें परिलक्षित करने के लिए प्रयुक्त रिकार्ड अथवा सरकार के निर्णय लेने अथवा सरकार की नीति के निर्माण से संबंधित मामलों पर क्राउन के मंत्रियों के बीच चर्चाएं; (ङ.) ऐसे रिकार्ड जिनका प्रयोजन क्राउन के मंत्रियों को उनके समुच्च प्रस्तुत अथवा काउन्सिल के समुच्च पेश किए जाने वाले मामलों की दृष्टि से सलाह देना है अथवा जो पैराग्राफ (घ) में संदर्भित सम्मेषण और चर्चाओं का विषय हो; (च) विधान का मसौदा और (छ) ऐसे रिकार्ड जिनमें किसी रिकार्ड की विषय वस्तु के बारे में; पैराग्राफ (क) से (च) में संदर्भित रिकार्ड की श्रेणी के अंदर, कतिपय सूचना दी गई हो (धारा 69 (1))</p>	<p>जो हों, जैसा कि धारा 8 (2) में वर्णित है ।</p>
9.	गोपनीय छूट	<p>अधिनियम के भाग-11 में अनेक प्रकार की सूचनाओं की सूची दी गई है जिन्हें छूट प्राप्त है । इनमें से 8 श्रेणियां पूर्ण छूट वाली हैं । छूटों के अन्य मामलों में सूचना देने की जरूरत नहीं है यदि पुष्टि करने अथवा मनाही करने के कर्तव्य को वंचित रखने का सार्वजनिक हित प्रकटन के सार्वजनिक हित को पीछे छोड़ देता है, चाहे सार्वजनिक प्राधिकारी के पास सूचना उपलब्ध हो ।</p>	<p>जो हों, मामलों की ऐसी बहुत सी श्रेणियां हैं, जिनके अंतर्गत सूचना अधिकारी सूचना की मनाही कर सकता है (धारा 33 (1)(ख)) इन मामलों में, सूचना अधिकारी को निम्नलिखित सूचना की सुलभता मंजूर करनी चाहिए, यदि :</p>	<p>सरकारी संस्थान का प्रमुख सूचना का प्रकटन कर सकता है यदि कतिपय शर्तों की पूर्ति की जाए जैसाकि धारा 13 (2) में वर्णित है । धारा 14, 15, 16(1), 16 (2), 17, 18, 21, 22, 23 और 26 से संबंधित मामलों में, सरकारी संस्थान का प्रमुख सूचना प्रकटन की मनाही कर सकता है ।</p>	

संगणक - 1 (8)					
क्रम सं.	प्रतिमान	यू.के.	दक्षिण अफ्रीका	कनाडा	भारत
			(क) रिकार्ड के प्रकटन से निम्नलिखित साक्ष्य का पता चलेगा-(i) पर्याप्त रूप में उल्लंघन अथवा कानून का अनुपालन करने में असमर्थता, अथवा(ii) एक निश्चित और गम्भीर सार्वजनिक सुरक्षा अथवा पर्यावरणीय जोखिम ; और (ख) रिकार्ड के प्रकटन में सार्वजनिक हित प्रसंगाधीन प्रावधान में परिकल्पित नुकसान की स्पष्ट रूप से अनदेखी करता है (धारा 46)		
10.	मनाही के आधार	सूचना के प्रकटन को निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकार किया जा सकता है : (i) यदि प्राधिकारी का अनुमान हो कि अनुरोध का अनुपालन करने की लागत उचित सीमा को पार कर जाएगी (धारा 12) । (ii) यदि अनुरोध कष्टप्रद हो (धारा 14) (iii) यदि अनुरोध का पहले अनुपालन कर दिया गया है (धारा 14) ।	मनाही के लिए आधारों के रूप में छूटों का उल्लेख किया गया है । किसी सार्वजनिक निकाय का सूचना अधिकारी किसी निकाय के रिकार्ड की सुलभता हेतु अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, यदि - (क) अनुरोध तुच्छ अथवा कष्टप्रद हो ; अथवा (ख) अनुरोध पर कार्यवाही करने में सम्मिलित कार्य से सार्वजनिक निकाय के संसाधनों का पर्याप्त रूप में और अनुचित रूप में विचलन होगा (धारा 45)।	सुलभता की मनाही की जा सकती है यदि रिकार्ड विद्यमान नहीं है अथवा वह छूट के प्रावधान द्वारा कवर होता हो (धारा 10) ।	आवेदन-पत्रों को केवल छूट संबंधी खण्डों के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है, अर्थात् धारा 8 (1) और 9 तथा द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन ।

संग्रहक - 1 (8)					
क्रम सं.	प्रतिमान	यू.के.	दक्षिण अफ्रीका	कनाडा	भारत
11.	फीस संरचना	सार्वजनिक प्राधिकारियों को फीस संरचना का विनिर्धारण करना होता है। फीस संरचना, राज्य सचिव द्वारा जारी विनियमों द्वारा विनियंत्रित होती है। विनियमों में फीस माफ़ी की भी व्यवस्था की जा सकती है (धारा 9)	सार्वजनिक निकाय को सूचना अधिकारी को, जिससे सुलभता का अनुरोध किया गया है, एक नोटिस द्वारा अनुरोधकर्ता से, वैयक्तिक अनुरोधकर्ता को छोड़कर, अनुरोध पर और आगे कार्रवाई करने से पहले, निर्धारित अनुरोध फीस (यदि कोई हो) अदा करने की एक नोटिस द्वारा अपेक्षा करनी चाहिए (धारा 22 (1)) निजी निकाय के प्रधान को जिससे सुलभता का अनुरोध किया गया है, अनुरोधकर्ता से, वैयक्तिक अनुरोधकर्ता को छोड़कर, अनुरोध पर और आगे कार्रवाई करने से पहले, निर्धारित अनुरोध फीस (यदि कोई हो) अदा करने के एक नोटिस के जरिए अपेक्षा करनी चाहिए (धारा 54 (1))	इस धारा के अद्ययधीन, इस अधिनियम के अंतर्गत रिकार्ड की सुलभता के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति से निम्नलिखित की अदायगी करने की अपेक्षा की जा सकती है : (क) अनुरोध किए जाने के समय, ऐसी आवेदन फीस, जो 25 डालर से अधिक नहीं होगी, जैसी कि विनियम द्वारा निर्धारित की जाए। (ख) कोई प्रति तैयार करने से पहले ऐसी फीस, जैसी कि विनियमन द्वारा निर्धारित ढंग से परिकलित पुनः प्रतियां तैयार करने की लागत को परिलिखित करते हुए, निर्धारित की जाए (धारा 11 (1))। (ग) सरकारी संस्थान का प्रमुख, जिससे इस अधिनियम के अंतर्गत रिकार्ड की सुलभता के लिए अनुरोध किया गया है, फीस की अथवा अन्य राशि की अथवा उसके किसी भाग की इस धारा के तहत, अदायगी की शर्त से माफ़ी दे सकता है अथवा फीस की अथवा किसी अन्य राशि की अथवा उसके किसी भाग को, जिसे इस धारा के अंतर्गत अदा किया गया हो, वापस कर सकता है (धारा 11 (6))।	आवेदन पत्र के साथ निर्धारित फीस अदा की जानी चाहिए (धारा 6), जो इस समय 10/- रूपए है। किसी दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कानून के लिए प्रति पृष्ठ 2/- रूपए की अतिरिक्त फीस, भारत सरकार द्वारा जारी नियमानुसार जमा कराई जानी चाहिए। राज्यों की अपनी फीस प्रणाली है।
12.	अपील	कोई भी व्यक्ति (इस धारा में शिकायतकर्ता के रूप में संदर्भित) इस संबंध में निर्णय लेने के लिए अनुरोध कर सकता है कि क्या किसी विनिर्दिष्ट के संबंध में, शिकायतकर्ता द्वारा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना के लिए किसी अनुरोध पर भाग-1 की आवश्यकतानुसार निपटान किया गया है (धारा 50(1))	सार्वजनिक निकायों के मामलों में, आंतरिक प्रथम अपील की व्यवस्था है। दूसरी अपील न्यायालय में की जा सकती है। निजी निकायों के मामलों में, पहली अपील सीधे ही न्यायालय में की जा सकती है (धारा 74 और 78)	इस अधिनियम के अद्ययधीन, सूचना आयुक्त, रिकार्ड की सुलभता के लिए किसी अनुरोध के संबंध में शिकायत प्राप्त कर सकता है और उनकी जाँच कर सकता है। (धारा 30)	पहली अपील, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण में सी पी आई ओ/एस पी आई ओ से तत्काल वरिष्ठ अधिकारी के पास की जा सकती है (धारा 19 (1)) दूसरी अपील केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग से की जा सकती है (धारा 19 (3))। न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक है (धारा 23)

संलग्नक - 1 (8)			
क्रम सं.	प्रतिमान	यू.के.	वर्ष
13.	सार्वजनिक हित खण्ड	सभी छूट (पूर्ण छूट को छोड़कर) एक सार्वजनिक हित की शर्त पर पात्र है जिसके अंतर्गत सुलभता केवल अस्वीकार की जाएगी जहाँ छूट को बनाए रखने में सार्वजनिक हित सूचना के प्रकटन में सार्वजनिक हित को पीछे छोड़ देता है (अधिनियम का भाग-II)	एस 46 : निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के निकायों को, कानून अथवा पर्यावरण के पर्याप्त उल्लंघन को साध्य का पता चलने पर और कि प्रकटन में सार्वजनिक हित, मनाही करने में सार्वजनिक हित को पीछे छोड़ देता है, सूचना का प्रकटन करना चाहिए ।
14.	अनुरोध के अनुपालन के लिए समय	20 कार्य दिवस (धारा 10)	30 दिन (धारा 25 (1))
15.	पदांश करने वालों का संरक्षण	कोई प्रावधान नहीं (सार्वजनिक हित प्रकटन अधिनियम के अंतर्गत कवर)	कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं (संरक्षित प्रकटन अधिनियम के तहत कवर)
16.	अभिलेख पालन की जरूरत	राज्य सचिव, अनुपालन की एक संश्लिष्ट जारी और समय-समय पर संशोधित करेगा जिसमें सार्वजनिक प्राधिकारियों के लिए इस प्रथा के बारे में मार्गनिर्देशों का उल्लेख होगा जिनका इसकी राय में पैस-1 के अंतर्गत प्राधिकारियों के कार्यों के निपटान के संबंध में पालन किया जाना चाहिए ।	जी नहीं
17.	संसद को रिपोर्ट करना	धारा-49(1) आयुक्त, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रत्येक वर्ष इस अधिनियम के अंतर्गत उसके कार्यों के निपटान के संबंध में एक सामान्य रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। (2) आयुक्त, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष उन कार्यों के संबंध में ऐसी अन्य रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा जिन्हें वह उपयुक्त समझे ।	धारा 25 : सार्वजनिक हित प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद, वित्त वर्ष के दौरान अपने कार्यालय के कार्यकलापों के संबंध में संसद को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।
			धारा 25 : केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष के अंत में उपयुक्त सरकार के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेगा जो रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि संसद के प्रत्येक सदन/राज्य विधानमंडल के सदन में प्रस्तुत करायी ।
			30 दिन (धारा 7)40 दिन, जिन मामलों में गोपनीय तृतीय पक्ष सूचना मांगी गई है (धारा 11 (3))
			कोई प्रावधान नहीं है
			जी हैं, (धारा 4 (1)(क))

संलग्नक-V (1)

उन राज्यों की सूची जिन्होंने सूचना आयोगों का गठन किया है
(12.4.2006 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का नाम	पृष्ठभूमि
1.	आंध्र प्रदेश	श्री सी.डी. अर्हा	सिविल सेवा
2.	असम	श्री आर.एस. मुशाहारी	सिविल सेवा
3.	छत्तीसगढ़	श्री ए.के. विजयवर्गीय	सिविल सेवा
4.	गोआ	श्री ए. वेंकटरमलम	सिविल सेवा
5.	गुजरात	श्री पी.के. दास	सिविल सेवा
6.	हरियाणा	श्री जी. माधवन	सिविल सेवा
7.	हिमाचल प्रदेश	श्री पी.एस. राणा	सिविल सेवा
8.	कर्नाटक	श्री के.के. मिश्रा	सिविल सेवा
9.	केरल	श्री पलत मोहनदास	सिविल सेवा
10.	मध्य प्रदेश	श्री टी.एन. श्रीवास्तव	सिविल सेवा
11.	महाराष्ट्र	श्री सुरेश वी. जोशी	सिविल सेवा
12.	मेघालय	श्री जी.पी. वाहलंग	सिविल सेवा
13.	नागालैण्ड	श्री पी. तलेतेमजेन	सिविल सेवा
14.	उड़ीसा	श्री डी.एन. पाठी	सिविल सेवा
15.	पंजाब	श्री राजन कश्यप	सिविल सेवा
16.	राजस्थान	श्री एम.डी. कौरानी	सिविल सेवा
17.	तमिलनाडु	श्री एस. रामाकृष्णन	सिविल सेवा
18.	त्रिपुरा	श्री बी.के. चक्रवर्ती	सिविल सेवा
19.	उत्तरांचल	श्री आर.एस. तोलिआ	सिविल सेवा
20.	उत्तर प्रदेश	न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद असगर खान	न्यायपालिका
21.	पश्चिम बंगाल	श्री अरुण भट्टाचार्य	सिविल सेवा

संलग्नक-V (2)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सी पी आई ओ/पी आई ओ की संख्या
(उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के आधार पर 11.05.2006 की स्थिति)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	सी पी आई ओ की संख्या	अधिकारियों का स्तर	क्या अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की गई
1.	प्रधानमंत्री कार्यालय	1	निदेशक	जी हाँ
2.	वाणिज्य विभाग	41	निदेशक/उप सचिव/ अवर सचिव	जी हाँ
3.	औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग	15	निदेशक/उप सचिव	जी हाँ
4.	कार्मिक, लोक निकायत और पेंशन मंत्रालय	42	निदेशक/उप सचिव	जी हाँ
5.	राजस्व विभाग	11	निदेशक/उप सचिव	उप. नहीं
6.	व्यय विभाग	9	निदेशक/उप सचिव	जी हाँ
7.	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	1	निदेशक	जी हाँ
8.	नागर विमानन मंत्रालय	1	अवर सचिव	जी हाँ
9.	कोयला मंत्रालय	1	उप सचिव	जी हाँ
10.	संसदीय कार्य मंत्रालय	3	उप सचिव	जी हाँ
11.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	22	सं.सचिव/निदे./उप सचिव	जी हाँ
12.	विदेश मंत्रालय	1	संयुक्त सचिव	जी हाँ
13.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	15	निदेशक/उप सचिव	जी हाँ
14.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	1	निदेशक	जी हाँ
15.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	36	निदेशक/उप सचिव/ए.सी	उप. नहीं
16.	विधि मामले विभाग	6	सं.सचिव/अपर विधि सलाहकार	उप. नहीं
17.	खान मंत्रालय	1	निदेशक	जी हाँ
18.	समुद्र विकास विभाग	6	निदेशक/उप सचिव	जी हाँ
19.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	1	उप सचिव	जी हाँ
20.	पर्यटन विभाग	15	निदेशक/उप सचिव	जी हाँ
21.	जल संसाधन मंत्रालय	10	निदेशक/उप सचिव	उप. नहीं
22.	भारत मौसम विज्ञान विभाग	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं


संयु. सचिव=संयुक्त सचिव, निदे. = निदेशक, उ.स. = उप सचिव, ए.सी. = सहायक आयुक्त, उ.न. = उपलब्ध नहीं

संलग्नक-V (3)

अभिलेख पालन की स्थिति के बारे में कुछ मंत्रालयों/विभागों के उत्तर

क्रम सं.	एजेन्सी	प्रतिक्रिया/उत्तर
1.	उपभोक्ता मामले विभाग	समय गुजरने के साथ-साथ अभिलेख पालन का विकास किया जाएगा।
2.	पर्यटन मंत्रालय	चूँकि धारा 4 (1) (क) के अंतर्गत दायित्व एक समय सीमा के अंदर पूरा किया जाना चाहिए इसलिए ई-प्रबंधित अभिलेखों की एक पद्धति कायम करने के लिए प्रयासों की आउटसोर्सिंग एक विचारणीय विकल्प होना चाहिए
3.	डाक विभाग	सूचना और कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी पर आधारित एक पद्धति के उपयोग के जरिए सूचना का भण्डारण और पुनः प्राप्ति आसान हो जाएगी। इस संबंध में नोडल मंत्रालय द्वारा विस्तृत और मानक प्रक्रियाएं विकसित की जानी चाहिए।
4.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	मंत्रालय के अभिलेख पालन के लिए अभिलेख प्रबंधन की वर्तमान पद्धति उपयुक्त है।
5.	इस्पात मंत्रालय	इस समय अभिलेख पालन उत्तम है।
6.	व्यय विभाग	आर टी आई या कोई आर टी आई नहीं, अपने ही लिए अभिलेख अनुसंधान पर सतत रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आर टी आई अधिनियम को ध्यान में रखते हुए अभिलेखों की छंट्टाई को अधिशासित करने वाले मानदण्डों में आवयक परिवर्तनों की सीमा और सलाह प्राप्त करने के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करने की जरूरत है।
7.	विद्युत मंत्रालय	अभिलेख पालन की स्थिति उत्तम है।
8.	समूद्रपार भारतीय मामले मंत्रालय	सभी अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण तथा सभी कार्यालयों की नेटवर्किंग, आर टी आई अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सभी सूचना प्रदान करने का एकमात्र समाधान है। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया आरंभ की है जो एक वर्ष के अंदर पूरी हो जाएगी।
9.	दूरसंचार विभाग	कुछ मामलों में निर्धारित समय से कुछ अधिक समय लग सकता है। इसलिए अभिलेख पालन की पद्धति को आधुनिक बनाने के लिए प्रयासों की जरूरत है।
10.	आई टी विभाग	इस समय अभिलेख पालन की स्थिति संतोषजनक है।
11.	विधि और न्याय मंत्रालय	अभिलेख पालन की स्थिति अच्छी है।
12.	गैर-परम्परागत ऊर्जा 'स्रोत मंत्रालय	वर्तमान में अभिलेखपालन की स्थिति संतोषजनक नहीं हो सकती है। कम्प्यूटरों के माध्यम से उपयुक्त सूचना पद्धति विकसित करना आवयक है।
13.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	कार्यालय पद्धति संहिता समय पर खरी उत्तरी है इसलिए किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं है।
14.	शहरी विकास मंत्रालय	जो अभिलेख पाँच वर्ष से अधिक पुराने हैं उन सभी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने की जरूरत है।
15.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	अभिलेख पालन की स्थिति संतोषजनक है किंतु इसमें और सुधार किया जा रहा है।
16.	कृषि और सहकारिता विभाग	वेब-सम्बद्ध अनुप्रयोग के लिए अभिलेख पालन को सहज कम्प्यूटरीकरण, माइक्रो-फिक्सिंग, इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने के लिए, अद्यतन बनाया जाना है ताकि सहज पुनः प्राप्ति और सुलभता सुकर हो सके।

सार्वजनिक प्राधिकरणों की तालिका बनाने के लिए प्रतिलोमित वृक्ष अवधारणा





द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग
भारत सरकार

द्वितीय मंजिल, विज्ञान भवन एनैक्स, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली-110 001
e-mail : arcommission@nic.in website : <http://arc.gov.in>